खण्ड-384, अंक-10
मंगलवार, 18 फाल्गुन, शक संवत् 1909
(8 मार्च, 1988 ई0)

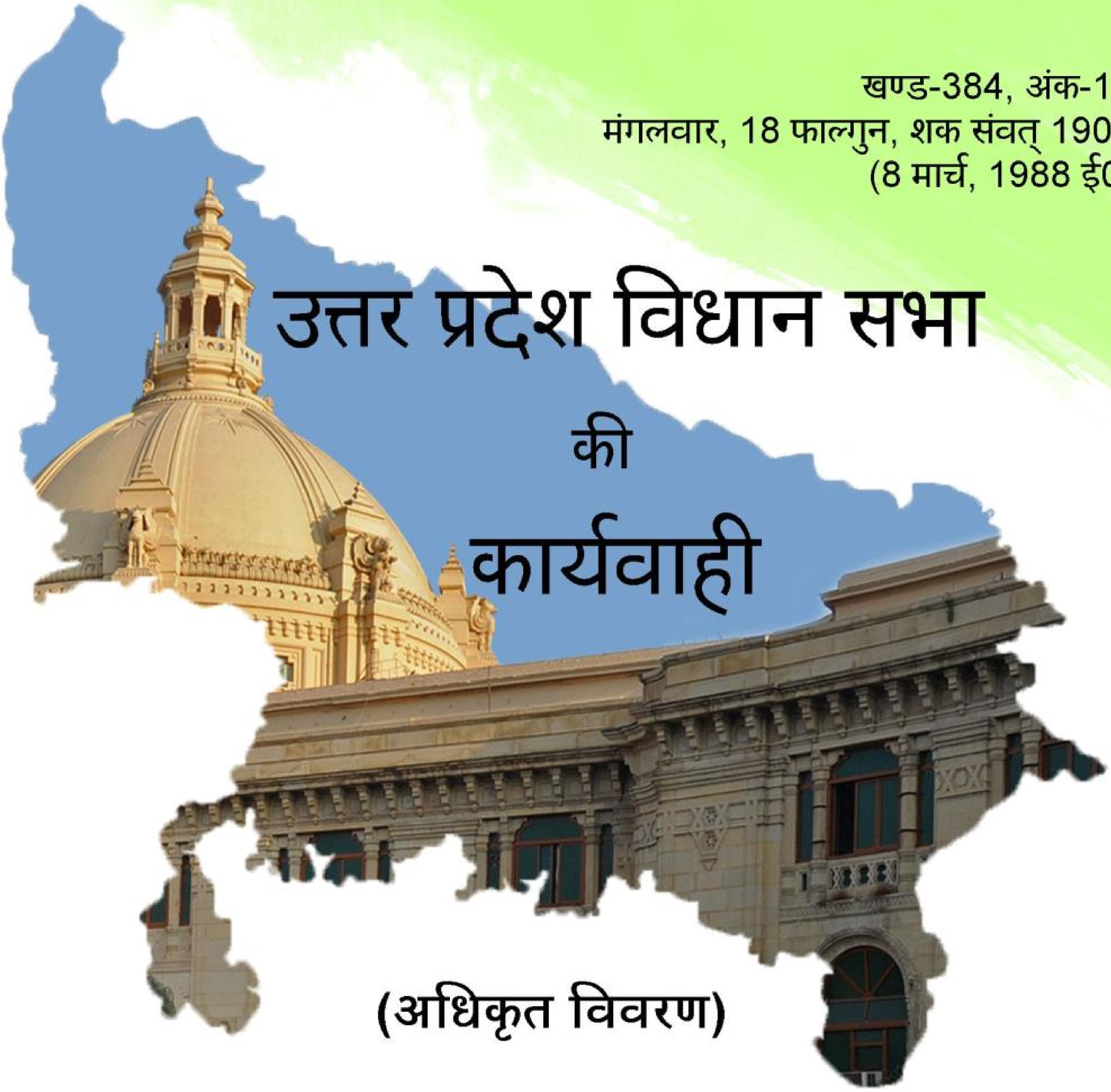

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 384 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1–98
प्रश्न संख्या 12 से सम्बन्धित मन्त्री के अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	99
बलिया जिलान्तर्गत घाघरा नदी पर चांदपुर में पैन्टून पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
जनपद वाराणसी की ज्ञानपुर लिफ्ट पम्प कैनाल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद आगरा के यमुना नदी पर दूसरे पुल का निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद मुरादाबाद में नगर धनौरा से वाह नदी तक चल रहे सड़क निर्माण कार्य को सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
जनपद देवरिया की कप्तानगंज शुगर फैक्ट्री एवं डिस्टिलरी से छोटी गंडक नदी में प्रदूषण होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
उन्नाव जिलान्तर्गत बांगरमऊ स्थान पर 'महाराजा सातन पास स्मारक' के निर्माण कार्य में विलम्ब होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
सदन के उपवेशन के दौरान पुलिस अधीक्षक, बलिया द्वारा बैठक बुलाए जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना	102
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	103
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति का पंचम प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	103
लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों को अवध विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के सम्बन्ध में वक्तव्य (जारी)	105
सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	105
लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालय को अवध विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के सम्बन्ध में वक्तव्य	106
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	107
उत्तर प्रदेश सचिवालय में शिक्षा सचिव का घेराव किए जाने पर कतिपय विधायकों की पिटाई तथा उनकी गिरफ्तारी विषयक कार्य स्थगन की सूचना ..	107–132
श्री अक्षयवर मल्ल की हत्या की जांच तथा उनकी प्रतिमा स्थापित कराए जाने की मांग	133–155
वित्तीय वर्ष 1988–89 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ..	156–188
तृतीय सत्र 1987 के व्यवस्था एवं औचित्य के प्रश्नों के मामले को सदन की नियम समिति को निर्दिष्ट करने की घोषणा	189
विभिन्न समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम का निर्धारण	189
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में संशोधन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	190
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं	191
मद संख्या 11 एवं 12 का स्थगन	192
नत्थियां	193–199

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 8 मार्च, 1988

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे--

अकबर अहमद, श्री (डम्पी)	नैनीताल	रघुबर दयाल वर्मा, श्री	आगरा
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
अमिताभ लवानियां, श्री	आगरा	राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं	राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
अशोक सेहरा, श्री	आगरा	राम नरेश यादव, श्री	मैनपुरी
आर0एन0 पाठक, श्री	कानपुर	राम लक्षन, श्री	गोरखपुर
औसान सिंह, श्री	इटावा	रामशरण दास, श्री	सहारनपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	विक्रमादित्य पान्डेय, श्री	बलिया
कोकब हमीद, श्री	मेरठ	विलायती राम कत्याल,	कानपुर
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून	विष्णु देव, श्री	आजमगढ़
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती	वीरेन्द्र सोन, श्री	आगरा
दूध नाथ, श्री	जौनपुर	शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
देव कुमार सिंह यादव, श्री	बांदा	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
नंगाराम, श्री	खीरी	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
नरेन्द्र सिंह कुंवर, श्री	सहारनपुर	शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी गढ़वाल
नरेश पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
नानक चन्द्र आजाद, श्री	मेरठ	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़	समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर	सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
प्रभुदयाल, प्रधान	मेरठ	सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
बदन सिंह, श्री	आगरा	सुखपाल पान्डे, श्री	बस्ती
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
मंगल देव, श्री	गोंडा	सुरेन्द्र सिंह, श्री	गढ़वाल
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर	सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
मानबेन्द्र सिंह, कुंवर	झांसी	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री	रायबरेली	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

विधान सभा
मध्य प्रदेश

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 8 मार्च, 1988

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद बरेली में इंजीनियरिंग कालेज खोलने की मांग

*1—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद में इंजीनियरिंग कालेज खोलने की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो यह कालेज कब तक खोल दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

जनपद बरेली में धनाभाव के कारण इंजीनियरिंग कालेज खोला जाना अभी सम्भव नहीं है।

डा0 दिनेश जौहरी—

मान्यवर, उ0 प्र0 सरकार ने बरेली की हमेशा अवहेलना किया है। बरेली, मंडल इतना बड़ा है कि अब दो मंडल बना दिये गये हैं बरेली और मुरादाबाद, इसके अलावा कुमायूं और रुहेलखंड मंडल इससे लगे हैं, इस पूरे क्षेत्र में कोई इंजीनियरिंग कालेज नहीं है। हमारे मंत्री जी पिछले कई चुनावों से वहां से विधायक चुनकर आ रहे हैं और अब मंत्री हैं और वह भी प्राविधिक शिक्षा के मंत्री हैं। मैं आशा करता था कि वह आज ही बरेली में इंजीनियरिंग कालेज खोलने की घोषणा करेंगे लेकिन वह बरेली के होते हुए भी बरेली की अवहेलना की है। मान्यवर, उन्होंने जैसा कहा है कि धनाभाव के कारण इस साल इंजीनियरिंग कालेज वहां खोला जाना संभव नहीं है, तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि सिन्धान्त: वह वहां इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिये तैयार हो गये हैं कि नहीं?

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, जैसा कि विद्वान सदस्य ने कहा तो मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं और बताना चाहता हूं कि सरकार उनसे कम चिंतित नहीं है। यह सही है कि बरेली महानगर है, इसलिये वहां एक इंजीनियरिंग कालेज की आवश्यकता है परन्तु हमारे संसाधन चूंकि सीमित हैं इसलिए उनकी जानकारी के लिये यह भी बताना चाहता हूं कि वहां इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिये वर्ष 1984 से एक प्रक्रिया चल रही है, और बरेली ही नहीं मुरादाबाद में भी सरकार इंजीनियरिंग कालेज खोलना चाहती है चूंकि बाकी डिवीजनों में इंजीनियरिंग कालेज हैं किन्तु सरकार के सामने मुश्किल है चूंकि एक इंजीनियरिंग कालेज खोलने पर 20 से 30 करोड़ रुपये लगते हैं। फिलहाल अभी वहां इंजीनियरिंग कालेज खोलना सरकार के लिए संभव नहीं है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सिर्फ इंजीनियरिंग कालेज की बात नहीं है मैं इससे हटकर कहना चाहता हूं कि बरेली में एक मेडिकल कालेज खोलने की बात है तो भी यह दिया गया कि धनाभाव है लेकिन आगरे में दूसरा मेडिकल कालेज खुले तो वहां के लिये धनाभाव नहीं है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि धनाभाव का बहाना न लें क्योंकि बरेली जब मुख्य मंत्री जी गये थे तो विज्ञान संकाय में जनता की मांग पर कहा था कि बरेली में इंजीनियरिंग कालेज शीघ्र ही खोला जायेगा और उस समय राज्य मंत्री जो आप भी मौजूद थे, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस घोषणा पर टिकी है और प्राथमिकता के आधार पर वहां इंजीनियरिंग कालेज खोलेगी कि नहीं ?

श्री चेतराम गंगवार–

मान्यवर, यह बात सही है कि हमारे मुख्य मंत्री जी जब बरेली गये थे तो विज्ञान संकाय में जनता की मांग पर उन्होंने वहां की आवश्यकता को समझते हुए कहा था कि बरेली में इंजीनियरिंग कालेज खोलने की आवश्यकता है और मांग उचित है। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1988-89 का जो प्लान बनाया गया उसमें कुछ पैसे की व्यवस्था की गयी, लेकिन सेवेन्थ प्लान में अल्मोड़ा में द्वाराहाट, पौड़ीगढ़वाल में कांडूसेन और झांसी, इनमें तीन इंजीनियरिंग कालेज पिछले वर्ष खोले गये हैं जिसके लिये 5.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था किया था, अतः बरेली में इंजीनियरिंग कालेज खोलने के संबंध में प्लानिंग विभाग को यह प्रस्ताव जब भेजा गया तो उसने स्वीकृति इसकी नहीं दी, आप सभी जानते हैं कि सूखे के कारण पिछले साल की योजना हमारी कम हो गयी। तो मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं अपने माननीय विद्वान सदस्य को कि जब भी कोई अगला इंजीनियरिंग कालेज इस प्रदेश में खुलता है तो उसमें बरेली का ख्याल रखा जाएगा, उसका विचार किया जाएगा और उसको प्राथमिकता दी जाएगी ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

आपका तो ख्याल पूरे प्रदेश का है, मैंने प्रश्न किया है कि आप बरेली को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष–

यह यहां तो बरेली और आगरा का मुकाबला हो रहा है, उसमें जो जीतेगा उसको मिलेगा ।

श्री चेतराम गंगवार–

यह तो मैंने कहा कि दोनों का ख्याल रखेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

बरेली में तो धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है, किन्तु रायबरेली में तो स्वीकार कर लिया गया है तो उस पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है?

श्री चेतराम गंगवार–

यह एक अलग प्रश्न है, उसके लिए अलग सूचना की आवश्यकता है। वहां पर जगदीशपुर वाली टैकनिक पहले से ही है।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

बरेली में इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिए इसी वर्ष एक दम से तो पैसे की जरूरत होगी नहीं, यह तो कई साल चलता रहता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इस वर्ष आप थोड़ा पैसा बरेली इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिए दे दें, जिससे उसका कार्य शुरू हो जाए और आगे से आप उसके लिए धन देते रहें ?

श्री चेतराम गंगवार–

हमारा 88-89 के लिए जो प्लान है, उसमें 1 करोड़ 70 लाख रुपये का प्राविजन हमने किया है, जो हमने पिछले वर्षों में अल्मोड़ा में द्वाराहाट, पौड़ी गढ़वाल में कांडू और झांसी में इन कालेजों की स्थापना की है। तो अब इस 1 लाख 70 हजार रुपये में से उसका प्राविजन होना कठिन है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक भी इंजीनियरिंग कालेज यदि भविष्य में प्रदेश में खोला जाता है तो सबसे पहले बरेली को प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री मैनेजर सिंह–

मैं यह जानना चाहता हूं, जैसा अभी मंत्री जी ने बताया उसके सन्दर्भ में कि सरकार के आर्थिक दिवालियेपन को देखते हुए क्या स्वैच्छिक संस्थाओं को वह मान्यता दिलायेंगे इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिए?

श्री चेतराम गंगवार–

मान्यवर, सिंह साहब इस सदन के सबसे वरिष्ठ और पुराने सदस्य हैं, वह जानते हैं कि इस मामले में स्टेट इन्डेपेन्डेन्ट नहीं है। उसके लिए मानव संसाधन मंत्रालय और अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद्, दिल्ली भी विद्यमान है। यह तो प्राविधिक शिक्षा है, अब तो साधारण शिक्षा में भी इस प्रकार की मान्यता देना बन्द कर दिया गया है "व्यवधान" प्राईवेट वाले कैसे-कैसे और कैसा-कैसा एडमिशन करते हैं, यह तो आप जानते हैं। इसलिए हम उनको इस हेतु रिकगनेशन देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं।

सिपाहियों की आवासीय समस्या सुलझाने हेतु पुलिस आवास निगम का गठन

(**)2–श्री हृदय नारायन दीक्षित–

क्या गृह मंत्री को यह जानकारी है कि सरकार ने सिपाहियों की आवासीय समस्या को सुलझाने हेतु किसी पुलिस आवास निगम का गठन किया है? यदि हां, तो नवगठित पुलिस आवास निगम की रूपरेखा और उद्देश्य क्या है ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

जी हां, पुलिस विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम का निबन्धन दिनांक 27-3-87 को हुआ। इस निगम की रूपरेखा तथा उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

रूपरेखा–उ0 प्र0 पुलिस आवास निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निबंधित एक सरकारी परिसीमित कम्पनी है। इसका संचालन राज्य सरकार द्वारा

मनोनीत निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, पुलिस महानिदेशक, पुलिस हाउसिंग हैं। निदेशक मण्डल में अन्य प्रतिनिधि महानिदेशक, फायर सर्विस तथा शासन के वित्त, नियोजन, सा0 नि0 वि0, राजस्व तथा गृह विभाग के विशेष सचिव/संयुक्त सचिव हैं। निगम की अधिकृत अंशपूंजी 10.00 करोड़ रु0 निर्धारित की गयी है एवं इसका मुख्यालय लखनऊ में है।

उद्देश्य:—पुलिस विभाग के आवासिक/अनावासिक भवनों के निर्माण की योजना तैयार करना, इन भवनों का निर्माण, देखरेख तथा मरम्मत एवं उससे संबंधित अन्य कार्य जैसे सड़क, नालियां आदि का निर्माण।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम का गठन पुलिस विभाग के आवासिक/अनावासिक भवनों के निर्माण की योजना के लिए किया गया है। आवासिक योजना के लिए पहले से ही उत्तर प्रदेश आवास निगम, निर्बल आवास निगम आदि तमाम संस्थायें हैं, तो पहले से जो संस्थायें हैं उनसे यह कार्य कराने में क्या कठिनाई थी और जो आवास बने हैं उनके अवस्थापन और व्यवस्थापन में क्या खर्चा आ रहा है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

पुलिस आवास निगम की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि बहुत से काम रुके हुए थे जबकि धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है राजकीय निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग इस कार्य को करते थे। लेकिन मैं सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूं कि 1968-69 से 82 के मध्य में जो काम स्वीकृत हुए वही उन्होंने पूरे नहीं किए थे इसलिए इस निगम की आवश्यकता महसूस हुई। इसके अलावा यह भी बताना चाहूंगा कि कर्नाटक, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, असम आदि प्रान्तों में पुलिस निगमों की स्थापना की गई है और हमसे पहले से यह और प्रदेशों में कार्यरत हैं।

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पुलिस आवास निगम जो गठित किया गया है और उसकी कार्यप्रणाली जो बताई है उसमें सबसे पहले किन-किन स्थानों को चुना गया है जहां आवासीय भवन बनाये जायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

जहां आवश्यकता समझी गई जहां पहले से प्रस्ताव पड़े हुए थे उनको पहले लिया गया। इसमें तीन यूनिट हैं। छः सौ पुलिस कर्मियों का बैरक बन रहा है। दो क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक तथा दो सौ छः आवास गृह कान्सटेबिल्स के लिए बन रहे हैं।

श्री बाबूराम यादव–

मैं स्थानों के नाम जानना चाहता हूं जहां आप आवास बनवायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इसकी सूचना मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, इस नियम की जिम्मेदारी जिन लोगों पर डाली गयी है यह वही लोग हैं जो पहले इस काम को देखते थे । सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव और दूसरे विभाग के महानिदेशक हैं, यह पहले ही अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाये । तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वही लोग उसी काम को करेंगे तो कैसे आप अपेक्षा करते हैं कि यह काम ठीक से और त्वरित गति से होगा ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, सभी सम्मानित साथी जानते हैं कि निगम आटोनामस बाडी होते हैं, स्वायत्तशासी संस्था होते हैं और इनकी अपने ढंग से काम करने की छूट होती है । इसमें वही लोग नहीं हैं । इसमें सीधी भर्ती की गयी है कुछ थोड़े से लोग सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज्य विद्युत परिषद् से इंजीनियर्स वगैरह डेपूटेशन पर लिये गये हैं । सीधी भर्ती निगम में चल रही है और निगम इंजीनियर्स तथा अन्य स्टाफ भर्ती कर रहा है । वही लोग इसमें नहीं रहेंगे ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, 104 सार्वजनिक उपक्रम एवं निगमों में से अधिकांश पहले से ही घाटे पर चल रहे हैं । तो नये निगम को सृजित करके घाटा बढ़ाने की क्या उपयोगिता और औचित्य है । दूसरा प्रश्न मैं यह करना चाहता हूं कि पुलिस विभाग के अलावा अनेक विभाग ऐसे हैं जैसे शिक्षा, चिकित्सा जिनके पास पुलिस विभाग से ज्यादा निर्माण कार्य हैं तो क्या इन विभागों के लिये भी अलग से निगमों की स्थापित करने की योजना शासन के विचाराधीन है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, चूंकि 68-69 से 82 तक के प्रस्ताव पड़े थे और काम नहीं हो रहा था इसलिये निगम बनाया गया । जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में इस प्रकार के निगम कार्य कर रहे हैं ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा स्पष्ट सवाल था कि जिन विभागों के पास पुलिस विभाग से ज्यादा निर्माण कार्य हैं जैसे सिंचाई विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग आदि तो क्या उनके लिये भी स्वतंत्र रूप से ऐसे निगम बनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

अन्य विभागों के बारे में गृह मंत्री जी क्या बता सकेंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी–

संसदीय कार्य मंत्री जी मुख्य मंत्री जी की ओर से बता दें । प्रतिवर्ष 1 हजार करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है और नये निगम खोले जा रहे हैं ।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में जहां पर आवास की जटिल समस्या है तो क्या वहां पर इस निगम के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र में जो पुलिस जन हैं उनके लिये आवास की व्यवस्था किन्हीं नगरों में की जा रही है यदि हां तो वह कौन से नगर हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

पर्वतीय क्षेत्र में जहां भी आवश्यकता होगी, आवश्यकतानुसार वहां भी निर्माण कराया जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने लिखित उत्तर में बताया कि 10 करोड़ रुपये की अंश पूंजी दी गयी है । मैं जानना चाहता हूं कि निगम को विभिन्न कार्यों की पूर्ति के लिये कितना रुपया दिया गया है ? इस 10 करोड़ से भिन्न कुछ रुपया दिया गया है या नहीं यदि दिया गया है तो कितना ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

चालू वित्तीय वर्ष 87-88 में 1 करोड़ रुपये की धनराशि दी गयी है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, पुलिस आवास निगम की स्थापना जब से हुयी है उसके स्थापन तथा व्यवस्थापन पर कितना खर्च हुआ है ? दूसरा प्रश्न यह है कि विभिन्न थानों में पुलिस के लिए आवासीय व्यवस्था अपर्याप्त है तो क्या उस अपर्याप्तता को दूर करने के लिए निगम ने कोई योजना की है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, किसी नये कार्य की स्थापना के लिए कोई निश्चित धनराशि बताना तो मुश्किल कार्य है । अभी हम वहां पर भर्तियां कर रहे हैं, वहां पर अभी पूरा स्टाफ भी नहीं है, इसलिए यह सही धनराशि नहीं बताई जा सकती है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैंने यह पूछा कि विभिन्न थानों में आवासीय व्यवस्था अपर्याप्त है, तो जो इस व्यवस्था की कमी है, इसको दूर करने के लिए कोई रूप-रेखा तैयार की है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

अब तक जो प्रस्ताव निर्माण कार्यों के लिए लिया गया था, वही-वही कार्य लिये गये हैं और जैसे-जैसे आवश्यकता होगी, वैसे-वैसे कार्य लिए जाएंगे ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निबंधित एक सरकारी परिसीमित कम्पनी है इसका संचालन राज्य सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, पुलिस महा निदेशक, पुलिस हाउसिंग हैं । मान्यवर, जितने अन्य निर्माण निगम हैं, उन सबके मैनेजिंग डाइरेक्टर्स तकनीकी अधिकारी हैं और यह जो पुलिस आवास निगम बना है, इसमें पुलिस महानिदेशक, पुलिस हाउसिंग का पद सृजित करके उनको बनाया गया है । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह एक डी0 जी0 को और पदोन्नति करने के लिए यह आवास निगम बनाया गया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री गैनेजर सिंह–

मान्यवर, प्रश्न मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं । आपने अभी कहा कि हम कर्नाटक और असम का अनुकरण कर रहे हैं । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे कर्नाटक में तकनीकी अधिकारी ही वहां पर प्रबन्ध निदेशक हैं, वैसे ही क्या उत्तर प्रदेश में इस पद पर पुलिस महानिदेशक को न रख कर किसी तकनीकी अधिकारी को उस पद पर नियुक्त करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

इन्हें मान्यवर, इंजीनियरों से बहुत ज्यादा मुहब्बत है क्या ?

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

लखनऊ स्थित मोहन मीकिन्स शराब फैक्ट्री के प्रदूषित जल को गोमती नदी में छोड़ने के बजाय सोख्ता बनाकर छोड़ने की मांग

*2–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित मोहन मीकिन्स शराब फैक्ट्री द्वारा गोमती नदी में प्रदूषित जल छोड़े जाने से दिसम्बर, 1987 के अंतिम सप्ताह में लाखों रुपये की मछलियां मर कर नदी में तैरने लगीं तथा सैकड़ों जानवर प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गये ? यदि हां, तो संबंधित फैक्ट्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार जनस्वास्थ्य और प्रदूषण के बचाव हेतु संबंधित मिल को गन्दा जल अन्यत्र सोख्ता बना कर छोड़े जाने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा)–

दिसम्बर, 1987 में नहीं बल्कि दिसम्बर, 1986 में यह घटना घटी थी। प्रदूषित जल से जानवरों के बीमार होने की कोई घटना उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संज्ञान में नहीं आयी।

संबंधित फैक्ट्री के जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्तर से निम्नवत् कार्यवाही की गयी है :–

(1) दिनांक 31-12-1986 को मा0 उच्च न्यायालय में मे0 मोहन मीकिन्स के विरुद्ध रिट याचिका प्रस्तुत की गयी।

(2) न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश दिनांक 31-12-1986 को पारित किये गये जिसमें संदर्भित उद्योगों को अपना उत्प्रवाह गोमती नदी में निस्तारण न करने हेतु आदेशित किया गया।

(3) उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6-2-87 को दिये गये निर्णयानुसार वर्ष 1987 के अंत तक शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित करने, उत्प्रवाहों को बोर्ड के निरीक्षण में निस्तारित करने एवं 1987 तक शुद्धिकरण संयंत्र न स्थापित करने पर दिनांक 1-1-1988 से उद्योग का संचालन बंद करने हेतु आदेशित किया गया था।

(4) इन आदेशों के क्रम में दिनांक 16-12-1987 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा शुद्धिकरण संयंत्र लगाने हेतु उद्योग को तीन माह का अतिरिक्त समय और प्रदान किया गया है।

मे0 मोहन मीकिन्स लखनऊ द्वारा प्रस्तावित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है तथा वर्तमान में उत्प्रवाह को अंतिम व्यवस्था के द्वारा यथासम्भव शुद्धिकृत किया जा रहा है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेसर्स मोहन मीकिन्स द्वारा दिसम्बर 1986 में प्रदूषित जल छोड़े जाने के कारण पूरे लखनऊ का जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। लखनऊ में जल सम्पूर्ति की व्यवस्था भी गोमती नदी से होती है और जानवरों के पेयजल की व्यवस्था भी वहीं से होती है। उस पानी के पीने से अनेकों लोग बीमार हो गये लेकिन माननीय मंत्री जी को और सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है इसके लिए मुझे खेद है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतनी गम्भीर घटना होने के बाद भी कम्पनी के खिलाफ सरकार ने स्वयं कोई कार्यवाई क्यों नहीं किया, अपने स्तर से कोई जांच क्यों नहीं बैठाई, किन परिस्थितियों में सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की और अपने को अक्षम समझा और किन परिस्थितियों में वह न्यायालय गई ?

श्रीमती दीपा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रही थी कि मुझे बधाई देंगे माननीय सदस्य, यह सवाल जब पूछेंगे। मान्यवर, जो पर्यावरण बोर्ड है उसने इतनी जल्दी कार्यवाही करायी, 30 को घटना घटी और 31 को रिट याचिका हुई है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, सरकार स्वयं कार्यवाही करने में अक्षम है । सरकार मोहन मीकिंस के प्रबन्धक को, मालिक को बन्द कर सकती थी, प्रताड़ित कर सकती थी, हर्जाना वसूल कर सकती थी लेकिन जानबूझकर सरकार न्यायालय में जाकर 2 वर्ष से उसको छूट प्रदान किये हुए है और आज भी वह अपना उत्प्रवाह गोमती नदी में छोड़ रहा है । मैं माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने मिल मालिक, फैक्ट्री मालिक, प्रबन्धक के खिलाफ जब स्वयं कार्यवाही करने को सक्षम थी तो क्यों कार्यवाही नहीं की गयी और आज तक कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार ने अपने स्तर से कोई कार्यवाही कराई अगर नहीं कराई तो क्यों ?

श्रीमती दीपा–

आप जानते है कि हमारी कोई भी कार्यवाही होती है तो कोई कानून के तहत होती है । हमारा जो एक्ट है उसके आधार पर कोई कार्यवाही कर सकते है और उसी के आधार पर हम पूरी कार्यवाही कर रहे है । मैं एक आश्वासन भी देना चाहती हूं कि जो कार्य है वह इसी महीने पूरा हो जायेगा इसलिए मैं समझती हूं कि आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगी कि आपके यहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कोई चेयरमैन है या कोई मेम्बर सेक्रेटरी है कि नहीं है तो कितने समय से यह पद खाली चला आ रहा है ?

श्रीमती दीपा–

मान्यवर, हमारे जो चेयरमैन है वह हमारे जो सचिव पर्यावरण के है वही इसका काम भी देखते है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

सवाल यह नहीं था ।

श्रीमती दीपा–

मान्यवर, मैंने सवाल साफ नहीं सुना था । मान्यवर, मेम्बर सेक्रेटरी चेयरमैन जो है वह अपनी पावर मेम्बर सेक्रेटरी को देते है । अगर मेम्बर सेक्रेटरी नहीं है तो वह पावर उनके पास वापस आ जाती है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि सारी नदियां प्रदेश की जिनके किनारे फैक्ट्रियां स्थित है, सब गन्दा पानी छोड़ती है जिससे जानवर बगैरा मरते है यह सारी चार्जें हो रही है और आपका विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी मंत्री महोदय ने जिक्र किया कि एक्ट के अनुसार हम प्रयास कर रहे है और जाकर कर रही है

याचिका । क्या कोई कानून में कमी है जिसके कारण आप इसको रोक नहीं पा रही हैं या आपकी सरकारी मशीनरी में कोई कमी है । मैं जानना चाहता हूं कि अगर कमियां हैं तो क्या हैं और उसे दूर करने का क्या उपाय कर रही हैं ताकि गंदा पानी नदी नालों में न छोड़ा जाय ?

श्रीमती दीपा–

मैं सुन नहीं पाई ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने अभी कहा कि एक्ट में जो कुछ है उसी के हिसाब से प्रयास हो रहा है और करनी पड़ी आपको याचिका । मैं जानना चाहता हूं कि आपके एक्ट में कोई कमी है या आपकी मशीनरी जो आपरेट करने वाली है उसमें कोई कमी है इसका क्या कारण है जिसके कारण प्रदूषण को रोक नहीं पा रहे हैं कौन सी कमी है इसको दूर करने का क्या उपाय कर रहीं हैं ?

श्रीमती दीपा–

इसमें कोई कमी नहीं है । हमारे पास जो एक्ट है, उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं । आप देख भी रहे होंगे कि सरकार स्वयं प्रयत्नशील है और गंगा के ऊपर अलग से कार्यवाही चल रही है, गंगा सफाई अभियान चलाया जा रहा है । गोमती के लिये भी हमने 30 जगहें ले ली हैं, जिसमें मानीटरिंग कर रहे हैं । हम समस्या को देखते हुए आपके सबके सहयोग के साथ कार्य करते हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, अभी मा0 मंत्रीजी ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है ? वह केन्द्रीय है या राज्य सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम है । किस अधिनियम के अंतर्गत क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्रीमती दीपा–

केन्द्र सरकार का जो हमारा एक्ट है, उसी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरा प्रश्न यह है कि इस समय केवल एक अधिनियम चल रहा है, वह पर्यावरण अधिनियम, 1986 को संसद ने पास किया था, उसके बाद राज्य सरकार ने कोई अधिनियम नहीं बनाया । इस संबंध में केन्द्र सरकार ने कानून बनाया है, उस अधिनियम के अंतर्गत क्या कार्यवाही की गयी और उस अधिनियम को राज्य सरकार ने लागू किया है या नहीं ?

श्रीमती दीपा–

केन्द्र का दिया हुआ ही है । हमारे पास राज्य में जो लागू है, केन्द्र का कानून ही चल रहा है ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह चूंकि एक नीतिगत प्रश्न है, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि रामपुर में रामपुर डिस्टिलरी है, उसमें भी यही मामला है । मेरा सवाल है कि जिस अधिनियम की बात शतरुद्र प्रकाश जी कह रहे हैं, उसके अनुसार शहर के बीच में कोई शराब का कारखाना या फर्टीलाइजर फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती, लेकिन रामपुर में शहर के बीच में एक फर्टीलाइजर यूनिट लगी है । हम लोगों ने कहा कि वहां पर उसके उत्प्रवाह के निकलने से वहां की आबादी को नुकसान हो रहा और जो छोटे-छोटे किसान हैं, सब्जी पैदा करते हैं, उसको नुकसान हो रहा है और सब्जी नहीं मिलती है । पहले अधिकारियों का कहना था कि उस पानी को जमीन से नहीं पाइप के सहारे आबादी से बहुत दूर ले जाएंगे । लेकिन वहां पर ऐसा नहीं किया गया, जिससे वहां की आबादी को नुकसान हो रहा है । इसलिये या तो वहां से फर्टीलाइजर फैक्ट्री को हटाया जाय या फिर वहां के गन्दे पानी को पाइप के सहारे शहर से बाहर निकलवाने की व्यवस्था करेंगी ?

श्रीमती दीपा–

यह जो आपने इसका जिक्र किया है कि पाइप लाइन नहीं बनाई गयी है, उसकी जांच करके . . (व्यवधान) कृपा करके पूरा जवाब देने दीजिये । इसकी जांच करवा कर, अगर ऐसा नहीं है, जो आपने मुझे जानकारी दी है, उस पर मैं पूरी व्यवस्था करवा दूंगी । मगर ऐसा है कि जहां-जहां फैक्ट्रियां प्रदूषण कर रही हैं, उस पर सब जगह कार्यवाही चल रही है । अगर आप मुझे अलग से दे देंगे तो मैं आपको अलग से जानकारी दे दूंगी ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, मा0 मंत्रीजी ने एक अधिनियम का हवाला दिया और कहा कि वह प्रदूषण को समाप्त करने के लिये बड़े प्रयास कर रही हैं । मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बरेली के पास से जो रामगंगा नदी निकलती है और आप प्रयास कर रही हैं सारे प्रदेश में कानपुर में प्रयास किया है कि चमड़े के कारखानों का प्रदूषित जल गंगा में न जाय तो बरेली की रबर फैक्ट्री का प्रदूषित मलवा राम गंगा में डलवाते हैं, जिससे वहां पर नदी का पानी गंदा हो गया है । क्या वहां की रबर फैक्ट्री के लिये ऐसे आदेश देंगी कि वहां का गंदा पानी नदी में न जाय और नदी का जल प्रदूषित न हो ।

श्री अध्यक्ष–

सवाल यह है माननीय नेता विरोधी दल की फैक्टरी लगें या प्रदूषण देखें, इस तरह से तो सारी फैक्ट्रियां बन्द हो जायेंगी ।

बिजली बकाया बिलों को समाप्त करने, भूराजस्व की समाप्ति आदि के संबंध में मण्डलायुक्त मेरठ के कार्यालय के समक्ष किसानों के धरने से निपटने के उपाय तथा कृत कार्यवाही

*3—श्री अनुग्रह नारायण सिंह,
श्री जनार्दन प्रसाद झा,
श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही,
श्री सरदार सिंह,
श्री जयदीप सिंह बरार तथा
श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 27 जनवरी, 1988 से किसान नेता महेन्द्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में बिजली बकाया बिलों को समाप्त करने, भू-राजस्व की समाप्ति और खाद के दाम को कम करने तथा गन्ना मूल्य 35 रु0 करने के प्रश्न पर मंडलायुक्त मेरठ के कार्यालय के समक्ष लाखों किसानों ने धरना दिया है जिसमें तीन किसान ठंड से ठिठुर कर, 3 दुर्घटनाग्रस्त होकर काल कवलित हो गये ? यदि हां, तो शासन ने उक्त धरने से निपटने तथा किसानों की जायज मांगों के लिए क्या किया ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

भारतीय किसान यूनियन के नेता श्री महेन्द्र सिंह टिकैत के नेतत्व में किसानों ने मंडलायुक्त, मेरठ के कार्यालय के सामने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिनांक 27 जनवरी, 1988 से 20 फरवरी, 1988 सायंकाल तक धरना दिया था जिसमें किसानों की संख्या विभिन्न तिथियों पर लगभग एक लाख से 5 हजार तक रही । उक्त आन्दोलन के दौरान 5 व्यक्तियों की दुर्घटना से तथा 3 व्यक्तियों की मृत्यु प्राकृतिक बीमारी के कारण हुई ।

शासन ने धरने से निपटने के लिए सामान्य शांति-व्यवस्था प्रबन्ध किये । किसानों की जायज मांगों के संबंध में शासन द्वारा स्वतः कार्यवाही की जाती रही है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि किसानों की जायज मांगों के संबंध में शासन द्वारा स्वतः कार्यवाही की जाती रही है । मान्यवर, किसान पिछले वर्ष सूखे से पीड़ित रहा है, मैं यह जानना चाहता हूं कि उसमें कितने-किसानों की भू-राजस्व की माफी की गयी, बिजली के बकायों की माफी के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी, खाद के दाम कम करने के संबंध में सरकार ने कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, खाद के दाम का जो जिक्र किया, यूरिया के दाम 123 रु0 थे, उसे 116 रु0 पर लाया गया, बिजली की जो बकायेदारी थी, उनकी आसान किश्तों की गयीं । जो आसान किश्तों के साथ बिल दे सकते थे, उनका लिया गया । जो नहीं दे सकते थे, किसी का बिजली का कनेक्शन, ट्यूबवेल का नहीं काटा गया और, जो लगान के बारे में और दरों के बारे में भी जो बैंकों के ऋण थे, कोआपरेटिव बैंकों के ऋण थे, वह स्थगित किये गये । तहसीलों से जो आर0 सी0 गयीं, रिकवरी नोटिस गये हैं, उनको भी रोका गया । तहसील से किसी भी प्रकार की उत्पीड़न की कार्यवाहियां नहीं की गयीं ।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, किसान यूनियन की उस धरने के संबंध में मुख्य मांग थी गन्ना मूल्य को बढ़ाना तथा बिजली के बकायों की माफी । मान्यवर, पास के दूसरे सूबों के गन्ना किसानों के लिये वहां की सरकार ने गन्ने के दाम बढ़ाये । मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस बीच में पूंजीपतियों को, मिल मालिकों को, प्राइवेट सेक्टर के जो मिल मालिक हैं, उनको तरह-तरह की सुविधायें दी गयी हैं । गन्ने के मूल्य को बढ़ाने का प्रमुख मांग को लेकर पश्चिम में इतना बड़ा आंदोलन शुरु हुआ, उसके बाद भी गन्ने के दाम न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, पहले भी और चर्चायें इस सन्दर्भ में जब आयी, तो इस सम्मानित सदन को सभी सम्मानित साथियों को, कई बार इस सदन में यह बताया गया कि कीमतें लगातार बढ़ती रही हैं । पहले 10 से 12 रु0 हुई, फिर 12 रु0 से 16 रु0 हुई, फिर 18 से 20 हुई, फिर 20 से 22 रु0 हुई, फिर 22 रु से 25 रु0 हुई, फिर 25 रु0 से 27 रु0 हुई, रिकवरी के आधार पर यह किया गया । मान्यवर, अन्य प्रदेशों के भावों को देखते हुए, हमारे प्रदेश में किसी भी तरह से यह दाम कम नहीं हैं । इससे अधिक बढ़ाया जाना स्वयं किसानों के हित में नहीं होगा। बहुत सी शुगर फैक्ट्रियां की तरफ से भी यह बातें आयीं कि कीमत बढ़ायी गयीं, तो उस बढ़े हुए भाव पर गन्ना लेकर पेराई नहीं कर पायेंगे । दाम बढ़ेंगे तो चीनी की कीमत बढ़ेगी । मान्यवर, जितनी अधिकतम कीमत सरकार दे सकती है, वह दे रहे हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, इस बीच में सरकार ने उन मिल मालिकों को बहुत सी छूटें दीं । चीनी की कीमत तो बढ़ ही गयी । उनको एक्साइज में छूट दी गयी और दूसरी तरह तरह की सुविधायें मिल मालिकों को दी गयीं, उनके टैक्सेस माफ करते रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कर लीजिये ।

श्री जर्नादन प्रसाद झोझा–

जब आपने साढ़े छब्बीस रु0 गन्ने के रेट तय किये, उसके बाद से लगातार मिल मालिकों को आप तरह-तरह की छूट देते चले आ रहे हैं और उस प्रपोर्शनेट में गन्ने के दाम न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इस वक्त सभी माननीय सदस्य जानते हैं, कि इस वर्ष इतना भयंकर सूखा पड़ा है, जिससे रिकवरी का औसत कम हुआ है क्योंकि गन्ने में से रस कम हुआ और इस कारण से हम गन्ने कि कीमत बढ़ाने में असमर्थ हैं, इससे किसान का नुकसान होगा ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

जिन लोगों के नाम प्रश्न के लिये आये हैं, पहले मैं उनको मौका दूंगा ।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह जो सिक यूनिट हो जाती हैं, उनके कर्जे माफ कर दिये जाते हैं और इसी प्रकार सिक यूनिट के नाम पर बहुत से प्रदेश के उद्योगपतियों ने अपना बहुत सा कर्जा माफ करा लिया है । क्या इसी तरह सरकार किसानों के लगान और अन्य कर्जे माफ करने का कष्ट करेगी, जैसा कि अन्य प्रदेशों में किया भी जा चुका है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्य को बड़े अदब और निवेदन के साथ बताना चाहता हूं कि हम अपना मजाक बनवाना नहीं चाहते हैं । अन्य प्रदेशों में कर्जे माफ होने की बात करके उसको कार्य रूप में नहीं परिणित किया गया है और न ही उसका सही रूप में क्रियान्वयन हुआ है । इसलिये इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि किसानों की जायज मांगों के संबंध में शासन द्वारा कार्यवाही समय-समय पर की जाती है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि गन्ना और बिजली के अलावा क्या किसान अपने खेतों में पाले हुये पेड़ों को काटने संबंधी जो उनकी मांग थी, इसके अलावा शहरी विकास के नाम पर किसानों की जमीन ले लेना और उसका सरकार द्वारा मुआवजा दिलाये जाने की मांग तथा शहरों के समान ही शिक्षा गांवों में किये जाने की मांग जो किसानों की थी, यह मांगें जो सरकार के सामने रखी गयी थी, यह मांगें सरकार की नजर में जायज हैं या नाजायज हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, जो जायज मांगें थी और जो जायज मांगें उनकी रही हैं, उनको हम पहले ही मानते रहे हैं।

श्री जयदीप सिंह धरार–

मान्यवर, मैंने यह पूछा है कि जो मैंने तीन मांगों का जिक्र किया है जैसे किसान के लगाये हुए पेड़ों को काटने संबंधी, जमीन का मुआवजा सरकार से दिलाने संबंधी और शहरों के समान शिक्षा संबंधी मांग। इन मांगों के संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि यह तीन मांगें जायज थीं अथवा नाजायज?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, जहां तक मुआवजे का प्रश्न है इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का सदा ही यह प्रयास रहता है कि किसानों को उनकी भूमि का उचित मुआवजा सही समय पर मिले। दूसरी जो बात शिक्षा की है, तो हर जगह के अलग-अलग हालात और माहौल अलग-अलग होता है इसलिए शहरों के समान ही गांवों में भी शिक्षा की मांग उचित नहीं लगती। तीसरी मांग किसान द्वारा लगाये गये पेड़ों को काटने की जो है, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो हम पेड़ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ उनको पेड़ काटने की इजाजत दे देंगे, तो फिर यह कैसे हो सकता है? हम तो 20 सूत्री कार्यक्रम के जरिये पेड़ों को और लगाने की ओर ध्यान दे रहे हैं इसलिए यह मांग भी उनकी उचित नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी कांग्रेस की नीतियों की सफाई दे रहे थे। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि किसानों की कौन-कौन सी प्रमुख मांगें थीं? उन मांगों में से शासन की नजर में कोई मांग जायज थी अथवा नहीं? माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि सूखे की वजह से रिकवरी कम हुई इसलिये गन्ने का दाम बढ़ाना सम्भव नहीं है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सूखे से पहले रिकवरी का प्रतिशत क्या था और उसके बाद का क्या प्रतिशत है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मुख्य रूप से दो ही मांगें रह गई थी। सम्मानित सदस्य श्री सईदुल हसन जी व श्री हुकुम सिंह वहां गये थे। पहली मांग तो यह थी कि गन्ने का दाम 35 रुपए कर दिया जाय और दूसरा बिजली का जो बकाया है उसे माफ किया जाय। मैंने पहले भी निवेदन किया था, पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली के उत्पादन में प्रति यूनिट 86 दशमलव कुछ पैसे लागत आ रही है और हम किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली दे रहे हैं। हम पहले ही उनको सब्सिडाइज रेट पर बिजली दे रहे हैं। इसके बावजूद पूरे प्रदेश में 10 घण्टे, 12 घण्टे व 16 घण्टे बिजली आई है, ऐसी स्थिति में बिजली के बकाये को माफ करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। 35 रुपए गन्ने के दाम की जो बात कही गई है, उसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसे बढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि सूखे के कारण रिकवरी बहुत कम हुई है। रिकवरी लगभग एक परसेन्ट कम आई है।

यू0 पी0 निवास एवं यू0 पी0 भवन के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल तथा शासन द्वारा कृत कार्यवाही

*1–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार की जानकारी में है कि यू0 पी0 निवास एवं यू0 पी0 भवन के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 19 नवम्बर, 86 से 29 नवम्बर, 86 तक हड़ताल की थी? यदि हां, तो इन कर्मचारियों की मुख्य-मुख्य मांगें क्या थी? शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)–

जी हां।

मांग के सम्बन्ध में हड़ताली कर्मचारियों ने स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/व्यवस्था अधिकारी को कोई ज्ञापन नहीं दिया था।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, यू0 पी0 निवास व यू0 पी0 भवन के कर्मचारियों ने जो हड़ताल की, उसके कारण क्या थे और किस शर्त पर हड़ताल वापस की गई थी?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, सचिवालय महासंगठन के आह्वान पर वर्ष 1986 माह नवम्बर में 15 से 29 तक उत्तर प्रदेश के कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, उसी सन्दर्भ में यू0 पी0 निवास और यू0 पी0 भवन के कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे थे।

श्री शत्रुरुद्र प्रकाश–

यू0 पी0 निवास व यू0 पी0 भवन में जो कर्मचारी कार्यरत हैं, क्या उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतनमान देने पर सरकार विचार करेगी?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, इस संबंध में जो नियम हैं, उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

जनपद फैजाबाद में स्थित अकबरपुर गोहनियां मार्ग पर मिट्टी पटाई के कार्य तथा सोलिंग में घटिया ईंटों के प्रयोग की टैक्निकल आडिट सेल से जांच की मांग

*2–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में स्थित अकबरपुर गोहनियां मार्ग पर अभी तक गोहनियां गांव तक मिट्टी पटाई का कार्य पूरा नहीं हुआ है और सड़क के काफी बड़े भाग पर सोलिंग का कार्य भी

शेष है? क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग पर अमसिन बाजार के पास से सोलिंग में लगायी जाने वाली ईंट बहुत घटिया स्तर की है? यदि हां, तो उक्त सड़क पर किये गये निर्माण कार्य का विभाग के टेक्निकल आडिट सेल से जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करने और अवशेष कार्य को शीघ्र पूरा कराने में शासन को क्या कठिनाई है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

अकबरपुर से गोहनियां गांव की सीधी दूरी 24 कि0 मी0 जिसमें से केवल 22 कि0 मी0 लम्बाई में ही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मिट्टी पुलिया एवं खड़न्जा स्तर तक सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत है। फिर भी मार्ग की बचत से एक कि0 मी0 में और खड़ंजा लगा कर मार्ग को वन्दनपुर के पास लेखित मार्ग से जोड़ दिया गया है।

जी नहीं ।

केवल 530 मीटर भाग को छोड़कर (जहां न्यायालय का स्थगनादेश है) सम्पूर्ण लम्बाई में सोलिंग कार्य स्वीकृति के अनुसार पूर्ण है। अधिशासी अभियन्ता ने 1-9-87 को मार्ग के निरीक्षण के समय यह पाया कि अमसिन बाजार के पास लगभग 100 मीटर लम्बाई में कुछ खराब ईंटें लगी हैं जिन्हें ठेकेदार के ही व्यय पर बदलवा दिया गया था संबंधित अवर अभियन्ता को उनकी शिथिलता के लिए बड़ी कड़ी चेतावनी दे दी गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा समुचित कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है अतः अब किसी जांच का कोई प्रश्न नहीं उठता। अवशेष (530 मीटर में) कार्य का पूर्ण कराया जाना न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि यह सड़क 24 कि0 मी0 लम्बी है, यह जिला परिषद् की पुरानी सड़क है, जिसका 22 कि0 मी0 हिस्सा पी0 डब्लू0 डी0 में स्थानान्तरित हो गया है, मैं जानना चाहूंगा कि जो 2 कि0 मी0 शेष है, क्या उस पर भी मिट्टी पटाई का काम कराकर, उस गांव तक सड़क को पहुंचाने का काम पूरा कराने की कृपा करेंगे? दूसरी बात, जो स्थगन आदेश बताया, वह किस न्यायालय का है और कब मिला है और उसे वैकेट कराने के लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जहां तक पहले प्रश्न का सवाल है, गोहनियां गांव तक लिंक रोड बना दी गयी है, अब उस सड़क को और पैसा देकर बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। यह स्थगन आदेश मुंसिफ मैजिस्ट्रेट, अकबरपुर के न्यायालय से प्राप्त किया है। शीघ्र स्थगन को "वैकेट" कराने के निर्देश दे दिये गये हैं, मार्च में जब उसकी तारीख है, तब उस पर कार्यवाही होगी।

श्री गौरी शंकर भइया–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय तिवारी जी के प्रश्न के सन्दर्भ में, उन्होंने प्रश्न किया है कि क्या जो ईंटे का स्तर है, वह घटिया है, मैं जानना चाहता हूं कि आपके उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने कार्यों को पूर्ण किये जाने पर ठेकेदारों से 15 प्रतिशत कमीशन तय कर रखा है और यही कारण है कि विभाग में घटिया स्तर के ईंटे का इस्तेमाल हो रहा है? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कठोर निर्देश देने का काम करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भोला शंकर मौर्य–

ऐसी इस सरकार को कोई जानकारी नहीं है। फिर भी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है।

श्री गौरी शंकर भइया–

इनको कितना रुपया कमीशन के रूप में प्राप्त होता है, यही बता दें?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री बाबू राम यादव–

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा माननीय तिवारी जी ने पूछा है कि गन्तव्य स्थान तक सड़क नहीं पहुंची है, क्या सारे प्रदेश में नीति निर्धारित करेंगे कि जो सड़कें अपने गन्तव्य तक नहीं पहुंची हैं, उनको पहले बनने दिया जाय?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जो विभिन्न योजनाओं में सड़कें स्वीकृत की जाती हैं, प्रयास यही होता है कि उनको पूरा बनाया जाय।

राज्य सरकार द्वारा स्वतन्त्र राज्य चुनाव आयोग को स्थापित करने का प्रस्ताव

*3–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग स्थापित करने पर विचार कर रही है जो प्रदेश की स्वायत्तशासी संस्थाओं के निष्पक्ष एवं समय पर चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होगा? यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय ले लिया जायगा? यदि नहीं, तो क्या सरकार लोकहित में इस प्रस्ताव पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी नहीं, क्योंकि संबंधित विधि में पर्याप्त व्यवस्था है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त व्यवस्था है। क्या मंत्री जी को पता है कि स्वायत्तशासी

संस्थाओं के चुनाव 18-18 सालों से नहीं हुए हैं तो क्या इस व्यवस्था को सरकार पर्याप्त समझती है? पंचायतीराज के चुनाव, नगरपालिकाओं और नगर महापालिकाओं के चुनाव इतने वर्षों से न हुए हों, मण्डी परिषद् के चुनाव भी वर्षों से न हुए हों तो क्या इस व्यवस्था को सरकार पर्याप्त समझती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले में एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग स्थापित करेगी जैसा कि केरल सरकार ने अपने यहां किया है? ऐसी व्यवस्था लागू करने में सरकार को क्या कठिनाई या परेशानी है?

श्री हुकुम सिंह–

आपने आशंका व्यक्त की है कि क्या वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है और चुनाव विलम्ब से होने की जहां तक बात है इससे मैं आपसे सहमत नहीं हूं क्योंकि जो व्यवस्था अभी है इसमें अभी तक हमारे यहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ही चुनाव कराने के अधिकार रहे हैं, चाहे वह पंचायतीराज के चुनाव हों, चाहे वो नगरपालिका के चुनाव हों या अन्य किसी तरह के चुनाव हों। अभी तक एक्ट में जो प्राविधान है उसी के अनुरूप उसी अधिकारी को अधिकार घोषित करके चुनाव कराये गये हैं। रही चुनाव में विलम्ब होने की बात तो इसके लिए इसी सदन में बराबर प्रस्ताव आये हैं और सबकी सहमति से ही इस व्यवस्था को आगे चलाया गया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के इस बात से सभी लोग चिन्तित हैं कि स्वायत्तशासी संस्थाओं में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है लेकिन किसी न किसी कारण से, अब कारण चाहे जो भी हों, इसके चुनाव टलते रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग की स्थापना करने में आपको क्या परेशानी है?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्रश्न परेशानी का नहीं है बल्कि आवश्यकता का है। वर्तमान व्यवस्था में चुनाव समय से होने चाहिए इससे इन्कार नहीं है लेकिन स्वतन्त्र रूप से एक चुनाव आयोग का गठन हो जिसके अन्तर्गत चुनाव समय से हों, यह आवश्यक नहीं है। हमारा सतत प्रयास है और हम विश्वास दिलाते हैं कि जल्दी ही चुनाव कराये जायेंगे।

(तारांकित प्रश्न संख्या–4 के पुकारे जाने पर)

श्री जयदीप सिंह बरार–

[xxx] मान्यवर, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको मौका दे दिया है प्रश्न करने का ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, समय-समय पर आप इनकी इच्छा को देख कर ही प्रश्न करने की आज्ञा देंगे?

नोट–[xxx] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाबू राम जी, मैंने आपको नहीं पुकारा है। आप बैठिये। मैंने अब प्रश्न संख्या 4 को ले लिया है।

वर्ष 1983 से ट्रेड लीडर्स क्लब मेडिड्ड (स्पेन) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को एशिया एवार्ड आफर किया जाना

*4–श्री शतरुद्र प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983 से ट्रेड लीडर्स क्लब मेडिड्ड (स्पेन) द्वारा एशिया एवार्ड के नाम से उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को कितनी बार तथा किन-किन वर्षों में यह एवार्ड आफर किया गया तथा निगम द्वारा कितनी बार एशिया एवार्ड लिया गया और कितने बार नहीं लिया गया? जितनी बार निगम ने एशिया एवार्ड नहीं लिया उसके क्या कारण थे? क्या एशिया एवार्ड तथा यूरोप एवार्ड देने वाली फर्म एक ही है? यदि हां, तो उसी फर्म के एशिया एवार्ड को न लेने तथा यूरोप एवार्ड 87 को निगम द्वारा लिये जाने के क्या कारण रहे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

वर्ष 1983 से एडीटोरियल आफिस एवं ट्रेड लीडर्स क्लब, मेडिड्ड (स्पेन) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को एशिया एवार्ड हेतु दो बार वर्ष 1986 एवं 1988 में आफर किया गया लेकिन उक्त दोनों वर्षों में निगम ने यह एवार्ड नहीं लिया।

चूंकि वर्ष 1982 में सेतु निगम एक बार एशिया एवार्ड ले चुका था और एशिया स्तर पर निगम की ख्याति फैल चुकी थी, इसे ध्यान में रखते हुए अग्रेतर अन्य वर्षों में उसी एवार्ड को लेने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

जी हां।

सेतु निगम को अच्छे कार्य एवं ख्याति के फलस्वरूप वर्ष 1987 में प्रथम यूरोप एवार्ड के लिए चुना गया जिसे सेतु निगम ने उपरोक्त वर्ष में प्राप्त किया। उपरोक्त यूरोप एवार्ड लेने का निश्चय इसलिये किया गया क्योंकि यह एवार्ड सेतु निगम को पहली बार मिल रहा था तथा इस एवार्ड के फलस्वरूप सेतु निगम को, जो कि एक व्यापारिक संस्था है, यूरोप तथा अन्य देशों में प्रचार करने का मौका मिल रहा था। उपरोक्त यूरोप एवार्ड प्राप्ति के समय विश्व के सभी भागों की लगभग 200 कम्पनियों ने भाग लिया इससे सेतु निगम को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार करने का अवसर मिला।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं समझता हूं कि यह पुरस्कार नहीं मिला है बल्कि खरीदा गया है और मान्यवर इस संबंध में भारतीय राजदूत जो फ्रांस में हैं, उन्होंने एक टेलेक्स दिया था कि यह पुरस्कार न लिया जाय, इसके बावजूद भी यह पुरस्कार लिया गया क्योंकि इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए 26 सौ डालर का शुल्क देने की शर्त थी। तो मान्यवर इस संबंध में मैं स्पष्ट

रूप से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं एक तो यह कि क्या ब्रिज कारपोरेशन ने उक्त पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ट्रेड लीडर्स क्लब मैंड्रिड (स्पेन) को 2600 डालर की रकम दी है, दूसरे यह कि भारतीय राजदूत जो फ्रांस दूतावास में हैं, का कोई टेलेक्स इस संबंध में ब्रिज कारपोरेशन को प्राप्त हुआ है या नहीं?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, इस संबंध में जो पार्टीसिपेशन शुल्क है रु0 25·00 प्राप्त सूचना के अनुसार मुझे कोई जानकारी नहीं है कि इस प्रकार की कोई फीस या 2600 डालर दिये गये हों।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

नहीं मान्यवर, मेरे पास एडीटोरियल आफिस से वह पत्र की प्रति प्राप्त है फोटो-युक्त और इस संबंध में मेरी यह निश्चित जानकारी भी है कि फ्रांस में जो भारतीय राजदूत हैं, उन्होंने वहां पर एक टेलेक्स इनको भेजा है कि यह पुरस्कार न लिया जाए क्योंकि यह पुरस्कार और वह संस्था दोनों फर्जी हैं। इसके अतिरिक्त मान्यवर मेरे पास एक जानकारी और है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं, उसके आधार में यह बात कह रहा हूं कि लाल जी सिंह, संयुक्त सचिव ने भी अपने एक पत्र में यह लिखा कि उक्त पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कारपो0 ने 32,000 रु0 दिए हैं, दूसरे इसी आशय की एक सूचना समाचार-पत्र में जो दिल्ली में छपा है कि सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक प्रेस कांफ्रेन्स में बताया कि इस पुरस्कार की प्राप्ति के लिए 32 हजार रु0 जो 2600 डालर बनते हैं, दिए हैं, तो क्या मा0 मंत्री जी इसे कृपया स्पष्ट करेंगे कि स्थिति वास्तविक क्या है? दूसरे यह कि क्या इस रकम को देने के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से अनुमति प्राप्त की गयी है या नहीं, यदि हां, तो क्यों?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जो प्राप्त सूचना मेरे पास है, उसके आधार पर ऐसा कोई शुल्क अदा नहीं किया गया है और जहां तक 2600 डालर देने की बात मा0 सदस्य कह रहे हैं, उसको मैं दिखवा लूंगा और उसका परीक्षण करवा लूंगा।

श्री सत्यपाल सिंह–

यह जो एवार्ड बताया गया है, वह इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि 1982 में ले चुके थे. क्या यूरोपियन कन्ट्रीज में कोई काम सेतु निगम ने किया है जिसकी प्रशंसा होने पर यह एवार्ड दिया गया है? इस एवार्ड को लेने के लिए कौन-कौन अधिकारी गये थे और उन्होंने किन-किन देशों में जाने की अनुमति ली थी और क्या उससे अधिक देशों की यात्रा की, तो क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? मेरी निश्चित जानकारी है कि इनको इजाजत केवल ईराक और पेरिस जाने की थी लेकिन इन लोगों ने 4 कन्ट्रीज का वीजा लिया और यह लोग लन्दन तथा कुवैत भी

गये जहां जाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। जिसके लिए यह अधिकारीगण दोषी हैं और उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, पहला प्रश्न है, तो जो ब्रिज कारपोरेशन के चेयरमैन हैं, वह और उसके प्रबन्ध निदेशक एवार्ड लेने के लिए गये थे। इसके साथ ही साथ मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि यह केवल एवार्ड ही लेने नहीं गये थे बल्कि बगदाद और ईराक में बहुत सा काम चल रहा था, उसका निरीक्षण भी करने गये थे इसलिए वह इन देशों में गये थे और उन्हें सरकार ने अनुमति दी थी।

*5–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया]

कार दुर्घटना में मृत एवं घायल स्कूली बच्चों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने विषयक श्री शारदा प्रताप, सदस्य, विधान सभा का पत्र एवं क्षेत्र समिति मोहन-लाल गंज, लखनऊ की बैठक में पारित प्रस्ताव की प्रति पर कृत कार्यवाही

*6–श्री शारदा प्रताप (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1 सितम्बर, 1987 एवं क्षेत्र समिति मोहनलालगंज लखनऊ की हुई बैठक में सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव की प्रति जो दिनांक 27-8-87 को कार दुर्घटना में मृत स्कूली बच्चों एवं घायल बच्चों के आश्रितों को क्रमशः 10 हजार रुपये पांच हजार रुपये शासन द्वारा प्रदान किये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त मृत बच्चों एवं घायल बच्चों के आश्रितों को उक्त सहायता प्रदान कर दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-9-87 प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9 सितम्बर, 1987 एवं क्षेत्र समिति, मोहनलालगंज, लखनऊ का पत्र प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत दुर्घटना में 2 मृत बच्चों के अभिभावकों को रु0 5000·00 रुपये प्रत्येक की दर से तथा 5 घायल बच्चों के अभिभावकों को रु0 1000·00 रुपये प्रत्येक की दर से कुल रु0 15000·00 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

जनपद मुजफ्फर नगर में हिंडन नदी पर पुल बनाने की मांग

*7–श्री हरेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सरकार जनपद मुजफ्फरनगर में हिंडन नदी पर हडौली रुदरुद्दीन नगर के बीच जनता की मांग व आवश्यकता के आधार पर एक पुल बनवाने का कष्ट करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

उत्तर प्रदेश पुलिस को प्रभावी एवं चुस्त बनाने के लिए गठित समिति के सुझावों का कार्यान्वयन

*8–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस को प्रभावी एवं चुस्त बनाने के लिए सुझाव देने हेतु गठित (ग्यारह सदस्यीय) समिति की जो रिपोर्ट शासन को अक्तूबर, 85 के दूसरे पखवारे में मिली है उसमें दिए गये मुख्य-मुख्य सुझाव क्या हैं तथा उन्हें कार्यान्वित किये जाने पर शासन की नीति क्या है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

जी हां। समिति की संस्तुतियों पर कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 193 पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी पुलिस उपमहानिरीक्षक की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों पर की गयी कार्यवाही को देखने की कृपा करेंगे जिसमें कहा गया है कि पुलिस लाइन का प्रभारी अधिकारी कम से कम पुलिस उपाधीक्षक स्तर का हो, शहरों में कन्ट्रोल रूम की स्थापना हो, विशेष अनुसंधान दलों की जिलों में स्थापना हो प्रत्येक जिले में डाग स्क्वाड हों, आदि बातें स्वीकार की गयी थीं लेकिन जो उत्तर सरकार से मिला है उसमें यह लिखा है कि इन संस्तुतियों के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह संस्तुतियां पुलिस महानिरीक्षक को कब की गयी थी और अब तक इनका प्रस्ताव न आने का क्या कारण है और वह समय से क्यों नहीं प्राप्त हुए?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

जिन संस्तुतियों को शासन ने स्वीकार कर लिया है उनका शीघ्रता से कार्यान्वयन कराया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी ने शीघ्रता की बात कह दी लेकिन उत्तर में कहा है कि प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए तो मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस महानिरीक्षक को संस्तुतियां कब मिली और उन पर सुनिश्चित रूप से क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जो भी देरी हुई है अब देरी नहीं होगी। उसमें शीघ्रता करायेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, जो कार्यवाही का चार्ट माननीय मंत्री जी ने दिया है उसके 18वें बिन्दु की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसके उत्तर में कहा गया है कि आयोग की कुछ सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की गयी है। कुछ संस्तुतियां राष्ट्रीय परिपेक्ष्य से जुड़ी हुई हैं जिन पर भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है। तो मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन मामलों पर भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, सूचना की आवश्यकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, आप संरक्षण प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया। उन्होंने कह दिया कि सूचना की आवश्यकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

किसी भी मामले में अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है और आप कह रहे हैं कि सूचना की आवश्यकता है . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने बताया कि सूचना की आवश्यकता है।

उ0 प्र0 इम्पलाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड का रुपया राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करना

*9–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के पत्र संख्या बीमा/3219-10/56-1984 दिनांक 19 नवम्बर, 84 द्वारा उ0 प्र0 इम्पलाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड का दस करोड़ रुपया राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो पत्र संख्या बीमा-385/10-87-55/984 दिनांक 6 मई, 87 द्वारा उसे जवाहर भवन लखनऊ स्थित कोषागार में बिना ब्याज के एक पर्सनल लेजर एकाउण्ट में रखने का निर्णय लेने का क्या कारण है? कर्मचारियों के इस दस करोड़ रुपये पर राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जो ब्याज दिया जाता है क्या उसकी सम्पूर्ति शासन करेगा ? यदि नहीं, तो उक्त धन को राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया जायगा?

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

जी हां, किन्तु सम्बन्धित शासनादेश का दिनांक 29 नवम्बर, 1984 है और उसमें किसी धनराशि का उल्लेख नहीं है।

शासन ने यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रखा है कि यदि किसी समय बेनीवोलेण्ट फण्ड की धनराशि में कमी पड़ेगी तो शासन उसे पूरा करेगा। अतः फण्ड की धनराशि को बिना ब्याज वाले एक पर्सनल लेजर एकाउण्ट में रखने का निर्णय लिया गया।

जी नहीं ।

जी नहीं।

श्री अकबर हुसैन दावर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि यह तो इन्होंने कह दिया है कि शासनादेश सही है लेकिन धनराशि का उल्लेख नहीं है। तो क्या माननीय मंत्री जी जानते हैं कि वह धनराशि कितनी है जो जमा है ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो 10 करोड़ रुपये की धनराशि है उसको किसी राष्ट्रीय बैंक में जमा करने से जो सूद का लाभ होता वह परसनल खाते में जमा कर दिया गया है । ऐसा इन्होंने क्यों किया है। इस तरह से जो 10 करोड़ रुपये के सूद का नुकसान हो रहा है उसको सोसाइटी को देने में मंत्री जी को क्या कठिनाई है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, जो इन्होंने पहला प्रश्न किया है उसमें जो राशि है वह 1 करोड़ रुपया जमा किया गया है। दूसरा जो उनका प्रश्न है उसमें जितना फंड में कमी आयेगी, गवर्नमेन्ट गारन्टी लेती है और वह कैश बैलेंस में सम्मिलित हो जाता है इसलिये उसे ट्रेजरी में जमा कर दिया गया है।

मांट तहसील जनपद मथुरा के किसानों के गन्ने को छाता शुगर फैक्ट्री मथुरा में पहुंचाने के लिए शेरगढ़ मार्ग पर जमुना नदी पर पुल निर्माण की मांग

*10–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 1-1-87 को एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें मांट तहसील जनपद मथुरा के किसानों के गन्ने को छाता शुगर फैक्ट्री (मथुरा) में पहुंचाने के लिए नौहझील शेरगढ़ मार्ग पर जमुना नदी पर पुल निर्माण कराने की मांग की गयी थी? यदि हां, तो मांट तहसील के गन्ना उत्पादक किसानों के हित में शासन उक्त पुल का निर्माण कराने का विचार कर रहा है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भोला शंकर मौर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री कुशलपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वह कैसी सरकार है कि 1 साल 3 महीने हो गये और अभी सूचना एकत्र की जा रही है। मान्यवर, मथुरा में वृन्दावन और मांट तहसील के किसानों का गन्ना छाता शुगर फैक्टरी में जाता है वह निकलने नहीं दिया जाता है वही स्थिति शेरगढ़ दिल्ली मार्ग पर है। इसीलिये शेरगढ़ मार्ग पर मांट तहसील के गन्ना किसानों के हित में एक पुल के निर्माण में क्या परेशानी है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, यह प्रश्न कल ही गन्ना विभाग से सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास आया है।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, क्या शासन के पास इस तरह की कोई रिपोर्ट आई है कि शेरगढ़ मार्ग पर इस हेतु एक पुल बनवा दिया जाय? इस तरह की कोई रिपोर्ट सरकार के पास है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, इस समय मेरे पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है।

लखनऊ में कर्मचारी, शिक्षकों की शान्तिपूर्ण रैली पर लाठी चार्ज करने का औचित्य

*11–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कर्मचारी शिक्षकों की रैली पर दिनांक 15 सितम्बर, 87 को लखनऊ में भीषण लाठी चार्ज हुआ था? यदि हां, तो क्या कोई प्रदर्शनकारी मर भी गया था? क्या घायलों की संख्या बताने का कष्ट करेंगे तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठी चार्ज का औचित्य क्या था ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्राप्त सूचनानुसार घटना के दिन बलरामपुर अस्पताल एवं सिविल अस्पताल में 44 घायल व्यक्ति पहुंचे थे। इन सभी को साधारण चोटें आना बताई गई।

प्राप्त सूचनानुसार राज्य कर्मचारी शिक्षक महासंघ को केवल दिनांक 15-9-87 को बेगम हजरत महल पार्क, लखनऊ में सभा करने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की गई थी, किसी प्रकार के जलूस आदि को निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी। जब एकाएक एलान करके एकत्रित भीड़ जलूस के रूप में राजभवन की ओर बढ़ने लगी तो उसे पुलिस बल द्वारा रोका गया। लेकिन जब वह हिंसा पर उतारू हो गयी और मौके पर तैनात पुलिस बल एवं अधिकारियों पर पथराव करने लगी तथा झन्डों एवं बैनरों के डन्डों से मारपीट करने लगी तब मौके पर तैनात मैजिस्ट्रेटों द्वारा उस मजमें को गैर कानूनी घोषित किया गया व तितर-बितर होने के आदेश देते हुए चेतावनी भी दी गई। किन्तु फिर भी भीड़ हिन्सात्मक कार्यवाही पर अडिग रही तो आंसू गैस का प्रयोग करके पुलिस द्वारा उन्हें खदेड़ा गया जिससे लोग गिरते-पड़ते तितर-बितर होकर भागे जिसमें से 44 लोग घायल हुए, परन्तु किसी की मृत्यु नहीं हुई। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त गैर-कानूनी मजमें द्वारा पथराव करने, झन्डे एवं बैनर के डन्डों द्वारा पिटाई करने से 34 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी तथा मजिस्ट्रेट भी घायल हुए। पुलिस बल द्वारा कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि बलरामपुर और सिविल अस्पताल में 44 घायल लोग पहुंचे और मूल उत्तर के प्रथम भाग में कहा कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह 44 लोग जब कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ तो कैसे घायल हुए?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मैंने मान्यवर, कहा कि अश्रुगैस छोड़ी गयी, तीन गोले अश्रुगैस के छोड़े गये तो उससे वहां पर कम से कम 30 हजार की भीड़ रही होगी तो उसमें भगदड़ मची जिसमें लोग गिर पड़े और एक दूसरे से टकराये इसके अलावा वहां पर 4, 5 फुट ऊंची दीवार है उसे फांदने में कुछ लोगों को चोटें आईं। तो चोट लगने का यह कारण रहा है।

श्री गौरी शंकर भइया–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 44 लोग घायल हुए क्या उनका डाक्टरी मुआयना कराया गया तो उसमें किस चीज से घायल होने का प्रमाण दिया गया है, घुटना टूटा है या हाथ टूटा है किस प्रकार की रिपोर्ट है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

डाक्टरी मुआयना कराया गया उसकी जो रिपोर्ट है उसी के आधार पर यह बताया है किसी को खरोंच है किसी को स्वैलिंग है।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं जो उन्होंने प्रथम भाग में कहा है कि लाठी चार्ज बिलकुल नहीं हुआ और फिर कहा कि पुलिस ने अश्रु गैस छोड़ी और भीड़ को खदेड़ा जिससे 44 लोग घायल हो गये और उनका कहना है कि लोग भगदड़ में गिर पड़े और चोट खा गये। तो मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस द्वारा खदेड़ने का क्या तरीका है क्या हाथ जोड़े जिसके कारण वह गिर पड़े और चोट खा गये?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, अश्रुगैस छोड़ी गयी तो उससे स्वाभाविक तौर पर लोग भागते हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने खदेड़ने की बात कही तो उसमें पुलिस सड़क पर लाठी मारती है जो खदेड़ने का क्रम होता है।

(प्रश्न संख्या 12 पुकारे जाने पर)

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

मान्यवर, इसे स्थगित कर दें। क्योंकि 12.20 हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ (व्यवधान)

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

वाराणसी जिलों में उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग की परीक्षा केन्द्र की शाखा खोलने का प्रस्ताव

*12—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जिलों के निवासियों की सुविधा हेतु वाराणसी जिले में उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग की परीक्षा केन्द्र की कोई शाखा खोले जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसका कार्यान्वयन कब तक हो जाने की आशा है? यदि नहीं, तो ऐसी शाखा खोलने में सरकार को क्या आपत्ति है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान समय में पूर्वी जिलों की आवश्यकता हेतु गोरखपुर तथा इलाहाबाद में केन्द्र है जो पर्याप्त है।

पुलिस थाना फरह (जिला मथुरा) द्वारा ग्राम मकदूम के कतिपय निवासियों को पकड़ कर फर्जी मुठभेड़ में हत्या करने के विरोध में प्रदर्शन

*13—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक 25-3-85 को सायं 6 बजे पुलिस थाना फरह (जिला मथुरा) द्वारा ग्राम मकदूम के श्री गेंदालाल की खोया बनाने की भट्टी पर से राम दत्त ग्राम रुदवन थाना सुरोर जिला मथुरा व हरिशंकर उर्फ पप्पू नामक एक अन्य किशोर को पकड़ ले जाया गया था तथा राम दत्त की फर्जी मुठभेड़ दिखाकर हत्या कर दी गयी और हरिशंकर को 26-3-85 तक हस्बबेजा में रखकर छोड़ दिया? इस घटना के खिलाफ क्षुब्ध मकदूम निवासियों ने दिनांक 2-4-85 तथा 26-4-85 को क्रमशः थाना फरह व जिलाधिकारी के सम्मुख प्रदर्शन किये? यदि हां, तो क्या दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ धारा 302 ता0 हि0 का मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में श्री रामशरण पुत्र मनोहर लाल नि0 मकदूम, थाना फरह, जिला मथुरा ने दि0 28-3-85 को सी0 जे0 एम0 मथुरा के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र स्थानीय पुलिस के विरुद्ध इस आशय का दिया कि उनके साले रामदास उर्फ गुल्ला व पप्पू उर्फ हरीशंकर पुत्र मोहन नि0 मकदूम को गांव से 6 बजे सायंकाल पकड़ कर ले गई और रामदास को फर्जी मुठभेड़ दिखा कर मार दिया तथा पप्पू उर्फ हरी शंकर को दिनांक 26-3-85 की रात्रि में हस्बबेजा हिरासत में रखने के बाद छोड़ा। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा अपराध सं0 60—ए, धारा 147/148/149/120 बी/302/201/363/364 भा0 द0 वि0

पंजीकृत हुआ । इस अभियोग में स्थानीय पुलिस द्वारा की गई विवेचना का चेक-अप अपराध शाखा, अपराध अनुसन्धान विभाग को अभिदिष्ट किया गया और अपराध शाखा, अपराध अनुसन्धान विभाग ने स्थानीय पुलिस को इस अभियोग की विवेचना कतिपय बिन्दुओं पर पूर्ण करने के निर्देश दिये। स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गई। अपराध शाखा अपराध अनुसन्धान विभाग ने यह भी निर्देश दिये थे कि सन्दर्भित प्रकरण की विवेचना पूरी करने के पश्चात् विवेचना का चेकअप अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा पुनः कराया जाय। इस प्रकार स्थानीय पुलिस द्वारा पूरी की गई विवेचना का चेकअप अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा किया गया और स्थानीय पुलिस को अग्रिम विवेचना हेतु पुनः कुछ निर्देश दिये गये हैं।

जहां तक इस घटना के खिलाफ दिनांक 2-4-85 तथा 26-4-85 को क्रमशः थाना फरह व जिलाधिकारी के सम्मुख प्रदर्शन किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के अनुसार उपरोक्त दिवसों पर प्रदर्शन करने के सम्बन्ध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

वर्तमान में शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद स्थित थाना रोनाही में श्री असगर की मुठभेड़ के नाम पर हत्या व पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

*14—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित थाना रोनाही में एक 80 वर्षीय असगर की हत्या थाना रोनाही की पुलिस ने मुठभेड़ के नाम पर वर्ष 1981-82 में की थी जिस पर शासन ने सी0 आई0 डी0 की जांच बैठाई और जांच में मुठभेड़ की कहानी फर्जी मानी गयी और सी0 आई0 डी0 ने पुलिस तथा अन्य लोगों के विरुद्ध चार्जशीट बना ली है, परन्तु अभियुक्तों को अभी तक न तो निलंबित किया गया है और न जेल भेजा गया है? इसका क्या कारण है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां।

जी नहीं।

पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोग चलाने की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अभियोजन की स्वीकृति देने के उपरान्त पुलिस कर्मियों के निलम्बन और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने एवं उनके विरुद्ध चार्जशीट भेजने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री के0 जी0 तिवारी, थाना इन्चार्ज इनायत नगर फैजाबाद के विरुद्ध क्षेत्राधिकारी द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट व अपराध की प्रकृति तथा सी0 आई0 डी0 की जांच की मांग

*15–श्री मित्रसेन–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि के0 जी0 तिवारी, थाना इन्चार्ज इनायत नगर फैजाबाद के विरुद्ध अ0 सं0 146/86 धारा 279/304 ए/202/201 के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट क्षेत्राधिकारी द्वारा अंकित कराई गयी है? यदि हां, तो अपराध की प्रकृति क्या है और रिपोर्ट की सम्पूर्ण घटना क्या है? इसकी विभागीय जांच न करा-कर निष्पक्ष जांच हेतु सी0 आई0 डी0 से जांच कराने में शासन को क्या आपत्ति है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना इस प्रकार है कि दिनांक 19-4-86 को सायंकाल 6 बजे एक टैम्पो फैजाबाद की तरफ से काफी तेजी से आ रहा था। चमनगंज बाजार, थाना इनायतनगर में सड़क पर फागूमल के ईंट के भट्ठे पर कार्यरत मजदूर हीरा की पुत्री उम्र पांच वर्ष सड़क पार कर रही थी। उक्त टैम्पो चालक ने उसे कुचल दिया और भाग गया। इसी बीच उ0 नि0 के0 जी0 तिवारी भी फैजाबाद की तरफ से आ गये और उन्होंने आगे जाकर टैम्पो वाले को पकड़ लिया। लड़की जो घायल थी, को जब फैजाबाद ले जाया जा रहा था कि उसकी मृत्यु हो गई थी। टैम्पो वाले को उ0 नि0 श्री तिवारी द्वारा थाने ले जाया गया था तथा लड़की को वही गांव के पास तालाब के किनारे गाड़ा गया था अपराध की प्रकृति तेज एवं लापरवाही से वाहन चलाने में मृत्यु का कारण बनना, अपराध की सूचना देने हेतु कानूनी तौर से बाध्य व्यक्ति द्वारा उसकी सूचना न देना एवं अपराध से संबंधित साक्ष्य नष्ट करने की है।

विवेचना से साक्ष्य के अभाव में अभियोग न्यायालय भेजने योग्य नहीं पाया गया। अतः विवेचना द्वारा अंतिम रिपोर्ट 119 दिनांक 24-10-87 को समाप्त की गई। सी0 आई0 डी0 से विवेचना कराये जाने पर अब कोई अतिरिक्त सारवान साक्ष्य उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है, अतएव सी0 आई0 डी0 जांच लाभप्रद नहीं प्रतीत होती।

*16–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[दिनांक 29-2-88 को अल्पसूचित तारांकित प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित]

विभिन्न जनपदों में नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों में अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या

*17–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभिन्न जनपदों में नियुक्त प्रशासनिक अधि-कारियों (जिलाधिकारियों) में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या क्रमशः कितनी है? क्या आरक्षण के आधार पर कोटा पूरा हो जाता है? यदि कोटा पूरा नहीं है तो शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इस समय प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिलाधिकारियों के पद पर अनुसूचित जाति के 8 तथा अनुसूचित जनजाति के 2 अधिकारी तैनात हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदेश को आवंटित आई0 ए0 एस0 अधिकारियों के बारे में पिछड़ी जाति सम्बन्धी विवरण उपलब्ध नहीं कराया जाता। जिलाधिकारी के पद प्रदेश के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आई0 ए0 एस0 काडर पदों में सम्मिलित हैं। उन पदों में पदवार कोटा के आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता। सभी पदों पर तैनाती अधिकारी की उपयुक्तता एवं जनहित को दृष्टि में रखकर की जाती है।

सरकारी सेवा में कार्यरत पति/पत्नी को परिवार के कार्यरत अन्य कर्मचारियों की भांति मकान भत्ता दिया जाना

*18–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश बी-1795 10/85 दिनांक 15-12-81 में की गयी व्यवस्था के अनुसार सरकारी सेवा में कार्यरत पति पत्नी यदि एक ही किराये के मकान में रहते हैं तो मकान भत्ता केवल एक ही व्यक्ति को देय होगा ? क्या सरकार की जानकारी में यह तथ्य भी है कि एक ही किराये के मकान में रह रहे सरकारी सेवा में कार्यरत पिता पुत्र भाई बहन आदि को अलग मकान भत्ता शासन से मिलता है ? यदि हां, तो यह बंधन केवल पति पर ही क्यों लगाया गया है ? क्या सरकार उक्त शासनादेश को वापस लेकर पुनः 15 प्रतिशत की दर से एक ही मकान में रहने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को समान रूप से किराया भत्ता अनुमन्य करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

शासनादेश संख्या जी-1-1795/दस-81-209/81, दिनांक 15-12-81 द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि सरकारी सेवा में कार्यरत पति/पत्नी यदि एक ही किराये के मकान में रहते हों तो मकान किराया भत्ता केवल एक ही व्यक्ति को देय होगा। अन्य संबंधियों पर ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है। मकान किराया भत्ते का विषय भी वेतन समिति के विचाराधीन था। समिति की संस्तुतियां प्राप्त हो गई हैं। उन पर यथासमय निर्णय लिया जायेगा। यदि आवश्यक हुआ तो इस प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 1987-88 में जनपद मेरठ में नयी चीनी मिल की स्थापना का प्रस्ताव

*19–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1987-88 में जनपद मेरठ के किसानों की मांग को देखते हुए नयी चीनी मिल की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त निर्णय की घोषणा कब तक कर दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर उद्योग व्यापार मण्डल द्वारा बिक्रीकर को उत्पादन कर के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में मांग-पत्र

*20–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर उद्योग व्यापार मण्डल ने जनवरी अथवा फरवरी 1986 में बिक्रीकर को उत्पादन-कर के रूप में परिवर्तित करने के लिए मांग पत्र दिया है ? यदि हां, तो सरकार मांग पत्र पर विचार कर कब तक निर्णय लेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विक्रीकर को उत्पादन कर में परिवर्तित करने के संबंध में सीतापुर उद्योग व्यापार मण्डल का पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

राजकीय निर्माण निगम के प्रबन्ध निदेशक के पद पर हुई विभागीय पदोन्नति के विरुद्ध शासन को ज्ञापन

1–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय निर्माण निगम के वर्तमान प्रबन्धक निदेशक के पद पर हुई विभागीय पदोन्नति के विरुद्ध विभाग के कुछ अधीक्षण अभियन्ताओं एवं वरिष्ठता सूची के पात्र लोगों ने दिसम्बर, 1987 के मध्य में शासन को इस आशय का ज्ञापन दिया है कि इनकी पदोन्नति नियम विरुद्ध हुई है और वरिष्ठता सूची पर ध्यान नहीं दिया गया है तथा विभाग में इनकी पूर्व सेवा विवादित रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कर जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिसम्बर, 1987 के मध्य में इस प्रकार का कोई ज्ञापन शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय मार्ग की स्ट्रेन्थनिंग के लिए निविदा व टेण्डर स्वीकृत होने के बाद कार्यादेश जारी न किया जाना

2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय मार्ग संख्या 24 के किलोमीटर 394 से 406 की स्ट्रेन्थनिंग के लिए जो निविदा दिनांक 25-2-87 को हुई उसमें किस-किस ठेकेदार की बोली थी तथा क्या यह सही है कि इस ठेके में मेसर्स आर0 आर0 एजेंसीज आर्यनगर सीतापुर का टेण्डर स्वीकृत हुआ ?, यदि हां, तो उन्हें कार्यादेश अब तक जारी न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, दिनांक 25-2-87 को दो निविदायें प्राप्त हुईं :–

(1) मेसर्स नागिया ब्रदर्स, दिल्ली ।

(2) मेसर्स आर0 आर0 एजेन्सी, सीतापुर ।

मेसर्स आर0 आर0 एजेन्सी, आर्य नगर, सीतापुर का टेण्डर स्वीकृत हुआ ।

प्रकरण विवादस्पद हो जाने के कारण उक्त निविदा निरस्त कर दी गई । अतः कार्यादेश दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री नरेन्द्र कुमार प्रोपराइटर फर्म बंसल ट्रेडिंग कं0 भगवती गंज हापुड़ द्वारा पुलिस में लिखाई गई रपट की जांच का परिणाम

3–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि हापुड़ के भगवतीगंज स्थित फर्म बंसल ट्रेडिंग कं0 के मालिक श्री नरेन्द्र कुमार ने जून/जुलाई 1984 में चेकों के द्वारा जमा की गई राशि में गबन के बारे में पुलिस में रपट कराई थी और इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1557 उन्हें ता0 28-8-84 को तथा पत्र सं0 758 मुख्य मंत्री को तारीख 20-5-86 को मिला है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है ? क्या इस बारे में कोई जांच करायी गयी थी? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

हां, श्री नरेन्द्र कुमार प्रोपराइटर फर्म बंसल ट्रेडिंग कं0 भगवती गंज हापुड़ ने पुलिस में एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई थी ।

जांच कराई गयी थी । हापुड़ बिक्रीकर कार्यालय में तीन व्यापारियों के चार चेकों का भुगतान दूसरे करदाताओं के खातों में हो गया था। विवरण निम्नवत है:–

क्रम-संख्या	चेक सं0	व्यापारी का नाम जिसका चेक दूसरे के खाते में हस्तान्तरित हुआ	निहित राशि	इस व्यक्ति/व्यापारी जिसके खाते में चेक हस्तांतरित हुआ
1	005378	सर्वश्री पी0डी0 दाई ब्रिक वर्क्स सिम्भावली, हापुड़ वर्ष 1982-83।	6149.79	सर्वश्री आक्सपोड आटो इंडस्ट्री, हापुड़।
2	892373	इंटर नेशनल केमिकल्स इण्डस्ट्रीज, हापुड़, 1982-83।	1178	सतपाल ओमी
3	459246	अमित केमिकल वर्क्स, हापुड़, 1982-83।	4276.40	एस0टी0 ओपरा
4	046101	..	2006.92	..

क्रमांक 1 व 2 में अंकित व्यापारियों को चेकों की राशि जमा का लाभ दिये जाने के निदेश दिये जा चुके हैं। क्रमांक 3-4 के व्यापारी को चेक का लाभ दिया जा चुका है। इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारी की चरित्र पंजिका में निन्दनीय प्रविष्टि कर दी गयी है।

दोषी दो कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की जा चुकी हैं।

सर्वश्री बंसल ट्रेडिंग क0 37 भगवती गंज हापुड़ के चेक धनराशि रु0 10336 के मामले में जांच की गयी।

इस मामले में वास्तविकता यह है कि व्यापारी ने सितम्बर, 82 के नक्शे के साथ बरेली कारपो0 बैंक का चेक नम्बर-088327 दिनांक 30-10-82 बिक्रीकर कार्यालय हापुड़ में रसीद सं0 315082 दिनांक 2-11-82 को प्रस्तुत किया था। यह चेक स्टेट बैंक आफ इंडिया हापुड़ द्वारा व्यापारी के खाते में धनराशि न होने के कारण दिनांक 9-11-82 में अनादरित करके वापस कर दिया था। जिसे कार्यालय के लिपिक श्री महीपाल सिंह द्वारा प्राप्त किया गया था। व्यापारी ने स्वीकृत कर समय से जमा न होने के कारण ब्याज व अर्थदंड की कार्यवाही से बचने के लिए अनादरित चेक को गायब करा दिया। उसके स्थान पर दूसरा चेक सं0-088335 रुपया 10336 का जारी करके व्यक्तिगत हैसियत से दिया जिसकी कोई कार्यालय रसीद प्राप्त नहीं किया।

दूसरे चेक की संदिग्ध स्थिति जानने के लिए व्यापारी द्वारा जारी चेकों का विवरण भी देखा गया। उक्त चेक दिनांक 25-11-83 के बाद की तिथि में जारी पाया गया । जो एकाउन्ट पेई था । श्री महीपाल सिंह ने उक्त द्वितीय चेक रद्दो-बदल करके श्रीमती असर्फी देवी पत्नी महीपाल सिंह के खाता सं0 3250 मेरठ कोआपरेटिव बैंक शाखा हापुड़ के खाते में बैंक ट्रांसफर द्वारा दिनांक 3-2-83 में जमा करा लिया । दिनांक 7-2-83 में उक्त धनराशि आहरित कर लिया गया । इस गबन में विभाग का कोई दायित्व नहीं है । अपितु व्यापारी व श्री महीपाल सिंह भू0 पू0 लिपिक द्वारा सांठ गांठ करके विभाग को धोखा देने का षड़यंत्र है । श्री महीपाल सिंह लिपिक की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। पुलिस कार्यवाही जारी है । व्यापारी के विरुद्ध उक्त जालसाजी गबन किये गये स्वीकृत कर रुपया 10,336 व धारा 8 (1) में देय व्याज एवं धारा 15 ए (1) ए में अर्थदंड की धनराशि वसूली की कार्यवाही की गयी है ।

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में एस0 आई0 बी0 की अलमारी कट जाने व फर्म रस्तोगी ब्रादर्स के पकड़े गये दोहरे बहीखाते गायब हो जाने विषयक पत्र तथा कृत कार्यवाही

4—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि तारीख 21-8-66 को लखनऊ बिक्री कर कार्यालय में एस0 आई0 बी0 की अलमारी कट गयी और फर्म रस्तोगी ब्रादर्स के पकड़े गये दोहरे बहीखाते गायब हो गये ? इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 478 मुख्य सचिव को ता0 14-8-87 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । माननीय विधायक को वस्तुस्थिति से शासन के अर्धशासकीय पत्र संख्या वि0 क0-4-3-344/दस-88, दिनांक 26-2-88 द्वारा अवगत करा दिया गया है ।

करवंचक कतिपय व्यापारियों पर एस0 आई0 बी0 रेड के आधार पर जांच एवं कर लगाया जाना

5—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के दूसरे गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 79 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 117 सचिव संस्थागत वित्त को तारीख 30-3-87 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? क्या इसके बारे में कोई जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1983 में विधान सभा के द्वितीय सत्र के दूसरे गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 79 का संदर्भ सही नहीं प्रतीत होता क्योंकि इस वर्ष वित्त मंत्री द्वारा सदन में प्रश्नोत्तरों के लिए शुक्रवार का दिन नियत था । संदर्भ संभवतः उक्त सत्र के 2रे शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्न सं0 79 का प्रतीत होता है।

माननीय सदस्य का संदर्भगत पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने उच्चतम/उच्च न्यायालय के तीन निर्णयों में की गई संवीक्षाओं का उल्लेख करते हुए यह जानकारी चाही थी कि वर्ष 1976-77 से 1982-83 तक में कितने करवंचक व्यापारियों पर, जिन पर एस0 आई0 बी0 रेड के आधार पर कर लगाया गया था, करवंचक बिक्री पर कितना-कितना अर्थदंड लगाया गया, यदि यहीं तो क्यों और क्या अर्थदंड की कार्यवाही अब की जायगी और यदि नहीं, तो क्यों । प्रत्येक वर्ष एस0 आई0 बी0 की इकाइयों द्वारा हजारों सर्वेक्षण किए जाते हैं जिनमें पाए गए तथ्यों का उपयोग कर निर्धारण के समय करते हुए कर निर्धारण किए जाते हैं । इतनी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में 7 वर्षों में किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर इन मामलों में लगाए गए कर और अर्थदंड की सूचना एकत्र करना न तो संभव है और न इसकी कोई उपादेयता है । वैसे भी धारा 15- क में अर्थदंड लगाना अनिवार्य नहीं है और यह कर निर्धारक अधिकारी को स्वयं ही प्रत्येक मामले में तथ्यों को देखते हुए, विवेकानुसार निर्णय लेना होता है कि अर्थदंड लगाया जाय अथवा नहीं ।

उपरोक्त स्थिति में उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई ।

सिलीगंज, जिला फर्रुखाबाद की गुप्ता ट्रेडिंग कम्पनी पर लगाये गये कर की वसूली में दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही

6–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 20 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 71-72 में मूल आदेश व धारा 21 के आदेश में व वर्ष 72-73 में कितना-कितना कर लगाया गया ? 1573, 105-41 की रकम में से कितना वसूल किया गया और राजस्व की हानि के लिये कौन जिम्मेदार है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 71-72 में मूल आदेश व धारा 21 के आदेश में रु0 22125-00 व रुपया 304487-50 बिक्री कर व अर्थदण्ड रुपया-30187-50 आरोपित किया गया । वर्ष 72-73 के प्रान्तीय वाद में रुपया-1028625-00 प्रान्तीय कर व केन्द्रीय वाद में रुपया-20,0000/-केन्द्रीय कर आरोपित किया गया । व्यापारी द्वारा कुल रुपया 12319-59 जमा किया गया है शेष रुपया 1573105-00 की रिकवरी निकाली गई है जिसमें से अभी तक कोई वसूली नहीं हुई है । इस प्रकरण में लापरवाही के लिए श्री जे0 त्रिपाठी, बिक्रीकर अधिकारी श्री जे0 पी0 शर्मा, बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी–2 तथा श्री ओ0 पी0 सैनी, लिपिक दोषी पाये गये ।

श्री राम विलास वर्मा शिल्प शिक्षक राजकीय आदर्श विद्यालय पुखरायां जनपद कानपुर देहात का पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर को सम्बोधित पत्र

7—श्री अचल सिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राम बिलास वर्मा शिल्प शिक्षक राजकीय आदर्श विद्यालय पूखरायां जनपद कानपुर देहात का पुलिस अधीक्षक, जनपद शाहजहांपुर को सम्बोधित कोई शिकायती पत्र दिनांक 27-5-86 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा कराई जा रही थी । इसी बीच प्रार्थी द्वारा इसी मामले के विषय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर के न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 392/504/506/323/500 भा0 दण्ड वि0 दायर कर दिया गया, अतएव यह मामला न्यायालय में विचाराधीन हो जाने के कारण प्रश्नगत शिकायती पत्र की जांच नहीं की गई ।

जनपद फतेहपुर में ग्राम माँहार के समीप जी0 टी0 रोड पर स्थित आर0 ए0 फैक्ट्री द्वारा स्वीकृत उत्पादन क्षमता वाली मशीन से अधिक उत्पादन क्षमता वाली मशीन का लगाया जाना

8—श्री अचल सिंह—

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में ग्राम माँहार के समीप जी0 टी0 रोड पर स्थित आर0 ए0 सीमेन्ट फैक्ट्री ने प्रशासनिक विभाग से 30 टन क्षमता वाली उत्पादन का एन0 ओ0 सी0 लिया है और फैक्ट्री में 40 टन उत्पादन क्षमता वाली मशीन लगायी गयी है ? यदि हां, तो मंत्री जी उक्त फैक्ट्री के मालिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

आर0 ए0 सीमेन्ट फैक्ट्री को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 1986 को 33 मीट्रिक टन प्रतिदिन सीमेंट उत्पादन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया था । औद्योगिक इकाई द्वारा 50 मी0 टन प्रतिदिन सीमेंट उत्पादन क्षमता का प्लाण्ट लगाया गया है । उद्योग द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 50 मी0 टन करने हेतु प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र को बोर्ड द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 1988 को अस्वीकृत कर दिया गया है जिसकी सूचना उद्योग विभाग तथा वित्त निगम को भेज दी गयी है ।

लखनऊ राइफल क्लब एण्ड एसोसियेशन द्वारा लाइसेंसधारियों से नवीनीकरण के समय क्लब के नाम पर अनियमित वसूली पर जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ की आख्या

9—श्री शारदा प्रताप—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा भेजे गये पत्र दिनांक 23-1-87 को लखनऊ राइफल क्लब एण्ड एसोसिएशन के द्वारा प्रत्येक लाइसेंसधारियों से 18 रु0 प्रति व्यक्ति नवीनीकरण के समय क्लब के नाम पर वसूल किये जाने के संबंध में था, जिस पर संयुक्त सचिव गृह पुलिस अनुभाग-5 ने अपने अर्द्ध शा0 प0 17 आर/आठ-5-561/87 दिनांक 10 मार्च, 1987 द्वारा प्रश्नकर्ता को यह सूचित किया था कि मामले की आख्या जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ से मांगी गयी, के संबंध में क्या उक्त आख्या एवं उस पर की गयी कार्यवाही की एक प्रति माननीय सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्रश्नगत पत्र तारीख 23-1-87 प्राप्त हुआ है। जिला मजिस्ट्रेट की आख्या के अनुसार लाइसेंस के नवीनीकरण के समय रु0 6 ऐच्छिक आधार पर प्रतिवर्ष की दर से लिया जाता है जिसकी रसीद दी जाती है। जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ इस क्लब के पदेन अध्यक्ष हैं। जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त रिपोर्ट में प्रकरण की व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हुई है।

स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में अधीक्षक का पद

10—श्री कनक सिंह—

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ में अधीक्षक का पद स्वीकृत है ? यदि नहीं, तो वर्तमान में कार्यरत अधीक्षक किस आधार पर कार्यरत है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में अधीक्षक का कोई पद स्वीकृत नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ में लेखाधिकारी एवं वरिष्ठ लिपिक के पद पर एक ही व्यक्ति का कार्यरत रहना

11—श्री कनक सिंह—

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ में लेखाधिकारी एवं वरिष्ठ लिपिक के कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या यह सही है कि इन पदों पर एक ही व्यक्ति कार्यरत है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

लेखाधिकारी एवं वरिष्ठ लिपिक का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में फल, सब्जी आदि की आपूर्ति सहकारी संस्थाओं से न करा-कर कोटेशन के आधार पर एक ही व्यक्ति से आपूर्ति कराने की कारण

12–श्री कनक सिंह–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में फल, सब्जी आदि की आपूर्ति सहकारी संस्थाओं से कराई जाती थी ? यदि हां, तो वर्तमान में कोटेशन के आधार पर एक ही व्यक्ति से आपूर्ति कराने का क्या कारण है तथा इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (लखनऊ पीठ) लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या 2953 सन् 1984 में पारित स्थगनादेश दिनांक 19-6-84 के अनुपालन में न्यूनतम मूल्य के कोटेशन अनुमोदन को स्थापित करना पड़ा । परिस्थितिवश कालेज के मैनेजमेन्ट बोर्ड के निर्णयानुसार वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सहकारी संस्थाओं से फल, सब्जी आदि दिसम्बर, 1985 तक क्रय की गयी । माननीय न्यायालय से स्थगना-**देश निरस्त होने पर जनवरी, 1986 से मैनेजमेंट बोर्ड के निर्णयानुसार तथा वित्तीय** एवं लेखा नियमों के अंतर्गत तुलनात्मक कोटेशन आमंत्रित करके न्यूनतम मूल्य के आधार पर खाद्यान्न सामग्री की खरीददारी की जाती है । यह न्यूनतम मूल्य निर्धारित अवधि के लिये एक ही व्यक्ति के होते हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के थाना कोतवाली बीकापुर में पंजीकृत अपराध की शीघ्र विवेचना करना

13–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के थाना कोतवाली बीकापुर में अपराध संख्या 373/86 अंतर्गत धारा 342/384/506 भा0 द0 वि0 में पंजीकृत मुकदमें में अब तक की विवेचना में कितने आरोप सत्य पाये गये हैं ? क्या सरकार उक्त मामले में विवेचना के एक निश्चित अवधि में पूरा करने का निर्देश विवेचना-धिकारी को देगी ताकि चार्ज शीट समय के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत हो सके और मामला कालातीत हो जाने का लाभ अपराधियों को न मिल सके ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्रश्नगत अपराध अभी विवेचनाधीन है । विवेचना शीघ्र एवं समय से समाप्त करने हेतु प्रभारी निरीक्षक को आदेश दिये जा चुके हैं ।

बलिया जनपद के मा0 सांसद को निर्धारित अवधि से अधिक दिनों तक सरकारी जीप देने के संबंध में जिम्मेदारी का निर्धारण

14–श्री मैनेजर सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के प्रथम मंगलवार के अता0 प्रश्न सं0 155 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पन्द्रह माह में 56 दिन अधिक जीप देने का दोषी कौन अधिकारी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

माह सितम्बर, 1986 से नवम्बर, 1987 तक की 15 माह की अवधि में माननीय संबंधित सासंद के पास सरकारी जीप कुल 57 दिन अधिक रही जबकि उनको जिलाधिकारी, बलिया ने मौखिक रूप से अवगत करा दिया था कि वे शासन के निर्देशों के अनुसार माह में केवल 10 दिन तक सरकारी जीप का प्रयोग करेंगे । माननीय सासंद को अधिक दिनों के लिये सरकारी जीप देने के संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित की जा रही है ।

सहकारी चीनी मिलों में कार्यरत स्थानीय कर्मचारियों की सेवाओं का विनियमितीकरण

15–श्री मैनेजर सिंह–

क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिलों में कार्यरत स्थानीय कर्मचारियों की सेवाओं का विनियमितीकरण करने के नियम क्या है? प्रदेश में कितने सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों को दिसम्बर, 87 तक विनियमितीकरण किया जा चुका है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सहकारी चीनी मिलों में कार्यरत स्थानीय कर्मचारियों की सेवाओं का विनियमितीकरण अन्य कर्मचारियों की भांति ''यू0 पी0 शुगर स्टैंडिंग आर्डर्स'' के प्राविधानों के अनुसार किया जाता है।

प्रदेश की 30 सहकारी चीनी मिलों में दिसम्बर, 87 तक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कुल 15,492 कर्मचारियों का विनियमितीकरण किया जा चुका है।

बलिया के सांसद द्वारा सरकारी जीप के दुरुपयोग की शिकायत

16–श्री मैनेजर सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 155 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जून में बलिया के सांसद महोदय द्वारा 28 दिन का निरीक्षण किन-किन विकास योजनाओं का किया गया उनके साथ कौन-कौन अधिकारी रहे ? क्या यह सही है कि जून माह में विवाह शादी में जीप का अधिक प्रयोग हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री बनारसी यादव, हेड कान्स्टेबिल एल0 आई0 यू0 गोरखपुर को जी0 पी0 एफ0 भुगतान की कार्यवाही

17–श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि श्री बनारसी यादव, हेड कान्स्टेबिल, एल0 आई0 यू0 गोरखपुर से 1 जून, 1985 को सेवा मुक्त हुए थे ? यदि हां, तो श्री यादव को सेवा मुक्त हो जाने के बाद अभी तक जी0 पी0 एफ0 विभाग द्वारा न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी जी0 पी0 एफ0 भुगतान कराये जाने हेतु विभाग को आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

श्री बनारसी यादव, हेड कान्सटेबिल, के जी0 पी0 फण्ड के भुगतान की कार्यवाही शीघ्रता से की जा रही है। इनके फण्ड में कुल जमा धनराशि का 90 प्रतिशत रु0 10,756 का प्राधिकार पत्र पुलिस उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक 18-1-88 को निर्गत कर दिया गया है।

थाना सिविल लाइन्स, जनपद मुरादाबाद पर पंजीकृत मुकदमें की विवेचना

18–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना सिविल लाइन्स, जनपद मुरादाबाद पर पंजीकृत मुकदमा अ0 सं0 निल धारा 420/467/468/606 आई0 पी0 सी0 बनाम भूपसिंह आदि चेक नम्बर 552, जिसकी विवेचना एस0 आई0 श्री जय सिंह भदौरिया द्वारा की जा रही थी, अब किस स्टेज पर है ? क्या अभियुक्त को गिरफ्तार कर जाली बैंक का पता लगाया गया है ? यदि हां, तो आरोप पत्र कब तक न्यायालय को प्रेषित कर दिया जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना सिविल लाइन्स, जनपद मुरादाबाद पर मुकदमा अपराध सं0 शुन्य, धारा 420/467/468/406 भा0 दं0 वि0 का अभियोग दिनांक 13-12-87 को पंजीकृत हुआ । घटना स्थल के आधार पर यह अभियोग थाना मूण्डापाण्डे को स्थानान्तरित किया गया और वहां पर उक्त धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा अपराध सं0 315/87 पंजीकृत हुआ । इस अभियोग की विवेचना उप-निरीक्षक श्री जय सिंह भदौरिया, थाना सिविल लाइन, मुरादाबाद को सुपुर्द की गई थी जो प्रचलित है।

विवेचना से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 1983 में ग्राम दलपतपुर, थाना मूण्डापाण्डे, जनपद मुरादाबाद में जी0 के0 (न कि 'के0 जी0', जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है) इण्डियन एग्रीकल्चर डेवलपमेण्ट कारपोरेशन नामक संस्था "काकादेव मार्केट, कानपुर" की शाखा खुली थी जो कि उक्त ग्राम से वर्ष 1984 में समाप्त हो गई ।

अब तक की विवेचना से प्रकाश में आये चार अभियुक्तों में से एक अभियुक्त भूप सिंह द्वारा दिनांक 19-1-88 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया गया तथा दिनांक 20-1-88 को जमानत पर रिहा कर दिया गया । एक अभियुक्त की मृत्यु हो गई है । शेष 2 अभियुक्त अभी तक फरार हैं। इनका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। विवेचना गहराई से की जा रही है जिसमें अभी समय लगने की सम्भावना है।

उ0 प्र0 मिनिस्ट्रीयल एसोसियेशन, सा0 नि0 वि0 की ओर से अवर अभियन्ता (स्टोर) को उनके अधीन स्टोर परीक्षण (कस्टोडियन) नियुक्त किये जाने विषयक मांग पत्र

19—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अवर अभियन्ता (स्टोर) को उनके अधीन स्टोर परीक्षण (कस्टोडियन) नियुक्त किये जाने विषयक कोई मांग पत्र उ0 प्र0 मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन सा0 नि0 वि0 की ओर से श्री बी0 सी0 त्रिपाठी द्वारा हस्ताक्षरित मई, 82 में मिला ? यदि हां, तो मुख्य मांग क्या थी तथा सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

20—डाक्टर दिनेश जौहरी—

[दिनांक 2-9-86 को अता0 प्र0 सं0 200 द्वारा उत्तरित]

जनपद बांदा में कर्वी देवांगना मार्ग में चित्रकूट धाम नगरपालिका कर्वी के अन्तर्गत सड़क को चौड़ी एवं सुदृढ़ीकरण हेतु आगणन

21—श्री राम सजीवन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में कर्वी देवांगना मार्ग में चित्रकूट धाम नगरपालिका करवी के अन्तर्गत एक और दो कि0 मी0 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु पांच लाख छियत्तर हजार रुपयों का आंगणन अधीक्षण अभियन्ता 19वां वृत्त सार्व0 निर्माण विभाग, झांसी द्वारा 25-7-87 को मुख्य अभियन्ता (दक्षिण क्षेत्र) सा0 नि0 वि0 कानपुर के पास भेजा गया है ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? हर माह चित्रकूट मेला के अवसर पर यातायात की समस्या को हल करने के दृष्टिकोण से सड़क के निर्माण हेतु विभाग के ही बजट से धन आवंटित करके निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

उक्त कार्य जिला योजना के क्षेत्राधिकार में है अतएव इनका आगणन जिलाधिकारी को जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन हेतु विचारार्थ भेजा गया है, जो जिला समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। फिलहाल धनराशि उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

बांदा जिले की कर्वी हवालात में कैदियों की संख्या बढ़ने के कारण नई इमारतों के निर्माण का प्रस्ताव

22—श्री राम सजीवन—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की कर्वी हवालात में कुल कितने बंदियों को रखने की क्षमता है और प्रतिदिन औसतन कितने बंदी रखे जाते हैं ? क्या यह सही है कि कर्वी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं मुंसिफ मैजिस्ट्रेट की नई अदालतें स्थापित हो जाने के बाद कर्वी हवालात में बंदियों की संख्या बढ़ गयी है और उनके आवास भोजन पानी आदि की जटिल समस्या पैदा हो गई है ? यदि हां, तो क्या कर्वी में लाकअप की नई इमारतों के निर्माण का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर निर्णय लेकर भवनों का निर्माण कब तक करा दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हवालतें कारागार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं है तथापि कर्वी हवालात के संबंध में जिलाधिकारी, बांदा से सूचना मांगी गयी है।

अधीक्षक सितारगंज कैम्प (श्री बाबूराम जाटव) को समूह ख से समूह क में अनियमित रूप से स्थानान्तरित किये जाने का आरोप

23—श्री हफीज भारती—

क्या कारागार मंत्री को यह जानकारी है कि अधीक्षक सितारगंज कैम्प (श्री बाबूराम जाटव) को वर्ष 1982 से समूह ख से समूह क में स्थानान्तरित कर दिया गया जिस पद के लिए वे अर्ह नहीं हैं और उक्त पद विभागीय चयन से प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री बाबू राम जाटव को वर्ष 1982 में समूह 'ख' से समूह 'क' के अधीक्षक पद पर स्थानान्तरित कर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया गया है। श्री जाटव उक्त पद पर मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर कार्यरत हैं। मा0 न्यायालय का निर्णय प्रतीक्षित है।

जी हां ।

दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लेखराज भाटी पुत्र श्री राम सिंह, नि0 फरीदपुर, थाना सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर की मुठभेड़ में मृत्यु की जांच रिपोर्ट का निष्कर्ष

24–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17-4-87 को श्री लेखराम भाटी पुत्र श्री राम सिंह, नि0 फरीदपुर, थाना सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर की हत्या सिकन्दराबाद इण्डस्ट्रीयल एरिया में एक मुठभेड़ में दिखायी गयी तथा इस मुठभेड़ की अदालती जांच के आदेश हुए थे ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं एवं जांच अधिकारी ने किस गवाह के बयान लिये हैं?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

दिनांक 17-4-87 को श्री लेखराम भाटी पुत्र श्री रामसिंह, निवासी फरीदपुर, थाना सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर की मृत्यु कथित मुठभेड़ में हुई थी । इस घटना की मजिस्टीरियल जांच करायी गयी । जांच रिपोर्ट के अनुसार मृतक लेखराम की मृत्यु पुलिस मुठभेड़ में हुई । जांच के दौरान 6 व्यक्तियों के कलम-बन्द बयान, 8 पुलिसकर्मियों, एक चिकित्साधिकारी एवं जनता के 2 व्यक्तियों के बयान अंकित किये गये । इसके अतिरिक्त 76 जनता के व्यक्तियों के शपथपत्र प्राप्त हुए ।

जालौन जनपद के कौंच नगर में पत्रकार श्री राधेश्याम दांतरे की गिरफ्तारी की जांच

25–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या गृह मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7 जून, 87 को जालौन जनपद के कौंच नगर में पत्रकार राधेश्याम दांतरे की गिरफ्तारी और पत्रकार के उत्पीड़न के प्रकरण की जो जांच सी0 आई0 डी0 को दी गयी थी, उसमें क्या आख्या प्राप्त हुई और क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सम्पूर्ण जांच आख्या से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग की जांच प्रचलित है एवं जांच रिपोर्ट शासन को अभी प्राप्त नहीं हुयी है ।

झांसी जिले के समथर नगर में राजकीय इण्टर कालेज समथर तक बने मार्ग का डामरीकरण

26–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले के समथर नगर में राजकीय इण्टर कालेज समथर तक बने मार्ग का डामरीकरण किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का दिनांक 16 मई, 86 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जिला परिषद् का मार्ग होने के कारण सा0 नि0 वि0 द्वारा कोई कार्यवाही फिलसम्भव नहीं है ।

महाक्रान्तिकारी त्यागी देशभक्त राजा महेन्द्र प्रताप सिंह जी के के0 सी0 घाट वृन्दावन (मथुरा) स्थित विद्यालय छात्रावास एवं पाली टैक्निक की इमारतों की मरम्मत

27—श्री सरदार सिंह—

क्या मुख्य मंत्री की जानकारी में है कि महाक्रांतिकारी त्यागी देशभक्त राजा महेन्द्र प्रताप सिंह जी के के0सी0 घाट वृन्दावन (मथुरा) स्थित विद्यालय छात्रावास एवं पाली-टैक्निक की दान में दी हुई विशाल इमारतों को मरम्मत कराने के आदेश माह सितम्बर, 87 के अन्तिम सप्ताह में सचिव, सा0 नि0 वि0 को प्रश्नकर्ता एवं माननीय विधायकों के प्रार्थना-पत्र पर दिये गए थे और सचिव सा0 नि0 वि0 ने मुख्य अभियन्ता पश्चिम क्षेत्र आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश दिये थे ? यदि हां, तो प्रश्नगत मामले में आज तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन अविलम्ब इस इमारत का जीर्णोद्धार कर इस पावन इमारत को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कराने के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव डालेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, 26 सितम्बर, 1987 को ही प्रश्नगत भवन की मरम्मत कराने के आदेश दिये थे जिनके अनुपालन में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आगरा को भवन की मरम्मत के आगणन प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराने हेतु 16 अक्टूबर 1987 को पत्र भेजा गया था। मुख्य अभियन्ता ने आगणन तैयार कराकर शासन को 29 फरवरी, 1988 को उपलब्ध करा दिये हैं, जिन्हें अब शासन के सम्बन्धित विभाग को शीघ्र अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु भेजा जावेगा। प्रश्नगत इमारत को राष्ट्रीय इमारत घोषित कराने के विषय पर शासन द्वारा अभी कोई विचार नहीं किया गया है। इस पर विचार कर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

थानाध्यक्ष गड़वार श्री आर0 डी0 राय पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों की जांच

28—श्री गौरी शंकर भइया—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता की संस्तुति सहित ब्लाक प्रमुख एवं जिला परिषद सदस्य गड़वार श्री अखंडानन्द एवं देवानन्द ने एक आवेदन पत्र डी0 आई0 जी0 वाराणसी को दि0 11-1-88 को दिया, जिसमें थानाध्यक्ष गड़वार श्री आर0 डी0 राय पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं ? यदि हां, तो मामले की जांच किस अधिकारी से की जा रही है तथा दोषी के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित —

जी हां।

उक्त प्रार्थना पत्र की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से कराये जाने के आदेश दे दिए गये हैं।

29—श्री राजेन्द्र शर्मा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

मेरठ जनपद के गांव उल्धन खरखौदा मार्ग अधूरा होने के कारण दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

30—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद के गांव उल्धन खरखौदा मार्ग को कितने दिन पूर्व बनाने की योजना स्वीकृत की गयी थी ? क्या यह सही है कि वह मार्ग आज भी अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है और शासन उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है तथा यह मार्ग कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मेरठ जनपद में उल्धन-खरखौदा मार्ग के निर्माण काय की मूल स्वीकृति वर्ष 1971 में आयोजनागत कार्यों के अन्तर्गत तथा पुनरीक्षित वर्ष 1982 में प्रदान की गयी थी।

खरखौदा की ओर से केवल 1 कि0 मी0 लम्बाई में ऊपरी सतह तथा लेपन का कार्य बाकी है । शेष लम्बाई कि0 मी0 10·40 में मार्ग लेपन स्तर तक पूर्ण है । ग्रामवासियों द्वारा उपरोक्त 1 कि0 मी0 लम्बाई में संरेखण पर विवाद करने के कारण शासन द्वारा दूसरा संरेखण नवम्बर, 1986 में स्वीकृत किया गया जिस पर कार्य प्रगति में है और जिसके मई 1988 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है । इस विलम्ब के लिए कोई दोषी नहीं है ।

एल0 आई0 यू0 पुलिस शाखा के कर्मचारियों को अन्य पुलिस शाखाओं में स्थानान्तरित किये जाने पर विचार

31—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि एल0 आई0 यू0 पुलिस की ही शाखा है ? यदि हां, तो इसके कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्य पुलिस की शाखाओं में न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या शासन भविष्य में उक्त शाखा के कर्मचारियों को सामान्य प्रकार से अन्य शाखाओं में स्थानान्तरित करेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

एल0 आई0 यू0 अभिसूचना विभाग के अन्तर्गत पुलिस की एक विशेष शाखा है। अभिसूचना एकत्र करने का कार्य विशेष प्रकृति का है और इस कार्य का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को तब तक इस विभाग से अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जाता जब तक कि वह अभिसूचना का कार्य करने के लिए अयोग्य न प्रतीत होता हो ।

उक्त नीति के दृष्टिगत अभिसूचना से अन्य शाखाओं को स्थानान्तरित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

गन्ना सहकारी समिति जुग्गौर लखनऊ की प्रबन्ध समिति के चुनाव हेतु नामांकन पत्र

32—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना सहकारी समिति जुग्गौर लखनऊ की प्रबन्ध समिति के चुनाव हेतु नामांकन पत्र कब दाखिल हुए थे ? चुनाव हेतु कुल कितने क्षेत्र थे ? क्या यह सही है कि कुछ चुनाव क्षेत्र में एक ही एक नामांकन पत्र दाखिल हुआ, कुछ में एक भी नमांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ तथा एक क्षेत्र में नामांकन पत्र अवैध होने के कारण निरस्त कर दिए गये ? यदि हां, तो समिति की सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 9-11-87 में प्रबन्ध समिति की विधिवत घोषणा कर दी गई है ? नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सहकारी गन्ना विकास समिति जुग्गौर (लखनऊ) की प्रबन्ध कमेटी के चुनाव हेतु नामांकन पत्र दिनांक 15-6-87 को दाखिल हुए थे । चुनाव हेतु कुल नौ क्षेत्र थे । छः निर्वाचन क्षेत्रों में एक-एक नामांकन पत्र दाखिल हुआ । दो निर्वाचन क्षेत्रों में एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ । एक निर्वाचन क्षेत्र में दो नामांकन पत्र दाखिल हुए जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिए गये । चुनाव प्रक्रिया पूरी न होने के कारण प्रबन्ध समिति की विधिवत घोषणा दिनांक 9-11-87 को नहीं की गई ।

श्री गजराम सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह निवासी ग्राम ठिरियादान थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद का अपने पुत्र के कत्ली अभियुक्तों को गिरफ्तार न किये जाने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

33–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि श्री गजराम सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह निवासी ग्राम ठिरियादान थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद ने एक प्रार्थना-पत्र पुलिस महानिदेशक उ0 प्र0 को दिनांक 23-1-88 को अपने पुत्र राजवीर के कत्ल के मुकदमें अपराध सं0-99 दिनांक 23-9-87 धारा-302/120 आई0 पी0 सी0, थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद के अभियुक्तों को गिरफ्तार न करने तथा आरोप पत्र देने में विलम्ब के संबंध में दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या आरोप-पत्र न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार मामले से संबंधित थाना भगतपुर पर पंजीकृत अपराध सं0 99/87, धारा 302/120 बी भा0 द0 वि0 में नामजद एक अभियुक्त को विवेचना के दौरान थानाध्यक्ष द्वारा दिनांक 7-10-1987 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया तथा दिनांक 26-10-1987 को दूसरा नामजद अभियुक्त हाजिर अदालत होकर जेल गया । 2 अज्ञात अभियुक्तों में से एक अभियुक्त प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री पतराम शर्मा प्रकाश में आया जिसे दिनांक 1-11-87 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया । अभियुक्त देवेन्द्र शर्मा व नरेश के विरुद्ध धारा 83 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत कुर्की की कार्यवाही क्रमशः दिनांक 13-2-88 व 15-2-88 को की गई ।

विवेचना के पश्चात अभियुक्त प्रमोद, रामपाल सिंह एवं हरनाम सिंह के विरुद्ध दिनांक 29-1-88 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । अभियुक्त देवेन्द्र एवं नरेश के विरुद्ध दिनांक 15-2-88 को मफरूरी में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया । अज्ञात अभियुक्तों में से एक का कोई पता नहीं चला। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ।

मथुरा जनपद के प्रत्येक थानों में बढ़ी हुई आबादी को ध्यान में रखकर सिपाहियों की संख्या बढ़ाये जाने की मांग

34—श्री कुशलपाल सिंह—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद के प्रत्येक थाने में सिपाहियों की कमी तथा प्रत्येक थाने में बढ़ी हुई आबादी तथा अन्य कार्यों में सहायता हेतु पुलिस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये थानों में सिपाहियों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मथुरा जनपद में थानों में पुलिस वृद्धि का प्रस्ताव शासन में प्राप्त नहीं हुआ है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सेतु निगम द्वारा फोरवेज एण्ड फोरवेज कम्पनी, बम्बई को डेमरेज का भुगतान

35—श्री अशोक बाजपेई—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेतु निगम में डेमरेज भुगतान के आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है ? क्या निगम द्वारा फोरवेज एण्ड फोरवेज कम्पनी बम्बई को करोड़ों रु0 डेमरेज के रूप में भुगतान किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-5-87 सरकार को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम में डेमरेज भुगतान के आदेश देने के लिए प्रबन्ध निदेशक सक्षम प्राधिकारी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

36—श्री अशोक बाजपेई—

[सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राज्य सेतु निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच एवं उन्हें सेवा विस्तार का दिया जाना

37—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सेतु निगम के प्रबन्ध निदेशक जो दिनांक 30-9-87 को सेवा निवृत्त होने वाले थे, को सरकार द्वारा दिनांक 30-9-87 को 6 माह का सेवा विस्तार दिया गया है ? क्या यह सही है कि उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार, गम्भीर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं से संबंधित उनके विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा कोई जांच कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो उन्हें सेवा विस्तार का औचित्य क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

सतर्कता अनुभाग-एक के पत्र दिनांक 2-3-88 में प्राप्त सूचना के अनुसार इनके विरुद्ध मा0 नेता विरोधी दल से प्राप्त शिकायती पत्र के आधार पर सतर्कता विभाग द्वारा सेवानीय छानबीन करायी जा रही है ।

लोक हित में सेवा विस्तार दिया गया है ।

सेतु निगम द्वारा बनाया गया मनोरमा सेतु (बस्ती) के पुनर्निर्माण पर हो रहे व्यय की जांच.

38—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय मार्ग संख्या 28 पर सेतु निगम द्वारा बनाया गया मनोरमा सेतु (बस्ती) का डेक स्लैप निर्माण के बाद टूट गया तथा कई बार की मरम्मत में इस नवनिर्मित पुल पर लाखों रुपये केवल मरम्मत पर निगम द्वारा व्यय किये जा चुके हैं, फिर भी पुल सुधर नहीं सका है ? इस पुल के निर्माण से संबंधित मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय प्रबन्ध वरिष्ठ अभियन्ता तथा सहायक अभियंता कौन-कौन थे ? क्या सरकार ने इस संबंध में जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसकी मरम्मत आदि पर कुल कितनी धनराशि सक्षम वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त अब तक खर्चा की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पुल के डेक स्लैब के कुछ स्थानों पर कुछ बारीक दरारें पड़ गयी थीं, जिस की मरम्मत कर दी गयी है । इस पुल के निर्माण से संबंधित मुख्य अभियंता श्री बृजेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय प्रबन्धक कोई नहीं, वरिष्ठ अभियंता श्री आर0 एस0 गोयल तथा सहायक अभियंता श्री एस0 के0 लाल थे । इस संबंध में विभागीय जांच चल रही है ।

इस सेतु की मरम्मत तथा अनुरक्षण पर अब तक केवल 68 हजार रुपये खर्च किये गये हैं ।

39—श्री सुखपाल पाण्डे—

[4थें मंगलवार के लिए स्थगित]

सेतु निगम में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए अनेक सहायक अभियन्ताओं को उप-परियोजना प्रबन्धक के पदों पर प्रोन्नति

40—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेतु निगम में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों के शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए अनेकों सहायक अभियन्ताओं को उप-परियोजना प्रबंधक के पदों पर प्रोन्नत/तैनात किया गया है जबकि इन पदों का सृजन मंत्रि-परिषद् की पूर्वानुमति से होना चाहिए था तथा ब्यूरों के शासनादेश दिनांक 13-10-83 के अनुरूप गठित चयन समिति में महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को निश्चित रूप से शामिल किया जाना चाहिए था? यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई और सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बिक्री कर कार्यालय, मेरठ की जीप दुर्घटना में सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु की जांच

41—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि ता0 28-11-87 को मेरठ से बिक्री कर कार्यालय की चली जीप का मुरादाबाद व बरेली के बीच दुर्घटना व 3 सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच कराने के बारे में सदस्य विधान परिषद् खान अब्दुल बद्दू खां का पत्र सं0 711 मुख्य मंत्री को ता0 10-12-87 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है? क्या इस बारे में कोई जांच करायी गयी? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। विभागीय जीप सं0-यू0 एच0 एन0 5790 ता0 29-11-87 को मेरठ से चली थी। दुर्घटना में पत्र वाहक श्री मामचन्द्र तथा सेवक श्री जयालाल की मृत्यु हुई थी एवं जीप चालक श्री संग्राम पाल घायल हुआ था। दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गई थी। इस मामले की जांच हेतु शासन द्वारा निर्देशित किया जा चुका है।

42—श्री यदुनाथ सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद हरदोई में गंगा नदी के राजघाट पुल का निर्माण

43—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में गंगा नदी के राजघाट पुल का निर्माण कब शुरू किया गया था और कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत सेतु राजघाट पर स्वीकृत न होकर मेंहदीघाट पर स्वीकृत है जिसका निर्माण कार्य जनवरी, 1984 में प्रारम्भ करके मार्च, 1987 में पूर्ण किया जा चुका है। गइड बंध का निर्माण कार्य प्रगति में है तथा 6/88 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य है।

श्रीमती श्याम लता तिवारी, मोती नगर, थाना नाका, लखनऊ द्वारा आलमबाग पुलिस पर लूट करने की शिकायत पर सी0 आई0 डी0 जांच

44—श्री बाबू राम यादव—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थिनी श्रीमती श्याम लता तिवारी, 61 मोतीनगर, थाना नाका, लखनऊ द्वारा दिनांक 11-7-87 को रजिस्टर्ड पत्रों जो गृह मंत्री, जिलाधिकारी व नगर मैजिस्ट्रेट, लखनऊ को दिये गये एवं माननीय कैलाश यादव, सांसद, जलेसर—एटा का दिनांक 5-5-87 एवं दिनांक 27-6-87 के पत्र जो श्रीमती श्यामलता तिवारी पत्नी श्री बाल किशन तिवारी, 61 मोतीनगर, पत्र नाका के यहां आलमबाग पुलिस द्वारा की गई लूट की सी0 आई0 डी0 जांच के संबंध में थे, उनको प्राप्त हुए? यदि हां, तो अभी तक सी0 आई0 डी0 के आदेश न दिये जाने के क्या कारण हैं तथा कब तक सी0 आई0 डी0 जांच दे दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में संदर्भित मामले में प्रार्थिनी श्रीमती श्याम लता तिवारी के प्रार्थना पत्र दिनांक 20-1-87 तथा 27-4-87 तथा मा0 सांसद श्री कैलाश यादव का पत्र दिनांक 27-6-87 संलग्न सहित प्राप्त हुए।

मामले में क्षेत्राधिकारी, आलमबाग, लखनऊ द्वारा की गयी जांच से उप निरीक्षक श्री ओमवीर सिंह, थाना आलमबाग तथा उनके सहयोगियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई, फिर भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के आदेशानुसार उप निरीक्षक श्री ओमवीर सिंह एवं सहयोगीगण आरक्षी थाना आलमबाग के विरुद्ध थाना आलमबाग पर अभियोग अ0 सं0–12/87 धारा 454/380/323/504 भा0 दं0 वि0 तथा 161,5 (2) भ्रष्टाचार नि0 अधि0 पंजीकृत हुआ जिसकी अभियोग में उप निरीक्षक ओमवीर सिंह व उनके सहयोगियों के विरुद्ध विवेचना क्षेत्राधिकारी महानगर, लखनऊ द्वारा पूर्ण की गयी । विवेचना से लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुये। अतः विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गयी।

उपरोक्त मामले में जांच सी0 आई0 डी0 को सौंपने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सूचना विभाग से निकलने वाला मासिक "नया दौर" को प्राइवेट प्रेस द्वारा छपाये जाने के कारण

45–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि सूचना विभाग से निकलने वाला मासिक "नया दौर" जो राजकीय प्रेस में छपता था अब बाहर के प्रेस से क्यों छपाया जा रहा है?

श्रीमती दीपा–

सूचना विभाग से निकलने वाले मासिक "नया दौर" को राजकीय प्रेस ने छापने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। अतः राजकीय प्रेस की अनुमति से छपाई बाहर से कराई जा रही है।

उर्दू भाषा में सरकारी गजट का छापा जाना

46–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या सरकार यह बतायेगी कि उर्दू भाषा में सरकारी गजट छपाने की जो व्यवस्था की गयी थी वह लागू है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना मिल खलीलाबाद जिला बस्ती के प्रेसमड खाद को कोतवाल खलीलाबाद द्वारा जबरन उठा ले जाने की जांच

47—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना मिल खलीलाबाद जिला बस्ती से इस वर्ष निकला प्रेस मड खाद जो गन्ना किसानों में मुफ्त में वितरित करने के शासन के निर्देश थे इस प्रेस मड खाद को कोतवाल खलीलाबाद (श्री शिव पूजन सिंह यादव) उसे जबरन मिल से उठा ले गये और गन्ना किसानों से जबरदस्ती हस्ताक्षर करा लिए? यदि हां, तो क्या इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से करायी जायेगी और इस अधिकारी को निलम्बित करने पर विचार किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गन्ना किसानों को प्रेस मड खाद मुफ्त वितरित करने के शासन के कोई आदेश नहीं है। कोतवाल, खलीलाबाद को प्रेसमड खाद चीनी मिल खलीलाबाद द्वारा न तो दिया गया है और न वह जबरन मिल से उठा ले गये हैं। ऐसी दशा में गन्ना किसानों से जबरदस्ती हस्ताक्षर कराने, इसकी जांच कराने तथा उन्हें निलम्बित करने का प्रश्न नहीं उठता।

चिल्लूपार विधान सभा क्षेत्र के हाटा रियांव मार्ग के निर्माण का कार्य सा0 नि0 वि0 गोरखपुर को दिये जाने की मांग

48—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिल्लूपार विधान सभा क्षेत्र के हाटा रियांव मार्ग की निर्माण स्वीकृति किस सन् में हुई थी और मार्ग की लम्बाई के समय कितने कि0 मी0 थी? क्या यह सही है कि जनाक्रोश के बावजूद उपरोक्त स्वीकृत मार्ग की लम्बी दूरी में अनावश्यक परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ग्रामीणों की भावनाओं का आदर करते हुए पूर्व प्रस्तावित मार्ग पर जनहित में कार्य शुरू करने का आदेश सा0 नि0 वि0 गोरखपुर के संबंधित अभियन्ता को देने का विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत हाटा—गडही—रियांव मार्ग के 3 कि0 मी0 की स्वीकृति सेक्टोरेल आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में तथा 3 कि0 मी0 भाग की स्वीकृति जिला योजना वर्ष 1986-87 के अन्तर्गत खड़ंजा स्तर तक दी गई है।

जी, नहीं।

वर्ष 1984-85 में सेक्टोरेल आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रश्नगत मार्ग के 3 कि0 मी0 में से 2.70 कि0 मी0 भाग पर खड़ंजा स्तर तक कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 300 मीटर लम्बाई में न्यायालय के स्थगन आदेशों के कारण निर्माण कार्य नहीं हो सका है।

जिला योजना 1986-87 में स्वीकृत मार्ग के अन्य 3 कि0 मी0 भाग में अभी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

जनपद फतेहपुर की तहसील बिन्दकी के जी0 टी0 रोड स्थित ग्राम मलवां में गन्ना क्रय केन्द्र खोलने की मांग

49–श्री अचल सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर की तहसील बिन्दकी के जी0 टी0 रोड स्थित ग्राम मलवां में गन्ना क्रय केन्द्र खोलने हेतु प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 7-11-87 गन्ना विकास सचिव को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्रय केन्द्र खोलने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है? क्या उक्त ग्राम में गन्ना क्रय केन्द्र खोल दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-11-87 नहीं बल्कि एक पत्र दिनांक 27-10-87 जनपद फतेहपुर की तहसील बिन्दकी के ग्राम मलवां में गन्ना क्रय केन्द्र खोलने हेतु प्राप्त हुआ है। उक्त ग्राम मलवां में नन्दगंज सिहोरी शुगर मिल्स कं0 लि0, दरियापुर, रायबरेली को क्रय केन्द्र खोलने के आदेश गन्ना आयुक्त के आदेश संख्या–6038/सी, दिनांक 12-1-88 द्वारा दे दिये गये हैं। दरियापुर मिल ने यातायात एवं गन्ना ढुलाई व्यवस्था न हो पाने के कारण उक्त क्रय केन्द्र अभी तक स्थापित नहीं किया है जिसके लिए मिल को पुनः आदेशित किया गया है।

जनपद फतेहपुर के थाना कल्यानपुर के अन्तर्गत बेसिक प्राइमरी पाठशाला इब्राहीमपुर के सहायक अध्यापक श्री रामेश्वर सिंह की शिकायती पत्र पर जांच

50–श्री अचल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के थाना–कल्यानपुर के अन्तर्गत बेसिक प्राइमरी पाठशाला इब्राहीमपुर के सहायक अध्यापक श्री रामेश्वर सिंह ने एक शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 12-12-87 को शिवराज पुत्र छेदा व राम आसरे पुत्र रामधनी निवासीगण रामपुर, थाना–कल्यानपुर फतेहपुर के विरुद्ध जालसाजी करने व उनका फर्जी इस्तीफा देने हेतु पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर को दिया है? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायती प्रार्थना-पत्र की जांच पूर्ण करा ली गयी है? यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

प्राप्त सूचनानुसार उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कल्यानपुर, जनपद फतेहपुर में दो नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 420 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत एक अभियोग दिनांक 12-12-87 को पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना अभी प्रचलित है।

51–श्री अचल सिंह–

[उसे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 98 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

52–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

श्री विशम्भर पाण्डेय पुत्र महादेव पाण्डेय पुराना गोरखपुर, थाना गोरखनाथ के यहां हुई चोरी में अभियुक्तों की गिरफ्तारी

53–श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशम्भर पाण्डेय पुत्र महादेव पाण्डेय पुराना गोरखपुर, थाना गोरखनाथ के यहां दिनांक 6-6-86 को चोरी हुई थी? यदि हां, तो क्या अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और माल बरामद हुआ? क्या यह सच है कि उन्हीं अभियुक्तों के विरुद्ध इस घटना से पूर्व श्री संकठा प्रसाद यादव, निवासी पुराना गोरखपुर, थाना गोरखनाथ ने एक नामजद लिखित रिपोर्ट दिया था? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या थी और उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार पूरा विवरण मय अभियुक्तों के नाम पते सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

उक्त सूचना के आधार पर दिनांक 9-6-86 को थाना गोरखनाथ पर अभियोग संख्या–125/86 धारा 457/380 भा0 दं0 वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना से अभियुक्त दिलीप कुमार पुत्र शिवनाथ निवासी बेलहार थाना बखिरा, जनपद बस्ती प्रकाश में आया और उसे दिनांक 22-6-86 को गिरफ्तार किया गया। उक्त मुकदमें से संबंधित चोरी गया चांदी का जेवर उसी के घर से बरामद किया गया।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

अपराध सं0 125/86, थाना गोरखनाथ के अभियुक्तों का नाम पता प्रश्न के दूसरे अंश के उत्तर में दिया गया है।

54–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[4थे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 97 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

55–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

थाना कुमारगंज फैजाबाद में अंकित अभियोग संख्या 83/ए/86 की जांच में विलम्ब

56–श्री मित्रसेन–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि अ0 सं0 83/ए/86 अन्तर्गत धारा 147/323/504, 325/दिनांक 24-2-86 थाना कुमारगंज, फैजाबाद में अंकित कराई गई है? यदि हां, तो उक्त प्राथमिकी किस अधिकारी के जांचोपरान्त अंकित कराई गई और अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गई? विलम्ब के लिए कौन लोग दोषी हैं?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

58—श्री सरदार सिंह—

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

बलिया जनपद व देवरिया जनपद को जोड़ने वाले घाघरा नदी पर बन रहे घाघरा सेतु के निर्माण पर अनुमानित व्यय

59—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद व देवरिया जनपद को जोड़ने वाले वाघरा नदी पर बन रहे घाघरा सेतु के निर्माण पर वर्ष 1986-87 में कितना धन खर्च हुआ है तथा वर्ष 1987-88 में कितना धन खर्च किये जाने का अनुमान है तथा कितने दिनों में कुल कितनी लागत से निर्माण कार्य पूर्ण होने का अनुमान है?

श्री बीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत सेतु के निर्माण पर वर्ष 1986-87 में 42.00 लाख रु0 एवं इसके पहुंच मार्ग की भूमि अध्याप्ति हेतु 13.14 लाख रुपया खर्च हुआ है तथा वर्ष 1987-88 में पुल एवं पहुंच मार्ग पर क्रमशः 125.00 लाख व 10.00 लाख रुपये खर्च होने की अनुमान है।

1242 लाख रु0 की लागत से वर्ष 1990 तक सेतु एवं उसके पहुंच मार्ग के पूर्ण हो जाने की आशा है।

जिला नैनीताल के थाना हल्द्वानी में पंजीकृत डकैती के अभियोग को छिपाकर मामूली घटना बताये जाने की जांच

60—श्री अचल सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल के थाना हल्द्वानी में जो मुकदमा अपराध संख्या 276/86 धारा 324 ता0 हि0 कायम किया गया क्या यह एक डकैती की घटना थी जिसको छिपाकर मामूली मारपीट की घटना लिखी गई? क्या यह सत्य है कि यह घटना दिनांक 17/18-5-86 को हुई और चौकी गुलरभोज में दिनांक 23-5-86 को इस घटना से संबंधित मुलजिमानों का मय हथियार व डकैती के माल के साथ गिरफ्तार किया गया और माल थाना गदरपुर के माल खाना में दाखिल है? क्या शासन यह भी बतायेगा कि इन मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट किस आधार पर लगायी गयी? क्या शासन उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा जिन्होंने डकैती की घटना को छिपाया?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी नहीं। दिनांक 17/18 मई, 86 को जिला नैनीताल के थाना हल्द्वानी पर पंजीकृत अभियोग संख्या 276/86 डकैती का नहीं था और अभियुक्तों का पता न चल सकने के कारण विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गयी। पुलिस चौकी गूलरभोज पर घटित घटना के संबंध में थाना गदरपुर पर एक अभियोग संख्या 76/86 अन्तर्गत धारा 399/402/307 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ था और इससे संबंधित

अभियुक्तों व बरामद माल को थाना गदरपुर में दाखिल किया गया परन्तु जांच से इस घटना से संबंधित माल व मुल्जिमान का संबंध थाना हल्द्वानी पर पंजीकृत उक्त अभियोग से होना नहीं पाया गया। उक्त अभियोग संख्या 76/86 से संबंधित अभियुक्तों का चालान अदालत किया गया। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फतेहपुर के उ0 प्र0 राज्य परिवहन निगम द्वारा सम्पादक, साप्ताहिक प्रान्तपति के विरुद्ध फर्जी कूपनों के प्रयोग के कारण जालसाजी का मुकदमा करने का प्रयास

61–श्री अचल सिंह–

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (श्री एस0 एम0 फाजिल) ने दिनांक 11-5-82 को सम्पादक, साप्ताहिक प्रान्तपति (श्री शिवकुमार पाण्डेय) के विरुद्ध फर्जी कूपनों में यात्रा करने के कारण जालसाजी का मुकदमा कायम कराने हेतु पत्र सं0-सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/एक/संचालन परिवार 82/98-11-5-82 तत्कालीन सूचना अधिकारी, फतेहपुर को लिखा था ? यदि हां, तो क्या श्री पाण्डेय सम्पादक प्रान्तपति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हो गया है ? यदि नहीं, तो अब तक मुकदमा पंजीकृत न कराने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती दीपा–

जी हां । जिलाधिकारी की आख्या के अनुसार बस यात्रा कूपन बुक की काउन्टर फायल का प्रयोग सिद्ध होना बताया गया था । श्री शिव कुमार पाण्डेय को जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से नोटिस दिया गया था जिसके उत्तर में श्री पाण्डेय ने आरोपित यात्रायें करने से स्पष्ट इन्कार किया है । अतः सम्पूर्ण मामले की पुनः विस्तृत जांच कराने के लिये जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है ।

जनपद फतेहपुर की तहसील बिन्दकी के अन्तर्गत प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना

62–श्री अचल सिंह–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर की तहसील बिन्दकी के अन्तर्गत प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों जैसे सिडको लेदर्स लि0, मधुचन्द्रा केमिकल प्रा0 लि0, आर0 ए0 सीमेन्ट प्रा0 लि0, महादेव फर्टीलाइजर लि0 आदि को प्रदूषण विभाग द्वारा प्रदूषण मुक्त लाइसेन्स जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और कैसे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं । अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते समय औद्योगिक इकाई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण करने हेतु प्रस्तावित व्यवस्था के संतोषजनक पाये जाने पर ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं ।

मेसर्स मधुचन्द्रा टैक्नोकेम प्रा0 लि0 तथा आर0ए0 सीमेंट प्रा0लि0 द्वारा प्रदूषण नियंत्रण की समुचित व्यवस्था पूरी न करने के कारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत व्यवसायिक उत्पादन करने अनापत्ति प्रदान नहीं की गयी है ।

मैसर्स महादेव फर्टिलाइजर लि0 तथा मैसर्स सिडको लेदर्स लि0 नये उद्योग हैं जिनके द्वारा प्रस्तावित शुद्धिकरण व्यवस्था सन्तोषजनक होने के कारण इन दोनों उद्योगों को बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है। इन दोनों उद्योगों द्वारा व्यवसायिक उत्पादन आरम्भ करने से पूर्व जल अधिनियम व वायु अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड की सहमति प्राप्त करने की शर्त भी लगायी गयी है ।

यातायात अधिनियम के अन्तर्गत समय की मियाद के बाहर रपट दाखिल करने के कारण लखनऊ के एक सिपाही का दोष मुक्त होना तथा दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही

63—श्री यदुनाथ सिंह —

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 39 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस महा-निदेशक ने इस प्रकरण में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए जो जांच करायी थी, उस जांच रपट का क्या परिणाम रहा ? जांच में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये ? उनके प्रति क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

इस प्रकरण में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए पुलिस महानिदेशक द्वारा कराई गई जांच से मुख्य रूप से विवेचनाधिकारी उप निरीक्षक एवं कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवेज, लखनऊ विलम्ब के लिए उत्तरदायी पाये गये । उप निरीक्षक को उनकी त्रुटि के लिए व्यक्तिगत पत्रावली पर चेतावनी दे दी गई है । कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवेज के स्तर पर हुए विलम्ब के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक, रेलवेज से आख्या मांगी गई है ।

64—श्री यदुनाथ सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

65—श्री यदुनाथ सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री अकबाल सिंह ग्राम काटा, थाना मोहनलालगंज जिला लखनऊ को पुलिस द्वारा परेशान करने एवं फर्जी मामले में फसाने विषयक शिकायती-पत्र पर जांच-आख्या

66—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री प्रभाकर मिश्र, सदस्य, विधान परिषद, उ0 प्र0 के पत्र दिनांक 15-5-87 संलग्नक सहित श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री अकबाल सिंह, ग्राम काटा, थाना मोहनलालगंज, जिला लखनऊ का पत्र पुलिस द्वारा परेशान करने व फर्जी मामले में फंसाने के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो संलग्न पत्रों पर शासन द्वारा बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त के संबंध में शासन द्वारा जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? उक्त रिपोर्ट में कौन-कौन से पुलिस अधिकारी व कर्मचारी दोषी पाये गये तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां । प्रश्नगत मामले की जांच कराई गई । जांच आख्या के अनुसार प्रार्थिनी के पति अकबाल सिंह को पुलिस द्वारा दखिना ग्राम, होटल के पास रायबरेली रोड से एक देशी तमंचा 12 बोर व 3 अदद कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया था । अभियुक्त अकबाल सिंह के विरुद्ध अ0 सं0 61/87 अन्तर्गत धारा 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया । विवेचना के उपरान्त उक्त अभियोग में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है । जांच से प्रार्थिनी द्वारा पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये । मामले में जांच से कोई पुलिस अधिकारी व कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

नियमित सहायक अभियन्ताओं (सिविल) को सलेक्शन ग्रेड का दिया जाना

67–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन सहायक अभियन्ताओं (सिविल) को शासनादेश संख्या 4180 ई0 बी0 आर0 32(2) (1)/80 दिनांक 11-10-85 द्वारा नियमित किया गया था उनको सलेक्शन ग्रेड दे दिया गया है? क्या उनका स्थायीकरण किया गया तथा वरीयता निश्चित की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । स्थाईकरण अभी नहीं किया गया है। स्थायी पद उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा । प्रश्नगत शासनादेश में 15 अधिकारियों में से जिन दो अधिकारियों की प्रथम चयन से अब तक अनुपयुक्त नहीं पाया गया था उनकी ज्येष्ठता निर्धारित कर दी गयी है और दिनांक 29-8-87 को आदेश जारी कर दिये गये हैं। शेष 13 अधिकारी जो पूर्व में अनुपयुक्त पाये गये थे उनके मामले विवादित होने के कारण न्याय विभाग को संदर्भित किये गये हैं। न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

ज्यादा आबादी के गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की शासन की नीति के अन्तर्गत ग्राम कोथ जिला बलिया का निर्माणाधीन मार्ग कोथ लिंक जिला बलिया से जोड़ने की मांग

68–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा 1500 से ज्यादा आबादी के गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की नीति है ? यदि हां, तो ग्राम कोथ (जिला बलिया) जिसकी आबादी 1500 से अधिक है तथा एक मार्ग कोथ लिंक के नाम से प्रान्तीय खण्ड बलिया के अन्तर्गत निर्माणाधीन है और इस मार्ग से गांव की दूरी 500 मीटर से अधिक है ? क्या सरकार इसके निर्माण का आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी, हां ।

प्रश्नगत कोथ लिंक मार्ग पर स्वीकृति के अनुसार 3 कि0 मी0 लंबाई में मिट्टी का कार्य अप्रैल, 1986 में पूर्ण कर दिया गया था। तत्पश्चात् सेक्टोरल आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत बंशीबाजार इकइल मार्ग पर 5 कि0 मी0 लम्बाई में सोलिंग स्तर तक स्वीकृति दी गई जिसमें उक्त कोथ लिंक मार्ग भी सम्मिलित था । उक्त 5 कि0 मी0 लम्बाई में सोलिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

कोथ गांव का पहला मकान सोलिंग स्तर तक निर्मित किये गये मार्ग से जुड़ा है यह मार्ग जूनियर हाई स्कूल कोथ के बगल से तथा कोथ गांव के अन्य मकानों के पास से होकर जाता है । इस प्रकार कोथ गांव सोलिंग स्तर तक के मार्ग से पहले ही जोड़ा जा चुका है ।

शासन की घोषित नीति के विरुद्ध कोतवाल खलीलाबाद (श्री शिव पूजन सिंह यादव) की विभिन्न जनपदों में वर्षों तक अनियमित तैनाती

69–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोतवाल खलीलाबाद (श्री शिवपूजन सिंह यादव) खलीलाबाद में 4 वर्ष से व जनपद बस्ती में 8 वर्ष से तैनात थे और गोरखपुर मंडल में 12 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि शासन की घोषित नीति के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी एक थाने में तीन वर्ष से अधिक समय तक न रखने के निर्देश होने के बावजूद भी इनका स्थानान्तरण बार-बार रुकने के क्या कारण हैं? क्या सरकार इनका स्थानान्तरण करेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्रश्नगत निरीक्षक, खलीलाबाद थाने में तीन वर्ष दो माह तथा जनपद बस्ती में कुल पांच वर्ष दो माह के लगभग नियुक्त रहे। गोरखपुर मंडल में इनकी सेवा अवधि कुल छः वर्ष तीन माह के लगभग है।

निरीक्षक एक मंडल में 12 वर्ष तक तथा एक थाने पर 3 वर्ष तक नियुक्त रह सकता है।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बलिया में गंगा नदी पर स्थित गाय घाट पैन्टून पुल को कथित तूफान से हानि

70–श्री मैनेजर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि तथाकथित तूफान की गति क्या थी और घाट के ऊपरी सतह पर स्थित झोपड़ों पर तूफान का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा ? क्या यह सही है कि पूरा पैन्टून पुल एक साथ जुड़ा हुआ किनारे लग गया था और पुल में कहीं टूट फूट नहीं हुई थी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद बलिया में सा0 नि0 वि0 में तूफान के गति नापने का कोई यंत्र न होने के कारण तथाकथित तूफान की गति का बताना सम्भव नहीं है। प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत तूफान का असर वहां स्थित झोपड़ों पर पड़ा था जिसमें कुछ झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं ।

जी नहीं ।

पैन्टून पुल में कुल 110 पीपे लगे थे जिसके टूटने पर 108 पीपे एक साथ जुड़े हुए उत्तर प्रदेश की तरफ तथा केवल दो पीपे एक साथ जुड़े हुए बिहार की तरफ लग गये थे । पुल में लगे कुछ स्लीपर बह गये एवं गर्डर डूब गये थे जिन्हें बाद में निकाल लिया गया था ।

बलिया जनपद के गाय घाट रुद्रपुर गंगाघाट पर नाव दुर्घटना में नाविक की मृत्यु तथा घटना के कारणों की जांच

71–श्री मैनेजर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के गायघाट रुद्रपुर गंगाघाट पर 12 अक्टूबर, 87 को नाव दुर्घटना में नाविक की मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या था और क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार गंगा नदी पार करते समय नाव में अचानक छेद हो जाने के कारण पानी भर जाने के फलस्वरूप उक्त दुर्घटना हुई । दुर्घटना के अन्य कारणों की विस्तृत जांच जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से परगना मजिस्ट्रेट बलिया द्वारा की जा रही है। जांच से कोई हस्तक्षेपीय अपराध का होना न पाए जाने के कारण कोई पुलिस कार्यवाही नहीं की गयी । मृतक नाविक के पिता को रु0 5000 की अनुग्रह धनराशि सहायता दी जा चुकी है।

जनपद शाहजहांपुर, थाना निगोही पुलिस चौकी लोहारगांवा के पुलिस कर्मियों द्वारा साजिदबेग नामक युवक को पीट-पीट कर मारे जाने की सूचना पर कृत कार्यवाही

72–श्री मैनेजर सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर निगोही पुलिस चौकी लोहारगांवा के पुलिस कर्मियों ने कुछ दिन पूर्व साजिदबेग नामक युवक को पीट-पीट कर मार डाला है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार मृतक साजिद बेग के वालिद श्री जाहिद बेग की सूचना पर दिनांक 30-10-87 को इस मामले के सम्बन्ध में जनपद शाहजहांपुर के थाना

निगोही पर लोहरगवां चौकी के दीवान विष्णुदत्त शर्मा, सिपाही प्रीतम सिंह व तिलक सिंह तथा उसी चौकी पर तैनात होमगार्ड रामआसरे के विरुद्ध अपराध सं0 223, धारा 302 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। दिनांक 31-10-87 को चारों अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे गये। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं विवेचना में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दिनांक 30-12-87 को अभियोग धारा 342/302 भा0 दं0 वि0 से धारा 342/304 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया और चारों अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध होने पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है तथा चारों अभियुक्त अभी तक जेल में हैं।

होमगार्डों को समय पर वेतन दिये जाने व स्थायी किये जाने की मांग

73—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होमगार्डों को उनका वेतन महीने की पहली तारीख को न देकर कई-कई महीने में दिया जाता है वह भी 15 रुपये प्रति दिन के हिसाब से ? यदि हां, तो ऐसी व्यवस्था करेंगे कि समय से इन्हें वेतन मिल सके तथा यह स्थायी कर दिए जायें ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

होमगार्ड स्वयं सेवकों को वेतन नहीं दिया जाता है बल्कि जितने दिन उन्हें ड्यूटी पर लगाया जाता है, उतने दिन का रु0 15 प्रतिदिन की दर से "पारिश्रमिक" दिया जाता है। इन स्वयं सेवकों की ड्यूटियां जिला प्रशासन द्वारा लगायी जाती हैं जिनका पूर्वानुमान शासन द्वारा लगाना सम्भव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में "पारिश्रमिक" की मद में आवश्यकतानुसार धन की व्यवस्था करने में कठिनाई होती है। वित्तीय संसाधनों के अभाव में इन्हें समय से "पारिश्रमिक" का भुगतान करना सम्भव नहीं हो पाता है। होमगार्ड स्वयंसेवी संगठन है, अतः स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर में कत्ल, डकैती, जबरिया चोरी और लूट जैसे अपराधों की संख्या तथा पिछले वर्षों की तुलना में दहेज सम्बन्धी हत्यायें

74—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में वर्ष 1987 की अवधि में कत्ल, डकैती, जबरिया चोरी और लूट जैसे गम्भीर अपराधों की कितनी वारदातें किन-किन थानों पर हुईं ? यह भी बताने की कृपा करेंगे कि दहेज संबंधी हत्या की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1987 में जनपद गाजीपुर में कत्ल के 51, डकैती के 11

तथा जबरिया चोरी/लूट के 8 अपराध विभिन्न थानों पर पंजीकृत किए गए । घटनाओं का थानावार विवरण निम्नवत् है :—

थाने का नाम	कत्ल	डकैती	जबरिया चोरी/लूट
1—कोतवाली	7	..	2
2—करण्डा	3	1	1
3—जमानियां	2	..	..
4—दिलदार नगर	..	1	..
5—गहमर	4	1	1
6—सुहवल	2	..	..
7—सैदपुर	5	2	2
8—खानपुर	3	..	..
9—सादात	5	1	.
10—शादियाबाद	..	..	1
11—मुहम्मदाबाद	4	..	..
12—मांवरकोल	1	..	..
13—नौनहरा	1	..	..
14—कासिमाबाद	1	1	..
15—भुड़कुड़ा	4	..	..
16—मरदह	4	4	1
17—बिरनो	3	..	..
18—बरेसर	2	..	.
	51	11	8

वर्ष 1986 में दहेज सम्बन्धी हत्या की कुल 6 घटनाओं की तुलना में वर्ष 1987 में 5 घटनायें घटित हुयीं जो पिछले वर्ष की अपेक्षा कम हैं।

जनपद गाजीपुर में गैर दस्त अन्दाजी पंजीकृत अपराधों की संख्या एवं पुलिस द्वारा अनुमति प्राप्त किये गये विवेचना के मामले

75—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में वर्ष 1987 में कुल ऐसे कितने गैर दस्त अन्दाजी अपराध पंजीकृत किये गये जिसमें पुलिस ने अनुमति प्राप्त करके विवेचना की ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1987 में जनपद गाजीपुर में कुल 4635 गैर-दस्तन्दाजी अपराध पंजीकृत किये गये । इनमें से 325 मामलों में पुलिस ने अनुमति प्राप्त करके विवेचना की ।

थानाध्यक्ष गड़वार द्वारा आबकारी ठेकेदार की मिली भगत से मादक द्रव्य बेचने विषयक श्री देवानन्द सिंह, सदस्य जिला परिषद् बलिया के शिकायती पत्र पर जांच

76—श्री गौरी शंकर भइया—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 12-1-88 को प्रश्नकर्ता की संस्तुति से श्री देवानन्द सिंह सदस्य, जिला परिषद् बलिया का एक आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक बलिया को दिया गया है जिसमें थानाध्यक्ष गड़वार द्वारा अपने क्षेत्र में आबकारी ठेकेदार की मिली भगत से मादक द्रव्य (अवैध) बेचने की बात कही गई है? यदि हां, तो आवेदन पत्र पर जांच किस अधिकारी से कराई गई तथा थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी नहीं। श्री देवानन्द सिंह का दिनांक 12-1-88 का कोई प्रार्थना पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। बल्कि श्री अखण्डानन्द ब्लाक प्रमुख गड़वार का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

ए0 डी0 एम0 (सिटी) मुरादाबाद द्वारा थाना सिविल लाईन मुरादाबाद में अंकित एफ0 आई0 आर0 पर जांच रिपोर्ट

77—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक 4-7-85 को ए0 डी0 एम0 (सिटी) मुरादाबाद द्वारा एक एफ0 आई0 आर0 अपराध सं0 469/85 धारा 468 व 420 आई0 पी0 सी0 थाना सिविल लाईन मुरादाबाद में अंकित कराई गई थी? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त मुकदमें की विवेचना एस0 आई0 एस0 मुरादाबाद द्वारा की गई थी? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त मुकदमें में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है? यदि हां, तो फाईनल रिपोर्ट लगाने का क्या कारण रहा? यदि फाइनल रिपोर्ट नहीं लगाई गई तो विवेचना में कौन-कौन लोग उक्त मुकदमें में दोषी पाये गये हैं और उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियोग की विवेचना उपनिरीक्षक, विशेष अनुसन्धान शाखा, मुरादाबाद को सुपुर्द की गई जो साक्ष्य के अभाव में अंतिम रिपोर्ट दि0 23-2-88 द्वारा समाप्त की गई। मामले के महत्व को देखते हुए इस विवेचना का चेकअप निरीक्षक, विशेष अनुसन्धान शाखा मुरादाबाद द्वारा कराने के आदेश दिये गये हैं? वर्तमान में शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में देहली-बरेली लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग पर विचाराधीन बाई पास के निर्माण में देरी का कारण

78—नवाब सिकन्दर अली खां—

क्या मंत्री सा0 नि0 वि0 बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में देहली-बरेली-लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग सं0 24 पर बाई पास का निर्माण विचाराधीन है ? यदि हां, तो कार्य आरम्भ होने में देरी का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद शाहजहांपुर में दहेली--बरेली लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग--24 पर बाईपास के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा भूमि अध्याप्ति का कार्य प्रगति पर है। भूमि प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही परिवहन मंत्रालय भारत सरकार से इस बाईपास के निर्माण हेतु आगणन स्वीकृति कराने की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद शाहजहांपुर में पलिया लखनऊ राज्य मार्ग पर शहरी मार्ग में रेल ऊपरगामी सेतु के निर्माण कार्य आरम्भ करने में विलम्ब का कारण

79–नवाब सिकन्दर अली खां–

क्या सा0 नि0 वि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में पलिया लखनऊ राज्य मार्ग संख्या–25 पर शहरी मार्ग में रेल उपरगामी सेतु के निर्माण का प्रस्ताव है? यदि हां, तो कार्य आरम्भ होने में देरी का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

पहुंच मार्गों के निर्माण का कार्य माह दिसम्बर, 1987 में आरम्भ कर दिया गया है। अतः देर होने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रामजतन पुत्र बद्री हरिजन, निवासी ग्राम मनकपड़ा, थाना शहाबगंज, वाराणसी द्वारा कतिपय अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही होने में विलम्ब का कारण

80–श्री राज किशोर सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामजतन पुत्र बद्री हरिजन, निवासी ग्राम मनकपड़ा, थाना शहाबगंज, वाराणसी की शिकायत पर ग्राम्य मनकपड़ा, थाना शहाबगंज, वाराणसी के निवासीगण सुरेश सिंह आदि अपराधियों के प्रति थाना चकिया, तहसील चकिया वाराणसी में दर्ज मुकदमा अपराध सं0 निल धारा 147/323/352/426, आई0 पी0 सी0 रिपोर्ट सं0 90 दिनांक 4-7-82 में आरोप पत्र कार्यवाही हेतु न्यायालय में दाखिल किया गया है? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों और नामित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही होने में विलम्ब का क्या कारण है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचनानुसार दि0 4-7-82 को रामजतन पुत्र श्री बद्री हरिजन निवासी ग्राम मनकपड़ा, थाना शहाबगंज, वाराणसी की सूचना पर थाना शहाबगंज में ग्राम मनकपड़ा थाना शहाबगंज, वाराणसी के सुरेश सिंह आदि 5 नामांकित व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 147/323/352/426 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत एक अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचनोपरान्त दि0 13-7-82, 4-8-82 एवं 10-11-82 को उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत सभी नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विवेचना में कोई विशेष विलम्ब नहीं हुआ है।

थाना मालीपुर, फैजाबाद में श्री लाल बहादुर को थाने में जलाकर मार डालने विषयक पंजीकृत अपराध एवं उसके परिणाम की सूचना

81—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 113 ब/83 थाना मालीपुर फैजाबाद जो लालबहादुर, को थाने में जलाकर मार डालने की शिकायत के संबंध में पंजीकृत हुआ था, के मुकदमें में विवेचना का कार्य पूरा हो गया है? यदि हां, तो उसके परिणाम की सूचना मुद्दई को दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

अ0 सं0 113 ब/83 थाना मालीपुर फैजाबाद में लाल बहादुर को थाने में जलाकर मार डालने के सम्बन्ध में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है बल्कि अ0 सं0 113 ए/82 थाना मालीपुर फैजाबाद में पंजीकृत है। मामले की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराई गई। विवेचना के पश्चात् उक्त अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। मुकदमें के परिणाम की सूचना मुद्दई को देना आवश्यक नहीं है।

राजापुर बांदा को चित्रकूट इलाहाबाद आदि से जोड़ने के लिए राजापुर में यमुना नदी पर पुल बनाने की कार्यवाही

82—श्री राम सजीवन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास की जन्म भूमि राजापुर बांदा को चित्रकूट (करवी) खुजराहो (छतरपुर) सतना मध्य प्रदेश तथा इलाहाबाद से जोड़ने के लिए राजापुर में जमुना नदी पर पुल बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्या राजापुर में पुल निर्मित कराये जाने पर विचार करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

सीमित संसाधनों को देखते हुए फिलहाल सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय साधन।

रजिस्ट्रार फर्मस, सोसाइटीज तथा चिट्स उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सहायक रजिस्ट्रार आगरा को सदस्य बनाने एवं चुनाव कराने का अधिकार प्रदान किया जाना

83—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार की जानकारी में है कि रजिस्ट्रार फर्मस, सोसाइटीज तथा चिट्स उ0 प्र0 लखनऊ ग्राम शिक्षा विकास मण्डल राया जिला मथुरा के मामले में अपने आदेश संख्या 1938 (3) दिनांक 5-12-87 के द्वारा सहायक रजिस्ट्रार आगरा को सदस्य बनाने एवं चुनाव कराने का अधिकार रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 25 (2) के अन्तर्गत प्रदान किया है? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या सहायक रजिस्ट्रार आगरा स्वयं समाचार पत्रों के माध्यम से सदस्य बनाने की अवधि तथा निर्वाचन तिथि विज्ञापित करके इलाके में जायेंगे जिससे ग्रामीण अंचल के लोग भी सदस्य बन-

कर चुनाव में भाग ले सकें? यदि हां, तो यह प्रक्रिया कब से शुरू कर दी जायेगी और कब तक चुनाव करा दिए जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । किन्तु आलोच्य आदेश में सदस्य बनाने हेतु कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

सहायक रजिस्ट्रार आगरा निर्वाचन कार्यक्रम स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापित करायेंगे।

निर्वाचन प्रक्रिया मार्च, 1988 में प्रारम्भ हो जायेगी तथा जून 1988 तक समाप्त हो जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री श्याम बिहारी पुत्र श्री शिव नारायण निवासी मांझगांव गदोरा, थाना संडीला, जिला हरदोई द्वारा दर्ज अपराध पर कार्यवाही

84–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना संडीला जिला हरदोई में मुकदमा अपराध संख्या 259 धारा 323/504/506 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत श्री श्याम बिहारी पुत्र श्री शिव नारायन निवासी मांझ गांव गदोरा, थाना संडीला जिला हरदोई ने दिनांक 6-10-87 को दर्ज कराया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभियुक्तगणों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां। चूंकि मामला वादी व उसके सगे भाईयों व भतीजों के बीच भूमि विवाद से संबंधित था और पंजीकृत कराया गया अपराध गैरदस्तनदाजी था, इसलिए पुलिस द्वारा वादी को हिदायत की गयी कि वह इस संबंध में न्यायालय में चाराजोई करें।

श्री त्रिलोकी उर्फ श्री तिलाकी, निवासी ग्राम हसन गंज थाना औरास जिला उन्नाव का पत्र तथा उस पर की गयी कार्यवाही

85–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

विधान सभा के तृतीय सत्र 87 के पहले सोम के लिए निर्धारित ता0 प्रश्न सं0 16 नत्थी (घ) के उत्तर के संबंध में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वादी श्री तिलाकी को थाना औरास की पुलिस ने उसके मकान पर कब्जा नहीं दिलाया है और उसके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के मुताबिक वादी को धमका कर एक कागज में अंगूठा लगवा लिया गया है और उस पर तहरीर लिख दी गई है? क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर गलत उत्तर की सूचना देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी और श्री तिलाकी को उसके मकान पर कब्जा दिला दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार ज्ञात हुआ है कि श्री त्रिलोकी उर्फ तिलाकी को थाना औरास की पुलिस ने दिनांक 4-10-87 को उसके विपक्षी दुलारे, रामलाल के मकान के अंदर स्थित कोठरी में कब्जा दिला दिया था और इस आशय की उससे लिखित

तहरीर भी ली थी। किन्तु इस कोठरी का निकास विपक्षी के मकान के ही निकास से होने के कारण वह उस कोठरी में नहीं रहा और बगल में स्थित पैरवीकर्ता दिरगज के मकान में रहा। मामले में उससे पुनः दिनांक 26-2-88 को संबंधित अधिकारी द्वारा सम्पर्क किया गया तो उसने बताया कि उसकी कोठरी में अलग निकास न होने के कारण वह उसमें नहीं रह सकता। उसकी इच्छानुसार थाना औरास की पुलिस ने कोठरी का अलग निकास बना दिया और इस आशय की तहरीर गांव वालों के समक्ष ले ली गई।

जांच से यह सही नहीं पाया गया कि वादी से धमकाकर एक कागज पर अंगूठा लगवा लिया गया। वादी त्रिलोकी का उसकी कोठरी पर पूर्ववत् कब्जा है। प्रश्न में संदर्भित आरोपों के बारे क्षेत्राधिकारी हसनगंज द्वारा दिनांक 27-2-88 को जांच की गई। इस समय वादी अपने मकान पर काबिज है अतः किसी अन्य कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री दान बहादुर पाण्डे ग्राम व थाना खण्डासा, फैजाबाद के विरुद्ध अंकित विभिन्न प्रकृति के अपराध तथा आग्नेयास्त्र लाइसेन्स की स्वीकृति

86—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री दान बहादुर पाण्डे ग्राम व थाना खण्डासा फैजाबाद के विरुद्ध अब तक थाना खण्डासा में किस-किस प्रकृति के और कुल कितने अपराध अंकित कराये गये हैं तथा उन्हें कितने आग्नेयास्त्र के लाइसेन्स स्वीकृत किए गए हैं और क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

श्री दान बहादुर पाण्डेय ग्राम व थाना खण्डासा जनपद फैजाबाद के विरुद्ध अब तक थाना खण्डासा में 5 अपराध अंकित कराये गये जिसमें हत्या का एक अभियोग, बलवा/मारपीट के दो तथा धोखा देकर बेगार लेने का एक अभियोग तथा हत्या की कोटि में न आने वाले अपराधिक मानव वध के प्रयास का एक अभियोग पंजीकृत हुआ। श्री पाण्डेय को एक रिवाल्वर का लाइसेन्स आत्मरक्षार्थ दिया गया।

दारुल शफा बी ब्लाक में सफाई कर्मचारियों व मालियों की कमी को पूर्ण करने की मांग

87—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दारुल शफा बी ब्लाक में सफाई कर्मचारी व मालियों की नितान्त कमी है जिस कारण उक्त विधायक निवास सदैव गन्दा व उजाड़ पड़ा रहता है ? यदि हां, तो विधायक निवास दारुल शफा बी ब्लाक में सफाई कर्मचारियों व मालियों की आवश्यकतानुसार संख्या कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । दारुलशफा बी ब्लाक में सफाई कर्मचारियों व मालियों की संख्या निर्धारित मानक के अनुरूप है । सत्र के मध्य कार्य में वृद्धि के कारण दैनिक दर के अतिरिक्त पद भी उपलब्ध कराये जाते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधायक निवास बी (पुराना) में विधायक निवास (बी) नए की तरह सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

88–श्री पूरन सिंह भाहरा–

क्या विधायक निवास बी (पुराना) में भी विधायक निवासी (बी) नए की ही तरह विधायकों को मानक के अनुसार डायनिंग चेयर व डायनिंग टेबुल उपलब्ध करवायी जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । नियमानुसार सभी विधायक निवासों में यह सुविधा अनुमन्य नहीं है ।

जिला जौनपुर में जिला योजना के अन्तर्गत आवंटित धन को सदन के पटल पर रखने की मांग

89–श्री पारस नाथ यादव–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1987-88 में जिला जौनपुर में जिला योजना के अंतर्गत कितना धन आवंटित किया गया ? क्या धन का उपयोग विभिन्न योजनाओं पर कर दिया गया ? यदि हां, तो किन-किन योजनाओं पर कितना धन खर्च किया गया ? क्या सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1987-88 में जनपद जौनपुर को जिला योजना में सड़क एवं पुल की मद में 167.82 लाख रु0 (अधिष्ठान को छोड़कर) आवंटित किया गया ।

उक्त धनराशि में से जनवरी, 1988 तक 118.15 लाख रु0 का उपयोग किया जा चुका है तथा शेष का उपयोग मार्च, 1988 तक कर लिये जाने हेतु कार्यों का प्रबन्ध कर लिया गया है ।

इस संबंध में पूर्ण विवरण माननीय राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है जिसे माननीय सदस्य किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में देख सकते हैं ।

90–श्री राम पाल सिंह–

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

उत्तर प्रदेश में गन्ना सहकारी समितियों की संख्या एवं गन्ना सचिव के पद पर अनुसूचित जन जाति के आरक्षण की नीति

91–श्री हरशरान सिंह–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कितनी गन्ना सहकारी समितियां हैं और उनमें कितने गन्ना सचिव अनुसूचित जनजाति के हैं ? यदि आरक्षण कम है तो क्यों और इसको सरकार कब तक पूरा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उ0 प्र0 में गन्ना सहकारी समितियों की कुल संख्या-140 है । इनमें कोई भी गन्ना समिति सचिव अनुसूचित जनजाति का नहीं है । गन्ना समितियों में सचिव की तैनाती गन्ना विकास निरीक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लेकर एवं समिति भोगी सचिवों को स्थानान्तरण कर की जाती है । प्रतिनियुक्ति एवं स्थानान्तरण में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में जिला गन्ना विकास अधिकारियों की संख्या एवं उनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों की पूर्ति

92–श्री हरशरन सिंह–

क्या गन्ना मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिला गन्ना विकास अधिकारी कितने हैं और इनमें कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं ? यदि आरक्षण कम है तो इनकी पूर्ति कब तक की जावेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उ0 प्र0 में जिला गन्ना विकास अधिकारी नाम से कोई पद नहीं है अपितु जिला गन्ना अधिकारी हैं । इनकी कुल संख्या-36 है जिसमें से 9 अनुसूचित जाति के हैं तथा अनुसूचित जन जाति का कोई भी जिला गन्ना अधिकारी नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सिंगनपुर से बैरा फिरोजपुर मार्ग जनपद बुलन्दशहर के निर्माण में विलम्ब के कारण

93–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि दो योजनाओं में स्वीकृत सिंगनपुर से बैरा फिरोजपुर मार्ग जनपद बुलन्दशहर के निर्माण में जान-बूझकर विलम्ब किया जा रहा है ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है ? क्या तत्काल उपरोक्त महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

किसानों से स्वेच्छा से भूमि उपलब्ध न हो सकने के कारण इस मार्ग का निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका ।

इस मार्ग का निर्माण कार्य किसानों से स्वेच्छा से भूमि प्राप्त हो जाने पर ही कराया जाना सम्भव होगा ।

गोरखपुर जनपद के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जाली राजस्व टिकटों के प्रयोग किये जाने सम्बन्धी लिखाई गयी रिपोर्ट

94–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या गृह मंत्री को यह ज्ञात है कि गोरखपुर जनपद के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (श्री हरिहर शुक्ल) ने 11 मार्च, 85 को कैण्ट थाने में जाली राजस्व टिकटों के प्रयोग किए जाने के संबंधी कोई रिपोर्ट लिखाई थी ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या पता लगाकर तत्काल कार्यवाही कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सत्येन्द्र पुत्र श्री ब्रह्म सिंह द्वारा जनपद मेरठ में बागपत थाने में लिखाई गयी रिपोर्ट तथा उस पर कार्यवाही

95–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि श्री सत्येन्द्र पुत्र श्री ब्रह्म सिंह ने 27-7-87 को मेरठ जनपद के बागपत थाने में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है ? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो क्या पता लगाकर तत्काल अपराधियों को दण्डित करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचनानुसार श्री सत्येन्द्र पुत्र श्री ब्रह्म सिंह, निवासी सरूरपुर कलां, थाना बागपत के प्रार्थना-पत्र दिनांक 27-7-87 के आधार पर थाना बागपत पर अभियोग अपराध संख्या-198 ए/87 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 201, 279 304 ए भा0 दं0 वि0 के अंतर्गत दिनांक 27-7-87 को पंजीकृत हुआ था । प्रश्नगत घटना की जांच अब राज्य अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है । वादी के विवेचक के सामने न आने तथा कोई साक्ष्य अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट के समर्थन में प्रस्तुत न करने के कारण इस अभियोग की विवेचना में कोई उल्लेखनीय प्रगति अभी तक नहीं हो सकी है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की सचिव शाखा में मुख्य प्राविधिक परीक्षक के रिक्त पद पर नियुक्ति

96–श्री राम पाल वर्मा –

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्परीक्षा कोष्ठ, सा0 वि0 सचिव शाखा में सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता ग्रेड-2 व अधिशासी अभियन्ता को तैनात कर सा0 नि0 वि0 के अधिकारियों के कार्यों का प्राविधिक परीक्षण/जांच की जाती है ? यदि हां, तो अक्टूबर, 1986 से रिक्त मुख्य प्राविधिक परीक्षक के पद का अस्थायी चार्ज/नियुक्ति सा0 नि0 वि0 संवर्ग के तकनीकी कोटे के अंतर्गत विशेष सचिव के पद पर तैनात हुए अधिकारी को दिया गया है ? क्या सरकार तत्काल नियमित अधिकारी की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । माह अक्टूबर, 1986 से रिक्त मुख्य प्राविधिक परीक्षक के पद का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा अधिकारी उपलब्ध न कराये जाने के कारण इस विभाग के तकनीकी कोटे के एक विशेष सचिव द्वारा देखा जा रहा है । इस पद पर नियमित अधिकारी की नियुक्ति हेतु सिंचाई विभाग से मुख्य अभियंता ग्रेड-2 के नाम मांगे गये थे किन्तु अपरिहार्य कारणों वश सिंचाई विभाग द्वारा मुख्य अभियंता ग्रेड-2 के पद पर चयन नहीं कराया जा सका और फलस्वरूप उनके द्वारा इस पद पर नियुक्ति

हेतु वहां के ज्येष्ठ अधीक्षक अभियंताओं के नाम अग्रसारित किए गये हैं जिसके आधार पर अधीक्षण अभियंता का चयन कर लिया गया है । उनके अपने विभाग से कार्यमुक्त होकर इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने की प्रतीक्षा है ।

मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय मार्ग) तथा बागपत के समीप (मेरठ) जमुना नदी पर सेतु व गाइड बांध के निर्माण के घोटाले की जांच की मांग

97—श्री रामपाल वर्मा—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय मार्ग) के विरुद्ध तथा बागपत के समीप (मेरठ) जमुना नदी पर सेतु व गाइड बांध के निर्माण के घोटाने एवं भ्रष्टाचार की जांच का प्रकरण सम्परीक्षा कोष्ठ में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो किस संवर्ग के अधिकारी द्वारा जांच कार्य किया जा रहा है क्या सरकार उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर कार्यालय ज्ञाप संख्या 7256 बी एस0/23-सा0 नि0 अनु0-4, दिनांक 1-10-82 के अनुरूप सिंचाई सचिव शाखा में तकनीकी कोटे के अंतर्गत चयनित हुए विशेष सचिव/संयुक्त सचिव को मुख्य प्राविधिक परीक्षक के पद का अस्थायी चार्ज दिलाने की कृपा करेंगे जिससे मुख्य अभियन्ता (राष्ट्रीय मार्ग) व मेरठ में बागपत की समीप जमुना सेतु व अन्य अधिकारियों के घोटाले की निष्पक्ष जांच होकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकें ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय मार्ग) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ में सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये प्राविधिक परीक्षक से कराई जा रही है । बागपत के समीप (मेरठ) जमुना नदी पर सेतु व गाइड बांध के निर्माण के घोटाले एवं भ्रष्टाचार की जांच का प्रकरण प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ को जांच के लिए नहीं सौंपा गया है । इसकी जांच मुख्य अभियंता (मेरठ) को सौंपी गयी है ।

प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ से निष्पक्ष जांच ही सम्पादित की जाती है । जहां तक सिंचाई विभाग से मुख्य प्राविधिक परीक्षक के पद पर नियुक्ति का संबंध है उसके लिये सिंचाई विभाग के चयनित अधिकारी की नियुक्ति के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

रुड़की इंजीनियरिंग कालेज के एम0 ई0 के मेधावी छात्र श्री विश्व जीत पुत्र श्रीमती सीता वर्मा की संदिग्धावस्था में हुई मृत्यु की जांच

98—श्री राज किशोर सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रुड़की इंजीनियरिंग कालेज के एम0 ई0 के मेधावी छात्र श्री विश्वजीत पुत्र श्रीमती सीता वर्मा निवासिनी मुहल्ला अलिंदगंज, थाना कोतवाली जौनपुर जिनका शव दिनांक 24 दिसम्बर, 1986 को रात्रि में रुड़की रेलवे स्टेशन के आउटर सिंगनल के पास संदिग्धावस्था में पाया गया था, की मृत्यु का विवरण शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

प्राप्त विवरण के अनुसार दिनांक 24/25 दिसम्बर, 1986 डाउन होम सिगनल रुड़की के पास पाया गया शव श्री विश्वजीत पुत्र श्रीमती सीता वर्मा प्रधान अध्यापिका गवर्नमेण्ट जी0 जे0 एच0 एस0 ताहीरपुर, जौनपुर का था । मृतक रुड़की इंजीनियरिंग कालेज में बी0 ई0 चतुर्थ वर्ष में पढ़ रहा था । मामले में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

99-100–श्री यदुनाथ सिंह–

[दो विभागों से संबंधिता होने के कारण निरस्त]

आगरा में बाहर से आने वाले अधिकारियों के अस्थायी निवास के लिए निर्मित बहुखण्डीय आफीसर्स होस्टल तथा अधिकारी निवासों के किराए की वसूली न किये जाने का कारण

101–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि उनके विभाग ने आगरा में बाहर से आने वाले अधिकारियों के अस्थायी निवास के लिए एक बहुखंडीय आफीसर्स होस्टल तथा कुछ अधिकारी निवास बनाये हैं ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 178 मुख्य सचिव को ता0 15-4-87 को मिला है ? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? कौन-कौन अधिकारी हैं जिनकी ओर किराया बकाया है ? अधिकारियों के वेतन में से इस किराए की कटौती न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बाहर से आने वाले अधिकारियों के अस्थायी निवास के लिये आगरा में मात्र एक बहुखंडीय आफिसर्स होस्टल है । प्रश्नकर्ता का संदर्भित पत्र मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ है । शासन ने उक्त पत्र पर 28 मई, 1987 को निर्गत पत्र द्वारा जिलाधिकारी आगरा/अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आगरा से विस्तृत आख्या मांगी । जिन अधिकारियों की ओर आगरा के आफिसर्स होस्टल का किराया बकाया है उनकी सूची संलग्न है ।

अवशेष किराये का भुगतान करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित अधिशासी अभियंता ने पहले संबंधित व्यक्तियों को नोटिस/रजिस्टर्ड नोटिस भेजी, फिर जिलाधिकारी आगरा से वसूली कराने हेतु निवेदन किया । कथित प्रक्रिया से वसूली नहीं हो सकी है, अतः अब संबंधित अधिकारियों के वेतन से किराये की बकाया धनराशि की कटौती कराने की कार्यवाही कराई जावेगी ?

(देखिए नत्थी (ख) आगे पृष्ठ 196 पर)

102–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

विकेन्द्रित जिला योजना में भेजी गयी मुरादाबाद जनपद की सड़कों की प्रशासनिक स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा न दिया जाना

103–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 86-87, 87-88 की विकेन्द्रित जिला योजना में भेजी गयी मुरादाबाद जनपद की सड़कों की प्रशासनिक स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा क्यों नहीं दी जा रही है ? यदि दी गयी है तो किन-किन सड़कों को ? यदि नहीं दी गयी, तो किन-किन को तथा कितनी सड़कों पर निर्माण कार्य अब तक आरम्भ कर दिया गया ? यदि कार्य आरम्भ नहीं किया गया तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1986-87 में सभी मार्गों की प्रशासकीय स्वीकृतियां प्रदान की जा चुकी हैं । वर्ष 1987-88 में स्वीकृत 89 कार्यों के समक्ष 35 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है कतिपय तकनीकी प्रक्रिया पूरी न होने के कारण शेष कार्यों की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है ।

(1) वर्ष 86-87 में कुल 74 मार्गों की स्वीकृतियां दी गई हैं । 68 मार्गों पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

(2) वर्ष 87-88 में कुल 89 मार्गों की स्वीकृतियां दी गयी हैं । 34 मार्गों पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

(3) विभिन्न तकनीकी कारणों से शेष मार्गों पर कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका है ।

प्रश्न से संबंधित अन्य सूचना माननीय सदस्य, माननीय राज्य मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में अपनी सुविधानुसार किसी कार्य दिवस में देख सकते हैं ।

मांट तहसील, जनपद मथुरा में पुलिस थाने की स्वीकृति

104–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या गृह मंत्री की जानकारी में है कि मांट तहसील, जनपद मथुरा में मांट में पुलिस थाना स्वीकृत हो गया है ? यदि हां, तो यहां पर थाने का कब से विधिवत कार्य शुरू हो जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

थाना-मांट जनपद मथुरा के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना दिनांक 24-2-88 को जारी कर दी गई है । इसके गजट में प्रकाशित होने पर थाने का विधिवत कार्य शुरू हो जायेगा ।

105–श्री रणजीत तथा

डा0 बंगाली सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

मेरठ जिले में गन्ना विभाग द्वारा निर्मित सड़कें एवं मरम्मत की योजना

106–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले में गन्ना विभाग द्वारा निर्मित कुल कितने कि0 मी0 सड़कें हैं ? क्या यह सही है कि इनमें से 90 प्रतिशत सड़क बिलकुल टूट गयी हैं ? यदि हां, तो इनकी मरम्मत कराने की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मेरठ जिले में गन्ना विकास विभाग द्वारा निर्मित कुल 927.33 किलोमीटर सड़के हैं । लगभग 60 प्रतिशत सड़कों की दशा ठीक नहीं है । धनाभाव के कारण इनके तत्काल मरम्मत की कोई योजना नहीं है ।

झांसी जिले में स्थित गरौठा ककरबाई मार्ग के डामरी करण का समय तथा अवशेष मार्ग के डामरीकरण न कराये जाने के कारण

107–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में स्थित गरौठा ककरबाई मार्ग का डामरीकरण कब कराया गया था तथा ककरबाई के निकट साढ़े तीन कि0 मी0 मार्ग का अब तक डामरीकरण न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी उक्त शेष साढ़े तीन कि0 मी0 मार्ग का डामरीकरण तत्काल कराये जाने के आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गरौठा ककरबाई मार्ग की कुल लम्बाई 14.70 कि0मि0 में से कि0मी0 1 से 11 तक के भाग का डामरीकरण वर्ष 1976-77 में कराया गया था ।

उसके आगे ककरबाई के निकट किमी0 11 से 14.70 (लम्बाई 3.70 किमी0) तक का भाग जो सोलिंग स्तर तक निर्मित था, वर्ष 1983-84 में जिला परिषद् से सा0 नि0 विभाग में हस्तान्तरित होकर आया था जिसका निर्माण इन्टर कोट स्तर तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत सा0 नि0 विभाग द्वारा कराया गया था । अभी इस भाग के डामरीकरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं है । अतः इसके डामरीकरण कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा विधान सभा क्षेत्र मछरेहटा में सहकारी चीनी मिल लगाने हेतु भेजे गये प्रस्ताव पर की गई कार्यवाही

108–श्री राम कृष्ण–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31 मार्च, 1983 को जिलाधिकारी, सीतापुर ने विधान सभा क्षेत्र मछरेहटा में 12.50 टन क्षमता की सहकारी चीनी मिल लगाने हेतु कोई प्रस्ताव शासन को भेजा था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जिलाधिकारी सीतापुर का पत्र दिनांक 31 मार्च, 1983 प्राप्त हुआ था तथा गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश के स्तर पर क्षेत्र का सर्वे आदि की कार्यवाही प्रगति पर थी किन्तु सितम्बर, 1983 में भारत सरकार का पत्र दिनांक 7-9-83 प्राप्त हुआ जिसमें भारत सरकार से यह निर्देश प्राप्त हुये कि चीनी मिलों की स्थापना तथा क्षमता विस्तार के संदर्भ, में भारत सरकार की पुनरीक्षित गाईड लाईन्स विचाराधीन है और जब तक उक्त गार्ड लाइन्स निर्धारित न हो जाय तब तक कोई भी राज्य सरकार उपरोक्त आशय के प्रस्ताव भारत सरकार को न भेजे ।

भारत सरकार के उक्त निर्देश के क्रम में दिनांक 24-9-1984 को जो गाइड लाईन्स प्रकाशित होकर राज्य सरकार को प्राप्त हुयी उसमें यह प्राविधान था कि जिस जनपद में एक भी चीनी मिल पहले से स्थापित होगी वहां के लिये कोई अन्य मिल लगाने का लाइसेन्स स्वीकृत नहीं होगा । इस शर्त के आधार पर औचित्य नहीं बना, क्योंकि जनपद सीतापुर में महोली विसवां, हरगांव महमूदाबाद चीनी मिलें पहले से स्थापित थी ।

पुनः सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में चीनी मिलों की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा जो गाईड लाईन्स बनी उसके अनुसार 2500 टी0 सी0 डी0 के कम क्षमता की चीनी मिल के लिये नया लाइसेन्स स्वीकृत नहीं होगा साथ ही उक्त क्षमता की चीनी मिल के लिये प्रस्तावित स्थल पर गन्ना उपलब्ध होना चाहिये तथा प्रस्तावित स्थल किसी वर्तमान चीनी मिल से 40 कि0 मी0 की दूरी पर होना चाहिये । चूंकि जनपद सीतापुर के मछरहेटा में महोली चीनी मिल की दूरी 31 कि0 मी0, हरगांव 40 कि0 मी0 तथा विसवां 37 कि0 मी0 है । अतः मछरहेटा में चीनी मिल की स्थापना का कोई औचित्य नहीं है ।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए सेतु निगम के प्रबन्धकों द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धकों के पद पर मनमाने ढंग से तैनाती एवं प्रोन्नति

109–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेतु निगम के प्रबन्धकों ने सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी अनेक शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए वर्ष 1983 से अब तक 7 (सात) व्यक्तियों को क्षेत्रीय प्रबन्धक के पदों पर मनमाने ढंग से प्रोन्नति/तैनात कर दिया है जबकि शासनादेशों के अनुरूप सर्वप्रथम इन पदों के सृजन हेतु मंत्रि परिषद् का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए था तथा चयन शासन द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से ही होना चाहिए था? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

वर्ष 1983 से अब तक उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में क्षेत्रीय प्रबन्धक के 6 पदों पर निगम में प्रतिनियुक्ति पर आये सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभीक्षण अभियन्ताओं को वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत तैनात किया गया है । उन्हें कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जा रहा है । निगम में प्रतिनियुक्ति पर आये सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची तय हो जाने के पश्चात नियमानुसार चयन कराया जायगा ।

राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत टेलीफोन अटेन्डेन्ट्स की प्रोन्नति

110—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग में कितने ऐसे टेलीफोन अटेन्डेन्ट कार्यरत हैं जिनकी शैक्षिक योग्यता स्नातक व उससे अधिक है? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि इस प्रकार के शिक्षित अटेन्डेन्ट्स आठ-आठ वर्षों से भी अधिक समय से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में ही कार्य कर रहे हैं और उनकी अभी तक प्रोन्नति नहीं की जा सकी है ? यदि हां, तो प्रोन्नति अब तक न करने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की प्रोन्नति कब तक की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

टेलीफोन अटेन्डेन्ट का पद चतुर्थ श्रेणी का है। कार्यरत 43 टेलीफोन अटेन्डेन्ट में से 10 स्नातक हैं ।

जी हां ।

अब तक तृतीय श्रेणी के रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं थे ।

पद की उपलब्धता के आधार पर चतुर्थ श्रेणी के पात्र कर्मचारियों में से तृतीय श्रेणी में नियमानुसार 15 प्रतिशत पदों पर प्रोन्नति की कार्यवाही की जा रही है ।

गोरखपुर जिला कारागार के जेलर के स्थानान्तरण को बार बार स्थगित करने का कारण

111—श्री हर्ष वर्धन—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का 21 अगस्त, 1987 का पत्र, जो गोरखपुर जिला कारागार के जेलर के विषय में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित बातें क्या हैं तथा सरकार द्वारा उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

उक्त पत्र में जिला कारागार गोरखपुर के जेलर श्री एल0 एन0 सिंह राठौर के स्थानान्तरण को बार-बार निरस्त करने के मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। श्री राठौर की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा उनका स्थानान्तरण निरस्त किया गया था । अगले वार्षिक स्थानान्तरण के समय श्री राठौर के स्थानान्तरण पर विचार कर लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के स्थानान्तरण की शासकीय नीति

112—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कार्यरत पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के स्थानान्तरण की शासकीय नीति क्या है ? निर्धारित मानक के अन्तर्गत एक जनपद में कोई अधिकारी अधिकतम कितने वर्ष तक लगातार रह सकता है ? क्या जनपद गोरखपुर में वर्तमान में सेवारत सभी पी0 सी0 एस0 अधिकारियों पर उक्त मानक लागू किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शासकीय नीति के अनुसार किसी भी जनपद में पी0 सी0 एस0 अधिकारी को 3 वर्ष तक व विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष तक रखा जा सकता है ।

निर्धारित नीति के अन्तर्गत एक जनपद में कोई अधिकारी अधिकतम 5 वर्ष तक लगातार रह सकता है ।

जी हां, जनपद गोरखपुर में केवल एक पी0 सी0 एस0 साधारण वेतनमान के अधिकारी को अपने पद पर कार्य करते हुए जनवरी, 1988 में पांच वर्ष पूरे हो गये हैं अतः उन्हें आगामी वार्षिक स्थानान्तरण के समय अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायगा ।

राज्यसम्पत्ति विभाग के राजकीय अतिथि गृह मीराबाई मार्ग लखनऊ के व्यवस्थाधिकारी के स्थानान्तरण न किये जाने का कारण

113–श्री हर्ष वर्धन–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग में एक ही स्थान पर व्यवस्थाधिकारियों को कितने समय तक रखने का प्राविधान है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि राजकीय अतिथि गृह, मीराबाई मार्ग, लखनऊ के व्यवस्थाधिकारी कब से वर्तमान स्थान पर नियुक्त हैं और क्या अभी भी सरकार का यहीं पर उनको रखने का इरादा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

स्थानान्तरण की सामान्य नीति प्रत्येक वर्ष कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है । सामान्यतया एक स्थान पर तीन वर्ष नियुक्त रखने की व्यवस्था है ।

इस भवन का कार्य वरिष्ठ व्यवस्था अधिकारी द्वारा देखा जा रहा है । यह 1976 से व्यवस्था अधिकारी के रूप में यहां कार्यरत रहे हैं ।

आवश्यकता होने पर किसी अधिकारी को कभी भी स्थानान्तरण किया जा सकता है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति में विलम्ब के कारण

114–श्री हर्ष वर्धन–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत अवर अभियन्ता जो सहायक अभियन्ता के वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, की पदोन्नति सहायक अभियन्ता पद पर कर देने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा उनकी पदोन्नति कब तक कर दी जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सेवा नियम के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्हता प्राप्त अवर अभियंताओं की सहायक अभियंता संवर्ग की स्वीकृत संख्या में, उपलब्ध रिक्तियों की सीमा तक अवर अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति की जाती है । अवर अभियंताओं को समयमान वेतनमान की स्वीकृति तथा पदोन्नति देने के लिए भिन्न-भिन्न निर्धारित अर्हतायें हैं । अतः समयमान वेतनमान प्राप्त समस्त अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति देना सम्भव नहीं है, अतएव इस संबंध में विलम्ब होने का प्रश्न नहीं उठता । इनकी पदोन्नति पर ज्येष्ठता क्रम में रिक्तियां उपलब्ध होने पर पात्रता क्षेत्र में आने वाले अभ्यार्थियों के बारे में ही यथासमय विचार किया जावेगा । इसके लिये कोई समय-सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

जनपद फैजाबाद में भीटी थाने क्षेत्र में बढ़ रहे अपराधों के बारे में जिलाधिकारी, फैजाबाद को भेजे गये पत्रों पर कार्यवाही

115—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में भीटी थाने क्षेत्र में बढ़ रहे अपराधों के बारे में श्री इन्द्र दव तिवारी प्रधान, गांव सभा रघू पट्टी, थाना भीटी, जनपद फैजाबाद का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3-11-87 के साथ जिलाधिकारी, फैजाबाद को मिल गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां ।

प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ प्राप्त श्री इन्द्र देव तिवारी के प्रार्थना पत्र की जांच कराई गई । जांच से यह स्पष्ट हुआ कि संदर्भित प्रार्थना पत्र में उल्लिखित चोरी की घटना जिसकी सूचना श्री इन्द्रदेव तिवारी द्वारा दिनांक 13-10-87 को दी गई थी, के संबंध में थाना भीटी पर मुकदमा पंजीकृत कर उसकी विवेचना की गई और विवेचना के उपरान्त जो भी तथ्य पाये गये उसके अनुसार की गई । जांच से इस आरोप की अभिलेखों से पुष्टि नहीं हुई कि प्रार्थी के गांव में अन्य भी चोरियां हुई, जिन पर कार्यवाही नहीं की गयी।

नानपारा, जिला बहराइच में तस्करी के सामान सहित पकड़ी गयी जीप तथा उस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही

116—श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7-1-86 को जीप नं0 एम0 आर0 पी0 378 नानपारा, जि0 बहराइच में तस्करी के सामान सहित पकड़ी गयी थी? यदि हां, तो जीप में कौन-कौन सवार थे तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस उपाधीक्षक (निलम्बित) श्री शोरेलाल द्वारा दिया गया स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति हेतु आवेदन पत्र तथा उस पर की गई कार्यवाही

117—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस उपाधीक्षक (श्री शोरेवाल) ने वर्ष मई, 77 में गृह सचिव को एक ग्रीवेंस पिटीशन देकर सशर्त रिटायरमेंट मांगा था? यदि हां, तो उनकी ग्रीवान्सेस क्या थीं तथा क्या रिटायरमेंट दे दिया गया है? यदि हां, तो रिटायरमेंट का नोटीफिकेशन कब किया गया तथा उक्त नोटीफिकेशन को राजपत्र में किस तिथि को प्रकाशित किया गया? क्या सरकार नोटीफिकेशन तथा गजट नोटीफिकेशन की एक प्रति भी देने की कृपा करेगी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (निलम्बित) श्री शारेवाल ने दिनांक 16 मई, 1977 को शासन को एक आवेदन पत्र स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने शर्त रखी थी कि उन्हें मई, 1973 से पुलिस अधीक्षक मानते हुए समस्त लाभ प्रदान किये जायें और यदि दिनांक 17 मई, 1977 के पूर्वाह्न से उन्हें सेवा-निवृत्त किए जाने के आदेश प्राप्त नहीं हुए तो वह मान लेंगे कि उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है और वे अपना नौमिनेसन फाइल कर देंगे।

श्री शारेवाल के उक्त आवेदन पत्र पर शासन ने उनको दिनांक 17 मई, 1977 के अपराह्न से सरकारी सेवा से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति यह सुस्पष्ट करते हुए प्रदान की कि शासन को उनके आवेदन पत्र में निहित शर्तें मंजूर नहीं हैं।

शासन के उपर्युक्त आदेशों को गजट में नोटिफाई करने की नियमतः आवश्यकता नहीं थी। अतः उसको प्रकाशित नहीं किया और इस कारण उसकी प्रति देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शारेवाल ने शासन के उक्त आदेशों को दिनांक 18 मई, 1977 के पूर्वाह्न 10 बजे प्राप्त किया था।

जिला सीतापुर, सशस्त्र पुलिस में इंटरमीडिएट तथा उससे ऊपर योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को नागरिक पुलिस में स्थानान्तरण की मांग

118–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सीतापुर सशस्त्र पुलिस में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनकी शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा उससे अधिक है? इन्हें अब तक नागरिक पुलिस में स्थानान्तरित न करने का क्या कारण है? क्या यह सत्य है कि नियमानुसार सशस्त्र पुलिस में कार्यरत सभी जवानों को जिनकी शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा उसके ऊपर है उन्हें नागरिक पुलिस में भेजे जाने की व्यवस्था है? इन्हें कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

119–डा0 दिनेश जौहरी–

[उसे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 132 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विद्युत/यांत्रिक सा0 नि0 वि0 आजमगढ़ के प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती पत्र तथा उस पर की गई कार्यवाही

120–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत/यांत्रिक सा0 नि0 वि0 आजमगढ़ के प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध बस्ती जिले को आवंटित मोटरबोट का रख-रखाव न करने तथा पंखे आदि के खरीदारी में अनियमिततायें बरतने सम्बन्धी कोई शिकायती पत्र मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन को 8 जुलाई, 87 को प्राप्त हुआ है जिसकी प्राप्ति रसीद अर्ध0 शा0 पत्र सं0–239/पी0 एस0 एम0 एस0/सचिवालय

एम0 एल0 सी0 एनेक्सी भवन 16 जुलाई, 1987 के द्वारा सचिव, सा0 नि0 वि0 को भेजी गई है? यदि हां, तो उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या पूरे प्रकरण की जांच कराकर सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, शिकायती तत्र दिनांक 8 जुलाई, 1987 प्राप्त हुआ है जिसकी जांच कराकर आख्या भेजने के लिए आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री राम कृष्ण पुत्र श्री महादेव निवासी ग्राम-कुटी मटियारी कलां, थाना जगदीशपुर, जनपद सुल्तानपुर में पड़ी डकैती तथा उस पर की गई कार्यवाही

121–श्री बैजनाथ–

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 24/25 अक्तूबर, 1987 को श्री राम कृष्ण पुत्र श्री महादेव निवासी ग्राम–कुटी मटियारी कलां, थाना जगदीशपुर, जनपद सुल्तानपुर के घर में भीषण डकैती की घटना हुई है जिसे पुलिस ने धारा 459 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत ही दर्ज करके अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किया? क्या सरकार उक्त मुकदमें को डकैती में तरमीम करके प्रभावी कार्यवाही करने के आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

झांसी जिले की गुरुसहाय नगर पालिका में सौर ऊर्जा योजना के तहत विकास कार्य

122–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि झांसी जिले की गुरुसराय नगरपालिका में सौर ऊर्जा योजना के तहत विकास कार्य कराया जाना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह योजना गुरुसराय में कब तक प्रारम्भ कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्या शासन गुरुसराय के पिछड़ेपन को देखते हुए तत्काल धन आवंटित कर यह योजना प्रारम्भ करने के आदेश करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती दीपा–

झांसी जिले की गुरुसराय नगरपालिका में संयंत्रों की स्थापना के लिए सर्वेक्षण कार्य आरम्भ कर दिया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर संयंत्रों की किस्म व संख्या का निर्धारण करके कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

123–श्री यदुनाथ सिंह–

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

लखनऊ में सहायक आयुक्त (शासकीय) बिक्रीकर कार्यालय में किया गया आडिट

124–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ में सहायक आयुक्त (शासकीय) बिक्रीकर के कार्यालय का ता0 13-10-86 से 15-10-86 तक की अवधि में किये गये आडिट में मुख्य-मुख्य क्या आपत्तियां पायी गयीं? क्या सभी आपत्तियों का निराकरण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के सम्परीक्षा दल द्वारा दिनांक 13-10-86 से 15-10-86 तक सहायक आयुक्त (शा0) बिक्रीकर के कार्यालय की जुलाई, 82 से सितम्बर, 86 तक की व्यय लेखासंपरीक्षा सम्पादित की गई है जिसमें कोई मुख्य आपत्ति नहीं पाई गयी है। अतः उसके निवारण का प्रश्न ही नहीं उठता। केवल टैस्ट आडिट नोट में सामान्य तौर पर तीन आपत्तियां उठाई गई हैं :–

1–कैश बुक के रख-रखाव में सुझाव।

2–स्टोर का भौतिक सत्यापन।

3–विद्युत बिल के साथ विद्युत कर के भुगतान की वापसी का सुझाव।

उपर्युक्त टेस्ट आडिट की आपत्तियों का अनुपालन सहायक आयुक्त (शा0) बिक्रीकर, लखनऊ के पत्र सं0–लेखा–अनुभाग-3640 दिनांक 24-2-87 द्वारा महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजा जा चुका है। महालेखाकार का अंतिम निर्णय अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है तथा विद्युत कर के समायोजन/वापसी हेतु विद्युत विभाग के सहायक आयुक्त (शा0) के पत्र सं0 175 दिनांक 10-4-87 व पत्र सं0–1223 दिनांक 8-6-87 द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

125–श्री यदुनाथ सिंह–

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के विरुद्ध जांच एवं जांच रपट का परिणाम

126–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच अध्यक्ष, राजस्व परिषद् कर रहे हैं और इस संबंध में सदस्य, विधान परिषद्, खान अब्दुल बद्दू खां का पत्र सं0 598 मुख्य सचिव को ता0 4-11-87 को मिला है? यदि हां, तो मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे। कि जांच रपट का क्या परिणाम रहा? उक्त अधिकारी किन-किन मामलों में दोषी पाये गये? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के तत्कालीन उपाध्यक्ष के विरुद्ध अध्यक्ष राजस्व परिषद् उ0 प्र0 की जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गई है जिसके आधार पर कतिपय बिन्दुओं पर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता है तब तक कोई विवरण दिया जाना उचित नहीं होगा।

आयुक्त, बिक्रीकर के लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के निरीक्षण में प्राप्त टूटी कुर्सियों की मरम्मत की कार्यवाही

127–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान आयुक्त, बिक्रीकर ने लखनऊ के बिक्रीकर कार्यालय का निरीक्षण ता0 3-12-87 को किया था? क्या यह सही है कि कार्यालय में टूटी कुर्सियां हैं? यदि हां, तो इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 398 सचिव, संस्थागत वित्त को ता0 2-7-87 को मिला है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। आयुक्त, बिक्रीकर ता0 3-12-87 को मंडल कार्यालय लखनऊ में कम्प्यूटर के संबंध में एक मीटिंग में भाग लेने गये थे।

कार्यालय में निरन्तर उपयोग के कारण कुर्सियों का टूटना अवश्यसंभावी है। टूटी कुर्सियों की मरम्मत करा दी गयी है ।

जी हां। मा0 सदस्य द्वारा आगन्तुकों के प्रयोग हेतु कुछ अतिरिक्त कुर्सी व पंखा की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है। सुझावानुसार कार्यवाही धन की अनुपलब्धता के कारण तत्काल संभव नहीं है। धन की मांग वित्त विभाग से की गयी है।

मथुरा जनपद में वृन्दावन पर जमुना नदी के पुल निर्माण पर शासन का विचार

128–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में वृन्दावन पर जमुना नदी के पुल निर्माण पर शासन विचार कर रहा है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्न नहीं उठता।

फिलहाल सीमित संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है।

थाना नौहझील, जनपद मथुरा में श्री मोतीलाल अग्रवाल नि0 नौहझील द्वारा निवर्तमान बी0 डी0 ओ0 नौहझील व अन्य के विरुद्ध लिखाई गई रिपोर्ट व कार्यवाही

129–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 10-2-87 को थाना नौहझील, जनपद मथुरा में श्री मोती लाल अग्रवाल नि0 नौहझील ने निवर्तमान बी0 डी0 ओ0 नौहझील व अन्य के विरुद्ध एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत बांटने वाले गेहूं को वास्तविक लाभार्थियों को न बांट कर बाजार में बेचने के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखायी थी? यदि हां, तो इससे संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मोती लाल अग्रवाल की इस रिपोर्ट के आधार पर थाना नौहझील पर अ0 सं0–13/87 धारा 421 भा0 द0 वि0 व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम पंजीकृत किया गया। इस अभियोग की विवेचना अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है। वर्तमान में शेष का प्रश्न नहीं उठता।

130–श्री कुशल पाल सिंह–

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

मथुरा जनपद में बिक्रीकर की वसूली, गिरफ्तारियां तथा अवशेष धनराशि

131—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में वर्ष 1978 में बिक्रीकर की वसूली की कितनी धनराशि शेष थी और इसकी वसूली के लिए कोई गिरफ्तारियां की गयी? यदि हां, तो कितनी? यदि नहीं, तो क्यों? 1987-88 में अब तक कितनी धनराशि वसूली के लिए शेष है और इस धनराशि के लिए कोई गिरफ्तारी की गयी? यदि हां, तो कितनी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मथुरा जनपद में वर्ष 1978 में बिक्रीकर की वसूली हेतु 10,55,242·00 शेष थी। उस वर्ष बिक्रीकर वसूली के लिए 12 गिरफ्तारियां हुईं। अब 1987 में वसूली के लिए 1597457·00 रुपया की धनराशि शेष है तथा वसूली हेतु इस वर्ष 13 गिरफ्तारियां की गई हैं।

132—श्री राज किशोर सिंह—

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

133—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह—

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मया में सरयू नदी के तट पर स्थित शेरवा घाट पर पीपे का पुल निर्माण कर जनपद बस्ती से जोड़ने की योजना

134—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मया में सरयू नदी के तट पर स्थित शेरवा घाट पर पीपे का पुल निर्मित करके जनपद फैजाबाद के इस अंचल को जनपद बस्ती से सीधे जोड़ने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? क्या यह सही है कि संबंधित जनपदों की स्थानीय जनता द्वारा इस बात की मांग बराबर की जा रही है कि बस्ती जिला मुख्यालय को फैजाबाद की गोसाईगंज तथा भीटी बाजारों से होते हुए सुल्तानपुर जनपद के मुख्यालय से सीधे जोड़ा जा सके और इन क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो सके? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

फिलहाल प्रश्नगत पान्टून पुल के निर्माण की कोई योजना नहीं है। प्रश्नगत पान्टून पुल का कार्य जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत आता है, जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

135—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह—

[4थे मंगलवार के लिए स्थगित]

विधान सभा

जिलाधिकारी फैजाबाद को 20 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन तथा उस पर आवश्यक कार्यवाही की मांग

136—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25-9-87 को जिलाधिकारी फैजाबाद को एक पत्र लिखकर 20 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन दिया था और उस पर 2 अक्टूबर, 1987 तक आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और उक्त ज्ञापन में गृह विभाग से संबंधित मांगों पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है और मामले की गम्भीरता को देखते हुये सारे प्रकरण की उच्चस्तरीय खुफिया जांच कराने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ के प्रान्तीय खण्ड में निर्माण कार्य में हुए व्यय का विवरण

137—श्री विष्णु देव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के प्रान्तीय खण्ड में वर्ष 1985-86 में कौन-कौन से निर्माण कार्य हुये ? उन पर अलग-अलग कितना-कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत खण्ड द्वारा वर्ष 1985-86 में कराये गये कार्यों आदि के पूर्ण विवरण की सूची माननीय राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है जिसे माननीय सदस्य किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में देख सकते हैं ।

जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड दोहरी घाट के ग्राम पतजीवा को घोषित नीति के बावजूद मुख्य मार्ग से न जोड़े जाने का कारण

138—श्री विष्णु देव

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि 1500 से अधिक जनसंख्या के ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ने की उनकी घोषित नीति के बावजूद अब तक जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड दोहरीघाट का ग्राम पतजीवा जिसकी जनसंख्या इस समय करीब 2400 है अब तक मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ पाया है? यदि हां, तो यह ग्राम कब तक मुख्य मार्ग से जुड़ सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत ग्राम की आबादी वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार 1500 से कम है, अतः यह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आता है।

फिलहाल सम्भव नहीं है, प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में मदुली घाट अप्रोच के लिए व्यय का विवरण

139—श्री विष्णु देव—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ में मदुली घाट अप्रोच के लिये कितने का इस्टीमेट था, कितना अब तक व्यय हुआ और कितना अभी व्यय होने की योजना है? कार्य कब तक सम्पन्न हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत पहुंच मार्ग की आगणित लागत 41.00 लाख रु0 है।

अब तक 27.48 लाख रु0 व्यय हो चुका है।

आगणित लागत की शेष धनराशि (13.52 लाख रु0) सुरक्षात्मक कार्यों पर व्यय होने की सम्भावना है।

पहुंच मार्ग 5/87 में द्वितीय सतह लेपन स्तर तक पूर्ण करके पुल को दिनांक 2-6-87 से यातायात के लिये खोल दिया गया है।

जनपद आजमगढ़ के डिवीजनों में सिंगल टेन्डरों के स्थान ओपेन टेन्डर मांगे जाने से हुए धन के दुरुपयोग की जांच

140—श्री विष्णु देव—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री को जानकारी है कि अगस्त, 1985 के पूर्व जनपद आजमगढ़ के तीनों डिवीजनों में सिंगल टेण्डर मंजूर होता था तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन भी नहीं दिया जाता था और अब ओपेन टेन्डर हो रहा है तथा अगस्त, 1985 के पूर्व रेट 5 से 10 फीसदी ऊपर दिये गये और अब शिड्यूल के रेट 5 फीसदी कम है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर सरकारी धन के दुरुपयोग के लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । कुछ मामलों में सिंगल टेण्डर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार किये गये हैं । कुछ मामलों में समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया है तथा अन्य मामलों में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अनुच्छेद 360 में दिये गये अन्य विकल्पों को व्यापक प्रचार हेतु अपनाया गया है। टेण्डर का सर्वदा प्रचार होता रहा है कुछ मामलों में शेड्यूल दर से अधिक दर पर दिये गये हैं, जिसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी है। अब भी शेड्यूल के रेट कम नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस स्टेशन पर शिकायत पेटिकायें तथा उन्नाव में शिकायत पेटिकाओं के आधार पर दर्ज रिपोर्ट

141—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1987 में प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर शिकायत पेटिकाएं टांगने का आदेश किया गया था ? यदि हां, तो उन्नाव जिले में कितनी रिपोर्ट पेटिकाओं के आधार पर दर्ज हुई हैं ? मंत्री जी क्या यह भी जानकारी देंगे कि पेटिका टांगने के बाद से उन्नाव जिले में कुल कितने प्रार्थना-पत्र पेटिकाओं से मिले हैं ? प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है? पेटिकाए माह में कितनी बार खोली गई हैं?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार उन्नाव जिलें के समस्त थानों पर शिकायत पेटिकायें टांगी गई । शिकायत पेटिकाओं के माध्यम से कोई भी रिपोर्ट अंकित नहीं हुई क्योंकि शिकायत पेटिकाओं से कोई भी प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ । शिकायत पेटिकाएं माह में चार बार खोली जाती हैं ।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् की विगत वर्षों में हुई बैठकों की संख्या

142—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् की विगत तीन वर्षों में कितनी बैठकें हुई हैं ? क्या इस सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-7-87 सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद् को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् की विगत तीन वर्षों में तीन बैठक हुई है।

प्रश्नकर्ता को परिषद् की बैठक दिनांक 23-1-88 में भाग लेने हेतु आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया था ।

श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री लालबाबू वर्मा की आसीम मैटरनिटी नर्सिंग होम, सहादतपुरा मऊनाथ भंजन, जनपद आजमगढ़ में रक्तस्राव के कारण हुई मृत्यु की जांच

143—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती राजकुमारी पत्नी लालबाबू वर्मा की जुड़वा बच्चियों के पैदा होने के कारण अत्यधिक रक्तश्राव से दिनांक 29-10-86 को आसीम मैटरनिटी नर्सिंग होम सहादत पुरा मऊनाथ भंजन, जनपद आजमगढ़ में मृत्यु हो गयी ? क्या इस सन्दर्भ में मृतक के मायके वालों के तरफ से दहेज अधिनियम के अन्तर्गत थाना सलेमपुर, जनपद देवरिया में प्रथम सूचना अंकित

करायी गयी, जिसे वहां से अन्तरित कर मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ में अपराध संख्या–355/86 अन्तर्गत धारा 458-ए-302/201 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया ? क्या इस सन्दर्भ में उ0 प्र0 शासन के संयुक्त सचिव, गृह के पत्र सं0-69/1-/87 गो0 दिनांक 5-2-87 द्वारा अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या है और तद्नुसार क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या इस सन्दर्भ में अपराध अनुसंधान के जांच के बाद पुनः आजमगढ़ पुलिस द्वारा जांच की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

जी नहीं, बल्कि शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अपराध शाखा द्वारा मात्र चेकअप कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे ।

अपराध शाखा द्वारा चेकअप से हत्या के आरोप की पुष्टि नहीं हुई, परन्तु अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि चूंकि मृत्यु विवाह के तीन वर्ष के भीतर हुई है, अतः दहेज की मांग के आरोप की गहराई से जांच की जानी चाहिए । इस प्रकरण की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा किये जाने के आदेश दिनांक 8-1-88 को निर्गत किये जा चुके हैं। अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग की जांच के आदेश होने के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा जांच नहीं की जा रही है ।

उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम, लखनऊ स्थित फैब्रिकेशन इकाई में ओवरटाइम का भुगतान

144–श्री राम सागर राव–

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम की लखनऊ स्थित फैब्रिकेशन इकाई में अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1987 एवं जनवरी, 1988 माह में कुल कितना ओवर टाइम का भुगतान किया गया ? क्या किसी श्रमिक को एक माह में 56 घंटे से अधिक भी ओवर टाइम भुगतान किया गया ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को और किस आधार पर ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

लखनऊ स्थित फैब्रीकेशन इकाई में अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1987 एवं जनवरी, 1988 माह में क्रमशः रु0 21,034.30, रु0 58,277.05, रु0 61,026.20 एवं रु0 34,980.75 के ओवर टाइम का भुगतान किया गया ।

जी हां ।

माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1987 तथा माह जनवरी, 1988 में क्रमशः 6, 85, 90 तथा 32 कर्मचारियों को एक घंटे ओवर टाइम कार्य करने पर 2 घंटे की मजदूरी के बराबर भुगतान किये जाने के आधार पर भुगतान किया गया है।

उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम स्थित सेतु निर्माण इकाई–2 की फैब्रीकेशन कार्यशाला में इन्सेंटिव के नाम से भुगतान

145–श्री राम सागर राव–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम लखनऊ स्थित सेतु निर्माण इकाई नं0-2 की फैबीकेशन कार्यशाला में इन्सेंटिव के नाम से कोई भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से तथा विगत तीन वर्षों से मजदूरी व वेतन के अलावा इन्सेंटिव के रूप में कुल कितना भुगतान किया गया है तथा इस भुगतान का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 सेतु निगम में डेमरेज भुगतान के आदेश देने के सक्षम अधिकारी व विगत वर्षों में डेमरेज के किये गये भुगतान

146–श्री राम सागर राव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेतु निगम में डेमरेज भुगतान के आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है ? निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में डेमरेज के रूप में कितने भुगतान किये गये हैं और इसका विवरण क्या है तथा इसके भुगतान का आदेश समय-समय पर किसी अधिकारी द्वारा दिया जाता रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में डेमरेज भुगतान के आदेश देने के लिए प्रबन्ध निदेशक सक्षम प्राधिकारी हैं।

निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में डेमरेज के रूप में कोई भुगतान नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जनपद के थाना कालिंजर के ग्राम सढा के मजरा धनेश्वर पुरवा के कतिपय निवासियों का अराजक तत्वों द्वारा रास्ता बन्द करने की शिकायत

147–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 26-8-87 का पत्रांक संख्या ग, 013460 बांदा जनपद के थाना कालिंजर के ग्राम सढा के मजरा धनेश्वर-पुरवा के श्री भज्जा व श्री चन्द्रपाल पुत्र श्री रज्जू व श्री राम नारायण के पत्र के साथ जो कुछ अराजक तत्वों द्वारा रास्ता में गिट्टी डालकर रास्ता बन्द कराने के संबंध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां । प्राप्त सूचनानुसार प्रार्थीगण तथा प्रतिपक्षीगण जागेश्वर व रामसिया के खेत पास-पास हैं इसलिए दोनों पक्ष रास्ते को बन्द करने का एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं ।

प्रकरण भूमि विवाद संबंधी है। विवादित भूमि की नाप करवाकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी को सम्बोधित किया गया है।

श्री सिकदार हरिजन ग्राम सेमरिया गिरदहा थाना अतर्रा जनपद बांदा द्वारा मुकदमा तथा उस पर हुई कार्यवाही

148–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सिकदार हरिजन ग्राम सेमरिया गिरदहा थाना अतर्रा जनपद बांदा ने अतर्रा थाने में दिनांक 17 अथवा 18 फरवरी , 85 को धारा 396 आई0 पी0 सी0 के तहत कोई मुकदमा दर्ज कराया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह सही है कि उपरोक्त मामले को सी0 आई0 डी0 को सौंपा गया था ? यदि हां, तो सी0 आई0 डी0 ने अभी तक क्या जांच की और उसमें कौन-कौन से व्यक्ति दोषी पाये गये ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सिकदार निवासी कोरियन पुरवा मजरा सिमरिया गिरदहा थाना अतर्रा जनपद बांदा की लिखित सूचना पर दिनांक 18-2-85 को थाना अतर्रा पर अभियोग अ0 सं0 36/85 धारा 396 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ । उक्त अभियोग की प्रारम्भिक विवेचना थानाध्यक्ष अतर्रा श्री वंशराज सिंह ने प्रारम्भ की और उनके स्थानान्तरण के फलस्वरूप विवेचना श्री देव चन्द्र श्रीवास्तव के सुपुर्द हुई ।

उक्त घटना के संबंध में श्री बाबू राम कबीर पुत्र सिकदार लाइनमैन बिजली विभाग, नरैनी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपी गयी । जांच से प्रार्थना-पत्र में निम्न तीन आरोप लगाया जाना पाया गया:–

1– दिनांक 17/18-2-85 की रात प्रार्थी के घर पड़ी डकैती में उसका भाई राम सजीवल मारा गया, जिसमें स्थानीय पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

2–घटना के कुछ दिन पश्चात सुंदर पुत्र राम सनेही काछी के घर मृतक की लाठी देखी गयी थी । सूचना देने पर भी स्थानीय पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की ।

3– प्रार्थी हरिजन है और आये दिन बदमाशों द्वारा सताया व धमकाया जा रहा है परन्तु स्थानीय पुलिस उसकी सुरक्षा नहीं कर रही है ।

जांच से पाया गया कि प्रथम आरोप के संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा 4 अभियुक्त प्रकाश में लाये गये , जिन में से तीन की शिनाख्त न होने के कारण धारा 169 दं0 प्र0 सं0 के अंतर्गत मुक्त किया गया गया । साक्ष्य के अभाव में किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना संभव नही हो सका । अतः विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गयी । शेष आरोप भी साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित होना नहीं पाये गये ।

जांच में अपराध शाखा द्वारा श्री आर0 पी0 एस0 यादव क्षेत्राधिकारी नरैनी बांदा को चेतावनी, उ0 नि0 वंशराज सिंह, वी0 पी0 श्रीवास्तव तथा का0 मूलचन्द्र राठौर द्वारा बरती गयी लापरवाही हेतु उन्हें दुश्चरित्र लेख प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी।

जनपद बुलन्दशहर में स्टोन बैलास्ट स्तर तक सा0 नि0 विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की लम्बाई व मार्गों को पेंटिंग स्तर तक निर्माण करने हेतु मांग

149—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा दिनांक 31-10-87 तक कितने कि0 मी0 सड़कों का निर्माण जनपद बुलन्दशहर में हुआ है? जो स्टोन बैलेस्ट स्तर तक ही सीमित है ? क्या उपरोक्त सड़कों से किसानों को जो कष्ट हो रहा है उसे दूर करने हेतु जनपद के उपरोक्त मार्गों को पेंटिंग स्तर तक निर्माण करने हेतु इस वर्ष एक विकासशील योजना स्वीकृत करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद बुलन्दशहर में स्टोन बैलास्ट स्तर तक सा0 नि0 विभाग द्वारा दिनांक 31-10-87 तक निर्मित मार्गों की कुल लम्बाई 109 कि0 मी0 है ।

वर्ष 1987-88 की जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत शासनादेश सं0-190ई/23-सा0 नि0 अनु0—11—75ई/87, दिनांक 13-1-88 द्वारा एक योजना स्वीकृत की जा चुकी है जिसमें बुलन्दशहर जनपद में 50.10 कि0 मी0 लम्बे विभिन्न मार्गों को खड़ंजा से लेपन स्तर तक निर्मित किया जाना है । शेष लम्बाई में अभी कार्य स्वीकृत नहीं है ।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा "स्वतंत्र भारत" समाचार पत्र में रिक्त पदों सम्बन्धी विज्ञापन में पिछड़ी जाति का आरक्षण न दर्शाया जाना

150—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सा0 वि0वि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि 16 अक्टूबर, 87 में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा "स्वतंत्र भारत" समाचार पत्र में विभाग के रिक्त पदों सम्बंधी विज्ञापन दिया गया था ? विज्ञापन में पिछड़ी जाति का आरक्षण नहीं दर्शाया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

त्रुटिवश विज्ञापन में पिछड़ी जाति का आरक्षण नहीं दर्शाया गया था परन्तु शासनादेशानुसार पिछड़ी जाति के आरक्षण की भी व्यवस्था है ।

गोरखपुर जनपद के चेहरी व बागापार फार्म की गणेश शुगर मिल्स में आपूर्ति

151—श्री हर्ष वर्धन—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के चेहरी व बागापार फार्म गन्ने के सुरक्षित क्षेत्र में हैं ? यदि हां, तो किस नियम के अनुसार उक्त फार्म से गन्ने की गणेश शुगर मिल्स में सीधी आपूर्ति होती है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

मा0 उच्च न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश के अनुपालन में उक्त फार्मों के गन्ने की गणेश शुगर मिल्स में सीधी आपूर्ति होती है ।

जनपद बाराबंकी थाना कोठी के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती पत्र व उस पर कार्यवाही

152—श्री राम सागर—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी थाना कोठी के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता की ओर से दिनांक 9-4-87 को मा0 मुख्य मंत्री तथा गृह सचिव को भेजा गया था ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी से करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी नहीं शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

थाना भोगनीपुर जिला कानपुर देहात में अंकित अपराध तथा अभियुक्त

153—श्री अचल सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना भोगनीपुर जिला कानपुर देहात में अपराध संख्या 10/82 धारा 395/397 आई0 पी0 सी0 तथा अपराध संख्या 359 ए/83 धारा 307 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत कायम हुये थे? यदि हां, तो दोनों अपराधों में कौन-कौन अभियुक्त थे तथा उनमें से कौन-कौन अभियुक्त गिरफ्तार किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां। अपराध सं0 10/82 धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 में निम्नलिखित अभियुक्त नामजद थे :—

1—प्रेम नाथ
2—प्रयाग नरायन तिवारी
3—विनोद कुमार तिवारी
4—छोटे लाल मिश्र
5—माना मिश्र
6—शिव प्रसाद मिश्र

अपराध संख्या 359 ए/83 धारा 307 भा0 दं0 वि0 में निम्न अभियुक्त नामजद किए गए थे:-

1-राज बहादुर
2-शिवदत्त
3-विनोद कुमार
4-राम स्वरूप

अपराध सं0 10/82 धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 की विवेचना के दौरान अपराध का होना नहीं पाया गया। अतः अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। अपराध सं0 359 ए/83 की विवेचना के दौरान मामला साधारण मारपीट का पाया गया तथा दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया था। अतः इस मामले में भी अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। दोनों अभियोगों में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया।

युवा लोकदल के क्षेत्रीय महामंत्री श्री अमर सिंह की हत्या की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना भोगनीपुर जिला कानपुर देहात में न दर्ज किये जाने पर कार्यवाही

154-श्री अचल सिंह-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि युवा लोकदल के क्षेत्रीय महामंत्री श्री अमर सिंह की हत्या की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 20-12-86 को थाना भोगनीपुर जिला कानपुर देहात में दर्ज न किये जाने के विरोध में रास्ता जाम किया गया था, जिस पर एस0 पी0 कानपुर देहात ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सी0 ओ0 कानपुर भोगनीपुर द्वारा करायी गयी थी? यदि हां, तो उस रिपोर्ट के आधार पर कौन पुलिसकर्मी दोषी पाये गये तथा उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित-

जी नहीं। प्रश्नगत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के प्रश्न पर रास्ता जाम नहीं किया गया था। प्रश्न में उल्लिखित रास्ता जाम मृतक के सिर की बरामदगी हेतु आयोजित किया गया था। पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात द्वारा करायी गयी जांच से कोई पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया।

ग्राम हराहरा थाना भोगनीपुर जिला कानपुर देहात में घटी घटना की रिपोर्ट व उस पर कार्यवाही

155-श्री अचल सिंह-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हराहरा थाना भोगनीपुर जिला कानपुर देहात में दिनांक 6-1-86 को घटी घटना की रिपोर्ट के अनुसार थाने में अपराध संख्या 11/86 में धारा 147/148/149/307 धारा 25 आर्म्स एक्ट एवं 427 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत अपराध कायम हुआ था? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से अभियुक्त थे तथा उनमें से कितने लोग गिरफ्तार किये गये? यदि नहीं, तो क्यों? इस अपराध में कितने गवाहों ने सी0 जे0 एम0 कानपुर देहात की अदालत में शपथ पत्र दाखिल किये थे तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार न करने के क्या कारण हैं?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

प्राप्त सूचनानुसार उक्त अभियोग में राम स्वरूप पुत्र देवी दयाल, विनोद कुमार पुत्र राम स्वरूप, गोपालनाथ, प्रेमनाथ, सिद्धनाथ, अमरनाथ, शिव स्वरूप उर्फ पी0 एन0 तिवारी पुत्रगण देवीदयाल एवं प्रकाश नरायन पुत्र प्रभू दयाल निवासीगण ग्राम हरहरा, थाना भोगनीपुर, जिला कानपुर देहात नामांकित अभियुक्त थे। विवेचना से उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं की गयी। साक्ष्य के अभाव में अभियोग में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। पुलिस अभिलेखों के अनुसार प्रश्नगत अभियोग में किसी भी गवाह द्वारा शपथ पत्र दाखिल करने की पुष्टि नहीं हुई।

भारतीय पुलिस सेवा (आई0 पी0 एस0) के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारियों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अधिकारियों की संख्या

156–श्री राम सागर–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारतीय पुलिस सेवा (आई0 पी0 एस0) के उत्तर प्रदेश कैडर के कुल कितने अधिकारी उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं? उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने अधिकारी हैं? क्या उनके नाम तथा तैनाती का विवरण देने का कष्ट करेंगे?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश के कैडर की अधिकृत संख्या–405 है इसके विरुद्ध 1 मार्च, 1988 को 309 अधिकारी उपलब्ध थे। 309 अधिकारियों में से 59 अधिकारी भारत सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर हैं। 309 अधिकारियों में अनुसूचित जाति के कुल अधिकारियों की संख्या–50 तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की कुल संख्या–5 है। अनुसूचित जाति का एक अधिकारी तथा अनुसूचित जनजाति के दो अधिकारी भारत सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर हैं। इस प्रकार राज्य सरकार के अधीन अनुसूचित जाति के 49 तथा अनुसूचित जनजाति के 3 अधिकारी कार्यरत हैं जिनके नामों व तैनाती के विवरण संलग्नक में दिये गये हैं।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 197 पर)

श्री सूर्य नारायण सिंह कमाण्डेन्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्ड अयोध्या फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र तथा कार्यवाही

157–श्री मित्रसेन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सूर्य नारायण सिंह कमाण्डेन्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्ड अयोध्या फैजाबाद के विरुद्ध श्री एस0 एन0 बागी जिला संयोजक एवं सदस्य राज्य कार्यकारिणी आल इण्डिया स्टूडेन्ट्स फेडरेशन उ0 प्र0 के शिकायती पत्र के संबंध में मुख्य मंत्री को संबोधित संलग्नकों सहित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 14 अक्तूबर, 1986 के क्रम में संयुक्त सचिव मुख्य मंत्री द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर संख्या सी0 एम0 वी0 का0/एम0 2/30-41/(2)/86 दिनांक 17 अक्तूबर, 1986 के संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री एस0 एन0 बागी, जिला संयोजक एवं सदस्य राज्य कार्यकारिणी आल इंडिया स्टूडेन्ट्स फेडरेशन, उत्तर प्रदेश के शिकायती पत्र, जो प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 14 अक्तूबर, 1986 के साथ प्राप्त हुआ था, में श्री एस0 एन0 तत्कालीन कमाण्डेण्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड, अयोध्या फैजाबाद के विरुद्ध 16 आरोप लगाये गये हैं जिनकी जांच सक्षम अधिकारी द्वारा कराई जा रही है, जो अभी पूर्ण नहीं हुई है।

श्री जनार्दन राम ग्राम–मलिकपुरा, थाना शादियाबाद, जिला गाजीपुर के घर पड़ी डकैती तथा अभियुक्त के प्रति की गयी कार्यवाही

158–श्री झिलमिट राम–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 22 जून, 1987 की रात्रि 12.30 बजे श्री जनार्दन राम ग्राम मलिक पुरा, थाना-शादियाबाद, जिला-गाजीपुर के घर डकैती पड़ी थी और डकैत लगभग 35 हजार रुपये कीमती जेवर नकदी तथा अन्य सामान लूट ले गये? क्या गृहस्वामी थाना-शादियाबाद, पुलिस चौकी हंसराजपुर में एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने गया, परन्तु एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं की गई? क्या गृहस्वामी ने 23 जून, 1987 को लिखित रिपोर्ट देकर एफ0 आई0 आर0 की नकल की प्रार्थना की जिसमें एक नामजद अभियुक्त का जिक्र किया गया है और उसकी प्रति शासन, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को भी दी गई है? क्या नामजद अभियुक्त के प्रति आवश्यक कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं।

प्राप्त सूचनानुसार जनार्दन राम एवं सूबेदार राम निवासी मलिकपुरा के बीच चकबन्दी विषयक आपसी रंजिश है। डकैती की झूठी घटना में सूबेदार राम को फंसाने तथा परेशान करने की नियत से जनार्दन राम द्वारा पेशबन्दी में दिये गये प्रार्थना पत्रों पर क्षेत्राधिकारी, सैदपुर द्वारा जांच की गयी। गृहस्वामी द्वारा पुलिस चौकी हंसराजपुर में कोई एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं कराई गई है। केवल सूबेदार राम को फंसाने के लिए उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। क्षेत्राधिकारी की जांच में शिकायतें असत्य पाई गई।

थाना बाजपुर जिला नैनीताल में मृतक बहोरन सिंह के सम्बन्ध में थाने पर डी0 एच0 कायम मुकदमा तरमीम न होने के कारण थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही

159–श्री अचल सिंह–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थाना बाजपुर जिला नैनीताल में मृतक बहोरन सिंह के संबंध में थाने पर डी0 एच0 5/84 कायम हुआ जिसमें मृतक के शरीर पर मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों का होना पाया गया? यदि हां, तो इस संबंध में क्षेत्राधिकारी के आदेश देने के बाद भी सन् 84 में 302 में मुकदमा तरमीम नहीं किया गया? यदि हां, तो तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

मुकदमा उचित धाराओं में परिवर्तित न किये जाने के लिए दो पुलिस कर्मियों सर्वश्री रनवीर सिंह, तत्कालीन थानाध्यक्ष व उप निरीक्षक के0 एल0 आदित्य को दोषी पाया गया है। इन कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल द्वारा की जा रही है।

जिला नैनीताल थाना राम नगर के अंतर्गत सुक्खा सेल के टेडागांव की लीला देवी की मृत्यु व जांच

160–श्री अचल सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 13-5-86 को जिला नैनीताल थाना रामनगर के अन्तर्गत सुक्खा सेल के टेडागांव की लीला देवी को बदमाशों ने मार दिया तथा मारने के बाद इसका सब जेवर भी छीन ले गये और थाने पर इसका कोई मुकदमा नहीं लिखा गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस पूरे तथ्यों की जांच करवाने की कृपा करेंगे और दोषी पुलिस अधिकारियों के बारे में कार्यवाही करेंगे?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना के संबंध में एक समाचार पत्र की कतरन प्राप्त होने पर उसकी जांच करायी गयी। जांच के दौरान विदित हुआ कि मृतका की मृत्यु अपनी दो बहनों के साथ रामनगर बाजार जाते समय तेज धूप के कारण चक्कर आने से गिरने व सिर में पत्थरों से चोट आ जाने के फलस्वरूप हुई थी। शेष के संबंध में कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

सचिवालय कालोनी, महानगर स्थित ट्यूबवेल का मोटर जल जाने से मरम्मत पर हुआ व्यय

161–श्री सरदार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय कालोनी महानगर स्थित पुराना ट्यूब वेल का मोटर वर्ष 1986-87 तक इन दो वर्षों में कितने बार जला और प्रत्येक बार ठीक कराने में कितना धन व्यय हुआ तथा इस अवधि में अवर अभियन्ता कौन था ? इसके लिये कौन-कौन कर्मचारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सचिवालय कालोनी, महानगर स्थित ट्यूबवेल का मोटर माह जनवरी 86 से दिसम्बर 87 की अवधि में तीन बार जला और इसे ठीक कराने में क्रमशः रुपया-6970, रुपया-5860 तथा रुपया-7130 व्यय हुआ। इस अवधि में श्री के0 सी0 मिश्रा तथा श्री पी0 के0 भाटिया अवर अभियन्ता थे।

दो बार विद्युत सप्लाई में उतार चढ़ाव के फलस्वरूप तथा एक बार विद्युत स्तम्भ पर दो फेज शार्ट कर जाने के कारण ट्यूबवेल की मोटर जली। जांच कराई जा रही है कि मोटर की सुरक्षा में क्या असावधानी हुई।

श्री उदय भान सिंह चन्देल निवासी मऊ थाना मऊ जिला बांदा का पुलिस के अत्याचारों के विरुद्ध शिकायती पत्र तथा उस पर कार्यवाही

162—श्री राम सजीवन—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री उदयभान सिंह चंदेल पुत्र श्री गया प्रसाद सिंह निवासी मऊ थाना मऊ जिला बादा ने 22-3-86 को पुलिस अधीक्षक बांदा तथा अन्य उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता होने के कारण उन्होंने पुलिस के अत्याचारों का विरोध किया था जिससे नाराज होकर पुलिस ने उनका उत्पीड़न किया ? यदि हां, तो दोषी पुलिस जनों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में संदर्भित श्री उदय भान सिंह चंदेल का प्रार्थना पत्र दिनांक 22-3-86 प्राप्त हुआ, जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी मऊ, बांदा द्वारा की गयी । जांच से पुलिस पर लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये ।

अतः पुलिस जनों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

थाना कुमार गंज जनपद फैजाबाद में हरिजन एवं कमजोर वर्ग उत्पीड़न की दर्ज घटनाएं व उन पर की गयी कार्यवाही

163—श्री मित्रसेन —

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना कुमारगंज जनपद फैजाबाद में वर्ष जनवरी, 1984 से दिसम्बर, 1985 तक हरिजन एवं कमजोर वर्ग उत्पीड़न की कुल कितनी घटनाएं दर्ज करायी गयी उसके विवेचना परिणाम क्या हैं एवं उत्पीड़न कर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्रश्नगत अवधि में कुल 4 घटनायें दर्ज करायी गयी ।

उपर्युक्त में से दो अभियोगों में विवेचना से आरोप सिद्ध पाकर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया । एक अभियोग में विवेचना से तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाकर उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा एक अभियुक्त के विरुद्ध विवेचना जारी है । एक अभियोग में साक्ष्य के अभाव में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी ।

जनपद सुल्तानपुर के थाना जामों ग्राम टिकरा के ग्राम प्रधान द्वारा झुरहराम हरिजन की हत्या तथा उस पर कार्यवाही

164—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर 85 के प्रथम सप्ताह में जनपद सुल्तानपुर के थाना जामों ग्राम टिकरा के ग्राम प्रधान की झुरहराम हरिजन की फरसे व बल्लम से निर्मम हत्या किए जाने की कोई नामजद रिपोर्ट उक्त थाने में दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मृतक परिवार के आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम ईंट गांव थाना इनायत नगर फैजाबाद में सुरक्षा बोर्ड के रूप में दरोगा राठौर की तैनाती में हरिजन कमजोर वर्ग के लोगों द्वारा लिखाई गयी रिपोर्ट तथा कृत कार्यवाही

165–श्री मित्रसेन–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम ईंट गांव थाना इनायत नगर फैजाबाद में विगत मार्च 85 से सुरक्षा बोर्ड के रूप में दरोगा राठौर की तैनाती है ? यदि हां, तो क्या यह बतायेंगे कि दिनांक 5 मार्च, 1985 के बाद से अब तक कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट हरिजनों, कमजोर वर्ग के लोगों तथा अन्य लोगों द्वारा अंकित कराई गयी है? क्या तैनात दरोगा राठौर के विरुद्ध भी कोई रिपोर्ट अंकित कराई गयी है ? यदि हां, तो उन सभी रिपोर्टों में अभी तक क्या कार्यवाही की जा रही है ? पुलिस द्वारा बल की तैनाती में भी लोगों के मारे पीटे जाने तथा लूटने की घटनाओं का क्या कारण है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

5 मार्च, 1985 से अब तक ईंटगांव के निवासियों द्वारा 35 हस्तक्षेपीय, एक अहस्तक्षेपीय अभियोग दर्ज कराये गये।

उप निरीक्षक श्री हवलदार सिंह राठौर के विरुद्ध एक अपराध संख्या-123/337/338 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया था तथा एक अन्य अपराध संख्या 415/86 अन्तर्गत धारा 304 भा0 द0 वि0 दर्ज कराया गया था । श्री राठौर के विरुद्ध दर्ज प्रथम अपराध में विवेचना से मामला झूठा पाया जाने के कारण अंतिम रिपोर्ट लगाकर समाप्त कर दिया गया तथा दूसरे की विवेचना सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 द्वारा की जा रही है । पंजीकृत 35 अभियोगों में से 16 में अंतिम रिपोर्ट लगाई गई, 19 में चार्जशीट न्यायालय भेज दी गई । यद्यपि सुरक्षा गार्ड द्वारा अपराधों की रोकथाम के लिये कार्यवाही की गई, ग्राम ईंटगांव काफी बड़ा गांव है हर समय हर स्थान पर सुरक्षा गार्ड की उपस्थिति सम्भव नहीं है ।

कैबिनेट व राज्य मंत्री को लखनऊ में यात्रा के खर्च के लिए अनुमन्य पेट्रोल की मात्रा

166–श्री राज किशोर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक कैबिनेट व राज्य मंत्री को लखनऊ में यात्रा के लिये प्रतिदिन खर्च हेतु कितना पेट्रोल शासन द्वारा अनुमन्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कैबिनेट व राज्य मंत्रियों से सम्बद्ध स्टाफ कारों में लखनऊ में स्थानीय यात्रा के लिये पेट्रोल खर्च की अनुमन्यता दैनिक न होकर मासिक है । कैबिनेट तथा राज्य मंत्रियों को प्रतिमाह क्रमशः 150 लीटर तथा 100 लीटर पेट्रोल अनुमन्य है ।

थाना मालीपुर जनपद फैजाबाद में अनारा देवी राम कुंवर आदि में मुद्दई और गवाहों के दाखिल बयान हल्फी गायब करके मुकदमा राजा राम बनाम राजा राम में लगाने वाले दोषी के विरुद्ध कार्यवाही

167—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 89/82 धारा 307 थाना मालीपुर जनपद फैजादाद में अनारादेवी रामकुंवर आदि में मुद्दई और गवाहों के दाखिल बयान हल्फी गायब करके उसी थाने के मुकदमा राजाराम बनाम राजाराम धारा 307 में लगा दी गयी है ? यदि हां, तो उसका दोषी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

168—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा
श्री मैनेजर सिंह—
[दिनांक 6-7-87 को अता0 प्र0 सं0 2 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय मार्ग पर हुई दुर्घटनाएं व क्षति तथा दुर्घटनाओं को रोकने के लिये योजना

169—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वर्ष 1987 में लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय मार्ग पर कुल कितनी दुर्घटनायें हुयी हैं और उनमें अनुमानित कितनी क्षति हुई है ? क्या सरकार इस मार्ग पर बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में कोई कारगार योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो योजना क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

वर्ष 1987 में 217 घटनाएं हुईं। दुर्घटनाओं में हुई क्षति निम्नवत् है :—

धन की क्षति—रु0 2,64,050.00

मृतकों की संख्या—99

घायलों की संख्या—235

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यकतानुसार स्पीड ब्रेकर बनाये गये हैं। यातायात के सांकेतिक चिन्ह लगाये गये हैं । तीव्र गति से चलने वाले वाहनों का राडार द्वारा चालान भी किया जा रहा है । यातायात नियंत्रण व समुचित व्यवस्था के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस व नागरिक पुलिस की ड्यूटियां लगायी जाती हैं । उक्त मार्ग पर स्थित जाजमऊ पुल पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 24 घण्टे ट्राफिक तथा अन्य ड्यूटियां लगायी गयी हैं । भविष्य में इन दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रयास जारी है ।

विधान सभा के सदस्यों द्वारा तत्कालीन राज्य सम्पत्ति अधिकारी को हटाने तथा उनके विरुद्ध जांच कराने की मांग

170—श्री कनक सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कई विधान सभा सदस्यों ने वर्ष 1982 व 83 में तत्कालीन राज्य सम्पत्ति अधिकारी को हटाने तथा उनके विरुद्ध जांच कराने की मांग की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1982 व 83 में मा0 विधान सभा सदस्यों ने तत्कालीन राज्य सम्पत्ति अधिकारी श्री पी0 एन0 मिश्र की शिकायत के आधार पर उन्हें हटाने की मांग की थी ।

तत्कालीन राज्य सम्पत्ति अधिकारी श्री पी0 एन0 मिश्र के विरुद्ध की गई शिकायतों में स्पष्ट आरोप न होने के कारण जांच कराना आवश्यक नहीं पाया गया परन्तु श्री मिश्र को राज्य सम्पत्ति अधिकारी के पद से शासनादेश दिनांक 18-8-1982 द्वारा स्थानान्तरित कर दिया गया ।

प्रश्न संख्या 12 से संबंधित मंत्री के अनुपस्थित होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा प्रश्न संख्या 12 था जिसमें संबंधित मंत्री उपस्थित नहीं थे, इसलिये इसको स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसे देखूंगा ।

बलिया जिलान्तर्गत घाघरा नदी पर शांदपुर में पैन्टून पुल के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अंतर्गत आज 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें श्रीमती विजय लक्ष्मी, श्री राज किशोर सिंह, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री कौशिक रमा शंकर, श्री सूर्य प्रताप शाही और श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की सूचनायें, कुल 6 सूचनायें, स्वीकार हुई हैं । इनको पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से इन सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया गया)

श्रीमती विजय लक्ष्मी–

[महोदय, मैं इस सदन का ध्यान बांसडीह क्षेत्र बलिया जनपद की गम्भीर यातायात की समस्या की ओर दिलाना चाहती हूं । घाघरा नदी पर चांदपुर के पास पुल के अभाव में क्षेत्र की जनता को निरन्तर कठिनाई का अनुभव होता है । इस क्षेत्र का सारा विकास इस पुल के अभाव में रुक गया है। क्षेत्र की जनता की निरन्तर मांग रही है कि चांदपुर में घाघरा नदी पर स्थायी पुल का निर्माण किया जाय। स्थायी पुल की लागत अधिक है। अतः पेन्टून का पुल तत्काल निर्माण जनहित में कराया जा सकता है । परन्तु सरकार की अनसुनी से क्षेत्र की जनता में घोर असंतोष व्याप्त है ।

अतः इस विषय को सदन के संज्ञान में लेकर सरकार से अनुरोध करती हूं कि जनहित में घाघरा नदी पर तत्काल पेन्टून पुल का निर्माण करा दिया जाय ।]

जनपद वाराणसी की ज्ञानपुर लिफ्ट पम्प कैनाल के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राज किशोर सिंह–

[महोदय, वाराणसी जनपद के तहसील ज्ञानपुर व तहसील सदर वाराणसी के सैकड़ों गांवों की असिंचित कृषि भूमि की सिंचाई के लिये ज्ञानपुर लिफ्ट पम्प कैनाल लगभग 15 वर्ष से अधूरी पड़ी है । निर्माण कार्य में भयानक सुस्ती व लापरवाही की जा रही है । किसानों की कीमती जमीन बिना पूरा मुआवजा दिये अधिग्रहण करके भारी नुकसान पहुंचाया गया । जब से उक्त नहर की खुदाई हुई तभी से नहरी क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों में किसानों की नलकूप की मांग ठुकरा दी जाती है । सारी की सारी कृषि भूमि असिंचित रह जाती है । सिंचाई के साधन के अभाव में कोई फसल नहीं हो पा रही है। किसान तबाह होते जा रहे हैं। चारों ओर किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। वर्तमान गति से निकट भविष्य में नहर से जल उपलब्ध होने की सम्भावना दृष्टिगोचर नहीं हो रही है।

संदर्भित नहर का निर्माण कार्य पूरा न होने व पानी न मिलने से किसानों में असंतोष व आक्रोश व्याप्त है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर प्रश्नगत नहर का अविलम्ब निर्माण कार्य पूरा कराकर सिंचाई के लिये जल उपलब्ध कराने की शासन से मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के यमुना नदी पर दूसरे पुल का निर्माण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश विकल–

[महोदय, आगरा की यमुना नदी पर स्थित जवाहर पुल तेजी से बढ़ते यातायात का बोझ सम्हालने में अब काफी छोटा पड़ता जा रहा है और इस पुल की स्थिति

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

भी काफी जर्जर होती जा रही है । दिल्ली से कानपुर व मेरठ, देहरादून से दिल्ली की ओर आने जाने वाला सारा यातायात इसी पुल पर होकर गुजरता है । जब से इसी मार्ग पर मंडी स्थल बना है, तब से खाद्यान्न लाने ले जाने वाले भारी यातायात के बढ़ जाने से स्थिति और भी कठिन हो गई है । प्रतिदिन हजारों की तादाद में ट्रक, बसें, कारें तथा बैलगाड़ियां इस पुल पर होकर आती जाती हैं जिससे घंटों तक यातायात जाम हो जाता है व कमजोर पुल के कारण असुरक्षा भी बनी रहती है ।

यमुना नदी पर दूसरा पुल बनाये जाने का निर्णय लिये जाने के बाद भी शासन द्वारा प्रस्तावित पुल के निर्माण की दिशा में कोई काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है जिसके कारण लोगों को प्रतिदिन भारी असुविधाओं, कष्टों तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर मैं सरकार से मांग करता हूं कि पुल के निर्माण कार्य को प्राथमिकता देकर उसे शुरू करने की व्यवस्था करें।]

जनपद मुरादाबाद में नगर धनौरा से बाह नदी तक चल रहे सड़क निर्माण कार्य को सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपे जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री कौशिक रमाशंकर–

[माननीय अध्यक्ष जी, जनपद मुरादाबाद में ब्लाक धनौरा, तहसील हसनपुर तथा मुख्यालय मुरादाबाद को अनुसूचित जाति की हजारों की आबादी के क्षेत्र को काटती हुई एक बाह (नदी) बहती है। इस क्षेत्र को जोड़ देने के लिए 36 मीटर लम्बा एक पुल, राज्य सेक्टर के अंतर्गत, बनाया जाना अनिवार्य है । सा0 नि0 वि0 15 कि0 मी0 (लगभग) मार्ग का निर्माण कर रहा है । 7-8 कि0 मी0 पक्का मार्ग भी बन चुका है । किन्तु धनौरा नगर से उस मार्ग से जाने पर, पहले 1.5 कि0 मी0 का मार्ग जिला परिषद के अंतर्गत आता है और जिला परिषद् उस मार्ग का रख-रखाव बित्तीय साधनों के अभाव में, कर नहीं पाती ।

अतः मैं सदन में इस जनहित के प्रश्न को उठाते हुए शासन से मांग करता हूं कि उक्त 1.5 कि0 मी0, जिला परिषद् के मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंप दिया जाय ।]

जनपद देवरिया की कप्तानगंज शुगर फैक्टरी एवं डिस्टिलरी से छोटी गण्डक नदी में प्रदूषण होने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री सूर्य प्रताप शाही–

[महोदय, देवरिया जनपद में छोटी गण्डक नदी में कप्तानगंज डिस्टीलरी तथा कप्तानगंज शुगर फैक्ट्री द्वारा रसायन युक्त जहरीला, बदबूदार पानी छोड़ दिये जाने से छोटी गण्डक नदी का जल गंभीर रूप से प्रदूषित हो गया है । नदी के किनारे स्थित गांवों के लोग उस पानी को पेयजल के रूप में प्रयोग करते थे, वही जानवरों को भी पीने

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

के लिए पानी सुलभ होता था । उस नदी में इस भयंकर सूखे की स्थिति में संबंधित फैक्ट्रियों द्वारा जहरीला पानी छोड़े जाने से नदी के किनारे बसे गांवों में घोर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है । जहरीला पानी पीने से जानवरों में गलाघोंटू तथा अन्य भयंकर बीमारियां फैल गयी हैं, मछलियां मर कर पानी के ऊपर आ गयी हैं, जहरीले बदबूदार पानी की बदबू से अनेक संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि छोटी गण्डक नदी में प्रदूषित जल छोड़े जाने से रोकने हेतु अविलम्ब उपाय करें तथा दोषी मिलों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करें।]

उन्नाव जिलान्तर्गत बांगरमऊ स्थान पर "महाराजा सातन पासी स्मारक" के निर्माण कार्य में विलम्ब होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

[माननीय अध्यक्ष, पासी वंशज के ऐतिहासिक स्थल जनपद उन्नाव बांगरमऊ में सैकड़ों बीघे फैले ध्वस्त किले पर विगत वर्ष सातन जयन्ती के अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा महाराजा सातन पासी स्मारक का शिलान्यास किया गया था तथा 5 लाख रुपया भी उसी समय स्वीकृत किया गया था परन्तु अभी तक स्मारक का शिलान्यास तक ही सीमित है। यह नहीं मालूम कि स्वीकृत धनराशि का उपभोग कहां किया जा रहा है । संबंधित अधिकारियों की मंशा गलत है । वह निडर होकर शासन के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं । प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अप्रैल में महाराजा सातन जयन्ती मनायी जायेगी । हजारों की संख्या में एकत्रित होने वाले समुदाय में असंतोष की भावना बनी हुई है ।

अतः इस अविलम्बनीय विषय को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि महाराज सातन जयन्ती के पूर्व स्मारक का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाय । जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।]

सदन के उपवेशन के दौरान पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा बैठक बुलाये जाने के संबंध में औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अंतर्गत तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं :–

पहली सूचना श्री शारदानंद अञ्चल की है जिसमें एस0 पी0, बलिया ने सदन चलने के दिन बैठक बुला ली है । संसदीय कार्य मंत्री मैंने पहले भी आपको निर्देश दिये थे कि जब सदन चल रहा हो तो बैठक नहीं बुलानी चाहिए । आप इसको कड़े तौर पर अधिकारियों से पालन करायें ।

श्री शारदानंद अंचल–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री ने पिछले सत्र में कहा था कि जब सत्र चल रहा हो तो जिले के अधिकारी सलाहकार समिति या अन्य कोई समिति की बैठक नहीं बुलायेंगे क्योंकि माननीय सदस्य सत्र चलने के कारण उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। लेकिन मंत्री जी के निर्देश के बावजूद पुलिस अधीक्षक ने 11 तारीख को जब सदन चल रहा है, बैठक बुलाई है, तो यह जानबूझकर बैठक बुलाई गयी है क्योंकि माननीय सदस्य उसमें न भाग ले सकें। इसी तरह कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों का निर्णय बताकर टैक्सी और बस स्टैण्ड शहर से दूर कर दिया और ला एन्ड आर्डर के नाम पर गलत निर्णय लेकर जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने का काम किया है। मेरी मांग है कि पुलिस अधीक्षक, बलिया को दंडित किया जाये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, इसके पहले भी एक सूचना यहां से जा चुकी थी कि जब तक सदन चले तब तक बैठक न बुलाई जाये, इसलिये उनको निर्देशित कर दिया गया है और पूछा गया है कि ऐसा क्यों हुआ? इस आदेश के रहते हुए क्यों इस प्रकार की नोटिस भेजी गयी और इस प्रकार की बैठक क्यों बुलाई गयी है, जबाब उनका आ जाये तो इसको देख लिया जायेगा।

गणित्य के प्रश्न की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

सूचना नं0 2 श्री बाबू राम यादव की है, जो मैनपुरी जिले में विकास कार्यों के न किये जाने के संबंध में है और तीसरी सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही की–मुख्यमंत्री तथा उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा दिये गये आदेशों और निदेशों का अनुपालन कार्यपालिका द्वारा न किये जाने के संबंध में है, इन दोनों को मैंने अस्वीकार किया है। श्री उपाध्यक्ष।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। बैठक के संबंध में जो आश्वासन मंत्री जी ने दिया है ....

श्री अध्यक्ष–

आपका व्यवस्था का प्रश्न बाद में सुनूंगा मैंने उपाध्यक्ष जी को बुला लिया है।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति का पंचम प्रतिवेदन †

श्री उपाध्यक्ष–

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति का पंचम प्रतिवेदन, जो शिक्षा विभाग से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

† छापा नहीं गया।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, नियम 300 में जो प्रश्न श्री शारदानंद अंचल जी ने उठाया है, यह प्रश्न पहले कई बार यहां आ चुका है और श्री धर्म सिंह जी के समय भी मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस तरह की बैठकें नहीं होंगी और एक बार तो माननीय अध्यक्ष जी ने इक्सप्लेनेशन भी काल किया था डी0 एम0 का। लेकिन फिर जिले के अधिकारी इनके कोई आश्वासन नहीं सुनते हैं इसलिए आपकी तरफ से आश्वासन होना चाहिए ।

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि आश्वासन आपसे मिलेगा या नहीं ? यह संरक्षण तो मैं आपसे चाह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने जवाब तो दे दिया है कि उनका जवाब तलब किया है।

श्री मुहम्मद आजम खां–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप जो कुछ बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

विधायक और जन प्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों को सदन में आना होता है और जन समस्याओं को आपके माध्यम से सरकार के सामने और कार्यपालिका के सामने रखना पड़ता है और उनको लेकर जब हम मंत्रि परिषद के सदस्यों और मुख्य मंत्री के पास जाते हैं, सचिव, अन्य अधिकारियों के पास जाते हैं . . . .

श्री अध्यक्ष–

आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

यह कि जो कार्यपालिका है हमारी, वह मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और मंत्रि परिषद् के नियन्त्रण में नहीं रह गयी है . . .

श्री अध्यक्ष–

किस विषय में आप कहना चाहते हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मैं अपने औचित्य के प्रश्न की ग्राह्यता पर कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उस पर अपना निर्णय दे दिया है, अब सुनने की कोई बात नहीं है । यह नियम 300 में आता ही नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

[x x x]

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

जो आप बोल रहे हैं वह कुछ नहीं लिखा जाएगा, मैं इसको अस्वीकार कर चुका हूं, आप बैठिये ।

श्री बाबूराम यादव–

हमारी आपने नियम 300 की सूचना अस्वीकार कर दी है, आपका आदेश मुझे शिरोधार्य है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में आपकी पीठ से यह घोषणा हुई है कि विकास कार्य में कभी भी असन्तुलन नहीं होगा, लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मैनपुरी जनपद में जो असन्तुलन है, . . .

श्री अध्यक्ष–

वह बात खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं है, वह नहीं लिखा जाएगा ।

लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों को अवध विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के संबंध में वक्तव्य (क्रमागत)

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

कुछ समय पूर्व शासन ने निर्णय लिया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय को आवासीय स्वरूप प्रदान करने के लिए इस विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों को अवध विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाय।

अब शासन ने निर्णय लिया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों को अवध विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना स्थगित रखा जाये ।

सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनाओं के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री शतरुद्र प्रकाश–

एक व्यवस्था का प्रश्न है, जो मसला कार्य सूची में रहता है, जो माननीय सदस्य गिरफ्तार हुए हैं उनकी गिरफ्तारी और रिहाई की सूचना । इसकी कोई जानकारी नहीं है, जबकि 4 माननीय विधायकों के खिलाफ 2 तारीख को रिपोर्ट दर्ज थी और उनमें से तीन विधायकों को गिरफ्तार किया गया । इसकी सूचना तो हम लोगों को मिलनी चाहिए थी । यह सूचना कल भी नहीं दी गई और आज भी नहीं दी गई है ।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना तीन तारीख को मेरे घर पर सुबह प्राप्त हो गई थी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

फिर यह सूचना सदन में आपको देनी थी, यह आपका कर्तव्य है।

श्री अध्यक्ष–

जब सूचना रिहाई की सूचना के साथ आती है तो उसकी यहां घोषणा आवश्यक नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

सदन को तो बताना चाहिए ?

श्री अध्यक्ष–

जब गिरफ्तारी हुई है और फिर छोड़ दिये गये हैं तो सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है । अब नियम 56 के अंतर्गत . . . .

श्री कौशिक रमाशंकर–

मद सं0 7 पर मुझे कुछ निवेदन करना था . . .

श्री अध्यक्ष–

तो फिर कहिये ।

लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों को अवध विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री कौशिक रमाशंकर–

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक बहुत ही अहम वक्तव्य पढ़ दिया, किन्तु न तो हम लोगों को उसकी प्रतियां दी गई थीं, न बताया गया था । फिर भी जो वक्तव्य उन्होंने दिया है, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने यह तय कर लिया है कि जो लखनऊ में महाविद्यालय हैं उन्हें अवध विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रखना स्थगित किया जा रहा है, तो वह कैसे कार्यवाही करेंगे ? उन विद्यालयों को किससे सम्बद्ध करेंगे, इस विषय में क्या निर्णय लिया है ? अब वह न तो लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहेंगे न अवध विश्वविद्यालय से तो कौन सी इनके बारे में प्रक्रिया होगी?

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

मान्यवर, 9 दिसम्बर, 1985 का शासनादेश निर्गत नहीं किया गया इस कारण जो स्थिति पहले थी वही आज भी बनी हुई है । इस पुराने निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया जाएगा। इस पर पुनर्विचार किया जाएगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री सिब्ते रजी–

मेरे वक्तव्य में लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित बात कही गई है । इस वक्तव्य से इनकी बात का कोई संबंध नहीं है । (शोरगुल)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सूचना जो सर्व श्री सत्य प्रकाश विकल, सूर्य प्रताप शाही, जनार्दन प्रसाद ओझा, कल्यान सिंह, हरिश्चन्द्र (हरीश जी), कुंवर भानवेन्द्र सिंह, किशनलाल, धनराज यादव, श्याम बिहारी सिंह, कुंवर रेवती रमण सिंह, हर्षवर्धन, तथा गौरी शंकर भइया, ने दी है। यह गोरखपुर में होली के अवसर पर पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा गोली चलाकर एक व्यक्ति की हत्या व तीन व्यक्तियों के घायल होने के संबंध में है। पांचवीं सूचना सर्व श्री मोहम्मद मसूद खां, बलराम यादव, दुर्गा प्रसाद यादव, फागू चौहान, हफीज भारती, राम जनम, तथा रमाकान्त की है। यह जनपद आजमगढ़ में सदर अस्पताल के मेडिकल स्टोर से लाखों रुपये की दवाओं की खुले बाजार में चोर बाजारी के संबंध में है। छठी सूचना सर्व श्री मोहम्मद आजम खां, शारदा-नन्द अंचल तथा शफीकुर्रहमान बर्क की है। यह दिनांक 4 मार्च, 1988 को ग्राम थलैंडी, थाना बछरावां, जिला रायबरेली में असामाजिक तत्वों द्वारा नमाज पढ़ रहे लोगों पर हमला करने के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री जमुना प्रसाद बोस तथा आठवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की जो उत्तर प्रदेश सचिवालय में विधायकों द्वारा शिक्षा सचिव का घेराव किये जाने पर विधायकों की पिटाई के संबंध में है। इसी विषय पर नवीं सूचना सर्वश्री शतरुद्र प्रकाश, माता प्रसाद पाण्डेय, मूल चन्द्र, जयदीप सिंह बरार, कौशिक रमाशंकर की है जो दिनांक 2-3-88 को माननीय विधायक सर्व श्री भोपाल सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह मुजफ्फरनगर, श्री शारदा प्रताप को फर्जी मुकदमें में गिर-फ्तार किये जाने के संबंध में है। दसवीं श्री देवेन्द्र कुमार सिंह जी की जो ललितपुर जनपद के खिरिया मिसर में श्रीमती शकुन्तला देवी द्वारा आत्मदाह किये जाने के संबंध में है। ग्यारहवीं सूचना डा0 दिनेश जौहरी की जो हज यात्रियों को मक्का जाने के लिए पानी के जहाज उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। बारहवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की जो कृषि देयों की जबरिया वसूली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

सूचना नम्बर 7, 8, 9 जो शिक्षा सचिव के बारे में है यह चूंकि विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द हो गई है, इसलिए इनको अस्वीकार करता हूं। ये मामला चूंकि

(व्यवधान के मध्य)

विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जा चुका है लिहाजा नियम 56 के अन्तर्गत इसको अस्वीकार करता हूं और किसी को बोलने की इजाजत नहीं देता हूं।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में शिक्षा सचिव का घेराव किये जाने पर कतिपय विधायकों की पिटाई तथा उनकी गिरफ्तारी विषयक कार्य-स्थगन की सूचना

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अगर इस सिलसिले में आपको कुछ कहना है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे कमरे में आ जाएं ।

(शोर)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आप मान्यवर, ज्यादती कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मेरी ज्यादती करने की आदत नहीं है ।

(अत्यधिक शोर)

श्री अध्यक्ष–

मेरी आदत ही नहीं है ज्यादती करने की । अगर मैं ज्यादती कर रहा हूं तो इस सदन की भलाई के लिये ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, एक मिनट सुन तो लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं बड़ी नम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि आप मेरे कमरे में आ जायें मैं कोशिश करूंगा कि आप और माननीय मुख्य मंत्री के साथ कुछ मामला हल हो सके।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, एक मिनट मुझे सुन लें । जब आप सदन में चले आये थे तो वहां माननीय उपाध्यक्ष जी मौजूद थे, संसदीय कार्य मंत्री जी मौजूद थे और नेता सदन मौजूद थे और यह तय हुआ था कि इस नियम 56 के संबंध में माननीय सदस्य अपनी बात कह देंगे और उसके बाद मुख्य मंत्री घोषणा कर देंगे। आप चाहें तो जानकारी कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं अभी जानकारी किये लेता हूं ।

(श्री सत्य प्रकाश विकल को पुकारे जाने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, हमको सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं स्वयं जानकारी करने के लिए तैयार हूं। अगर ऐसा है तो जरूर सुन लिया जायगा। अगर यह तय हुआ है तो जरूर सुनूंगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं आप जानकारी कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं उठ रहा हूं, मैं पूछ कर फिर आऊंगा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, जब आप सदन में तशरीफ ले आये थे उसके साथ मैं भी चला आया था । दोबारा जब गया तो माननीय उपाध्यक्ष जी बैठे थे । जैसा कि माननीय शतरुद्र प्रकाश जी कह रहे हैं यह बात तय हुई थी कि अपनी बात कहें उसके बाद सरकार के पक्ष की तरफ से मुख्य मंत्री या मैं उसके बारे में जो कुछ कहना होगा कह देंगे । यह बात जो शतरुद्र प्रकाश जी कह रहे हैं ठीक है, मेरा निवेदन है कि आप इनको मौका दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सुनूंगा । माननीय भोपाल सिंह आपको मौका दे रहा हूं, श्री भोपाल सिंह जी कहिये ।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है और मुख्य मंत्री जी के तथा मंत्रियों के आदेश जो सचिवों को जाते हैं उनका कोई पालन नहीं होता है । शिक्षा नीति के तहत मैं एक आदेश मुख्य मंत्री जी से कराकर लाया था । मेरे क्षेत्र में करनावल कस्बा पड़ता है । वहां से 2 कि0 मी0 दूरी पर हमेशा लड़कियों का सेंटर लगता था । लेकिन अबकी बार 2 कि0 मी0 से हटाकर 14 कि0 मी0 पर सरधना में सेंटर कर दिया गया । जब मुझे मालूम हुआ तो मैं मुख्य मंत्री जी के पास गया । उन्होंने कहा शिक्षा नीति के तहत 2 कि0 मी0 पर सेंटर रहेगा और उन्होंने आदेश इस संबंध में कर दिया ।

(एक कागज दिखाते हुए)

मान्यवर, उन्होंने 30 दिसम्बर को आदेश किया था । उसमें लिखा था, शिक्षा सचिव, लड़कियों का परीक्षा केन्द्र रासना इंटर कालेज में कर दिया जाय । मान्यवर, स्पष्ट आदेश था । यह आदेश मैंने 30 दिसम्बर को शिक्षा सचिव को दे दिया वहां पर डायरेक्टर साहब भी थे । उसके बाद मैं सचिव महोदय और डायरेक्टर महोदय से मिलता रहा और वह आश्वासन देते रहे कि आपका कार्य हो रहा है, शिक्षा नीति के मुताबिक । लेकिन उन्होंने लिखित कुछ नहीं दिया । इस आदेश की फोटो स्टेट कापी मेरे पास है। मान्यवर, मंत्रियों के आदेश यहां से जाते हैं, गायब हो जाते हैं, फाइलें तक गायब हो जाती हैं हमारे विधायक वहां ढूढ़ते फिरते हैं, 10-10 साल तक पता नहीं चलता । इसीलिये मैंने दोबारा, और तीसरी बार फोटो स्टेट कापी दी । वह मुझे आश्वासन देते रहे कि शिक्षा नीति के मुताबिक सेंटर बदल दिया जायगा । अगर वह मुझे कोई पत्र लिखित रूप से देते तो मैं मुख्य मंत्री जी से आगे बात करता। पहली तारीख को मैं सचिव महोदय के यहां गया, मेरे साथ उस शिक्षा संस्था के मैनेजर साहब सुजीत कुमार भी थे । उन्होंने कहा कि कल आप आ जायें मैं आपको पूर्ण जानकारी दे दूंगा । उसके बाद 2 तारीख को पहले मैं डायरेक्टर साहब के यहां गया, उन्होंने कहा कि सचिव महोदय को आख्या भेजी गयी है । मैं

वहां गया और पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है मैंने मुख्य मंत्री को आख्या भेज दी है । उस दिन सदन साढ़े 11 बजे या पौने 12 बजे स्थगित हो गया था । मैंने कहा कि आप मुझे जानकारी दे दें तो उन्होंने कहा शिक्षा विभाग मुझे चलाना है, मुख्य मंत्री को शिक्षा विभाग नहीं चलाना है । ऐसे मुख्य मंत्री और मंत्री आदेश किया करते हैं हम कहां तक मानें, जवाब हमें देना होता है । मैंने उनसे कहा कि आपको पहले जानकारी दे देनी चाहिये थी । उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता । अगर जानकारी करनी है तो मुख्य मंत्री के कार्यालय में जाकर कर सकते हैं । मैं वहां बैठा रहा । एक पुष्पा सिंघल महिला विधायिका मुरादाबाद की हैं वह वहां आयीं । वह कांग्रेस की विधायिका हैं । उन्होंने कहा कि मैंने 3 माह पहले आदेश कराया था मुख्य मंत्री जी से और मैं 50 दफे आ चुकी हूं लेकिन यह काम नहीं करते हैं । मैंने कहा कि इनकी फाइल मंगा दीजिये । तो उनकी फाइल 2 घंटे बाद मिली और उनका आदेश हमारे सामने किया गया । इसके बाद सचिव महोदय नेता विरोधी दल के कमरे में आ गये । हम भी वहां गये । नेता विरोधी दल ने बुलवाया कि आप आ जायें । उनसे पूछा गया कि आपको क्या आपत्ति है ? उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मुख्य मंत्री का आदेश नहीं होता है आदेश शासन का होता है । उसके बाद मैंने कहा कि मुझे लिखकर दे दें अगर नहीं कर सकते हैं ।

मान्यवर, यह मेरा ही मामला नहीं था कई लोगों के आदेश हुये हैं । किरन पाल सिंह, वीरेन्द्र सिंह, जवाहर सिंह, रामजनम यादव ने भी आदेश कराये थे । शासन की नीति है कि लड़कियों के सेंटर नजदीक रखे जायें। हमेशा सेंटर नजदीक लगता था। जवान लड़कियां हैं, सुविधा के लिये सेंटर नजदीक लगता रहा है । इस साल सेंटर बदलने का कारण जो मुझे पता लगा वह यह कि हर साल सेंटर लगवाने के लिये 5 हजार रुपया दिया जाता था इस साल नहीं दिया गया । मैं वहां पर बैठा रहा लेकिन हमको लिखकर नहीं दिया गया, हमको बैठाये रखा गया । उसके बाद उनकी और डायरेक्टर की बात हुयी, विभाग के लोग उप सचिव और उप निदेशक और बहुत से लोग आ गये । अफसोस की बात तो यह है कि कर्मचारियों जिनके लिये हम मांग करते हैं कि उनकी तनख्वाहें बढ़ायी जायें उनको भड़का दिया गया । मुझे पता चला है कि उनको भड़काया गया कि पानी वाले चपरासी के साथ विधायकों ने झगड़ा किया है । मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर कोई कर्मचारी कह दें कि हमने कोई दुर्व्यवहार या ज्यादती की है । सरकार को शर्म आनी चाहिये । हम आदेश का पालन करवाने के लिये सचिवों के कक्ष में जाते हैं । अखबार में यह बयान सरकार का आया कि कोई भी विधायक किसी सचिव के कमरे में नहीं जायगा । हमें सचिव या मंत्रियों के कमरे में जाने की आवश्यकता नहीं है अगर शासन के आदेशों का पालन हो जाय और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाय और सचिव जो मर्जी हो करें तो हमें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है ।

इन्होंने अखबारों में स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि विधायक सचिव के कमरों में न जायें। सत्ता पक्ष के विधायक बैठे हैं, यह जानते होंगे आदेश किये जाते हैं 2-3-4 साल लग जाते हैं पालन नहीं होता । हमें सचिवों के पास, सेक्शन आफीसर और बाबू तक के पास जाना होता है । हम एम0 एल0 ए0 चुनकर आये हैं, अपने क्षेत्र की समस्यायें यहां पर उठाते हैं और क्षेत्र की समस्याओं के लिये हमें जाना पड़ता है । तो कर्मचारियों को भड़काया गया ।

सचिव ने एक काम किया आग भड़काने का उनके जो बेचारे चपरासी थे, जिनकी बुद्धि नहीं थी उनको हमारे खिलाफ भड़का दिया और आहिस्ता-आहिस्ता वे लोग वहां से निकल गये उसके बाद जो विधायक हमारे थे, हम तो बहुत होशियार थे। गांधी जी पिटे हैं, पंडित जवाहर लाल नेहरू पिटे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिटे हैं, हमें पिटने में कोई डर नहीं है । हमने जो कार्य किया है उसकी हमारे क्षेत्र में सराहना हो रही है कि भोपाल सिंह ने लड़कियों के सेन्टर के लिए लड़ाई लड़ी । हमें इस बात की परवाह नहीं जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो न पिटा हो । जिनके लिए हम दुहाई देते हैं उन लोगों को भड़का कर हमारे साथ जो कुछ कराया गया उसके बाद साढे तीन बजे 4 बजे हम लोग जाना चाहते थे लेकिन सचिव हमसे बात करते रहे। साढ़े 4 बजे एस0 पी0 सिटी आये और वह भी कमरे से निकल कर चले गये उसके बाद गुफरान जाहिदी और उसके बाद 3-4 विधायक जो कांग्रेस के विधायक थे लोकदल या विपक्ष के विधायक नहीं थे, कांग्रेस (आई) के थे उनको देखकर हमने कहा था गुफरान जाहिदी से कि आप यहां पर बैठें आप जो चाहिए निर्णय लें : हम यह चाहते थे कि मंत्री जी का आदेश है और सचिव आदेश करें लेकिन सबने मिलकर कर्मचारियों को भड़काया और उसके बाद विधायकों का अपमान किया गया । जो विधायक बाहर गये उनको खुद उप निदेशक और उप सचिव थे उन्होंने कहा कि आपको बाहर पहुंचा दें । चूंकि भीड़ थी, धक्का देकर उन विधायकों को पिटवाया । उसके बाद 6 बजे संसदीय कार्य-मंत्री आये उसके बाद 6 बजे से साढे सात बजे तक यह व्यवस्था नहीं कर पाये कि विधायकों को वहां से निकाल सकें। साढ़े सात बजे तक जब एस0 एस0 पी0 वहां थे, डी0 एम0 वहां पर थे, यह साढ़े सात बजे तक नहीं निकाल पाये । सब अखबार वाले लिखते हैं, सब लोग मानते हैं संसदीय कार्यमंत्री मानते हैं और सत्तापक्ष के लोग मानते हैं कि विधायकों के साथ ज्यादती हुई है । उसके बाद अरेस्ट किया गया उसके बाद हमारी जमानत हुई उसके बाद घर गये । जिन लोगों ने यह ज्यादती की, अपमान किया, तोड़फोड़ किया, सचिव का कमरा तोड़ दिया, उसकी कुर्सिया तोड़ दी उसके बाद भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं कि इस्तीफा दें और राष्ट्रपति शासन लागू करें उसके बाद इलेक्शन करायें तब पता चलेगा कि यह कहां पर है । मैं अपनी बात समाप्त करते हुए चाहूंगा कि इस पर कार्यवाही करें ।

(कई सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने बहुत पहले ही आपसे अनुरोध किया कि इसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया है । चूंकि आपकी बात सुनने के लिए था, वह सुन लिया । जहां तक इस सदन का ताल्लुक है इसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया है वह इसकी जांच करेगी जो निर्णय होगा, उसका पालन किया जायेगा ।

(व्यवधान)

(श्री सूर्य प्रताप शाही का नाम पुकारे जाने पर)

नेता, विरोधी दल (श्री सत्य पाल सिंह)–

जैसा कि मान्यवर, बात हुई थी आपने कृपाकर अनुमति दे दी और इसको भोपाल सिंह ने रखा किसी पर कोई आक्षेप नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य हैं जो प्रताड़ना से प्रभावित हुए हैं उस दिन जो उनका अपमान हुआ है उन माननीय सदस्यों ने लिखकर दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इनको शारदा प्रताप शुक्ला हैं, शतरुद्र जी हैं इनको सुन लें। यह आवश्यक है इसमें कोई आक्षेप नहीं है किसी पर।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आपने क्या तय किया था ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह तय हुआ था कि सब लोग बोलेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह क्या बात है? हम लोगों को सुन लें।

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं भी बोलना चाहता हूं उसके बाद बोलिये।

मान्यवर, यह सारी चीजें भोपाल सिंह जी ने बता दीं। सवाल इस बात का है कि कानून दो हैं या एक। विधायकों ने केवल इतना काम किया कि मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया ? इसके लिए विरोध भी किया, कमरे में भी गये और कुछ भी हो सकता है लेकिन सवाल यह है कि तोड़फोड़ नहीं की विधायकों ने, विधायकों ने किसी को मारा पीटा नहीं, फिर भी उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाकर उनको जेल भिजवाया गया और दूसरी तरफ जिन्होंने तोड़-फोड़ की, फर्नीचर तोड़ा, अश्लील गालियां दीं, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। क्या विधायकों के लिये अलग कानून है और आई0 ए0 एस0 अफसरों एवं राज्य कर्मचारियों के लिये अलग कानून है ?, लोकतंत्र में सब बराबर हैं। अगर विधायकों के खिलाफ कार्यवाही की गयी तो जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने मुख्य मंत्री के आदेशों का पालन नहीं किया, जिन्होंने इतना विलम्ब किया और मुख्य मंत्री के आदेशों का पालन नहीं किया और जिन्होंने शीशे तोड़े, कमरों में तोड़-फोड़ की और विधायकों के साथ अभद्र व्यवहार किया, इस तरह उन्होंने दो अपराध किया। उनके विरुद्ध संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कार्यवाही की? उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया?

श्री अध्यक्ष–

अब जो माननीय सदस्य वहां पर थे, उनको बुलवाऊंगा।

श्री शारदा प्रताप–

माननीय अध्यक्ष जी, दो तारीख की घटना है . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री शारदा प्रताप जी, आप मेरी तरफ मुखातिब होकर बोलें।

श्री शारदा प्रताप–

यही स्थिति आपके साथ भी होगी । मैं तो इन संसदीय कार्य मंत्री से कहता हूं कि ये तो चोर दरवाजे से आए हैं, किसी क्षेत्र से चुनकर आए होते और क्षेत्र की जनता उन पर प्रेशर डालती, जैसे भोपाल सिंह जी पर डाला गया, तो मैं मानता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री लखनऊ के हैं, लेकिन ये इस्तीफा दे देते ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं तो कई बार चुन कर आ चुका हूं । मैं चोर दरवाजे से नहीं आया, ये जरूर उस दिन चोर दरवाजे से भागे थे।

श्री शारदा प्रताप–

यह सब तो आपकी साजिश से हुआ । माननीय अध्यक्ष जी . . .

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री के स्पष्टीकरण से प्रमाणित हो गया है कि उस दिन विधायकों के विरुद्ध जो मोर्चाबन्दी की गयी, उसका संचालन संसदीय कार्य मंत्री ने किया था ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मैं गिरफ्तार हुआ । ये तो वहां साजिश के तहत घूम रहे थे । गालियां इनको भी मिल रही थीं, सारे विधायकों को मिल रही थीं दो तारीख को । यह तो विधायक हैं नहीं, हमारे बड़े भाई हैं, कहूंगा तो बुरा लग जायगा । माननीय अध्यक्ष जी, दो तारीख को जब शिक्षा सचिव के कमरे में विधायक भोपाल सिंह जी अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सचिव से बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब स्पष्ट आदेश कर दिये तो उस आदेश का पालन होना चाहिये । मान्यवर, 30 दिसम्बर, 1987 का मुख्य मंत्रीजी का आदेश 31 दिसम्बर, 1987 को शिक्षा सचिव को मिल गया । उसके बाद पूरी जनवरी गुजर गयी, पूरी फरवरी गुजर गयी और एक मार्च को जब भा0 भोपाल सिंह शिक्षा सचिव पंतजी से मिले तो उन्होंने उस आदेश के मुताबिक माननीय मुख्य मंत्रीजी के यहां आख्या भिजवाई । इम्तहान 8 मार्च से और आख्या एक मार्च को भेजी । उनको यह भी नहीं मालूम कि इनके मामले में क्या किया गया? मैं श्री वीरेन्द्र सिंह, मुजफ्फरनगर के विधायक के साथ जब वहां पहुंचा तो बातचीत चल रही थी । नेता विरोधी दल के यहां से मेसेज आया कि सब लोग यहां आ जायं। शिक्षा निदेशक भी माननीय नेता विरोधी दल के यहां आ गये । नेताजी ने कहा कि अगर मुख्य मंत्री जी ने आदेश कर दिया है तो आप उनके आदेशों का अनुपालन कर दीजिए । मान्यवर, शिक्षा सचिव ने मुख्य मंत्री जी के आदेशों का पालन करना असम्भव बताया और कहा कि आदेशों का पालन नहीं करूंगा । जब नेता विरोधी दल ने कहा कि लिखकर दे दीजिये तो शिक्षा सचिव ने कहा कि फाइल में देखकर लिख दूंगा। उसी बीच में उनके स्टाफ, उनके वैयक्तिक सहायक ने हम लोगों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज करवायी और साजिश करके तमाम [xxx] कर्मचारियों को बुलवाया और तमाम लोगों को एकत्र कर

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

लिया । उसके बाद शिक्षा सचिव ने लिखकर दिया, डायरेक्टर ने लिखकर दिया । उसके बाद खान गुफरान जाहिदी, अजित कुमार सिंह, एहतिशाम–यह कांग्रेस के विधायक भी वहां आ गये । फिर नेता विरोधी दल पहुंच गये, उसके बाद उनका कोई मैसेज आ गया, माननीय नेता विरोधी दल वहां से चले आये ।

भोपाल सिंह जी ने कहा कि आप बुजुर्ग आदमी हैं आपके सामने यह सारी स्थिति है, आप ही तय कर दें कि इसमें क्या होना चाहिये, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं । फिर माननीय जवाहर सिंह यादव जी आ गये, उनके पास आदेश की प्रति थी माननीय मुख्यमंत्री के, वह भी कह रहे थे कि सेंटर इलाहाबाद से बदला जाय चाहे पास के मिर्जापुर या बांदा कर दिया जाय लेकिन इलाहाबाद में वह जगह ठीक नहीं है । माननीय राम जनम यादव जी भी आ गये उनके यहां पर भी इसी तरह का कोई मामला था । कांग्रेस की ही एक महिला विधायक मुरादाबाद की माननीय पुष्पा सिंघल जी भी वहां एक महिला के मामले को लेकर आयी थी, वह महिला बेचारी रो रही थी, मुख्य मंत्री जी के उस संबंध में भी स्पष्ट आदेश थे, उस संबंध में जो दूसरों के आदेश थे, वह तो कंपलाइंस हो गये और उनको सेवा में भी ले लिया गया था, लेकिन उस महिला के संबंध में कार्यवाही नहीं हो रही थी, उस महिला को सेवा में नहीं लिया गया था स्पष्ट आदेश के बावजूद ।

माननीया पुष्पा सिंघल जी ने जब बहुत कहा तब संबंधित फाइल मंगायी गयी और दो घंटे बाद उनके मामले में आदेश हो गये। चाहे उधर के लोग हों या इधर के लोग हों यह जो स्थिति उत्पन्न हुई, सबके लिये एक गम्भीर स्थिति है । मान्यवर, मैं एक बात का उल्लेख और कर देना चाहता हूं । हमारे यहां का एक फोर्थ क्लास का कम्पोजीटर है, उसका निहित स्वार्थों के कारण रामपुर ट्रांसफर कर दिया गया । उसके रिटायरमेंट के चार वर्ष बाकी हैं, वह बेचारा हार्ट पेशेंट है, उसके मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे पत्रों पर चार बार आदेश किये, माननीय नेता विरोधी दल ने लिखा, उस पर माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्ट आदेश किये जब मैं उद्योग सचिव सुरेन्द्र सिंह जी से मिला तो उन्होंने कहा कि इस तरह के आदेश होते रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप संक्षेप में कहकर अपनी बात खत्म करें ।

श्री शारदा प्रताप–

मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, संक्षेप में कह रहा हूं । पिछले आदेशों का संदर्भ देते हुए मैंने फिर माननीय मुख्य मंत्री के आवास पर एक पत्र दिया कि कृपया अपने पूर्व आदेशों के संदर्भ में, इसका परिपालन कराने का कष्ट करें । उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाइन खींचकर उद्योग सचिव को लिखा कि स्थानान्तरण कर दें । उधर उद्योग सचिव कहते हैं कि इस तरह के आदेश मुख्यमंत्री किया करते हैं । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इन मंत्रियों के, इस सरकार के, कोई भी आदेश यह सेक्रेटरी यह ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती है । अगर यह बात

सही न हो तो हम विधान सभा से इस्तीफा दे देने के लिए भी तैयार हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज कहीं इन मंत्रियों की हुकूमत नहीं है, इस सरकार की हुकूमत नहीं है, केवल इस ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत है। भले ही यह लोग सरकार में बैठे हैं तो स्वार्थ में कह दें कि सब ठीक हो रहा है। स्थिति बड़ी गम्भीर है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि हम अरेस्ट हुए, बाद में हम लोगों की जमानत हुई, हम लोगों के लिए एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गयी।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में कहकर समाप्त करें।

श्री शारदा प्रताप–

इसमें भी यह सेक्शन लगे हुए हैं 147, 342, 323, 504, 357 आई0 पी0 सी0। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कल वार्ता में तसलीम किया था कि जिस समय विधायकों को ले जा रहे थे उस समय कुशल पाल सिंह जी के बगल में ऊपर से एक भारी पत्थर गिरा, अगर वह उनके सिर पर गिरा होता तो उस वक्त उनकी मौत भी हो सकती थी। उन लोगों के विरुद्ध भी 307 का मुकदमा कायम होना चाहिए था, परन्तु वह नहीं हुआ। हम लोग गिरफ्तार हुए, जमानत हुई और शिक्षा सचिव, निदेशक शिक्षा और शिक्षा सचिव का वैयक्तिक सहायक जिसने यह साजिश की है यह सारे के सारे लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, लोकतंत्र में यह दोहरा न्याय कैसे चलेगा? मान्यवर, हमारे लिये तो कानून है लेकिन इनके लिये कोई कानून नहीं है। मैं कह देना चाहता हूं कि यह चलने वाला नहीं है। अगर यही स्थिति रही तो यहां जंगल राज्य कायम हो जायेगा, जनता का लोकतंत्र से विश्वास उठ जायेगा। जनता इन बेईमान और भ्रष्ट अधिकारियों से बदला लेने के लिये तैयारी करने लगेगी, फिर आप संभाल नहीं पायेंगे। लखनऊ के एस0 एस0 पी0 और कलेक्टर 6 बजे वहां आ गये थे, लखनऊ का एस0 पी0 सिटी 4 बजे मौजूद था, लेकिन फिर भी इस सब घटना के बाद पुलिस की व्यवस्था नहीं हो सकी, पी0 ए0 सी0 की व्यवस्था नहीं हो सकी। केवल राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडे बरसाने के लिये पुलिस की व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन इस तरह के मामलों में हिफाजत के लिए पुलिस नहीं आ सकती है। आई0 ए0 एस0, आई0 पी0 एस0 की साजिश से यह घटना हुई है। मान्यवर, सारे के सारे लोग यहां पर हंस रहे थे और कह रहे थे कि विधायकों को पीटा जाय। एक विधायक ने कहा कि मैं कांग्रेस का हूं तो उन [xxx] ने कहा कि कांग्रेस के हो तो क्या हुआ, हो तो विधायक ही।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, आपका समय समाप्त हो गया, अपनी बात खत्म करें।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, हम लोग गिरफ्तार हुये लेकिन उन कर्मचारियों की गिरफ्तारी नहीं की गई; यह इस तरह चलने वाला नहीं है और इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यगणों की एफ0 आई0 आर0 थी और जो वहां पर मौजूद थे, उनको मैंने सुन लिया है अब किसी और को नहीं सुना जायेगा । मैं अपना निर्णय दे चुका हूं ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मुझे कहना है कि विषय की गम्भीरता को देखते हुये जो अब तक माननीय सदस्य बोले हैं, वह किसी भी तरह की कोई ऐसी बात नहीं बोले हैं, जिससे व्यवधान उत्पन्न हो । हमारे साथ जो घटना घटित हुयी है, जो अपमान हुआ है, उसी बात को हम लोग यहां पर रखना चाहते हैं । इससे पूर्व जो भी गम्भीर विषय हुआ है, उसको आपने सदैव सुना है । हम कोई व्यवधान वाली बात नहीं कर रहे हैं । हमारे विरोध पक्ष के सदस्यगण नेतागण इस विषय को बड़ी शालीनता से रखना चाहते हैं और वह पूरी तरह नियंत्रित हैं । आप हम लोगों की बात को सुन लें और उसके बाद शासन जो चाहे, उस पर अपना निर्णय लें । आप हमारे सदस्यगणों को जरूर सुनें ।

श्री अध्यक्ष–

मेरे निर्णय के बाद, जो बात आप कह रहे हैं, क्या वह हो सकती है ?

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

(श्री सूर्य प्रताप शाही का नाम पुकारे जाने पर घोर व्यवधान)

मेरे निर्णय के बाद अब कोई बात नहीं सुनी जायगी । मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा । माननीय कल्याण सिंह जी, आप बड़े समझदार व्यक्तियों में से हैं, आप कृपा करके बैठें ।

*श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है, आपका निर्णय इस पर लागू नहीं होता। मान्यवर, आपके निर्णय का जहां तक प्रश्न है, उसको कोई चुनौती नहीं दी जा रही है । हमारा मामला बहुत गम्भीर है और माननीय विधायकों को सदन में आकर जनता के हित के सवाल उठाने पड़ते हैं, अधिकारियों के पास जाना पड़ता है, मंत्रियों के पास जाना पड़ता है । माननीय भोपाल सिंह जी ने जो बयान किया, उसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं और शारदा प्रताप जी ने भी जो बात कही, उसको भी मैं नहीं दोहरा रहा हूं हमारे सामने प्रश्न इतना है कि प्रदेश में क्या लोकतंत्र जिन्दा रहेगा या नहीं रहेगा ? जन प्रतिनिधियों के सम्मान की सुरक्षा रहेगी कि नहीं रहेगी ? मेरा तो यहां तक कहना है कि जब से श्री वीर बहादुर सिंह जी ने मुख्य मंत्री का पद सम्भाला है, उनका कार्यकाल उत्तर प्रदेश के इतिहास में विधायकों के अपमान का कार्यकाल लिखा जायेगा । अपमान केवल विपक्ष का ही नहीं किया गया है, सत्ताधारी पार्टी का भी अपमान किया गया है । इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि आज सचिवालय में कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर सरकार की कमजोरी का फायदा उठाकर, विधायकों का अपमान किया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यदि मुख्य मंत्री जी के आदेशों का परिपालन नहीं होता है, तो माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसे आदेश करते ही क्यों हैं ? या फिर उनके आदेश का जो अधिकारी परिपालन नहीं करता है, उसके खिलाफ कार्यवाही करने में ये हिचकिचाते क्यों हैं ? यह सरकार अफसरशाही की गुलाम हो गई है, उसके चंगुल में यह सरकार जकड़ गई है। कहीं भी किसी भी अधिकारी के पास जब हमारा विधायक जनहित का कार्य लेकर जाता है तो वह सचिवालय की घटना की याद दिलाता है। हमारे विधायक जिन जिलों में गये हैं, वहां पर हर अधिकारी ने इस घटना की याद दिलाई है। किसी ने हमदर्दी दिखाई है तो किसी ने रोष दिखाया है और किसी ने व्यंग से कहा है, इस सारी चीज के पीछे यह मनोभूमिका रही है कि अरे विधायकों यदि किसी जनहित का काम उठाओगे तो आप लोगों के साथ वही हश्र होगा, जो शिक्षा सचिव के इशारे पर सचिवालय के कर्मचारियों ने आप के साथ किया था ।

मान्यवर, 2 रिपोर्ट होती हैं। इन विधायकों की जान कैसे खतरे में पड़ गई, मुझे इस पर ज्यादा नहीं कहना है। श्री अम्मार रिजवी साहब बैठे हुए हैं, कल इन्होंने आपके कक्ष में यह स्वीकार किया था कि ऊपर से एक इतना बड़ा ईंटा फेंका गया, अगर वह किसी के सिर पर पड़ जाता तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती । माननीय संसदीय मंत्री जी ने कहा कि अब ये लोग तो गिरफ्तार हो गये हैं, इसलिए अब तो इनको जाने दो । ऐसी अवस्था में विधायकों को वहां से लाया गया । एक अधिकारी ने रिपोर्ट लिखाई तो तरह-तरह की धारायें लगा दी गई और विधायकों ने जिसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी, उनके खिलाफ सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की । सरकार ने कार्यवाही क्यों नहीं की, इसका जवाब सरकार दे । यदि यही स्थिति रही तो हम सभी को विधान सभा में बैठने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। आज लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है। आज यह सरकार लाठी, गोली व बन्दूक से शासन चलाना चाहती है, मैं बताना चाहता हूं कि इसका हश्र अच्छा नहीं होगा । विधायकों की ओर से जो रिपोर्ट लिखाई गई शिक्षा सचिव व अन्य अधिकारियों के खिलाफ, उनके खिलाफ आज तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई । यह कोई विरोध पक्ष का मामला नहीं है बल्कि इस आदरणीय सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य के सम्मान का प्रश्न है। जो आज इधर के लोगों के साथ किया गया है, कल उधर के लोगों के साथ भी होगा । विधायकों की रिपोर्ट पर शिक्षा सचिव व अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा गया, जिस तरह से विधायकों की जमानत हुई थी, उस तरह से उनकी जमानत भी होनी चाहिए थी ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश जी व श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जी के खड़े होने पर)

श्री अम्मार रिजवी–

मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं, आप लोग फिर बोल लें । मान्यवर, बेहतर तो यह होता, जैसा कि आपका निर्णय हो गया था कि विशेषाधिकार के बाद इसे यहां पर न उठाया जाय । यह बात तय हुई थी कि जो लोग इससे प्रभावित

हुए थे, श्री शतरुद्र प्रकाश जी भी उस समय वहां मौजूद थे, वे 2-3 मिनट में अपनी बात कह दें और मामले को खत्म करें। जनरल डिबेट करने की कोई बात नहीं हुई थी। इस मामले पर यहां पर चर्चा करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, यही मुझे निवेदन करना है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मसला है और यह सही है कि हम सारे लोग इस समय विपक्ष में बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें जितने भी लोग राजनीति कर रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सबके सामने गम्भीर समस्यायें आ जाती हैं। जो 2 तारीख को घटना घटी है, उसे मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के नजरिये से नहीं देखना चाहता हूं।

मैं समझता हूं कि इस समय जो परिस्थिति आ गयी है, ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी असली मालिक है। इसमें कुछ मजबूरियां और कुछ कमजोरियां हो सकती हैं राजनीति करने वालों की। जहां तक आलोचना का सवाल है, विपक्ष में बैठकर हम आलोचना करते हैं, लेकिन इस घटना के लिये जहां तक है, हम मानते हैं कि वीर बहादुर सिंह जी की सरकार जिम्मेदार है। इस समय जो लोग राजनीति कर रहे हैं, सबको जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि जनतांत्रिक संगठन कमजोर होते जा रहे हैं। चाहे लोक सभा हो या राज्य सभा हो या विधान सभा हो, इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा और इस चुनौती का भी मुकाबला करना होगा। जो लोग राजनीति करते हैं, उन सबको मिलकर अफसरशाही का मुकाबला करना होगा। इस व्यवस्था में जितनी भी शक्तियां हैं, अधिकार हैं, वह सब कार्यपालिका में निहित हो गये हैं। मंत्रि-परिषद चाह कर भी कुछ ऐसा फैसला नहीं कर पाती है, जैसा फैसला करना चाहिये। मुख्य मंत्री, चाहे वह संसदीय कार्य मंत्री हों या राज्य मंत्री हों, राज्य मंत्रियों की हालत तो ऐसी हो गयी है कि कुछ नहीं कहना है, एक काबीना स्तर का मंत्री चाह करके भी कोई फैसला नहीं कर पाता है। यह बड़े अफसोस की बात है कि राजनीति करने वाले इतने मजबूर हैं कि ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिज्ञ के बीच कोई दरार नहीं डाल पा रहे हैं।

मैंने संसदीय कार्य मंत्री को देखा था और मैं भी वहां मौजूद था। मैंने जो देखा था, उसकी अनुभूति मुझे है। राजनीति करने वाले को पल-पल में तिरस्कार और उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। चाहे हम अपने कमरे में बैठे हों या कहीं और बैठे हों, मामूली से मामूली आदमी के भी व्यंग्य सुनते हैं और उसके लिए ऐसे आदमी के दरवाजे पर जाना पड़ता है, जहां पर कि हमारी आत्मा नहीं कहती है कि वहां जांय लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए वहां जाना पड़ता है। अगर हम अपने स्वाभिमान को देखने लग जांय, तो एक मिनट भी राजनीति नहीं कर पायेंगे।

आजकल राजनीति करने के लिये पत्थर का कलेजा चाहिए । मैं समझता हूं कि उस दिन लगभग एक घण्टे मुझे भी वहां पर मौजूद रहने का मौका मिला । मुझे ऐसा लगा कि संसदीय कार्य मंत्री भी असहाय हो गये हैं और उनके साथ ही पूरी सरकार असहाय हो गयी है। दो घण्टे तक माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी गिड़-गिड़ाते रहे लेकिन आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 उनके आदेश का पालन नहीं कर पाये । हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं लेकिन आपको उस खतरे से आगाह करना चाहते हैं, सत्ता के मद में अगर आपने उस खतरे की कल्पना नहीं की तो पूरी मंत्रिपरिषद्, मंत्रीगण, विरोध पक्ष के सदस्य और सत्ता पक्ष के सदस्य एक दिन पूरी नौकरशाही के आगे नतमस्तक हो जायेंगे । मैं कोई दुर्भावना या बदले की भावना से नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जैसा कि माननीय मुलायम सिंह जी ने और माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा कि कानून का राज्य होना चाहिए और उसके अंतर्गत सबको बराबर की समानता होनी चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं । यह दुर्भाग्य की बात है कि उस दिन मा0 भोपाल सिंह के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 लाज करायी गयी और इसके लिये संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा विकल्प नहीं था । मुझे उनकी मजबूरी पर तरस आ रहा है कि तीन घण्टे तक माननीय सदस्यों को घेरे रखा गया हो और भीड़ के हाथ में पत्थर, डंडा हों, हम लोग तो निहत्थे ही चलते हैं और आप लोगों से न तो बन्दूक के और न रिवाल्वर के लाइसेन्स मांगते हैं । हम लोग निहत्थे ही जनता के काम को कराने जाते हैं । आप ही सोचिये कि जब कोई भीड़ हाथ में डंडा और पत्थर लेकर घेर लेगी तो आप काम क्या करा पायेंगे ?

जो सरकार की असहायता है उसको देख कर मैं तो दंग रह गया ? जिन लोगों ने विधायकों को लाठी और डंडे, पत्थर को लेकर घेराव करने और मारने का काम किया और इस पर संसदीय कार्य मंत्री अपनी असहायता का वर्णन करते हैं । हो सकता है कि भीड़ किसी मजबूरी के वश या किसी गलत भावना के तहत या अल्प बुद्धि के तहत भड़क उठी हो, लेकिन सचिवालय में यहां उस दिन यह देखने में आया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि यहां अपराधी वह बनाया गया जिसका कोई अपराध नहीं था और जिसका अपराध था, वह अपराधी नहीं बनाया गया, खुला छोड़ दिया गया ।

मैं विपक्ष के नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के सारे साथियों से और माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो घटना घटी है यह किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुई है बल्कि वे जिसका मामले लेकर के गये थे कि छात्राओं के सेन्टर को बदला जाय और यदि बदला जाय तो सबसे नजदीक के सेन्टर में उनका सेन्टर रखा जाय । एक परीक्षा केन्द्र जो कि दो किलो मीटर की दूरी पर वहां से था लेकिन दो कि0 मी0 दूरी वाले केन्द्र पर उनका परीक्षा केन्द्र न रख करके 14 कि0 मी0 दूरी वाले केन्द्र पर छात्राओं का केन्द्र रखा गया । माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया था कि सेन्टर बदल दिया जाय, इसके बारे में आग्रह करना कोई इतना बड़ा अपराध तो नहीं हो जाता कि आग्रह करने वाले की जान व माल का खतरा हो जायेगा ?

इस समय सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इसको गंभीरता से देखे ताकि माननीय मुलायम सिंह तथा माननीय कल्यान सिंह को ऐसा न लगे कि यह सरकार कानून का राज्य नहीं चला रही है बल्कि पक्षपात के आधार पर कानून चल रहा है । आज हालत यह है कि यह सरकार श्री वीर बहादुर सिंह की सरकार नहीं है बल्कि यह सरकार आई0 ए0 एस0 अफसरों की सरकार होकर रह गयी है । यदि ऐसा लगने लग जायेगा तो कोई कुर्सी, कोई गद्दी बच नहीं पायेगी । जिस सदन में आज खड़े होकर हम बोल रहे हैं, यह सदन भी नहीं रह जायेगा । जब विधायक जनतांत्रिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पायेगा तो कोई जनतंत्र इस देश में नहीं रह जायेगा । इसलिए मैं चाहूंगा कि यह सरकार अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करे ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अभी संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि क्या तय हुआ था ।

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय मूलचन्द और कुशलपाल सिंह भी वहां उपस्थित थे, उनको तो आप बोलने का मौका दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

मूल चन्द जी, आप बोलिए ।

*श्री मूल चन्द–

मान्यवर, अदब के साथ मैं आपके समक्ष मजबूर होकर के बेअदबी किया, इसके लिए मैं पहले क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी बात कहना चाहता था मगर दुर्भाग्य था कि आपने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया ।

श्री अम्मार रिजवी–

तब उन्हें पता नहीं था कि आप भी वहां पर मौजूद थे ।

श्री मूल चन्द–

दिनांक 2 मार्च को घटना हुई, संयोग से उस समय मैं वहीं पर था, मैं भी किसी काम से गया हुआ था। वहां पर माननीय भोपाल सिंह जी पहले से मौजूद थे और यह कह रहे थे कि सरकारी नीति के अनुसार छात्राओं के परीक्षा-केन्द्र जो हैं, वह नजदीक से नजदीक हों, लेकिन उन नीतियों का पालन नहीं हो रहा है, इस बात को लेकर मैं 30 दिसम्बर को जब माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला और अनुरोध किया तो इस पर माननीय मुख्य मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दे दिए, जिसे लाकर मैंने आपको दे दिए। आपने फरमाया कि कल आ जाना, कर दिया जायगा। इस आश्वासन के अनुसार मैं उसके दूसरे दिन आया, तब नहीं हो सका। एक बार और आ चुका हूं और आज फिर आया हूं। इस प्रकार से मैं आपके आश्वासनों के हिसाब से कई बार आ चुका हूं, यदि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ऐसा ही था और आपको मुख्य मंत्री के आदेशों का पालन नहीं करना था तो मुझे पहले ही दिन बता दिया होता तो इस बात को अपने क्षेत्र में इस तरह से न कहता या फिर माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलता कि आपके स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी पालन नहीं हो रहा है। इनकी इस बात पर मैं भी बोला कि यह उचित नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेशों की अवहेलना हो, क्योंकि जब माननीय मुख्य मंत्री जी किसी बात पर स्पष्ट आदेश कर दें तो यह विश्वास हो ही जाता है कि काम होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर उन अधिकारी साहब ने कुछ कहा, यह बातें हो ही रहीं थीं कि आवेश में आकर माननीय भोपाल सिंह जी ने यह कह दिया कि यह एक ऐसा अधिकारी है जिसे हमारे मेरठ की लड़कियों ने चूड़ियां पहनाई और दुपट्टा दिया। यह बातें इन्होंने आवेश में आकर अवश्य कहीं, जो बात सही है, वह मैं साफ-साफ कह रहा हूं, बस मान्यवर इस कथन के बाद ही उन अधिकारी साहब ने क्या किया, मैं समझ नहीं सका कि एका-एक उस कमरे के बाहर भीड़ जमा हो गयी और ज्योंही हम लोग वहां से निकलना चाहे, उस भीड़ ने निकलने नहीं दिया और बुरी-बुरी गालियां देनी शुरू कीं और मार-पीट पर वह भीड़ अमादा हो गयी, अगर कोई यह कहे कि मैं तो विधायक हूं कांग्रेस का, तो इस पर भीड़ और उत्तेजित हो उठी और कहा कि होगे विधायक, बस विधायक के नाम से बुरी तरह से पिटाई शुरू हो जाती। यहां तक एक पत्रकार खद्दर के कपड़े पहने हुए उधर से निकले, उन पर लोग विधायक समझकर टूट पड़े, उनको टक्कर मारना शुरू कर दिया। मान्यवर, ऐसी बुरी तरह से पिटाई हुई है माननीय सदस्यों की और ऐसी गालियां दी गयीं हैं, जिनका यहां कहना उचित न होगा । उसके बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आए इन्होंने भीड़ से हम लोगों को बचाया और जब हम लोग अपने-अपने घर पहुंच गये तो वहां पर पुलिस पहुंची और मुझसे पूछा कि विधायक जी आपके चोटें तो नहीं आयीं, तो हमने कहा कि कोई विशेष बात नहीं है और न ही कोई खास चोट आयी है । फिर भी उन्होंने कहा कि विधायक जी आपको डाक्टरी करानी है, हमने कहा कि नहीं जाने दो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है और डाक्टरी की भी आवश्यकता नहीं है, फिर उन लोगों ने आग्रह किया कि नहीं आप चले चलिए, माननीय भोपाल सिंह जी भी आ गये हैं तो मैंने कहा कि अगर कोई कानून की बात है, जिसमें मेरे जाए बगैर काम नहीं बन सकता है तो मैं जरूर चलूंगा । फिर हम लोग वहां गये और वहां पर फिर माननीय भोपाल सिंह जी की जमानत हुई ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मूलचन्द जी, अब आप अपनी बात को समाप्त करिये ।

श्री मूलचन्द —

और हमारी एफ0आई0आर0 हुई तभी एस0 पी0 (सिटी) साहब ने कहा कि यदि हम लोग समय से न पहुंच गए होते तो वह भीड़ आप लोगों को मार ही डालती । तभी मैंने फिर उनसे कहा कि यदि उन लोगों को मार डालने की नियत थी तो इस पर कौन सी दफा हुई? एफ0आई0आर0 लिखवा ली और फिर जमानत हो गयी। पेपर में निकल रहा है, नियम और कानून तो सभी के लिए हैं । कोई भी विधायक हो, सभी को सोचना चाहिए । कर्मचारी हमारे भाई हैं, लेकिन गुन्डे पता नहीं कहां से आ गये जिन्होंने विधायकों का अपमान किया। आज अपमान विधायकों का हुआ है उसमें आप

भी हैं । आपकी स्थिति भी यही, मेरा निवेदन है कि नियम और कानून का पालन हो। मैंने मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था कि कोई भी स्पष्ट आदेश न किया करें और अगर किया करें तो उनका पालन कराया करें। हम आपके आदेशों की फोटो कापी कराकर जनता में दिखाया करते हैं कि यह आपके आदेश हैं । तो मेरा निवेदन है कि जो भी आप आदेश करें उनका पालन अवश्य करायें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, विधायकों के मामले में जो चर्चा चल रही है उसका कारण यह है कि आज जो कार्यपालिका प्रदेश में काम कर रही है और देश में काम कर रही है उसको एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है और यह ट्रेनिंग दी जाती है कि आप आम लोगों से ऊपर हैं। अंग्रेजों ने जो ट्रेनिंग दी थी वही आज भी है। मुख्य मंत्री के आदेशों का मजाक किया जाता है। कमरे में बैठकर उनके आदेशों का मखौल उड़ाया जाता है उसका कारण यह है कि उन लोगों ने एक विशेष लाबी बना रखी है आज तक इसी सदन में बड़े-बड़े अधिकारियों के भ्रष्टाचार का जिक्र हुआ लेकिन उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। सम्भवतः उनके विरुद्ध कार्यवाही हो गयी होती तो यह स्थिति आज न आती। एम0 डी0 चेयरमैन और सेक्रेट्री के जो कार्यालय हैं उनको अगर आज देखें तो मालूम हो जायगा कि असली शासन कौन कर रहा है, आई0 ए0 एस0 कर रहा है या मंत्री कर रहा है। उनमें जमीन आसमान का अन्तर है, एक जनता का प्रतिनिधि है उसके कमरे को देख लो और एक जो कार्यपालिका का अधिकारी है उसके कमरे को देख लो तो पता चल जायेगा कि कितना फर्क है । आई0 ए0 एस0 अधिकारी मंत्री या मुख्य मंत्री के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं। मुख्य मंत्री जी ने कई अधिकारियों से सामने बात कही और उन्होंने बात मान ली लेकिन जब वह बाहर गये तो उसका उल्टा कर दिया। आन्ध्र प्रदेश में 9 आई0 ए0 एस0 अधिकारियों का अपहरण नक्सल वादियों ने कर लिया था, यह मामूली घटना नहीं है लेकिन आधी रात को नवों अधिकारियों को छोड़ दिया गया। अगर कोई राजनीतिज्ञ इस प्रकार से गिरफ्तार किया जाता तो इतनी जल्दी न होती। विधायक जो विधायिका के अंग हैं जो नियम और कानून बनाते हैं उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। मुख्य मंत्री जी ने दिसम्बर में आदेश किये, लेकिन उनका कार्यान्वयन नहीं हुआ अगर कार्यान्वयन नहीं हो सकता था तो मुख्य मंत्री जी को जनवरी में सूचित कर देते लेकिन नहीं किया और जब विधायक लोग गये तो कह दिया कि मुख्य मंत्री के आदेशों का कार्यान्वयन नहीं हो सकता है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जब तक आप कार्यवाही नहीं करेंगे, दो चार वरिष्ठ अधिकारियों को सशपेन्ड नहीं करेंगे या निलम्बित नहीं करेंगे तब तक इसी तरह की घटनायें होती रहेंगी। रामाराव ने कई आई0 ए0 एस0 अधिकारियों को मुअत्तल किया है, देवी लाल ने किया है यह केवल पर्याप्त नहीं है कि उनके खिलाफ रिपोर्ट लिख दी जाय और उनके खिलाफ कार्यवाही हो जाय। यह पर्याप्त नहीं है। आज यह विधायकों का अपमान नहीं हुआ है, 4/5 विधायकों का ही अपमान नहीं हुआ है बल्कि पूरी विधान सभा का अपमान हुआ है। आपने

कृपा-पूर्वक उसे विशेषाधिकार समिति में भेज दिया है। लेकिन मान्यवर, वहां पर यह लंबित हो जायेगा और उसे मामले की जो गम्भीरता है वह समाप्त हो जायेगी। इसलिये मेरी आपसे मांग है और इस सरकार से भी मांग है कि ऐसे आई० ए० एस० अधिकारी को आप निलंबित कर दें, उसको जेल भेज दें और तब उसके ऊपर कार्यवाही करें। तब देखें कि आपके आदेशों का पालन होता है या नहीं। लड़कियों का सेन्टर दो किलोमीटर पर रख लिया जाय, नियमावली बना दें। लड़कियां क्या 40 किलो मीटर दूर परीक्षा देने जायेंगी। मान्यवर, आप भी गांव से आते हैं आपका भी सम्बन्ध गांवों से है। वह अगर 40 किलो मीटर पर जायेगी तो वह कहां पर रहेगी। वहां कोई धर्मशाला बना है या होस्टल है? यदि यह नियम बनाया है, तो गलत बना है। यह किसकी जिम्मेदारी है– निदेशक की जिम्मेदारी है, शिक्षा सचिव की है या विधायकों की है।

अगर माननीय सदस्य उनके पास सही सवाल लेकर गये थे तो इसका मतलब यह था कि उनको अपमानित किया जाय, उनको चार-चार घंटे तक रेगफुल कन्फाइनमेंट में रखा जाय। उसके बाद खुद संसदीय कार्य मंत्री ने प्रयास किया। उनका सराहनीय कार्य था। चार-चार घण्टे तक विधायक खड़े रहे और आपकी पुलिस कुछ नहीं कर पायी। निहत्थे होते तो आपकी पुलिस उनको भी मार देते। आप भी उनके ऊपर कोई कार्यवाही करने में कतराते हैं। इस प्रकार दो नियम कैसे चलेंगे ? मैं कहना चाहता हूं कि इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यहां पर भी आंध्र की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसलिये इस पर यह जवाब काफी नहीं है कि इस पर विचार किया जा रहा है, कार्यवाही होगी। मान्यवर, इस पर त्वरित और प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए जिससे वह लगे कि विधायिका सर्वोपरि है और जो वह कहती है, जो मुख्य मंत्री और मंत्री कहते हैं उसका क्रियान्वयन अवश्य होना चाहिए

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा नेता विरोधी दल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी, आपके नेता बोल चुके हैं। सत्यपाल जी, आप खड़े हैं तो इधर मुखातिफ हों। . . .

(व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य श्री अम्मार रिजवी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे भी आप मौका दें।

श्री अध्यक्ष–

आप किस दल के नेता हैं ?

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैंने आपको सूचना देने का प्रयास किया और आपके चैंबर में भी गया था।

श्री अध्यक्ष–

अब आप सुनें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं इस घटना के बारे में नहीं कहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता । माननीय बरार जी, मैं आपसे बड़े अदब के साथ अनुरोध करूंगा कि आप बैठ जांय . . . (व्यवधान) बैठ जांय।

श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या आपका निर्देश है कि मुझको बोलने न दिया जाय ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

एक व्यवस्था का सवाल है । लगातार मैं देख रहा हूं कि आपकी चैयर से इस तरह का [xxx] नहीं होना चाहिए । लगातार जब भी जन मोर्चा का कोई सदस्य खड़ा होता है उसको आप क्यों नहीं बोलने देते । . . . (व्यवधान) । मुझे अधिकार है कहने का । जन मोर्चा के विधायकों को भी बोलने की इजाजत होनी चाहिए । रोजाना यही हो रहा है कि जब भी जन-मोर्चा का विधायक खड़ा होगा तो आप बोलने नहीं देते । आप इस गरिमामय कुर्सी पर बैठे हैं इसलिए इस कुर्सी से पक्षपात नहीं होना चाहिए और उनको भी बोलने का मौका देना चाहिए । . .

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, जब नियम 56 प्रारम्भ हुआ तो संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि जो-जो इस घटना में मौजूद थे और जिन्होंने नियम 56 में दिया है उनको बोलने की इजाजत दे दें। मेरी बात को तो आप मानते नहीं हैं और संसदीय कार्यमंत्री का दबाव पड़ा तो फौरन मान गये । (व्यवधान) जब बरार साहब मौजूद थे तो उनको भी बोलने की इजाजत दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने नियम 56 में स्वीकार नहीं किया है ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री सत्यपाल सिंह–

तो फिर किस में स्वीकार किया है ? किस में बुलवा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने नियम 56 में स्वीकार नहीं किया है । उसमें मैंने पहले ही कहा कि यह मामला विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया है ।

(शोर)

श्री सत्यपाल सिंह–

जब उन्होंने लिख कर दिया है और फिर जब जो मौजूद थे उनको सुन रहे हैं तो बरार साहब को भी सुन लीजिये ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, जिस दिन यह घटना हुई थी और जब रिपोर्ट भी नहीं लिखी गयी थी उस समय मैं विधान सभा के परिसर में मौजूद था । मैं आपको भी सूचित करने के लिये गया था और मैंने यह भी प्रयास किया कि संसदीय कार्य मंत्री जी को भी इत्तला कर दूं (व्यवधान) लेकिन उनके घर से जानकारी मिली कि वे काकोरी चले गये । उसके बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री घटनास्थल पर पहुंच गये । अगर यह घटना स्थल पर न पहुंचते तो इनको सफाई देने का मौका देने की बात थी । जब यह मौजूद हों, मैं विधायकों की बात नहीं कहना चाहता हूं जहां पर माननीय मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री बैठ कर शासन करते हैं उसी भवन में कुछ नागरिकों का हजारों की भीड़ जिसमें असामाजिक तत्व ईंट पत्थर से लैस हों, जिसको इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, जहां पर यह शासन चलाते हैं उसमें साढ़े तीन घंटे तक घेराव हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रदेश के गांवों या शहरों की क्या स्थिति होगी । यहीं पर विधान सभा के सामने जो डेढ़ सौ आदमी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उनको पुलिस ने घेर कर दो मिनट में हत्या कर दी । लेकिन सचिवालय के अंदर यह अपना प्रशासन नहीं चला पाये प्रदेश के बाहर क्या कर पायेंगे ? जहां पर यह शासन चलाते हैं वहां पर साढ़े तीन घंटे तक हजारों की भीड़ कुछ नागरिकों को बंधक बनाये रखे और इनकी पुलिस वहां पर न पहुंचे और जब मंत्री जी हाथ जोड़-जोड़ कर कहते हैं कि जल्दी कुछ व्यवस्था कीजिये और इनके प्रशासनिक अधिकारी हंस रहे हों, विधायकों पर हंस रहे हों और मंत्रियों पर हंस रहे हों, मैं अधिकारियों को दोष नहीं देता हूं, मैं नहीं मानता कि उनकी गलती है क्योंकि जब नियंत्रित करने वाले लोग अक्षम हों और उनसे नजरें झुकाकर बात करने वाले हों तो फिर उनसे काम नहीं लिया जा सकता है । मान्यवर, आप जानते हैं कार्य स्थगन प्रस्ताव इसलिये लाया जाता है कि जब किसी इलाके में शांति व्यवस्था भंग हो गयी हो या ऐसी आशंका हो । तो इसे विधान सभा के साये में, सचिवालय में जहां पर सरकार बैठती है, शासन करने का दावा करती है वहां पर साढ़े तीन घंटे तक इनका आदेश न चलता हो और हजारों असामाजिक तत्व वहां पर पहुंच जांय उस घटना को कार्यस्थगन में स्वीकार नहीं करेंगे तो किस को करेंगे ? क्या उस दिन कार्यस्थगन स्वीकार करेंगे जब यहां पर विधान सभा में बैठे हम लोगों को लोग घेर लेंगे और ईंट पत्थर फेकेंगे ? जब यह कार्यस्थगन का प्रस्ताव नहीं बन सकता है तो फिर कोई भी प्रस्ताव कार्यस्थगन का नहीं बनेगा ।

मान्यवर, हम सामान्य जनता के लिये न्याय की मांग करते हैं, हम विधायकों के लिये विशेषाधिकार की मांग नहीं करते हैं । हम अपने लिये विशेषाधिकार की मांग नहीं करते हैं लेकिन इस प्रदेश के 8 या 10 नागरिकों को सचिवालय में घेर कर जान से मारने का प्रयास किया जाये और उसके बाद उन्ही के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने का षड़यंत्र रचा जाये और सरकार अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेगी तो गांव और जिलों में क्या कार्यवाही होती होगी जहां कितने ही लोग मारे जाते हैं । इसलिए कम से कम दोनों ओर की रिपोर्ट दर्ज हों और दोनों तरफ के लोग गिरफ्तार होने चाहिए ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इस समय मैं जो बात कह रहा हूं उससे मुझे काफी दुख है । दुख इस बात का है कि जो घटना घटी इसमें मैं समझता हूं कि कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं है । मेरा दोष यह जरूर है कि जब सूचना मुझको मिली मैं काकोरी शरीफ जा रहा था, वहां का कार्य-क्रम उस समय मैंने स्थगित किया और सीधा यहां सचिवालय आया । जब मैं यहां पहुंचा तो देखा कि दो-ढाई हजार लोग सचिवालय गेट से लेकर शिक्षा सचिव के कमरे तक पूरी तरह से घेरे थे । पुलिस का एक ट्रक बाहर खड़ा था । मैंने अपने अंगरक्षक से कह दिया था कि मैं अकेला जाऊंगा मेरे साथ कोई नहीं जायेगा, प्रेस के भी कुछ लोग वहां मौजूद थे, श्री गुफरान जाहिदी जी भी थे, श्री हरिकृष्ण अवस्थी, विधान परिषद् के सदस्य भी मौजूद थे, जिस सदन को माननीय शारदा प्रताप जी कहते हैं कि वह चोर दरवाजा है, वह सम्मानित सदन है । मैंने वहां जाकर देखा कि विधायकगण कमरे में हैं और भीड़ बाहर उग्र है कर्मचारी कह रहे थे कि जब हमारे अफसरों का घेराव हो रहा था तब मंत्री जी आप कहां थे, 4-5 घंटे घेराव किया गया उन्हें निकलने नहीं दिया गया, और अब विरोधी दल के विधायक जब घिरे हैं तब आप यहां आये हैं । मान्यवर, प्रजातंत्र की सबसे बड़ी बात है कहने की और सुनने की हिम्मत तो सभी को होती है । तो वहां इस प्रकार की बात कहीं गयीं जिनको मैं यहां दोहराना नहीं चाहता हूं । जो स्थिति वहां उत्पन्न हो गयी मैं चाहता था कि उसका जिक्र यहां न आये लेकिन जैसा कि माननीय बरार जी ने कहा कि इस तरह के निकम्मे लोग होंगे तो यही होगा तो पूरी तरह गैर-जिम्मेदार लोग होंगे तो कहीं भी किसी तरह की स्थिति पैदा हो सकती है ।

मान्यवर, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है । पायनियर अखबार का इडीटोरियल इस संबंध में पढ़ने लायक है, उसमें लिखा है कि यदि जन प्रतिनिधि अपनी इज्जत की चिन्ता आप नहीं करते, अपने को नियंत्रित नहीं करते तो वह दिन दूर नहीं है जब जहां भी कोई न कोई क्रामवेल पैदा हो सकता है और वह यह कह सकता है कि "यू हैव डन एनफ मिस्चीफ फार गाड सेक प्लीज गो ।" इसका हिन्दी में अनुवाद है-यहां पर जो कुछ तुम्हें करना था वह कर चुके हो, खुदा के लिये अब यहां से जाओ । मान्यवर, शर्म आना चाहिए जिन्होंने ऐसा वातावरण वहां पैदा किया । (व्यवधान) श्री भोपाल सिंह की बात यह सही है कि जिस समय आदेश मुख्य मंत्री जी ने दिये थे तो शिक्षा सचिव को उन आदेशों का यदि पालन नहीं हुआ था तो श्री भोपाल सिंह को सूचित कर देना चाहिए था ।

मान्यवर यह बात बिल्कुल सही है । माननीय विधायकगण को इसके पहले इत्तिला दे देना चाहिए थी, यह भी बात सही है, लेकिन यदि कोई अधिकारी अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा है तो क्या हमारे अधिकार में है कि हम उससे जबरदस्ती कोई चीज करायें। इससे पहले शिक्षा मंत्री का यहां पर स्टेटमेंट हो चुका था, परन्तु उसकी आड़ नहीं ली जा सकती, हालांकि यह आदेश 30 दिसम्बर का था । तो यह सारी चीज है, दुखद घटना है और मैं यह चाहूंगा कि यह ऐसी दुखद घटना है किसी के साथ फिर नहीं किसी अफसर का घिराव हो सकता है और किसी पब्लिक रिप्रेजेनटेटिव का घिराव हो सकता

है। जो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई, वह बड़ी गम्भीर है, उस पर हमें चिंता है। अब हमारे जाने पर टीका- टिप्पणी करते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री वहां पर मौजूद थे. जो लोग वहां पर मौजूद थे जानते हैं-एक कोई साहब थे, जो सदस्य नहीं थे, कोई गुप्ता जी थे, जब मुझे सूचना मिली कि उनको घेर लिया गया है। अंधेरे में जाकर मैंने उनको बचाया मेरी अचकन तक खींची गयी है और लोग भी वहां आये, श्यामसूरत जी आ गये थे, माननीय बरार साहब की हिम्मत हम जानते, एयर फोर्स में रह चुके हैं, यदि उस वक्त वहां आकर भीड़ में आकर उन्हें बचाने का प्रयास करते तो हम उनको वीर मानते। वीर बहादुर सिंह जी सरकार के सदस्य ही वहां पर पहुंचे जाहिदी और अवस्थी जी के अलावा वहां पर अन्य कोई व्यक्ति नहीं गया था। आप एतराज करते हैं। आप मुंह छिपाये खड़े रहे। इसी सचिवालय में मान्यवर, यह आप के कमरे के करीब मुंह छिपाये खड़े रहे। उनके हिम्मत होती तो वह भीड़ के बीच से जाकर कहते कि हम आपको बचाने आये हैं। मान्यवर, यह कागजी शेर हैं और कालीन के शेर हैं। जो केवल कालीन पर ही दिखाई देते हैं मैदाने जंग में नहीं। वहां से तो यह दुम दबाकर भाग जाते हैं। मैदाने जंग में इनकी सूरत तक नहीं दिखाई देती है। यह घटना बहुत दुखद है, हमको बहुत दुख है। माननीय मुख्य मंत्री जब दिल्ली से आये तो सबसे पहले कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त कराने की बात थी एक तनाव पैदा हुआ था। मान्यवर, क्या यह बात सही है कि जो इन्होंने एकपक्षीय रूप से कर्मचारियों को दोषी करार दे दिया जाये. (व्यवधान) कुछ लोग साथ छोड़ गये हैं क्राइसेस में। इस तरह से एकदम से साथ छोड़कर जो लोग भाग गये वह असली हैं या हम असली हैं। जिसके सामने खड़े होकर हमेशा हाथ जोड़ा करते थे और हर समय पर कहा करते थे, कि आप सबसे बड़े नेता हो, जिनकी किताबें छपी हैं, आर्टिकल छपे हैं इस पर। आने वाला इतिहास बतायेगा कि कौन अवसरवादी है, अपारचुनिस्ट हैं और कौन अपने स्वार्थ के लिए साथ थे। . (व्यवधान) जिन लोगों ने काशीपुर में जाकर अंदर-अंदर कांग्रेस का विरोध किया, इस इपीसोड को मत पूछो. . (व्यवधान) अब हमारी बात सुननी पड़ेगी . . (व्यवधान)

"वह दुनियां और थी, जहां तुम रोक लेते थे जुबां मेरी,
यह महशर है, यहां पर सुननी पड़ेगी दास्तां मेरी।"

बात तो हमने आपकी भी सुनी है, आपने कहा कि हम नालायक हैं, निकम्मे हैं, अयोग्य हैं, शर्म से सर झुकाये बैठे हैं। हम तो शर्म से सिर झुकाए बैठे हैं, क्योंकि शर्मदार हैं बेशर्म क्या सर झुकायेंगे।

अफसोस है मान्यवर, मैंने पूरा प्रयास किया, तीन घंटे तक प्रयास करता रहा। पुलिस पूरे शहर में लगी हुई थी। फोर्स लगाने के लिए मैंने कहा, तो पता चला. कि एक ट्रक. केवल पी0ए0सी0 है। मैंने कहा चार-पांच ट्रक बुलाये जाएं लेकिन यह संभव तुरन्त नहीं हो सका। तो मान्यवर जैसा मैंने पहले भी कहा कि दुख है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि इस मामले की जांच करायें और न्याय करें। मैं पूरी तरह से सहमत हूं बात ऐसी होनी चाहिए कि माननीय कल्याण सिंह जी को लगे कि न्याय हुआ है। माननीय मुलायम सिंह जी को लगे कि न्याय हुआ है।

माननीय सत्यपाल जी को लगे कि न्याय हुआ है। इस सदन को लगे कि न्याय हुआ है और साथ ही साथ इस प्रदेश की जनता को लगे कि न्याय हुआ है यही मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, आपने माननीय बरार साहब को बोलने की अनुमति नहीं दी । माननीय संसदीय कार्य मंत्री का बौखलाहट भरा भाषण सुनने के बाद में भी यह समझता हूं कि माननीय बरार साहब को बोलने दिया जाए, ऐसा निवेदन क्यों कर दिया । मान्यवर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से बड़ा भरोसा था कि यह अनुभवी मंत्री हैं और यह किसी बौखलाहट में न भरकर कोई सही बात कहेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसी बात कही कि सबसे बड़ी कमजोरी रही कि मैं वहां पहुंच गया । (व्यवधान)

एक सदस्य–

ऐसा नहीं कहा था ।

श्री सत्यपाल सिंह–

आप लोग तो बाद में ऐसा कहते ही हैं कि ऐसा नहीं कहा था। तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी की कमजोरी यह नहीं थी कि यह वहां पहुंच गये, माननीय मंत्री जी की यह कमजोरी है कि यह एक कमजोर सरकार के मंत्रीमंडल के सदस्य हैं और यही इनकी कमजोरी का प्रतीक है । हमारे माननीय सदस्यों ने कोई गलत काम नहीं किया है किसी कानून की अवहेलना नहीं की है। सूचना आपको हमारे किसी माननीय सदस्य ने नहीं दी । आपके किसी शासन के अधिकारी ने ही आपको यह सूचना दी । अगर इन्होंने कोई गलत काम किया होता तो यह सूचना आपको पहले भी मिल सकती थी । हमारे माननीय विधायक वहां गये थे तो इसलिए गये थे कि आज 8 तारीख है और आज से परीक्षाएं हैं दो तारीख को होली की छुट्टी थी, तो यह प्रश्न उसी दिन तय हो सकता था । सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपनी समस्या को लेकर वहां पहुंचे थे । एक आध काम उसमें हुए भी ।

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्यों ने बताया कि सचिवों के पद की आचार संहिता होती है उसमें यह सर्वमान्य नियम है कि माननीय मुख्य मंत्री या मंत्री कोई आदेश करता है वह कानून से परे है तो समुचित समय के अन्दर एतराज लगाकर भेजें । उससे मंत्री जी सहमत होंगे तो वैसे आदेश कर देंगे अगर सहमत नहीं होंगे तो वैसे आदेश कर देंगे । सत्ता पक्ष में बैठे हुए मुख्य मंत्री जी भले यह न मानें। लेकिन मान्यवर, दो महीने बीत गये आपके सचिव ने अगर दूरदर्शिता से कार्य किया होता एक हफ्ते के अन्दर एतराज कर दिया होता तो शायद माननीय सदस्य बजाए सचिव के पास जाने के आपके पास जाते आपको अपनी कठिनाई सुनाते । इस सारे घटनाक्रम में दो बातें हैं । आदेश आपका था और पालन करना था सचिव को । दो ही तत्व थे । एक तत्व यहां से गायब था। आप यहां थे नहीं। तो दूसरे केवल आपके सचिव रह जाते हैं। सचिव से जब

कहा गया और जब उनसे कहा गया कि मुख्य मंत्री का आदेश है, शासन का आदेश है, शासन के प्रमुखतम व्यक्ति का आदेश है इसका पालन किया जाए तो इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। अगर वह आदेश का पालन करने में असमर्थ थे तो हफ्ता भर, 10 दिन बाद एतराज लिखकर भेज देते। लेकिन यह जो आपके ब्यूरोक्रेटस हैं यह इनकी सक्रियता का परिचायक है कि कितनी सक्रियता से सचिव काम करते हैं। केवल एक माननीय भोपाल सिंह का मामला नहीं है, कम से कम 50 आदेश थे, आपके स्पष्ट आदेश थे और सचिव ने कोई कार्यवाही नहीं की। सचिव द्वारा कोई कार्यवाही न करना यह आपकी विफलता का परिचायक है। इसका दोष आप पर जाता है कि आपके सचिव आपके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आदेश का पालन किया गया होता, चाहे पक्ष में होता या विपक्ष में होता, तो शायद यह नौबत न आती।

मैं घटनाक्रम को दोहराना नहीं चाहता। मैं एक बात और कहना चाहता हूं यह आपकी मूलभूत गलती है आपके आदेश का दो महीने तक पालन नहीं हुआ और उसको लंबित रखा गया, अगर कानून की प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्णय ले लिया गया होता तो ऐसी घटना न घटती। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि यह मेरी गलती थी कि मैं वहां पहुंच गया। यह आपकी गलती नहीं थी, आप सरकार के प्रतिनिधि थे सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत आपको वहां पहुंचना चाहिए था। आपकी कमजोरी तो यह परिलक्षित करती है कि आपके पहुंचने के बाद भी हमारे विधायक 2 घंटे तक अपमानित होते रहे, पिटते रहे। विधान सभा के बाहर सरकार हत्याएं करवा रही है और सचिवालय, विधान सभा के अन्दर विधायकों को मारने, अपमानित करने के लिए आजादी दे दी गई है। कमजोरी आपकी यहां पर है। आप वहां पर पहुंचे यह आपका कर्तव्य था। लेकिन आपके पहुंचने के बाद लखनऊ के अंदर, विधान सभा के अंदर का मामला था, आपके एस0एस0पी0, डी0 एम0 वहां मौजूद थे 15 मिनट में फोर्स आ सकती थी। 15 मिनट तो दूर रहा डेढ़ घंटे और 2 घंटे तक आप फोर्स बुलवा नहीं पाये। आपकी कमजोरी यहां पर है। अगर आप इस कमजोरी का अहसास करते और सदन में कहते तो सदस्य संतुष्ट हो जाते लेकिन इसका कोई अहसास आपने नहीं किया। आपने शारदा शुक्ला के बयान पर कहा कि चोर दरवाजे से हम नहीं यह लोग भागे। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय विधायकों को आपने गिरफ्तार कर लिया, आपके जिलाधिकारी ने गिरफ्तार किया और उसके बाद प्रशासन का उत्तरदायित्व था, जिसको आपने चोर दरवाजा दिखाया है, मुझे खेद है कि माननीय विधायकों की मर्यादा को आपने इतना सस्ता समझ लिया कि आपकी मौजूदगी में वह हवालात गये और उनको जमानत पर आना पड़ा। ब्यूरोक्रेट, के लोग बैठे हैं जो आप पर हावी हैं उनको सजा आप नहीं दिलवा पाये। 307, 341 और कई धारायें हैं, कागनीजेबिल जुर्म की रिपोर्ट है लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे कहता हूं कि आप किसी बौखलाहट में अपने विचार व्यक्त न करें, कोई बात गुस्से में न कहें आज लोकतांत्रिक मर्यादाओं और जनतांत्रिक मर्यादाओं की सुरक्षा का प्रश्न है। इस पर आप विचार करें जिन विधायकों को जेल

जाना पड़ा, जिनको पीटा गया और जिनके साथ दुर्व्यहार किया गया उनको तो बंद किया गया लेकिन जो अधिकारी इसके लिए दोषी हैं उनको आपने दंडित नहीं किया । मैं कर्मचारियों को इसलिए नहीं कहता कि जैसे किसी विद्यालय के प्रिंसिपल गुस्सा हो जायं तो विद्यार्थी उनके पीछे चले ही जायेंगे लेकिन जो अधिकारी दोषी हैं, आपके सचिव और डायरेक्टर जिनके कारण यह नौबत आयी जिनकी सरासर गलती है और जिनकी साजिश है उनको दंडित करना चाहिए । यह हमारे पक्ष के विधायकों का ही अपमान नहीं है, आपके पक्ष के विधायक भी अपमानित हुए हैं । इस मामले में न्याय करें और दोषी अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा दिलवायें । 3 दिन के अंदर इसकी जांच कराकर सचिव और डायरेक्टर जो दोषी हैं उनको निलंबित करें । उनको यहां नहीं बैठना चाहिए जिनके बैठने से यह परिस्थिति पैदा हुई ।

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, अभी नेता विरोधी दल और सभी नेताओं और माननीय सदस्यों ने यहां जो बात रखी, काफी दुखद है । जनतांत्रिक व्यवस्था में जो सम्मान हमारे जन प्रतिनिधियों का होना चाहिए उसे हर हालत में बरकरार रखना है । जहां कहीं भी कमी आती है उस कमी को रोकना है । मैं चाहूंगा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान बराबर होता रहे । यहां पर जो बात रखी गयी है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, विस्तार में जाने का समय नहीं है । मैं इसकी जांच कराऊंगा और जांच कराने के बाद जो भी दोषी पाया जायेगा उनके खिलाफ शीघ्र कार्यवाही की जायेगी । मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस समस्या पर चाहे इधर के माननीय सदस्य हों चाहे उधर के हों, सब के सम्मान का सवाल है और जब कभी भी हमारे सदस्यों का सम्मान घटता है उससे हमारे जनतंत्र को हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कमी आती है । इस व्यवस्था को हमें मजबूत करना है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जांच गम्भीरता से करायी जायेगी और जो दोषी व्यक्ति पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाई की जायेगी ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

सूचना नं0-1, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है । मैं ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा । इसके सम्बन्ध में एक बात कहना है । माननीय संसदीय कार्यमंत्री इतने जिम्मेदार हैं और उन्होंने सदन के सामने जो बात रखी है उसके अनुसार जो कुछ गुस्से में कहा वह अलग था, लेकिन कुछ तो इन्होंने ऐसी सच्चाई कही है जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई भी जांच की आवश्यकता नहीं है, तुरन्त शिक्षा सचिव को जेल भेजने की कार्यवाही करनी चाहिए । जब वहां ईंट पत्थर फेंके गये हजारों लोग आ गये अगर हजारों लोगों को दिखाने की बात थी तो मैं लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकता हूं, तय कर लीजिए कि नौकरशाही को ठीक कर दूंगा । यह मैं विश्वास दिलाना

चाहता हूं कि अगर इस तरह से सरकार झुकेगी इनके आन्दोलनों से तो छूट दे दीजिए, हम लोग इनके दफ्तरों को ठीक कर देंगे । इसलिए माननीय संसदीय कार्यमंत्री के बाद मैं समझता हूं कि कोई जरूरत नहीं है । साफ-साफ कहें कि आपने जांच करायी थी जब विधायकों को जेल भेजा था आपने किससे जांच कराई थी, जब विधायकों को जेल भेजा गया और अब जांच करायेंगे । जब आपने विधायकों को जेल भेजा है तो तुरन्त शिक्षा सचिव को भी जेल भेजना चाहिए । इसके बाद जांच की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है । केवल कार्यवाही करनी है ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, अभी पहले कहा जा रहा है कि आदेशों का पालन नहीं होता है । यह बात सही है कि आदेशों का पालन होता है । अगर कहीं कोई बात आयी है, फलां जगह आपने बताया कि आदेश का पालन नहीं किया गया उसके सम्बन्ध में मैं देखूंगा। मान्यवर, जैसा मुलायम सिंह जी ने कहा कि जांच बिना कराये आप उस पर एक्शन ले लें, यह मान्यवर, उचित नहीं है, जांच कराकर ही एक्शन लिया जा सकता है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब बात समाप्त हुई । कृपया अब आप शान्त रहें ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके शासन की नीति है कि बालिकाओं के केन्द्र निकटतम स्थान पर हो छात्राओं के केन्द्र निकटतम केन्द्र पर किया जाय । यह आपकी घोषित नीति है । इस तरह के निदेश आपके शिक्षा विभाग को दिए गये हैं । स्वयं शिक्षा सचिव ने स्वीकार किया है कि यह शासन की नीति है कि छात्राओं के नजदीक से नजदीक स्थान पर केन्द्र रखे जायं और मैंने सचिव से पूछा था कि जब शासन की नीति है तो क्यों नहीं करते तो सचिव का कहना था कि केन्द्र को निर्धारित करने का काम न तो मुख्य मंत्री का है और न सचिव का है, यह काम सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् का है । जब शासन की नीति के खिलाफ सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् कोई कार्य करते हैं तो आप दखल देंगे या नहीं देंगे, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है ।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आदेश दिए एक तीन दिसम्बर को दिया एक नौजवान, जो मुजफ्फरनगर के विधायक हैं और दूसरा 30 दिसम्बर को दिया। आपके स्पष्ट आदेश थे कि बालिकाओं का प्रश्न है, इसको नजदीक के स्थान पर कर दिया जाय । आपके आदेश के अनुपालन में कोई कठिनाई थी तो यह सचिव का धर्म है कि आपको कठिनाई से अवगत करावें, 31 दिसम्बर के आदेश के बारे में 15 जनवरी के पहले बता देना चाहिए था कि इस आदेश के अनुपालन से शासन की नीति की अवहेलना हो रही है, या व्यवहारिक कठिनाई है । सचिव ने नहीं बताया, दो माह तक रोके रहे । इससे बड़ी अनुशासनहीनता और आपके आदेश की अवमानना हो नहीं सकती ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि मैंने उस दिन सचिव से पूछा था कि सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् परमानन्द मिश्रा, इस बेईमान को किसने सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पद पर बैठाया । शिक्षा विभाग में अनेक काम करने वाले लोग हैं, सबका कहना है कि यह भ्रष्टतम अधिकारी है । ऐसी महत्वपूर्ण जगह जहां करोड़ों रुपयों का लेनदेन होता है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को वहां भेजने की जिम्मेदारी किसकी है, शिक्षा मंत्री की, शिक्षा सचिव की या निदेशक की किसकी जिम्मेदारी है । जिसने उसको वहां भेजने की सिफारिश की, वह स्वयं बेईमान है। उसको भी हटाया जाय । आप शिक्षा सचिव के खिलाफ कार्यवाही कीजिए । उसने आपके आदेश का पालन क्यों नहीं किया । उसका पालन हो जाता तो यह दुर्घटना नहीं हुई होती । आप इस बारे में स्पष्ट आदेश दीजिए ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, माननीय मैनेजर सिंह जी जो बात कह रहे हैं, बात सही है। जो शिकायत आयी है, मैं इस पर गम्भीरता से जांच करूंगा । मैं साफ कहना चाहता हूं कि मैं कार्यवाही अवश्य करूंगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा है, वह एक अत्यंत हृदय विदारक घटना के बारे में है । यह घटना श्रीमन्, जो मुख्य मंत्री जी के गृह जनपद में होली के दिन हुई, पुलिस ने खून की होली खेली ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी शिक्षा सचिव को बचाने की पूरी साजिश कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री मुलायम सिंह यादव अपने दल के सदस्यों के सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री सत्यपाल सिंह–

मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि कार्यवाही करेंगे, जांच करेंगे, कब तक करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कोई टाइम नहीं है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

इसके विरोध में मैं भी अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

डाक्टर संजय सिंह–

क्योंकि मुख्य मंत्री जी कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं भी सदन से अपने साथियों के साथ बहिष्कार करता हूं।

(डाक्टर संजय सिंह भी अपने साथियों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरे दल के सदस्यों ने भी बहिष्कार किया है। मैं अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बल देने के लिए बोल रहा हूं। मान्यवर, मैंने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा है, वह अत्यन्त ही हृदय विदारक घटना के बारे में है।

(इस समय 2 बजकर 5 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

4 मार्च को होली के दिन श्रीमन्, गोरखपुर जनपद में, माननीय वीर बहादुर सिंह के गृह जनपद में पुलिस ने..

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, गोरखपुर कोतवाली के नायब दरोगा बी0 के0 शुक्ला द्वारा माया बाजार में जिस तरह से खूनी होली खेली गयी, मैं उस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, होली के दिन दरोगा बी0 एन0 शुक्ला मोटर साइकिल से चला जा रहा था, लड़कों ने उस पर रंग डाल दिया।..

श्री अक्षयवर मल्ल की हत्या की जांच तथा उनकी प्रतिमा स्थापित कराये जाने की मांग

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी चले गये, एक गम्भीर मामला था मा0 अक्षयवर मल्ल की हत्या का, जिस पर कल बहस चल रही थी। उसमें मान्यवर, अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया गया है सरकार की ओर से कोई कार्यवाही का आश्वासन नहीं आया है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी तो चले गये, संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर बता दें।

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, स्वर्गीय अक्षयवर मल्ल की कथित हत्या और कथित लाठी चार्ज के बारे में सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराई जायगी और इसका आदेश आज ही पारित कर दिया जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 की जांच सभी नेताओं को स्वीकार है। मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि स्वर्गीय अक्षयवर मल्ल जी प्रदेश के नेताओं में से थे, वह निहायत ईमानदार, भले नेकदिल और जनता की सेवा में सदैव आगे रहने वाले नेताओं में से थे। उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिये मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि नम्बर-3 गेट के सामने उनकी एक मूर्ति लगाने की इजाजत दे दी जाय, वरना मजबूर होकर मैं इस सदन में सरकार को बता देना चाहता हूं कि गेट नं0-3 पर "अमर शहीद अक्षयवर मल्ल की मूर्ति" लगायी जायगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं जिक्र कर रहा था कि गोरखपुर का कोतवाली का नायब दरोगा वी0 के0 शुक्ला होली के दिन बच्चों के द्वारा डाले गये होली के रंग के पानी पर जब मोटर साइकिल से जा रहा था, तो डिसवैलेंस हो गया, जिससे नाराज होकर लोगों को गालियां देने लगा और बच्चों को दौड़ा कर मारने लगा । पुलिसिया रोब में वह कलाकेन्द्र नामक दूकान में घुस गया और सर्विस रिवाल्वर से अंधा-धुंध फायर करने लगा, जिससे कलाकेन्द्र के मालिक मुन्नी लाल गुप्ता की तत्काल मृत्यु हो गयी और घर में छिपे हुए उनके दो लड़के विश्वनाथ और मनोज को पुलिस की गोलियों से गम्भीर चोटें आईं, अन्य व्यक्ति बाला प्रसाद भी उसकी गोली से घायल हुआ । मैं इस घटना की जांच करने अपनी पार्टी के निर्देश पर गोरखपुर गया था । मुझे बताया गया कि मुख्य मंत्री जी ने कुछ दरोगाओं को संरक्षण दे रखा है । उन पर एस0 पी0 और डी0 आई0 जी0 का कोई नियंत्रण नहीं है, वे सीधे मुख्य मंत्री से नियंत्रित होते हैं। उनके पिछले दौरे में उनकी सभा का संचालन भी और अध्यक्षता भी एक दरोगा ने की, जो पुलिस की निरंकुशता का और उनके मदहोश होने का कारण है। मान्यवर, गोरखपुर के दरोगा का दिमाग खराब हो गया है, पुलिस की इतनी हिम्मत बढ़ गयी है कि गोरखपुर के अन्दर कलाकेन्द्र में जाकर एक आदमी की हत्या करता है और तीन व्यक्तियों को घायल करता है। मान्यवर, विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थायें, स्कूल आदि इस घटना के विरोध में अनिश्चित काल के लिए बन्द हैं । पूरा गोरखपुर पुलिस की छावनी बन गयी है । जनता में भय और दहसत व्याप्त है, निर्दोष लोगों पर दर्जनों स्थानों पर लाठीचार्ज किये गये हैं और आंसू गैस छोड़ी गयी है । निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है । पुलिस द्वारा भय और आतंक पैदा किया जा रहा है । दलाल और पुलिस अपने लोगों के द्वारा आगजनी करा रहे हैं, जिससे स्थिति और विस्फोटक होती जा रही है । मान्यवर, क्या मुन्नी लाल गुप्ता को वापस किया जा सकता है ? मैं मुन्नी लाल गुप्ता के घर गया था, उनके परिवारजनों से मिला था, उनकी बहुओं से मिला था । हृदय विदारक दृश्य था ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मुझे तीन मिनट का समय और दे दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपनी सीट पर जाइये और शाम तक बोलिए, मैं तो आपके समय की ही बचत कर रहा हूं ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय शाही जी बड़े अनुशासित व्यक्ति हैं। मेरा निवेदन है कि इनको बोलने का और समय दे दिया जाय ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, गोरखपुर के नागरिकों ने 72 घंटे की शान्तिपूर्ण ढंग से गोरखपुर बन्द का आयोजन किया । पुलिस के द्वारा फैलाई जा रही हिंसा के बाद भी गोरखपुर की जनता ने जो धैर्य और संयम बनाया है, वह प्रशंसनीय है, किन्तु पुलिस या प्रशासन का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल पर नहीं गया और मैंने तो मृतक और पीड़ित परिवारजनों से भेंट की । मान्यवर, मैं मृतक मुन्नीलाल गुप्ता के घर गया था, उनके परिवारजनों से मैंने भेंट की, मान्यवर, उनकी बेसहारा विधवा को कैसे सहारा दिया जा सकता है ? उनके परिवार में उनके पीछे 8-8 व्यक्ति थे, मुन्नी लाल पेन्टर था, कामगार था, उसके परिवार वालों की आजीविका कैसे चलेगी । मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि घटना के चार दिन बीतने के बाद भी घटना की तफतीस करने कोई पुलिस अधिकारी वहां नहीं गया । वहां पर पड़ी रिवाल्वर की फायरिंग की गयी 3-3 कारतूसें, खून की छीटों, खून के सने कपड़ों को अपने कब्जे में नहीं लिया गया । मान्यवर, वहां के पुलिस अधिकारियों की साजिश है वे हत्यारे दरोगा को दण्ड से बचाना चाहते हैं क्योंकि पुलिस के दरोगा द्वारा की गई हत्या के सारे प्रमाण मिट जायें । इसलिए इन सबूतों को लेने कोई जांच अधिकारी नहीं जा रहा है । मान्यवर, इतनी गम्भीर घटना होली के दिन हो जाय और आज तक वहां पर कोई भी अधिकारी न जाय । इससे ज्यादा अकर्मण्यता क्या हो सकती है ? पुलिस जांच में पक्षपात करेगी मेरा संदेह है कि सही तरीके से जांच भी नहीं होगी । जांच ऐसे की जायेगी कि कत्ली दरोगा छूट जाय क्योंकि उस घटना की तफतीस आज तक शुरू नहीं की गयी । वह रिवाल्वर की गोलियां कब्जे में नहीं ली गयीं, खून की फोटोग्राफी नहीं करायी गयी । इस घटना में पुलिस लीपा पोती कर रही है। पूरे शहर में 30 ट्रक पी0 ए0 सी0 लगा दी गयी है। पुलिस को लगाकर सारे शहर में दहशत पैदा कर दी गयी है । हर चौराहे पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। गोरखपुर विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया है । सारे स्कूल कालेज बन्द कर दिए गए हैं । निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस सदन के सम्मानित सदस्य श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही को कल गिरफ्तार किया गया वह मौन जुलूस के साथ जा रहे थे, मौन जुलूस में अधिवक्ता भी थे ।

मान्यवर, मेरी मांग है कि स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए पूरे मामले की न्यायिक जांच करायी जाय। पुलिस के दरोगा का पक्षपात वहां की पुलिस तंत्र करेगी इसलिए यह मेरी मांग है कि इसकी न्यायिक जांच करायी जाय । मृतक मुन्नी लाल गुप्ता एक कामगार आदमी था, पेन्टर था उनके पीछे आठ सदस्य थे, परिवार में । अब उसके न रहने से उनकी आजीविका कैसे चलेगी ? मान्यवर, मेरी मांग है कि मृतक मुन्नी लाल गुप्ता के परिवारजन को 2 लाख रु0 का मुआवजा दिया जाय और घायलों को 50-50 हजार रु0 का मुआवजा दिया जाय । मान्यवर, यह अविलम्बनीय महत्व की घटना है मुख्य मंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में पुलिस ने यह नंगा नाच किया है। मैं चाहता हूं कि सदन की शेष कार्यवाही को रोककर इस पर अविलम्ब चर्चा करायी जाय ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री का गृह जनपद गोरखपुर है, आज मान्यवर, गोरखपुर में यह स्थिति है कि पूरा गोरखपुर शहर कैदखाना बना हुआ है। किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। 72 घण्टे की मुकम्मल हड़ताल ने जन भावनाओं को बता दिया। मान्यवर, मेरी आपसे अपील है कि आप इस बेशर्म सरकार को निर्देश दें कि पुलिस राज्य का खात्मा गोरखपुर से किया जाय। मान्यवर, जो घटना घटी वह गम्भीर है। दरोगा शराब पिए हुए था, रिवाल्वर लेकर मोटर साइकिल पर सवार था। लड़कों ने उस पर रंग नहीं डाला, बल्कि मोटर साइकिल उसकी फिसल गयी और गिर गया उस पर लड़के हंस दिये और हंस कर घर वापस आ गए। वह दरोगा वापस थाने पर जाता है वहां से दो सिपाही लेकर वापस वहां आता है और सीढ़ियां चढ़कर घर में घुसता है। उसके सामने मुन्नी लाल गुप्त की औरत सामने आ जाती है, फिर औरत किनारे कोने में चली जाती है, मुन्नी लाल सामने आ जाता है और वह उस दरोगा की गोली का निशाना बनता है। उसके दूसरे लड़के पर गोली चलायी जाती है वह घायल हो जाता है, तीसरा लड़का सामने आता है, उसे गोली मारी जाती है वह आज अस्पताल में गम्भीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा दम तोड़ रहा है। उसके बाद दर्जनों लोगों पर कातिलाना हमला उस दरोगा ने किया। मान्यवर, इतना ही नहीं वहां के कलेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं पुलिस को, इनको शर्म नहीं आती। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। अभी तक वे निलम्बित नहीं हुए हैं, जिलाधीश, पुलिस कप्तान और अन्य सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई अभी तक।

मान्यवर, आज वहां की स्थिति यह है कि एक तरफ पुलिस है और एक तरफ जनता है। मैं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज वहां सिविल वार की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। एक तरफ जनता सड़कों पर आ रही है दूसरी तरफ पूरे जिले का पुलिस फोर्स शहर में लगा दी गयी है। मान्यवर, इस सदन के सम्मानित सदस्य श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही को कल गिरफ्तार किया गया, वह अस्पताल में गये थे उस आदमी को देखने जो दम तोड़ रहा था। क्या किसी अस्वस्थ व्यक्ति को अस्पताल में देखने जाना इस सरकार की नजर में अपराध है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मान्यवर, यह अकेली घटना नहीं है, उस एस0 आई0 के खिलाफ दर्जनों शिकायत एस0 एस0 पी0 के पास गयी हुई थीं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उसकी जांच क्यों नहीं करायी गयी? आज मान्यवर, यह ड्रामा किया जा रहा है कि वह एस0 आई0 पागल था। अगर वह पागल था तो अब तक सर्विस में क्यों रखा गया था? उसको सर्विस रिवाल्वर क्यों दिया गया था? वह उस दिन रिवाल्वर के साथ ड्यूटी पर कैसे था? मान्यवर, ऐसी तमाम घटनाओं का क्रम है। पुलिस का निकम्मापन हमारे इलाके में जगजाहिर है। हमारे यहां लक्ष्मीपुर में डकैती पड़ी लक्ष्मीपुर कोंहत, पी0 एस0 गौरी, घुघौली में जहां डकैती पड़ी, उन लोगों से एस0 ओ0 ने रिपोर्ट लिखने के

लिए एक हजार रुपया लिया और बाद में डाका डालने वालों से 3 हजार रुपया लिया । उसके बाद उन लोगों का 151 में चालान कर दिया गया । इसी तरह की घटना बेलनगंज में हुई । आजमगढ़ में एक व्यक्ति को चार बजे पकड़कर ले जाया गया और उसको रात में गोली मार दी गयी । नौतनवां में भी निरीह लोगों का इन्काउन्टर किया जा रहा है। माननीय हर्षवर्धन जी यहां पर बैठे हैं। मान्यवर, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं । हम लोगों का जीवन आज सुरक्षित नहीं है । हम लोगों के यहां न रहने पर हम पर क्या बीतेगी, यह कुछ कहा नहीं जा सकता । मान्यवर, गोरखपुर में जघन्य अपराध हुआ और जो घटना घटी है, वह गोरखपुर के लिए अभिशाप है क्योंकि वह मुख्य मंत्री का जनपद है और मुख्य मंत्री के गृह जनपद में दरोगा को इस बात की छूट है कि वह किसी को भी गोली मार दे, खत्म कर दे, । जब एक दरोगा इस तरह लोगों का कत्ल कर सकता है, तो पूरे उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी ? उस दरोगा ने अपराध किया है और उससे भी ज्यादा अपराध वहां के प्रशासकीय अधिकारियों का है । मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि वहां पर छोटी-छोटी गुमटियों को जलाया जा रहा है और उन्हें वहां की जनता नहीं जला रही है बल्कि पुलिस द्वारा उसको जलाया जा रहा है । यह इस बात का सबूत है कि वह क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं और आगे क्या करने जा रहे हैं ? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि जिम्मेदार अधिकारी पुलिस कप्तान तथा वहां के जिलाधिकारी, दोनों को वहां से हटाया जाये ।

अगर मान्यवर, इन लोगों को वहां से नहीं हटाया गया तो यह आग और भड़क सकती है, वहां पर उत्तेजना और बढ़ रही है। वहां पर जन आन्दोलन चल रहा है। मान्यवर, वहां पर ला एण्ड आर्डर की स्थिति क्या है यह आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। वहां पर सारे पुलिस के दरोगा, एस0 पी0, सी0 ओ0, कान्स्टेबिल्स को लगा दिया गया है और पूरा गोरखपुर पुलिस की छावनी बन गया है। मान्यवर, आप रिकार्ड मंगाकर देख लीजिए सारे एस0 ओ0, एस0 आई0 और भी पुलिस के लोगों को शहर में बुला लिया गया है. . .

श्री उपाध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हो गया है, अब समाप्त करें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, वहां पर मुख्य मंत्री के नाम को बदनाम करने वाले अधिकारीगण हैं और मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री बदनाम हों । ऐसे निकम्मे प्रशासकीय अधिकारी वहां पर बैठे हैं और सरकार सब कुछ देख रही है । इस तरह की घटना की कोई कल्पना नहीं कर सकता है । जिस समय सारे प्रदेश में और देश में लोग रंगों की होली खेल रहे थे, उसी समय गोरखपुर में पुलिस द्वारा खून की होली खेली जा रही थी । अपने सर्विस रिवाल्वर की गोली से किसी की हत्या की जा रही थी । मान्यवर, सारे काम को रोक कर इस मामले पर चर्चा कराइये और माननीय मुख्य मंत्री जी को सदन में बुलवाकर इस पर चर्चा कराइये । इससे अहम सवाल और कोई हो ही नहीं सकता है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, गोरखपुर की हृदय विदारक घटना के संबंध में जो काम रोको प्रस्ताव की सूचना दी है, उसमें निवेदन किया है कि इस पर चर्चा करवा दें। चर्चा करवाने के कारण इस काम रोको प्रस्ताव में दिये हुए हैं। मैं स्वयं वहां पर गया था और मैंने देखा, पूरा गोरखपुर शहर सेना की छावनी बन गया है, यह स्थिति इस बात का बड़ा सबूत है कि घटना कितनी गम्भीर है। जो लोग बस्ती, आजमगढ़, देवरिया के वहां पर आ रहे हैं वह लौटकर अपने जिलों में जा रहे हैं। इससे वहां पर भी उत्तेजना भड़क रही है। मान्यवर, यह आग आज जो गोरखपुर में लगी हुई है वह पूरे गोरखपुर मंडल को प्रभावित करेगी। यह खेदजनक है कि जैसे ही इस विषय पर चर्चा शुरू हुई, माननीय मुख्य मंत्री जी चले गये। मुझे मालूम है कि मुख्य मंत्री जी वहां पर दो मिनट के लिए गए थे और जो घटना वहां पर घटी है, उसको मुख्य मंत्री जी को सुनना चाहिए था और सुनकर जवाब देना चाहिए था, लेकिन मुख्य मंत्री जी सदन से चले गये और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपस में पता नहीं किस विषय पर बात कर रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री जी हमको भी सुन लेते न मालूम क्या बात कर रहे हैं आपस में।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गृह मंत्री जी आपकी बात सुन रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

पूरा गोरखपुर शहर पुलिस की छावनी बन गया है। मुख्य मंत्री जी का वह गृह जनपद है, वह वहां गये थे और 2 मिनट बैठे भी थे। मैं उस परिवार में गया था। परिवार के हर व्यक्ति ने कहा कि मुख्य मंत्री जी बड़ी मुश्किल से आधा मिनट खड़े हुए होंगे। कमिश्नर ने केवल 10 हजार रुपये देने की बात कही और उन्होंने 20 हजार रुपये देने की बात कही। यह एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। 20 हजार रुपए दिए गये हैं, 2 लाख की मांग की गई है। जिसकी हत्या हो गई है, उसकी कीमत पैसे से नहीं दी जा सकती। 20 हजार रुपए बहुत कम है, 2 लाख रुपये देना चाहिए। मैंने स्वयं पूरी घटना की जांच की। पुलिस इन्सपेक्टर जा रहे थे और वे फिसल पड़े। इस पर छोटे-छोटे बच्चे हंस पड़े। इस पर उस इन्सपेक्टर ने उन्हें दौड़ा लिया और गृहस्वामी के घर में घुस गया और अपनी रिवाल्वर से उसने पहले गृहस्वामी को मारा और उनके तीनों लड़कों को मारता हुआ बढ़ता गया। वे अस्पताल में जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। बच्चों के हंसने पर इन्सपेक्टर ने डकैतों की तरह व्यवहार किया उसने अपने इस व्यवहार से कांग्रेस सरकार की नीति को प्रकट कर दिया है। आज इस सरकार ने पुलिस का मनोबल बढ़ाया है और वह निरंकुश होती जा रही है, अनियंत्रित होती जा रही है। आज केवल गोरखपुर में ही नहीं अनेक जगहों पर पुलिस ने बेगुनाह लोगों को मारा है। यदि किसी नागरिक ने अपराध किया होता तो कोतवाली में पुलिस उसकी हड्डी तोड़ देती, लेकिन जब पुलिस इन्सपेक्टर बी0 के0 शुक्ला को कोतवाली ले जाया गया तो वहां पर उनको चाय

पिलाई गई और बैठने के लिए कुर्सी दी गई । बड़ी सुरक्षा के साथ उनको जेल में स्थान दिया गया। अब बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उनके साथ एक रिश्तेदार की तरह व्यवहार किया है । यह घटना गोरखपुर में हुई है, आज इस घटना से चारों तरफ उत्तेजना फैल गई है। आज लोग कहने लगे हैं कि यह सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, इसलिए पुलिस के बल पर राज करना चाहती है। आज पुलिस मनमानी कर रही है, अनियंत्रित हो गई है और निरंकुश हो गई है। यदि पुलिस का मनोबल ऐसा ही रहा तो वे न हमको रहने देंगे, जनता को तबाह कर देंगे और सरकार भी रहने नहीं देंगे । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के कमरे में था । इस शासन के दो मंत्री भी वहाँ मौजूद थे। कांग्रेस के 5-7 विधायक एक पुलिस इन्सपेक्टर की शिकायत लेकर आये थे, तो उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, देखा हरीश जी आपने यह पुलिस सरकार को मिटा देगी। मैं कहना चाहता हूं कि यदि इसी प्रकार पुलिस की हुकूमत चलती रही तो यह आप सबको मिटा देगी । सरेआम आज यह पुलिस निर्दोष लोगों को मार रही है। पुलिस को आज आप जो यह सम्मान दे रहे हैं, उसे आप बन्द करें। श्री मल्ल जी वाले मामले को तो सरकार ने गम्भीरता से नहीं लिया, यह उससे अधिक विदारक घटना है । वे लोग तो आन्दोलन कर रहे थे, उन पर लाठी चार्ज कर दिया और श्री मल्ल जी की हत्या कर दी, इस घटना में तो बेचारा अपने घर पर बैठा हुआ था, उसकी आपके इन्सपेक्टर ने हत्या कर दी। आपकी पुलिस द्वारा यह बहुत ही जघन्य अपराध किया गया है । इसलिए उसके खिलाफ 302 का मुकदमा चलाया जाय और इस मामले की जांच हेतु हाउस की एक कमेटी बनाई जाय और उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवाई जाय, पुलिस से तफतीश न कराई जाय, अन्यथा वह छूट जायेगा । यदि ऐसे पुलिस अपराधी को दण्ड नहीं दिया जायेगा तो आगे पुलिस को रोक पाना आपके लिए सम्भव नहीं हो पायेगा । इसलिए मैं मांग करता हूं कि आज शेष सदन की कार्यवाही को रोक कर इस अविलम्बीय महत्व के प्रश्न पर चर्चा करवाई जाय, अन्यथा गोरखपुर में लगी आग को पूरे प्रदेश में फैलाने से आप रोक नहीं पायेंगे ।

श्री हर्ष वर्धन–

मान्यवर, गोरखपुर, में होली के दिन जो घटना हुई, उसका विवरण माननीय सदस्यों ने दिया है । मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि गोरखपुर में यह जो घटना हुई, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। माननीय वीर बहादुर के मुख्यमंत्री बनने के बाद पुलिस कर्मियों को जिस तरह छूट दी गयी है, जो फर्जी मुठभेड़ों का सिलसिला जारी है, यह उसी की परिणति है।

माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र कम्पियरगंज का एक थानाध्यक्ष अपने घर पर अपने लड़के की बर्थडे पार्टी करता है और उसकी दावत दी जाती है जिसमें 17 थानाध्यक्ष मौजूद होते हैं, शराब पीकर रंडियों का नाच देखा जाता है। गोरखपुर के स्थानीय पत्र "दैनिक जागरण" ने इस घटना को छापा है। जब पार्टी शबाब पर थी तो एक थाना-ध्यक्ष अपना रिवाल्वर निकाल कर तान देता है। इसकी सूचना सारे अधिकारियों को दी गयी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

माननीय मुख्यमंत्री जी के ही क्षेत्र के एक क्षेत्राधिकारी वहां रहते हैं। उनके विषय में यह लिखा गया कि वह धान की तस्करी कराते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के नजदीक होने के कारण इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती है। इन्हीं के विरुद्ध नौतनवां थाने का थानाध्यक्ष क्राइम इस रजिस्टर में लिख जाता है-

"दि मर्डर आफ बेचन सन आफ मंगरू रेजीडेंट विलेज चकडाह, पी0 एस0 नौतनवां गोरखपुर हैज बीन गारबड विद फाल्स इन्काउन्टर बाई सी0 ओ0 फरेन्दा श्री नागेन्द्र सिंह इट विल बी चेंज्ड लेटर आन आफ्टर चेकअप"

बेचन पुत्र मंगरू, निवासी ग्राम चकदाह, पुलिस स्टेशन नौतनवां, गोरखपुर की जो हत्या सी0 ओ0 फरेन्दा श्री नागेन्द्र सिंह ने मुठभेड़ में दिखाकर की है। इसके बाद में विशद विवेचना के बाद बदल जायेगी।

उस एस0 ओ0 को निलम्बित करके सी0 ओ0 को बचाने के लिये उसे हटाया जाता है। चिनुआताल के थानाध्यक्ष अपने ही सिपाही को और ड्राइवर को गोली मार देते हैं मुठभेड़ को सही सिद्ध करने के लिए। धनई नाम के व्यक्ति को जो कि अतिरिक्त सेशन जज आजमगढ़ के यहां हाजिर हुआ था, उसको कोर्ट से बाहर निकलते समय गोरखपुर के बेलघाट थाने की पुलिस पकड़कर ले जाती है और उसकी हत्या कर देती है। इन सब घटनाओं से पुलिस का मन पता चलता है।

होली के दिन घटना हो गयी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे प्रशासन ने तुरन्त कार्यवाही की, दरोगा को पकड़ लिया। उसको इनके प्रशासन ने नहीं पकड़ा, इनका प्रशासन तो उन पुलिस कर्मियों को भी नहीं पकड़ पा रहा है जो कि वहां पर हत्या करवा रहे हैं और तस्करी कर रहे हैं, बल्कि उस दिन अगर उस दरोगा की गिरफ्तारी न होती तो गोरखपुर में भी चौरी-चौरा जैसी घटना हो गयी होती, इसीलिये उसको पकड़ने का नाटक किया गया। गोरखपुर के पुलिसकर्मियों का मन माननीय मुख्य मंत्री जी ने बढ़ा रखा है। एक मामले में गोरखपुर के एक व्यक्ति को 12 दिन तक बांस गांव पुलिस थाने में बन्द रखा गया। सी0 आई0 डी0 ने लिखा कि पालघाट के दरोगा को वहां से हटाया जाय, लेकिन दबाव के कारण मुख्य मंत्री ने जांच रुकवा दी एवं उसे हटा नहीं सके।

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, इनसे कहें कि केवल ग्राह्यता पर ही बोलें।

श्री हर्षवर्धन–

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं। गोरखपुर में जो घटना हुई है, इसके पीछे वहां पर कौन सी ताकतें काम कर रही थीं, यह बताना चाहता हूं। यह घटना अचानक नहीं हो गयी, पुलिस का मनोबल अनावश्यक रूप से बढ़ाया गया है, इसीलिए पुलिस ऐसी कार्यवाही करती है। आज सारा गोरखपुर बड़े असन्तोष के घेरे में है। वहां पर स्थिति ऐसी विस्फोटक है, मैं इस बात की आपको जानकारी देना चाहता हूं कि गोरखपुर में जो पुलिस का राज्य बना हुआ है अगर उसके विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही न की गयी तो वहां की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है इसलिए वहां पुलिस के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाय।

*श्री धनराज यादव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो गोरखपुर का मामला यहां उठाया गया है, यह बहुत ही गम्भीर है। पुलिस इस समय राक्षस हो गयी है। गोरखपुर में जो घटना हुई है, आप पूरा इतिहास उठा कर देख लें, ऐसा राक्षसी कुकृत्य कहीं नहीं आपको मिलेगा। फिसल कर दरोगा गिरे और उस पर लड़के हंस दिये। पुलिस का वह अफसर, प्रशासनिक अधिकारी, इस तरह से उस पर पागल हो जायेगा कि घर में घुस करके और फिर तैयार हो करके आकर अपनी गोलियों से लोगों को भूनने लगा? वहां की जनता इस समय बहुत परेशान है। गोरखपुर इस समय विस्फोटक स्थिति में है। पुलिस का अफसर और लोगों में झड़पें हो रही हैं। यह सब मुख्य मंत्री जी के पालतू लोग हैं जो कि जगह-जगह छिपे हुए हैं चाहे कम्पेयरगंज हो, (जैसा कि अभी हर्षवर्धन जी ने कहा है) या दूसरी जगह, उन्हीं की गाड़ियां चलती हैं, उन्हीं की मोटर चलती है। यही डाके डलवाते हैं और इनको हिस्सा मिलता है। इसीलिए मैं इस प्रस्ताव पर बल देते हुए आग्रह करता हूं कि इस काम रोको प्रस्ताव पर आप सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा करा दें।

श्री गौरी शंकर भइया–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं दो-तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं। संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं पुलिस राज्य मंत्री जी भी हैं, यह जो गोरखपुर में काण्ड हुआ, पुलिस के दरोगा ने गोली मार दी और आपने कह दिया कि उसे हमने 302 में जेल भेज दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि जब जनता का जबरदस्त दबाव पड़ा तो मजबूर होकर मजबूरन आपको कार्यवाही करनी पड़ी। जिले का एस0 पी0, जिले का डी0 एम0 तथ्यों को मरोड़ने का काम करता है क्योंकि उसे राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। यह राजनीतिक संरक्षण उसे मुफ्त में नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी दस दिन पहले लक्ष्मीपुर थाने में चरस पकड़ी गयी भारी मात्रा में। उस चरस को पुलिस रखे रही और उस पर बीस हजार रुपया घूस लेकर पुलिस ने उस चरस को छोड़ दिया। बाद में पता चला कि जिससे घूस ली गयी है वह मुख्य मंत्री जी का आदमी है तो मुख्य मंत्री जी के दबाव में आकर बीस हजार रुपया सरेन्डर कर दिया गया। वैसे ही इस बात को छिपाने के लिए मुख्य मंत्री अपने इलाके में पुलिस को संरक्षण दे रहे हैं। यह घटना अविलम्बनीय है और लोकमहत्व की है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा करा दें।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य शाही जी, हर्षवर्धन जी, ओझा जी, हरीश जी, गौरी शंकर भइया ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, मैं भी अपने को उस भावना से सम्बद्ध करता हूं। सरकार को भी बड़ा दुख है कि जो घटना गोरखपुर में घटी यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी, इसमें दो राय नहीं है। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के दरोगा को जेल भेज दिया गया है उस पर 302 का मुकदमा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कायम करके। इसके अलावा मुख्य मंत्री जी स्वयं वहां पर गये थे, लोगों से मिले थे, मृतक परिवार से भी बातचीत की थी। मृतक के परिवार को दस हजार रुपया और बाकी को पांच-पांच हजार रुपया दिया गया है।

मान्यवर यह कहना सत्य से बहुत परे है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने दरोगाओं या अधिकारियों की पोस्टिंग की हो या किसी भी पुलिस कर्मी को कोई संरक्षण माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से दिया जाता हो और यह बात सत्य से परे है कि किसी चरस वाले मामले में माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया हो। (शोर)

एक सदस्य–

नहीं, मान्यवर, माननीय मंत्री जी घटना पर पर्दा डालना चाह रहे हैं, लक्ष्मीपुर के दरोगा ने मान्यवर, चरस पकड़ी और बाद में उस स्मगलर को यह कहकर 20 हजार रु0 वापस कराए गए कि यह आदमी मुख्य मंत्री का है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि घटना नहीं हुयी, मैं तो सिर्फ यह बात कह रहा था कि यह बात सत्य से परे है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का कोई आदमी हो, जिसकी वजह से उसे छोड़ा गया हो, ऐसी बात नहीं है। चाहे कोई भी आदमी हो गलती करने वाला, उसको छोड़ा नहीं जायेगा चाहे वह किसी भी हैसियत का आदमी हो या कैसा ही असर वाला नागरिक हो, मा0 मुख्य मंत्री का उसे संरक्षण मिलने का कोई प्रश्न नहीं उठता है और मान्यवर, वहां पर अब जन-जीवन सामान्य है और सारे स्कूल कालेज खुल गए हैं, एहतियातन कुछ दिन के लिए बंद अवश्य थे, स्कूल कालेज लेकिन आज की सूचना के आधार पर सभी स्कूल कालेज खुले हुए हैं, और स्थिति बिल्कुल सामान्य है और जैसा कि माननीय हरीश जी ने इस मामले में सी0 आई0 डी0 की जांच की बात कही है (शोर)

एक सदस्य–

नहीं-नहीं मान्यवर, हम लोगों ने सी0 आई0 डी0 की बात नहीं कही है हम तो यह चाह रहे हैं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में ही एक कमेटी नियुक्त कर दी जाए, जो तथ्यों की जांच कर ले।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप लोग इस प्रकार से बीच-बीच में बोलेंगे तो माननीय मंत्री जी का जवाब पूरा कैसे हो पायेगा?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

आप लोग जरा धैर्य से सुनें, जब आप लोग क्रोध और उग्ररूप में बोल रहे थे, तो उस समय हमने आपकी बात को बड़े ध्यान से शांत होकर सुना और मैं वही कर रहा हूं जो आपकी भावनाएं हैं कि घटना बड़ी ही दुखदमय है, इसी वजह से 302 की तत्काल कार्यवाही हुयी और उस पर मुकदमा कायम कर दिया गया और जांच के बाद जो भी दोषी होगा, उसे दंडित किया जायेगा, कोई भी बचाया नहीं जायेगा। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह मामला बहुत ही खुला हुआ है और इस बात को सभी लोग जानते हैं कि उस सब-इन्सपेक्टर ने गोली चलाई, जिसकी गोली से एक व्यक्ति मुन्नी

लाल नाम का मरा, इसमें कोई बात पेचीदा नहीं है, इसलिए इसमें मैजिस्टीरियल या जुडिशियल जांच की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस जांच में समय अधिक लग जायेगा और न्याय जैसा कि इन मामलों में समय से मिलना चाहिए वह मिल नहीं पायेगा, इसलिए जो सिविल पुलिस की जांच चल रही है, उसे ही चलने दिया जाय और जुडीशियल इंक्वायरी की इसमें आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

इस पर मान्यवर, दो घंटे की चर्चा करवा दीजिए।

(श्री सूर्य प्रताप शाही के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

यह चर्चा तो हो रही है। देखिए शाही साहब क्या कहना चाह रहे हैं?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

यह मान्यवर, चर्चा नहीं हो रही है, यह तो कार्य स्थगन प्रस्ताव है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने शुरू में ही निवेदन किया था कि घटना के हुए आज चार दिन हो गये हैं। (शोर)

इसलिए मैंने निवेदन किया कि 4 दिनों से उस परिवार में कोई नहीं गया, वहां पर खून के फोटो नहीं लिये गये और न ही कारतूस बरामद किये गये। हत्या के सारे चिन्ह समाप्त हो जायेंगे, तो जांच किस बात की आप करेंगे? आप इसको गम्भीरता से समझे और इसकी जांच न्यायिक करावें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस पर वक्तव्य स्वीकार करता हूं।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, इस मामले की गम्भीरता इस बात से भी है कि सरकारी पक्ष का इसमें कोई विवाद नहीं है कि एक दरोगा ने जघन्य अपराध किया है। इस बात को वहां के एस0 पी0 ने भी स्वीकार किया है और जैसा कि शाही जी ने कहा कि ऐसा हृदय विदारक काण्ड त्योहार के दिन किया गया और वहां की पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, ब्लड के निशान नहीं लिये गये कारतूस नहीं लिये गये और इसके साथ ही साथ वहां पर कोई वरिष्ठ अधिकारी भी नहीं पहुंचा यह सारी बातें यह इंगित करती हैं कि वहां की पुलिस पक्षपात कर रही है और माननीय सदस्यों को अन्देशा है कि इसमें स्थानीय पुलिस न्याय नहीं कर पायेगी। तो यह ऐसा मामला है कि इसकी आप न्यायिक जांच के आदेश दें। हर समय जिद पर रहना और अपनी बात को मनवा लेना वाजिब नहीं है। यह मुख्य मंत्री जी के जनपद का मामला है और वहां पर इस प्रकार का घृणित अपराध हुआ है और पुलिस के द्वारा किया गया है। इसलिए मैं बल देता हूं कि इस मामले की न्यायिक जांच करा दें और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, हर्ष वर्धन जी ने और अभिका जी ने इस मामले को उठाया है, जो बड़ा गम्भीर मामला है आप इसमें सी0 आई0 डी0 की जांच करा दें और जो पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें और इस पर चर्चा करा दें।

श्री हीरश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब आप स्वयं इस बात को मान रहे हैं कि एक पुलिस इन्सपेक्टर ने एक व्यक्ति को मार डाला है, तो इसके लिए किसी जांच की क्या आवश्यकता है ? तो मान्यवर, न्यायालय में क्या कहा जायेगा किस प्रकार से केस चलेगा और प्रथम दृष्टा जो कागजात तैयार किये जायेंगे उनको तैयार करने की जिम्मेदारी भी पुलिस की है । मान्यवर, मैं वहां पर प्रत्यक्ष देखकर आया हूं कि पुलिस इस मामले को दबा रही है और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि केस नहीं चल पायेगा और वह छूट जायेगा। त्योहार के दिन अपराध करने वाला व्यक्ति छूट जायेगा तो इस प्रकार से मान्यवर, आगे अपराध नहीं रुकेंगे। यह सदन आश्वस्त है कि हत्यारे को फांसी की सजा नहीं मिल पायेगी, तो पुलिस के अलावा और कौन सी मशीनरी है जिसके द्वारा माननीय मंत्री जी इस घटना की जांच कराना चाहते हैं जिससे उसकी जाच निष्पक्ष हो सके? दूसरी बात मैं मान्यवर, यह कह रहा हूं कि अगर ऐसी हत्यायें होती रहीं तो इस देश और प्रदेश का क्या होगा, क्या 10-10 हजार रुपये देकर सरकार अपने कर्तव्य की पूर्ति करना चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है। उसको आने दीजिये।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, चूंकि सरकार जुडीशियल इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार नहीं है इसलिए भारतीय जनता पार्टी सदन का बहिष्कार करती है।

(श्री सूर्य प्रताप शाही भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(श्री मोहम्मद मसूद खां का नाम पुकारे जाने पर)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, गोरखपुर वाले मामले का क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष–

जुडीशियल इन्क्वायरी के लिए मना कर दिया है। सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी से मामला लंबित हो जायेगा . . (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, एक निवेदन है कि जब कोई नियम 56 का मामला आता है तो उस पर आप तत्काल ही डिसीजन दे दिया करें । इस गोरखपुर वाले मामले में क्या निश्चय किया ?

श्री उपाध्यक्ष–

वक्तव्य के लिये स्वीकार कर दिया है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अब आप देखिए, इतना गम्भीर मामला है । गोरखपुर में आग लगी हुई है । दिन दहाड़े पुलिस ने निर्दोष आदमी को मार दिया । पुलिस को उसके जीवन की रक्षा करनी चाहिए । मुख्य मंत्री का जिला है । इस पर वक्तव्य नहीं चर्चा होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब डिस्कशन हो गया । जब स्टेटमेंट आ जाय तो उसके बाद भी मौका रहेगा । कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद झा–

जब स्टेटमेंट हो गया तब चर्चा क्या होगी। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मामले की गम्भीरता को देखते हुये इस पर आप चर्चा स्वीकार करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप तो नियमों के ज्ञाता हैं . . .

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इसको मान लें ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, वक्तव्य दिया जाय या चर्चा करायी जाय सरकार को जो बात कहनी है, सरकार कोई तथ्य छिपाना नहीं चाहती । चर्चा आप स्वीकार कर लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर 1 घण्टे की चर्चा स्वीकृत हुई ।

*श्री मोहम्मद मसूद खां–

मान्यवर, आजमगढ़ के सदर अस्पताल में दवायें गायब हो गई हैं और जो दवायें वहां पर हैं भी वे एक्सपायरी डेट की हैं । दवायें न मिलने की वजह से वहां पर कई मौतें हो चुकी हैं । इस बारे में वहां के जन प्रतिनिधियों ने कुछ दरखास्तें भी दी हैं जिस पर वहां के सी0एम0ओ0 ने एक इन्क्वायरी सेट अप की । उसके तहत वहां जो फारमासिस्ट हैं वे दोषी पाये गये हैं । प्रिलिमिनरी जांच में ही सारा घोटाला सामने आया । वह फारमासिस्ट वहां पर इतना जोरदार है कि उसने सी0 एम0 ओ0 को मारा पीटा और अब धमकी भी दे रहा है और यह दबाव ऊपर से दिया जा रहा है कि अगर आप इस कार्यवाही को नहीं हटायेंगे तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, वहां पर मरीजों को दवा न मिलने की वजह से सारा जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है जो मरीज हैं वे भी दवा लेने अस्पताल में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्हें यह डर है कि वहां पर एक्सपायरी डेट की दवायें दी जा रही हैं । इन हालात में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज की कार्यवाही रोककर इस पर आप चर्चा करा दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, जो आजमगढ़ का मामला उठाया गया है, वह बहुत ही गम्भीर मामला है, स्वास्थ्य विभाग में दवाओं के घोटाले का मामला है । वहां पर जो फारमासिस्ट है उसी के द्वारा समस्त राज्य सरकार का नियोजन का कार्य हो रहा है । दवाओं के घोटाले में गोबर कांड पहले हुआ था जिसमें कुछ अधिकारी दंडित हुये थे, यह उसी किस्म का घोटाला हो रहा है । मान्यवर, सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर से जो दवायें जाती हैं उन पर 50 कैपसूल देने पर 500 कैपसूल की रसीद ली जाती है क्योंकि जो फारमासिस्ट वहां पर है वह स्वास्थ्य विभाग के लोगों का चहेता है । इसलिये मान्यवर, मेरा कहना है कि इस तरह से वहां पर दवाओं की जो वितरण व्यवस्था हो रही है वह ठीक नहीं है । एक भी मरीज को पट्टी बांधने के लिये वहां पर पट्टियां उपलब्ध नहीं है। वह रुई बाजार में बेच देता है कम्बल बाजार में बेच देता है। इन चीजों को बेचते हुये वह पकड़ा गया जिसकी विजिलेंस से भी जांच हुई लेकिन उसके उपर स्वास्थ्य मंत्री जी की कृपा है उसे सेंट्रल स्टोर से नहीं हटाया जा सकता है । जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी वहां दौरे में गये थे तो माननीय मसूद साहब जैसे आदमी तथा 5, 6 हम लोगों ने इस बात की उनसे शिकायत की तो बड़े हल्के तरीके से उन्होंने इसे लिया और कहा कि इसे आशीर्वाद दे दीजिये, यह हमारी सरकार चला रहा है । तो जब वह आपकी सरकार चलायेगा तो फिर उसे क्यों हटायेंगे । मान्यवर, जब दवाओं का सत्यापन हुआ तो लाखों का गोलमाल पकड़ा गया इस पर वहां के सी0 एम0 ओ0 ने मुकदमा दायर किया तो उसे हटाने की साजिस चल रही है । आज आजमगढ़ में किसी प्राइमरी हैल्थ सेंटर में दवायें उपलब्ध नहीं हो रही है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के इस रवैये से पूरे आजमगढ़ में क्षोभ है । तो इस भयंकर घोटाला कांड पर चर्चा करने के लिये आज शेष कार्यवाही को स्थगित कर लिया जाय ।

(श्री मानवेन्द्र सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मानवेन्द्र सिंह जी, आपका नाम इसमें नहीं है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

दूसरी सूचनायें हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय मसूद साहब और बलराम सिंह जी ने जो दवाओं के घोटाले का मामला उठाया है, वह बहुत गम्भीर है । यह केवल भ्रष्टाचार से ही संबद्ध नहीं है बल्कि मरीजों के जीवन से भी संबंधित है, इससे मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है इससे ज्यादा गंभीर दूसरा मामला नहीं हो सकता है । हम नहीं चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री की छवि को धूमिल करें । मैं कहना चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्री जी से कि आजमगढ़ के मामले में आपकी छवि धूमिल हो रही है, जाने या अनजाने में आपके नाम पर वहां गलत काम हो रहे हैं । जब आप वहां गये थे तो माननीय सदस्यों ने आपसे शिकायतें भी की थी दूसरे लोग भी शिकायत कर रहे हैं कि आपके चहेते नाजायज फायदा उठा रहे हैं । इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं आपसे कहूंगा कि

आप इस पर चर्चा स्वीकार करें क्योंकि इस समय हम पूरे तथ्य आपके सामने नहीं ला सके हैं जब चर्चा होगी तो सारे तथ्य आपके सामने आयेंगे आपके नाम पर वहां पर लूट हो रही है, लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तरह-तरह की चर्चायें हो रही हैं उन सब को हम आपके सामने लायेंगे जिस पर आपको स्पष्टीकरण देने का मौका मिलेगा इससे आपकी छबि ठीक होगी । इसलिये इस पर कम से कम दो घंटे की चर्चा होनी चाहिए ।

श्री फागू चौहान–

मान्यवर, जो बातें माननीय मसूद साहब और बलराम सिंह जी ने कहीं उनको मैं दोहराऊंगा नहीं । आजमगढ़ जिला बहुत पहले से मंत्री जी का चारागाह बना हुआ है। ग्रोवर कांड सब को मालूम है और अब यह दूसरा एच0 एन0 सिंह कांड हो रहा है । मैंने इस मामले को 3-2-87 को जिला स्वास्थ्य सलाहाकार समिति में उठाया था और उस समिति में निर्णय लिया गया कि एच0 एन0 सिंह फार्मेसिस्ट को स्टोर से हटा दिया जाय । फिर 8-9-87 को जिला स्वास्थ्य सलाहाकार समिति में यही निर्णय लिया गया । इसी पर 3-12-87 को मंडलीय सम्मेलन मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई उसमें भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि इस पर कार्यवाही की जायेगी । जिसके आधार पर सी0 एम0 ओ0 ने डिप्टी सी0 एम0 ओ0 से दवा बांटने के लिये कहा लेकिन उक्त फार्मेसिस्ट ने वह नहीं होने दिया । वहां के टी0 बी0 डाक्टर ने शिकायत की कि 12 हजार की दवायें उसे मिलनी चाहिये थी, वह नहीं मिली जिसे उप फार्मेसिस्ट ने बेच दिया । 20-1-88 को स्टोर चैकिंग के लिये सी0 एम0 ओ0 ने आदेश दिया और मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तीन डिप्टी सी0 एम0 ओ0 ने स्टोर की चैकिंग की । स्टोर चेकिंग में 10 लाख रुपयों की दवाईयों का घोटाला पकड़ा गया है । जीवन रक्षक दवाईयों में घोटाला कांड स्वास्थ्य मंत्री जी के संरक्षण में हो रहे हैं, इसलिये इस पर चर्चा करायें और बेईमान व्यक्ति को दंडित किया जाये ।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, यह मामला गंभीर है । श्री एच0 एन0 सिंह, फार्मासिस्ट आजमगढ़ सदर अस्पताल में 12-14 वर्षों से है जो सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर में नियुक्त है और वहीं रहता है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने सी0 एम0 ओ0 से कहलाकर उसको रखवाया है । माननीय मंत्री जी आजमगढ़ गए थे तो हम, माननीय श्री मसूद खां, माननीय श्री बलराम यादव व माननीय फागू चौहान ने उसके खिलाफ शिकायत की थी कि फार्मासिस्ट छोटे कर्मचारियों व डाक्टरों को पिटवाता है, दवायें बाजार में बेच देता है तो मंत्री जी ने जवाब दिया कि मैं उसको नहीं हटा सकता हूं आप लोगों की सरकार आये तो आप को जो कुछ करना हो वह करें । तो इस तरह स्वास्थ्य विभाग कैसे चलेगा ? मान्यवर, फार्मासिस्ट ने सी0 एम0 ओ0 को पिटवाया है । मैं कहना चाहता हूं कि फार्मासिस्ट वहां जो कुछ कर रहा है वह स्वास्थ्य मंत्री के इशारे पर कर रहा है, इसलिये मेरी मांग है कि इस पर एक घंटे की चर्चा आप स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि फार्मासिस्ट का मसला यहां इस प्रकार से प्रस्तुत हुआ है कि हमारे आजमगढ़ के विधायकगण एक स्वर से इस फार्मासिस्ट की बेईमानी के खिलाफ, उसके जुल्मों के खिलाफ मांग कर रहे हैं कि चर्चा करा दी जाये । स्वास्थ्य मंत्री का नाम भी लिया गया है यह कहकर कि आपका वह विशेष संरक्षण पा रहा है, आपके साये में वह बेईमानी कर रहा है । इसलिये इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री से कई बार माननीय सदस्य मिल चुके हैं, इसलिये यह विषय यहां पर नहीं आना चाहिए था और उनको कार्यवाही करना चाहिए था उसको वहां से हटाने की क्योंकि स्वास्थ्य कमेटी ने रिकमेंड किया, उसके अधिकारी वरिष्ठ निरीक्षक और सी0 एम0 ओ0 आदि सभी ने संस्तुति किया कि उस फार्मासिस्ट को वहां से हटा दिया जाना चाहिए । डिप्टी सी0 एम0 ओ0 ने स्टोर की चेकिंग किया और कमी पायी । स्वास्थ्य मंत्री का फोटो है जिसमें वह मंत्री जी को माला पहना रहा है, आप माला पहनें हमें इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन अफसोस है कि यह विषय यहां उठाया गया, आपने कहा कि वह आपका कृपा पात्र है इसलिए नहीं हटायेंगे जो मुनासिब नहीं है । यह सही है कि स्वास्थ्य मंत्री सत्ता में हैं, वरिष्ठ हैं, पुराने हैं, एक राजनीतिक भूमिका है जिसके तहत हो सकता है कि आप न सुनें, हमारी जायज मांग को न मानें, इसलिये स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग है कि इसको हटायें निलम्बित करें और आपका कृपा पात्र है तो उसको अपने अन्डर में रखिये और इस पर मान्यवर, आप दो घंटे की चर्चा अवश्य करायें। जनपद के सारे विधायकगण उसके लिए आन्दोलित हैं और एक फारमेसिस्ट जैसा छोटा कर्मचारी पूरे जिले में अपना आतंक मचाए हुए है, जिलाधिकारी, विधायकगण, सी0 एम0 ओ0 और डिप्टी सी0 एम0 ओ0 सभी उससे दुखी हैं । मंत्री जी उसको हटाएं या फिर उस पर आप चर्चा करायें । ताकि हम मजबूती के साथ उसके कारनामों का यहां विस्तार से खुलासा कर सकें कि किस प्रकार वह भ्रष्टाचार कर रहा है और पूरे जिले में अपना आतंक छाये हुए है ।

जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

श्रीमन्, मैं जनवरी में आजमगढ़ गया था, तो मुझसे सम्मानित विधायकगण मिले थे और बोले कि इसको हटा दीजिए । मैंने कहा क्यों हटा दिया जाए, क्या उसका कसूर है ? उन्होंने कहा वह बेईमान है । हमने कहा बहुत अच्छा । हमने उसकी जांच कराई । यह फार्मासिस्ट उत्तर प्रदेश फार्मासिस्ट संघ का अध्यक्ष है . . .

श्री बलराम यादव–

बेईमान है, फर्जी है ।

(कई सदस्यों के बोलने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

नेता विरोधी दल आप शान्त करायें अपने सदस्यों को । मंत्री के बीच में बोलना उचित नहीं है । स्वास्थ्य मंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, इस स्थिति में वह कैसे बोलेंगे ? यहां गुस्से का काम नहीं है, यह शान्ति की जगह है । अर्जुन जी आप शान्त हों । यह शान्ति की जगह है । यहां पर तर्क का जवाब तर्क से दिया जाए ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वह उत्तर प्रदेश फार्मेशिस्ट संघ का अध्यक्ष है । जिस दिन सम्मानित मुलायम सिंह जी जो विधायक दल के नेता हैं, यहां बैठ जायेंगे, उस दिन विधायकों के कहने पर वह उस फार्मेसिस्ट को हटा देंगे। जब किसी की कोई शिकायत पता चले तो उसे दंडित किया जाए । जब शिकायत ही नहीं है तो कैसे हटाया या दंडित किया जाए । तो जो विधायक गण कह रहे थे वह सत्य नहीं है, वह अध्यक्ष नहीं हैं, तो इससे काम चलने वाला नहीं है । जो वह यहां पर आचरण कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि वह जिले में क्या आचरण करते होंगे । जिस दिन इसकी जांच मैंने कराई और उस जांच में कुछ नहीं मिला तो मैं क्या करूं । एक सरकारी आदेश है कि संघों के अध्यक्षों का स्थानान्तरण नहीं किया जाता । इसलिए मैंने जांच कराई थी, मुझे कुछ मिलेगा तो स्थानान्तरण कर दूंगा । यदि माननीय सदस्य-गण शिकायत लिख कर दे दें तो मैं पुनः जांच करा लूंगा । इसलिए इसपर किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय मंत्री जी का कहना है कि हमें विधायकगण लिखकर दे दें तो हम जांच करा लेंगे, इस संबंध में पहली बात तो यह कहनी है कि तीन-तीन सी0 एम0 ओ0 ने स्टाफ को चेक किया और उसके बाद स्टाफ में कई हजार रुपये की कमी पाई गई । इससे सिद्ध हो गया कि वह बेईमान है । विधायक की इज्जत आपकी नजर में कुछ नहीं है और यदि वह आपका इतना बड़ा चहेता होता और कृपा पात्र न होता तो आप ऐसी बात न कहते । आप कहते हैं कि विधायकगण बैठ जायेंगे तो कर देंगे, लेकिन इसमें जो आप तानाशाही रवैये के साथ कह रहे हैं, जबकि वहां के जिला-धिकारी, सी0 एम0 ओ0 सभी ने कहा है कि हमको धमकियां देता है । आप उनकी भी नहीं मान रहे हैं । विधायकों की भी बात नहीं मान रहे हैं आप किसी की भी बात नहीं मान रहे हैं । मेरा आपसे कहना है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जिद पर हैं, तो हम उनसे कुछ कहने को तैयार नहीं हैं। आप चर्चा स्वीकार कराइए, तो हम कलई खोलेंगे ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, मैंने माननीय नेता विरोधी दल सत्यपाल जी के सम्मुख कहा कि जो विधायक शिकायत कर रहे हैं वह आपको दे दें फिर जांच करायेंगे ।

श्री अर्जुन सिंह यादव–

अब आप क्या जांच करायेंगे अब हाउस चल रहा है ।

(घोर व्यवधान होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग उत्तेजित न हों आप लोग बैठें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, जैसा माननीय विधायकों का कहना है कि इसकी जांच की गई और जांच उसके खिलाफ आई और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना है कि उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली । उसके बाद यह कहते हैं कि जो विधायक इसके प्रमाण देंगे उसकी जांच करा लेंगे । मैं चाहता हूं कि आप इसमें पूरे दिन की चर्चा करा दें । यह एक गम्भीर मामला है । जिस समय मान्यवर, यह जांच करायेंगे उस समय शेष प्रमाण जो रह जायेंगे वह भी हम प्रस्तुत कर देंगे, तो मान्यवर, इसमें चर्चा स्वीकार कर लें । मान्यवर, यह भी यह बता दो कि जांच करायेंगे तो किस माध्यम से जांच करायेंगे और पहले किससे जांच कराई थी वह जांच रिपोर्ट इनके पास आ गई होगी, तो वह जांच रिपोर्ट क्या है यह सारी चीजें चर्चा में आ जाएंगी । पूरे जिले के विधायक एक मत होकर यह स्वीकार करते हैं और यह आरोप लगाते हैं कि आपका संरक्षण है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए ।

(घोर व्यवधान)

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, इसमें आप आदेश देंगे तो जांच हो जाएगी और जांच आपके सामने आ जाएगी । तब आप आवश्यक समझें तो चर्चा करा लें । अभी चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

जांच के बाद चर्चा हो तो ठीक रहेगा ।

(श्री फागू चौहान, बलराम यादव तथा कई अन्य सदस्य डायस के पास आकर बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष–

नेता विरोधी दल, आप इनको बैठायें ।

(श्री बुनियाद हुसैन अंसारी के प्रयास से सभी सदस्य वापस अपने स्थान पर चले गये)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि जब कुछ विधायकों ने शिकायतें दी हैं तो चर्चा के आदेश कर दें । पांच-छः दिन बाद जांच होगी तो वह भी सामने आ जाएगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

जांच के बाद चर्चा स्वीकार करते हैं ।

(घोर व्यवधान होने पर)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, यह आप क्या कह रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

जांच के बाद एक घंटे की चर्चा हो जायेगी ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

"कमर अपनी बेबसी पर, मैं हजार बार रोया,
कभी कुछ ख्याल करके, कभी कुछ ख्याल करके ।"

मान्यवर, आज दिन भर जिन मामलों पर बहस हुई है उससे एक बात जरूर सामने आती है कि हम अपने मुल्क में कानून या जो हमारी पद्धति है डेमोक्रेसी की उसको खोते चले जा रहे हैं । मैं एक मिसाल देकर अपनी बात शुरू करूंगा । "इंडिया विन्स फ्रीडम" में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने खुद नेहरू जी के खिलाफ खुलकर लिखा । हुमायूं कबीर, नेहरू जी के पास उनकी खुशामद की गरज से गये और यह कहा कि नेहरू जी आप कहें तो "इंडिया विन्स फ्रीडम" से वह हिस्सा निकाल दिया जाय तो आपके खिलाफ है। लेकिन नेहरू जी ने कहा मौलाना आजाद एक मजबूत करेक्टर के आदमी थे । अगर उन्होंने मेरे खिलाफ लिखा है तो मैं इसकी हरगिज इजाजत नहीं दूंगा कि मेरी खुशामद के लिये उनकी किताब से एक आदमी की बात निकाल दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा में भूमिका का समय होता है ग्राह्यता में नहीं ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

यह जो मामला मैं रखने जा रहा हूं यह बहुत अहम् मामला है । मैं उस तरह की बात नहीं करना चाहता जिस तरह दूसरे साथी करते हैं। मान्यवर, यह सच है चाहे होली का रंग हो या खून का रंग अभी मिटा नहीं है । इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि चाहे मेरठ का साम्प्रदायिक दंगा हो चाहे मलियाना, हाशिमपुर कांड का या हिंडल नदी के जालिमों पी0 ए0 सी0 के हाथों मजलूसों के मारे जाने का मामला हो, मैं गांव के रहने वाले गरीब की बात कर रहा हूं जिन्हें यह सरकार कोई संरक्षण नहीं दे पाती है । मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि 40 साल पहले यह करेक्टर हमारे प्रधानमंत्री का था, यह हमारी राजनीतिक पद्धति थी और आज आजादी के बाद इस मुल्क में मौलाना आजाद के उन 30 पन्नों को अदालत का सहारा लेकर सरकार शाया होने से रुकवाती है जिसे हो जाना था । मैं, जो फर्क आया है वह बता रहा हूं। आज 40 साल के बाद करेक्टर इतना गिर गया है, एक प्रधान मंत्री ने एक खुशामदी की बेइमानी को मना कर दिया था और आज अदालतें बेइमानी को सहारा देकर सच बात कहने से रोक रही हैं ।

मान्यवर, 4 तारीख रायबरेली के तुलेंडी गांव में 12 बजे जुमे की नमाज होनी थी । इत्तफाक से होली और जुमे का दिन एक साथ पड़ गया । गांव के लोगों ने यह बात थाना इंचार्ज से कही । यह इंतेहायी इत्तफाक की बात है, ऐसी मिसाल कम मिलती है, एस0 पी0 सिंह तोमर जी वहां के एस0 ओ0 थे ने तय किया कि नमाज भी हो जाय और जुलूस भी निकल जाय। इंचार्ज ने कहा कि 12 बजे तक होली हो जायेगी आप 1 बजे तक नमाज पढ़ लें । लोगों ने कहा ठीक है । 1 बजे नमाज शुरू हुई । 1 बजकर 10 मिनट पर नमाज का खुतबा खत्म हो गया । सवा बजे लोग नमाज के लिये खड़े हो गये । उसी वक्त जब लोग नमाज पढ़ रहे थे तो 2 हजार लोग मस्जिद में आये और मस्जिद में घुसना चाहा । मस्जिद के दरवाजे पर खड़ी हुई पुलिस ने उनको रोका । (व्यवधान) आप मेरी बातों को हल्के तौर पर न लें ।

अगर मलियाना और हिंडन नदी कांड में गोली चलाने वाले जालिमों को सजा दी गयी होती तो विधान सभा के सामने बेगुनाह को पुलिस के डण्डे से जान से न मारा गया होता । अगर अधिकारियों पर अंकुश लगाया गया होता तो जो विधायक हैं उन पर सदन की दीवार के बराबर जलील न किया गया होता । लिहाजा जो वहां पर एक दरोगा, एक एस0 ओ0 और चन्द पुलिस कर्मी मौजूद थे उन्होंने जो ड़ेढ़ हजार लोग जो पथराव करके मस्जिद में घुसना चाहते थे तो रोका जिसमें एक दरोगा भी बलवाइयों के साथ था, श्री शुक्ला । इसी बीच एस0 ओ0 थाना बहराब मस्जिद की छत पर चढ़ गया और उसमे फायरिंग की और यह कहा कि अगर अब भी बलवाई नहीं हटते तो मैं मजमें पर फायरिंग करूंगा। इसके बाद वह मजमा एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में जा पहुंचा । मस्जिद के बाहर एक गरीब आदमी का घर था, अधूरी दीवारें थी, मजमें ने उसके छप्पर में आग लगा दी । उसके कपड़े और सामान जल गया । यह दंगाइयों की बहादुरी का मुजाहिरा हुआ । वहां सतीश चन्द्र शुक्ला जो एस0 आई0 थे जिनकी एस0 ओ0 ने शिकायत की थी । एस0 एस0 पी0 श्री डी0 एन0 सावल जो ईमानदार और निष्पक्ष अधिकारियों में रहे हैं उन्होंने इसको हटाया था । लेकिन यह बात समझ में नहीं आती है कि किसके कहने से और किन हालात में इस साप्रंदायिक आदमी को होली पर दंगा कराने दिया गया और ड्यूटी पर लगाया गया । उसकी ड्यूटी वहां लगाई गयी, एस0 ओ0 ने लिखकर शिकायत की कि इसको यहां न लगाया जाय, इससे दंगा होगा नतीजे तौर पर दंगा हुआ उस एस0ओ0 की टांग टूट गयी, वह जख्मी हो गया । अब हालात यह है कि बस्ती के बाहर अगर कोई तहबन्द पहने या कोई दाढ़ी वाला जाय, तो लोग उसे घेर कर मारते हैं, लिहाजा एक सख्श बहुत मारा गया, मुहम्मद हनीफ नामी एक सख्श मारा गया, जब शैतान नंगा होकर सड़क पर आता है, तो पूरा समाज ढेला लेकर सामने आता है, शैतान तो चला जाता है और फिर यह ढेला उस समाज में आपस में चल जाता है । आज अगर सरकार ने यह नहीं समझा कि होली के त्योहार पर अगर यह कहा जा सकता है कि गोरखपुर में एक दरोगा ने एक बेगुनाह मासूम की जान भी ली है, तो सरकार को यह भी मानना पड़ेगा कि होली के दिन हुए झगड़े में जो सख्श कल रात मरा है, वह भी इस धरती का रहने वाला है, वह भी इस मूल्क का फर्द है, उसकी भी जान की कीमत वही है, जो गोरखपुर में रहने वाले की है। मैं दो लाख का, एक लाख का मुतालबा इसलिए नहीं करता, क्योंकि उसकी वह हैसियत नहीं थी, जिसका जिक्र अभी सदन में किया गया था, उसे तो 20 हजार के काबिल भी नहीं समझा गया है । यह सरकार हक और इन्साफ अगर नहीं दे सकती, तो फिर मसलिहत की ही बिना पर उसके तकाजों का पूरा करते हुए एक ऐसे मजलूस की मदद करेगी, जिसकी एक बेवा के साथ तीन जवान बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है वहां बेटियों की शादी होनी है। मान्यवर, मैं जो कुछ कह रहा हूं, इसे यह न सोच कर टाल दिया जायेगा कि यह बात एक मुसलमान के बारे में एक मुसलमान कह रहा है, बल्कि इसे खतरे की अलामत समझिये ।

मान्यवर, वहां पर जो पी0 ए0 सी0 लगी हुई है, उस पर हमारा कोई एतमाद नहीं है । इस पी0 ए0 सी0 ने मेरठ, पलियाना, हाशिमपुरा और हिन्डन नदी में

बेगुनाह मुसलमानों को गोलियां मार कर फेंका है, इनसे हमारे खून की बू आती है, इन्हें फौरन हटाया जाय, चाहे वहां फौज लगा दी जाय, वरना कहीं यह न हो जांय कि यह छिट-पुट का बहाना लेकर पी0 ए0 सी0 के दरिन्दे वहां पर बेगुनाहों को मार दें। आप वहां से पी0 ए0 सी0 फौरन हटा लें, चाहे आप वहां पर बी0 एस0 एफ0 लगा दीजिए या सी0 आर0 पी0 एफ0 लगा दीजिए। मान्यवर, मृतकों को जो मुआवजा दिया जाता है, वह दिया जाय और जख्मियों को मुआवजा दिया जाय और शुक्ला दरोगा को वहां से फौरन हटाया जाय।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

माननीय उपाध्यक्ष जी, "बेवफा कातिल सितमगर और वफा न आशना, दुनियां पुकारेगी तुझे किस-किस अनवानों के साथ" मान्यवर, मैं और आजम खां साहब कल मुहम्मद पुर तुलैंडी थाना बछरावां जिला रायबरेली साढ़े 5 बजे शाम को मौका देखने के लिए गये थे। हमने उस गांव के अन्दर जाकर हालात देखे, मौका देखा, लेकिन वहां पर मुसलमान बहुत ज्यादा खौफोहरास में मुबतला थे। उनके साथ आज भी ज्यादती की जा रही है। जैसा कि अभी हालात बताये गये, जुमा का दिन था, वहां पर एस0 पी0 सिंह तोमर दरोगा हैं, उन्होंने होशमंदी और दानिश मंदी से काम लिया और उन्होंने मुसलमानों से कहा कि 1 बजे नमाज पढ़ लें, इधर हम जुलूस भी निकलवा देंगे। मैं मान्यवर, होली के जुलूस के मुताल्लिक अर्ज कर रहा हूं। वहां पर जैसे ही नमाज खत्म हुई, तो होली का जुलूस वहां पर आया, लगभग दो हजार आदमियों की भीड़ वहां पर थी मस्जिद के अंदर जबरदस्ती कुछ लोग ने घुसना चाहा और मस्जिद के नामाजियों पर हमला करने की कोशिश की और जब वे लोग नहीं माने, तो तोमर दरोगा छत पर चढ़े और चढ़ने के बाद उन्होंने पहले हवाई फायरिंग की और यह कहा कि अगर आप पीछे नहीं हटेंगे, तो मैं गोली चला दूंगा, तो वह मजमा वहां से मुंतसिर हुआ। बेहरहाल वह माब इख्तियार नामक व्यक्ति के मकान पर पहुंचा और उसमें जाकर आग लगा दी। उस गरीब के जो कुछ कपड़े वगैरा, सामान था, वह जल गया और वह तबाह हो गया। तो इस तरीके से हमारे इस प्रदेश के अन्दर जब भी इस किस्म की वारदात होती है तो इससे बहुत ही अफसोस होता है और यह एहसास भी होता है कि हम सब इस देश के रहने वाले हैं, सभी यहां के निवासी हैं और सब को इस हिन्दुस्तान के अंदर जो हमारा एक विधान है, कानून बना हुआ है उसमें सब को बराबर की आजादी है। लेकिन कभी-कभी जब इस किस्म की बात सामने आती है चाहे वह मेरठ की हो, मुरादाबाद की हो, मलियाना की हो, हासिमपुरा की हो।

हिन्डन नदी के अंदर कत्ल करके बहा दिया जाय तो उससे इस देश के माथे पर कलंक का टीका लगता है और इससे यह एहसास पैदा होता है कि सबको बराबर जीने की आजादी का हक नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज भी वहां के लोग सुरक्षित नहीं हैं और वहां पर इतनी पी0 ए0 सी0 पड़ी हुई है कि जिससे वह लोग यह महसूस कर रहे हैं कि कल को फिर हमारे साथ ज्यादती होगी। यह वारदात होने के बाद मुहम्मद हनीफ जो कि अपने खेत में जा रहा था उसको मारा-पीटा गया और यहां लखनऊ के अस्पताल में जाकर उसने दम तोड़ दिया, वह मर चुका

है । मैं इस बात की मांग करता हूं कि उसकी जान गयी है और इन हालात में गयी है जैसा कि अभी-अभी हमारे भाई आजम खां ने भी मांग की है, कि कम से कम 20 हजार रुपया उसको भी मिलना चाहिए । उसकी जान भी उतनी ही कीमती है जितनी कीमती दूसरे लोगों की जानें हैं ।

(श्री बुनियाद हुसैन अंसारी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष –

बुनियाद जी, आपका नाम नहीं है ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी –

मेरा भी नाम जोड़ लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह आपके हिसाब से हाउस नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है इस पर चर्चा जरूर करा दें और इन मजलूमों के साथ इंसाफ किया जाय । वहां पर पुलिस और पी0 ए0 सी0 को हिदायत दी जाय और जो बहुत ज्यादा तादाद में पी0 ए0 सी0 लगा दी गयी हैं उसको हटा दिया जाय ।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, छोटी-छोटी घटनाओं के बाद बड़ी घटनाएं हो जाती हैं । जब थानेदार शुक्ला का स्थानान्तरण इस वजह से हो गया कि वह फिरकावाराना काम कर रहे थे और दो वर्गों के अन्दर झगड़ा पैदा कर रहे थे । यह सारा वहां के थानाध्यक्ष तोमर ने किया फिर एस0पी0 ने उसका स्थानान्तरण कर दिया फिर कांग्रेस के लोगों ने यहां सरकार के लोगों पर दबाव डाला, ये चाहे कहें या न कहें, तो पुनः उस थाने पर उस शुक्ला को भेजा गया । मान्यवर, जब यह तय हो गया कि एक बजे नमाज होगी और यह भी तय हो गया कि जुलूस खत्म हो जायेगा उसके पहले 12 बजे तक । उसके बाद एक एस0 आई0 शर्मा जुलूस के साथ जाता है भीड़ में तो हर किस्म के लोग होते हैं कुछ गलत लोगों ने इस किस्म से ईंटा पत्थर चलाना शुरू कर दिया और वहां पर थानाध्यक्ष ने रोका लेकिन एस0 आई0 शुक्ला और एस0 आई0 शर्मा पूरी तरह से भीड़ के साथ थे इतना बड़ा बवाला हुआ उसके बाद इस उत्तेजना को लेकर खेत में काम कर रहे हनीफ को मारा । उनके तीन बच्चियां हैं, तीनों की शादी करनी है । मान्यवर, इस मसलों को गम्भीरता से लेना होगा, नहीं लिया जायेगा तो यह मामला बढ़ सकता है और बढ़ जायेगा और पूरे प्रदेश पर साम्प्रदायिकता की चिंगारी के रूप में जायेगा और उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी । सरकार में बैठे हुए लोगों ने एस0 आई0 शुक्ला को वहां पर भेजा है । मैं चाहता हूं कि इस पर एक घंटे की चर्चा करायी जाय ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, जैसा कि आजम खां साहब ने और वर्क साहब ने फरमाया कि पुलिस ने बड़ी सतर्कता से काम किया, किसी एस0 ओ0 तोमर का नाम लिया कि उन्होंने बड़े ठीक ढंग से फर्ज की अदायगी की, उसके लिए धन्यवाद । आपने, वर्क साहब ने, आजम खां साहब ने जो बात कही आर्थिक सहायता की, तो उसकी मरने की बात सरकारी तौर पर नहीं आयी है । सरकारी तौर पर जानकारी होने पर आर्थिक सहायता दी जायगी । पुलिस और पी0 ए0 सी0 के बारे में जो जिक्र किया, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जिला प्रशासन, रायबरेली को हिदायत भेज दी जायगी कि वहां पर कोई सीनियर पुलिस आफिसर या सीनियर प्रशासनिक अधिकारी को भेज दें और वहां की लोकल जनता जिस प्रकार से संतुष्ट हो, उसका इंतजाम कर दिया जायगा ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, हर वर्ष हमारे देश से हजारों मुसलमान भाई और बहनें हज के लिये जाते हैं । उत्तर प्रदेश से प्रति वर्ष 5 हजार लोग जाते हैं । सरकार का दायित्व है कि चाहे कुम्भ मेला हो, राम जन्म भूमि का मेला हो, ननकाना साहब में हो या हज के लिये जाना हो, व्यवस्था करे । पता चला है कि हज यात्रा पर जाने वाला पानी का जहाज नहीं जा रहा है, इससे लोगों में बड़ी चिन्ता है और बड़ा आक्रोश है कि सरकार अपने दायित्व को पूरा नहीं कर रही है । मैं इस सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करूंगा कि इसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार पर दबाव डाले कि हज यात्रियों के लिये पानी का जहाज मुहैय्या कराया जाय और इस अहम समस्या पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाय ।

श्री अम्मार रिजवी–

मा0 उपाध्यक्ष जी, मा0 जौहरी साहब ने जो प्रश्न उठाया कि भारत से विशेषकर उत्तर प्रदेश से जो हाजी लोग हज के लिये जाते हैं; उनके लिये जहाज की समस्या है। मान्यवर, भारत सरकार और सेन्ट्रल हज कमेटी में बार-बार यह बात हुई है कि जो जहाज जद्दा जाता था, अकबर नाम का वह बहुत पुराना था, वह अंडमान निकोबार में तैनात रहता था । उसमें इतनी दूर जाने की क्षमता नहीं पायी गयी, इसलिये तय हुआ कि उस जहाज को न भेजा जाय । सेन्ट्रल हज कमेटी और उत्तर प्रदेश हज कमेटी ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि बहुत से ऐसे हाजी होते हैं जो आर्थिक रूप से इस काबिल नहीं होते हैं कि हवाई जहाज का किराया दे सकें, इसलिये उनके लिये व्यवस्था की जाय । दोनों ओर से प्रयास किया जा रहा है। केन्द्र सरकार और हमारे प्रधान मंत्री इस बात पर हमदर्दी से विचार कर रहे हैं । उन्होंने कहा है कि कोई न कोई व्यवस्था उन हज यात्रियों के लिये की जायगी जो आर्थिक रूप से हवाई जहाज का किराया देने में सक्षम नहीं हैं । मैं डाक्टर दिनेश जौहरी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय को उठाया।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं श्री सत्य प्रकाश विकल और श्री सूर्य प्रताप शाही की सूचना जो गोरखपुर की घटना के संबंध में है, पर एक घंटे की चर्चा और श्री मोहम्मद मसूद खां की जनपद

आजमगढ़ में सदर अस्पताल के मेडिकल स्टोर संबंधी सूचना पर जांच होने के उपरान्त एक घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं और बाकी सबको अस्वीकार करता हूं ।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा†

श्री उपाध्यक्ष–

अब मद संख्या 9

(श्री सत्यपाल सिंह के खड़े होने पर)

बड़ी कठिनाई के बाद वक्त आया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

बहुत दिनों से इस चीज का इन्तजार था ।

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, माफी चाहता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि मा0 नेता विरोधी दल बजट पर भाषण देने जा रहे हैं । जिस दिन मान्यवर, बजट पेश हुआ, उस दिन नेता विरोधी दल मौजूद नहीं थे । पांच बजे बजट पेश हुआ । इसकी प्रतियां कहीं बाहर बंटी हों तो दूसरी बात थी, यहीं सदन के अन्दर बांटी गयीं, लेकिन 5 बजकर दो मिनट पर प्रेस गैलरी में भेजा जा रहा था, जिसमें कहा गया था कि यह बजट निराशाजनक है, तो जो बजट इनके द्वारा पढ़ा ही नहीं गया, उस पर प्रतिक्रिया कैसे दी जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह कोई बात नहीं है ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, वर्ष 1988-89 का जो यह आय-व्ययक पेश किया गया है इसको मैंने बार-बार पढ़ा और समझने की कोशिश की। इसको पढ़ने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि यह बजट पूर्णतया परम्परागत और उपलब्धि विहीन है। जब किसी भी देश और प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो जनमानस में बहुत आकांक्षायें होती हैं, जन-मानस में एक भावना होती है कि उसके देश का, प्रदेश का बजट पेश हो रहा है, उसमें उसके लिये कुछ सुविधायें होंगी, कुछ सहूलियतें होंगी, जिनके लिये एक साल इन्तजार करती है। हमें निहायत अफसोस के साथ में कहना पड़ता है कि वर्ष 1988-89 का बजट, जो हमारे सदन में माननीय मुख्य मंत्री ने वित्त मंत्री की हैसियत से प्रस्तुत किया है, यह बिल्कुल दिशाहीन है। इसमें किसी भी वर्ग के लिये कोई भी राहत नहीं पहुंचाई गयी है। यह कल्याणकारी राज्य होने की बात करते हैं और इस कल्याणकारी राज्य के नाम पर, समाज के लिये, किसी भी वर्ग के लिये, पिछड़े वर्ग के लिये, किसान वर्ग के लिये, विद्यार्थी वर्ग के लिये कोई भी सुविधा इस बजट के माध्यम से प्रदान नहीं की गयी है। मान्यवर, 23 पृष्ठीय यह बजट भाषण था, यह बिल्कुल ऐसी अनिश्चितता की स्थिति पैदा करता है, जिसमें कोई भी प्रदेश के विकास की बात नहीं की गयी है। इस बजट में केवल इन्होंने इतना दिखाया है, पिछले वर्ष जब 1987-88 का बजट पेश किया गया था, उस समय आय व्ययक में 75 अरब रु0 का प्राविधान किया गया था, इस वर्ष

---

†दिनांक 7 मार्च, 1988 की कार्यवाही से ।

इन्होंने जो आय-व्ययक का ब्यौरा पेश किया है, उस सम्बन्ध में मैं कुछ कह देना मुनासिब समझता हूं ।

राजस्व और पूंजी लेखों को मिलाकर इन्होंने अपनी सारी प्राप्तियां दिखायी हैं 82 अरब 42 करोड़ 10 लाख रु0 और इस प्राप्तियों के माध्यम से इन्होंने यह भी बताया कि हमने राजस्व प्राप्तियां 51 अरब 73 करोड़ 69 लाख प्राप्त की हैं और पूंजी लेखे के माध्यम से इन्होंने 30 अरब 68 करोड़ 41 लाख रु0 प्राप्त करने की बात कही है। इस बजट के अन्दर खास बात यह है कि आयोजनागत मदों में प्रतिवर्ष बजट में कटौती होती जा रही है और प्रतिवर्ष जो आयोजनेतर मदें हैं, उनके खर्चे बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। इस लिये इन्होंने वित्तीय वर्ष में जो राजस्व व्यय दिखाया है वह 57 अरब 33 करोड़ 66 लाख रु0 का है। इस राजस्व व्यय के लिये आयोजनागत मदों में इन्होंने 13 अरब 21 करोड़ 70 लाख रु0 का प्राविधान किया है और आयोजनेतर मदों में 44 अरब 11 करोड़ 96 लाख का प्राविधान किया है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि उन आयोजनेत्तर मदों पर जो व्यय किया जा रहा है, वह लगभग 3 गुना अधिक है। लेकिन आयोजनागत मदों के नाम पर जो खर्चा होता है, उससे हमारे प्रदेश के विकास की आकांक्षा और उम्मीद नहीं की जा सकती है। इन्होंने राजस्व और पूंजी लेखों से 86 अरब 93 लाख रुपये का प्राविधान किया है जबकि 86 अरब 93 लाख रुपये इनकी समेकित निधि में नहीं थे । समेकित निधि में कम रुपया था इस लिये मान्यवर, इन्होंने 303 अरब 58 करोड़ का घाटा इस बजट में दिखाया । इस घाटे को दूर करने के लिये इन्होंने जो योजना बनाई है, उसमें कन्सालीडेटेड फंड से 25 करोड़ के संसाधनों को जुटाया जा रहा है और लोक लेखा से 307 करोड़ 71 लाख रुपये की पिछली प्राप्तियां रहीं। लोक लेखा का जो भी पैसा इन्होंने लिया है, इसमें कोई इनके लिये विशेष योग की बात नहीं है। हमारी यह प्राप्तियां हमारे साधनों के आधार पर हैं। लोक लेखा से ली गई प्राप्तियों पर इनका कोई अधिकार नहीं है, यह हमारे प्रदेश की वह पूंजी है, जो पूंजी इन्होंने और लेखों से लेकर ऋण के रूप में ली और अपने पास संचित की है । इस तरह से 307 करोड़ 71 लाख रुपये जुटाये गये हैं। इस तरह का बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है। इस बजट में 26 अरब 26 करोड़ 12 लाख रुपये का घाटा भी प्रदर्शित किया है । जबकि वर्ष 87-88 में जो पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत हुआ था, उसमें भी 26 अरब रुपये का प्राविधान किया गया था।

इसके बाद 26 अरब रुपये के बजट के लिये सूखा के नाम पर कटौती की गई। कुल 4 अरब रुपये की कटौती की गई और जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 87-88 के लिये कुल 22 अरब 62 करोड़ 93 लाख रुपये ही उपलब्ध रहे। जिसके नाम पर पिछले वर्ष हमारे प्रदेश का विकास किया गया । इस साल मान्यवर, जो हमारा बजट है, वह 417 करोड़ 7 लाख रुपये का अधिक है । इस बजट के माध्यम से इस बात का प्रयास किया गया है कि हम और अधिक संसाधन प्रदेश के लिये जुटायें । लेकिन मान्यवर, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है इससे हमारे प्रदेश का विकास अथवा सातवीं पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य हैं, वह यह पूरे नहीं कर पायेंगे । इस बजट के अन्दर इनके द्वारा कहा गया कि 260 करोड़ रुपये का प्राविधान पर्वतीय विकास के लिये किया गया है और बजट की पुस्तिका में इस बात को अंकित किया गया है कि यह धनराशि हिमाचल प्रदेश के बराबर है। जो वह अपने पर्वतीय विकास के लिये देते हैं। मान्यवर, इससे पूर्व पिछले वर्ष भी जो बजट प्रस्तुत हुये हैं, उनमें भी इस बात

की दुहाई दी हुई है कि हम बजट पर्वतीय विकास के लिये हिमांचल प्रदेश के बराबर दे रहे हैं। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे यहां आबादी अधिक है। हिमांचल प्रदेश से अधिक बजट दिया जाना यहां के लिये मुनासिब था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

अब मुझे खासकर कहना यह है कि वर्ष 1987-88 का जो बजट इन्होंने प्रस्तुत किया था और उस बजट के अन्दर इन्होंने 11 अरब रुपये का प्राविधान सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये किया था। अब मान्यवर, इस योजना का तीसरा साल चल रहा है और 3/5 भाग अर्थात 7 अरब रुपये अब तक खर्च हो जाना चाहिये था, लेकिन अभी तक केवल सातवीं पंचवर्षीय योजना में तीसरे साल तक 55 फीसदी धनराशि ही खर्च की गयी है। मान्यवर, इनके वित्त सचिव श्री बी0 के0 सक्सेना जो हैं, उन्होंने कहा कि सूखे के नाम पर कटौती की गई है। मान्यवर, मुझे खासकर कहना यह है कि पिछले वर्ष जो हमारा बजट था, उसमें विकास कार्यों के लिये 26 अरब 29 करोड़ 65 लाख रुपये का प्राविधान था, जिसमें प्रदेश के विकास के लिये इस रुपये को खर्च किया जाना चाहिये था लेकिन सूखे के नाम पर इन्होंने हमारे बजट की कटौती करके 22 अरब रुपये पर ला दिया जिसका अन्जाम यह हुआ कि हम तीसरे साल के अन्त तक केवल 55 फीसदी व्यय कर पाये हैं जबकि 11 अरब में से 7 अरब रुपये का खर्च हो जाना चाहिये था, इस तरह से मैं खासतौर से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर नहीं, हैं, मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो कटौती की गई है, उससे आप कैसे साबित करेंगे और प्रदेश की जनता को कैसे विश्वास दिला पायेंगे कि हम 7वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अगर 7वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है तो आपको 1988-89 के बजट में 30 अरब रुपए का प्राविधान विकास कार्यों के लिए करना चाहिए था किन्तु आपने 25 अरब रुपए का प्राविधान किया है, तो इस तरह से आपने 5 अरब रुपए की कमी की है और इस 5 अरब रुपए की पूर्ति हेतु वर्तमान बजट में और कोई प्राविधान नहीं किया गया है, इसलिए मेरा पहला आरोप है कि यह बजट पूरे प्रदेश के विकास के लिए सही साबित नहीं हो पायेगा। आपने 1987-88 को विकास वर्ष घोषित किया है। यह विकास के बजाय उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन और उत्तर प्रदेश को विनाश की ओर ले जा रहा है। पिछले बजट के लक्ष्यों को ही आप प्राप्त नहीं कर पाये हैं जिनकी घोषणायें आपने इस माननीय सदन में की थी। आप हमेशा यही कहते रहते हैं कि हम किसानों के हित के लिए योजनायें बनाने जा रहे हैं और किसानों के बजट की दुहाई देते हैं। 22 परसेन्ट की जो कमी गई है, खाद के कीमत में सिंचाई में और ग्राम्य विकास में, जिनका सीधा सम्बन्ध हमारे किसान से था और उत्तर प्रदेश की जनता की जो भावनायें थी और केन्द्र सरकार का जो लक्ष्य था 7 वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य को प्राप्त करने का, उसे प्राप्त करने में यह सरकार पूर्णतया विफल रही है।

आज प्रदेश में निरन्तर घाटा बढ़ रहा है। इस संबंध में मान्यवर, मैं कह देना चाहता हूं कि इनकी जो आयोजनागत मदें हैं और जो आयोजनेत्तर मदें हैं, इनमें प्रतिवर्ष फर्क बढ़ता चला जा रहा है। आयोजनेत्तर मदों में प्रतिवर्ष खर्चा बढ़ता चला जा रहा है और आयोजनागत मदों में खर्चा कम होता चला जा रहा है। मैं इन्हीं के आंकड़ों के सहारे कहना चाहता हूं। 1980-81 में आयोजनागत मद में 373 करोड़ रुपए और आयोजनेत्तर में 1344 करोड़ रुपए, 1981-82 में 394 करोड़ रुपए आयोजनागत मद में और

1512 करोड़ रुपए आयोजनेत्तर मद में, 1982-83 में आयोजनागत में 520 करोड़ रुपए और आयोजनेत्तर में 1844 करोड़ रुपए, 1983-84 में 593 करोड़ रुपए और आयोजनेत्तर में 1998 करोड़ रुपए, 1984-85 में आयोजनागत में 703 करोड़ रुपए और आयोजनेत्तर में 2249 करोड़ रुपए, 1986-87 में आयोजनागत में 1000 करोड़ रुपए और आयोजनेत्तर में 3100 करोड़ रुपए और इस तरीके से वर्तमान बजट में 1988-89 में 16 अरब 21 करोड़ 70 लाख रुपए रखा गया है, मतलब पूरे बजट का 26 परसेन्ट और 44 अरब, 11 करोड़, 96 लाख रुपए आयोजनेत्तर मद में रखा गया है जो 76 परसेन्ट है, इससे साबित होता है कि आयोजनेत्तर मद में आयोजनागत मद से ज्यादा खर्च हो रहा है । यही स्थिति रही तो वह दिन दूर नहीं जब आयोजनागत मद शून्य हो जायेगी और प्रदेश का विकास रुक जायेगा । आज यह फर्क बढ़ता जा रहा है । इस तरफ सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है । आयोजनागत मद में इतना खर्चा कम नहीं किया जाना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पायें ।

(इस समय 3 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल पीठासीन हुए ।)

इन्होंने जो राजस्व की आय दिखायी है, इसमें जो हमारे प्रदेश में प्रति वर्ष कर लगाये जा रहे हैं, वह कर राजस्व प्रति वर्ष हमारे प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है । उदाहरण के लिए वर्ष 1980-81 में करों के माध्यम से 67.3 प्रतिशत, 81-82 में 67.9 प्रतिशत, 83-84 में 70.9 प्रतिशत, 84-85 में 70.5 प्रतिशत, 85-86 में 72.7 प्रतिशत और वर्ष 88-89 में 80.3 प्रतिशत कर राजस्व है ।

फिजूलखर्ची, इन्होंने इस बात के लिये खासकर कहा है कि प्रदेश में जो 26 करोड़ रु0 का घाटा रखा गया है, साथ-साथ में आपने यह भी बताया है कि 199 करोड़ रु0 का घाटा पिछले वर्ष का इस बजट के ऊपर आ गया है, पिछले वर्ष में वह कमी पूरी नहीं कर पाये । 199 करोड़ रु0 पिछले वर्ष का और 26 करोड़ रु0 इस वर्ष का, इस तरह से 225 करोड़ रु0 का घाटा होता है । इसके संबंध में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना बजट भाषण पढ़ा है, उसमें दो बातों का जिक्र किया है । आपने कहा है कि हम मितव्ययता के आधार पर फिजूलखर्ची कम करके प्रदेश को विकास की दिशा में ले जायेंगे, लेकिन पिछले साल भी यह बहाना लिया गया और इस साल भी यह बहाना लिया गया । ऐसी अनेक मदों हैं, जिनमें कटौती कर सकते हैं, लेकिन आपने फिजूलखर्ची कम करने के बजाय बढ़ाई है, उस पर आप रोक नहीं रख पाये हैं । शासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये कोई भी मापदण्ड आप नहीं दे रहे हैं, जिसको देखकर उत्तर प्रदेश की जनता यह समझ सके कि वे मितव्ययता बरत रहे हैं । चाहे वह निजी सेक्टर में रहता हो या सरकारी सेक्टर में रहता हो, कहीं पर भी ऐशो-आराम और वैभव की जिन्दगी में सुख सुविधाओं में कहीं पर कटौती नहीं की गयी है बल्कि इसके विपरीत हमने देखा कि मंत्रियों और सचिवों के कमरों की कालीनें बदली गयीं, नया-नया फर्नीचर मंगाया गया । इस तरीके से यह नहीं कहा जा सकता है कि आप मितव्ययता इस साल में बरत कर दिखा पायेंगे ।

दूसरी बात आपने कही कि हमारे जो टैक्सेज हैं, उनकी जो वसूलयाबी है, उसको बढ़ायेंगे और इसके माध्यम से जो भी कर बकाया है, उनकी वसूलयाबी करके पुराने घाटे को, जो वर्तमान बजट में दिखाया गया है, उसे कम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी वसूलयाबी अगर होगी भी तो उन गरीब लोगों से होगी जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं, छोटे-छोटे व्यापारी हैं। उनसे, हो सकता है कि आप वसूलयाबी करने में तत्परता दिखायें, लेकिन जो आज अरबों रुपये बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर बकाया है, उसको आप किसी भी हालत में कम नहीं कर पायेंगे। जहां तक आपने इस बात के लिये कह दिया कि हमने जो वाहवाही लूटी, बजट में कोई कर नहीं लगाया है, यह सही है कि बजट में कोई कर नहीं लगाया है लेकिन यह इस बात का सबूत नहीं है कि पूरा साल बगैर कर के बीत जायगा। पिछले साल भी आपने कर नहीं बढ़ाया था लेकिन बाद में रोडवेज का किराया बढ़ा दिया था। आपने जो कर नहीं लगाया यह जनता से झूठी वाहवाही लूटने के लिये आपने किया है। इस टैक्स को न लगाकर कुछ दिनों के लिये आप जनता को फुसला सकते हैं कि कोई भी कर भार नहीं बढ़ाया है, लेकिन यह कोई गारण्टी नहीं है कि आने वाले समय में कोई टैक्स नहीं लगायेंगे।

मैं इसके साथ-साथ खासकर यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के विकास के लिए कई बातें कही गयीं और उन बातों में खासकर यह कहा जाता है कि हमारे प्रदेश के विकास के लिये जो जरा सी बाधा है वह प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी है। मैं बढ़ती हुई आबादी के विषय में कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जो आबादी बढ़ रही है, वह किस तरह से ज्यादा बढ़ रही है ऐसे भी प्रदेश हैं जहां की आबादी हमसे बहुत कम है, वहां प्रति एकड़, प्रति हेक्टेयर, प्रति किलो मीटर पर आबादी का घनत्व हमसे थोड़ा है, लेकिन फिर भी हमारे प्रदेश से ज्यादा वे सम्पन्न हैं, उनकी हालत, उनकी आर्थिक स्थिति हमसे कहीं अच्छी है। लेकिन आप जो केवल आबादी की बात कर रहे हैं उससे खास मकसद नहीं निकलता है कि प्रदेश के पिछड़ेपन की स्थिति का दायित्व आप उस पर डालें।

मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं, उसे दोहराना नहीं चाहता हूं, यहां उस दिन गवर्नर के भाषण पर बोलते हुए भी मैंने वही बात फिर कही थी कि प्रदेश में केन्द्रीय सरकार से जितनी सहायता आपको मिलनी चाहिये थी, वह हमारी सरकार उससे नहीं ले पाती है। हमने इस प्रसंग में कई प्रदेशों के उदाहरण भी दिये थे कि जहां पर हमारे प्रदेश से ज्यादा सहायता मिली है, लेकिन फिर भी वे हमारे प्रदेश से ज्यादा पिछड़े हुए हैं। उन्होंने हमारे प्रदेश की सहायता से ज्यादा केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त की लेकिन फिर भी वे हमारे प्रदेश की तरह विकास नहीं कर पाये, हमारे प्रदेश के सामने वे थोड़ा पिछड़े ही हुए हैं।

अब मैं विशेष कर उस बिन्दु का जिक्र करना चाह रहा हूं जिसका आपने चिन्तन नहीं किया है। दुनियां में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां की प्राईमरी शिक्षा मजबूत हो इसीलिए वह देश गरीब है। चौधरी साहब ने कहा था कि जहां की प्राईमरी एजूकेशन खराब है वह देश मजबूत नहीं हो सकता और जहां सम्पन्नता है, वहां की प्राईमरी एजूकेशन अच्छी है। जहां विपन्नता है, जहां पिछड़ापन है वहां प्राईमरी एजूकेशन मजबूत

करने की जरूरत है । उन्होंने उदाहरण दिया था मिथरो नामक व्यक्ति का कि उन्होंने प्राईमरी शिक्षा के विकास के लिये आन्दोलन छेड़ा था, वहां प्राईमरी शिक्षा की प्रगति हुई उसी के साथ ही साथ देश की प्रगति हुई, जापान की प्रगति हुई । हमारे मुल्क को कोई कहेगा कि देश मजबूत है आर्थिक दृष्टिकोण से ? लेकिन आज हमारे प्रदेश की जो प्राईमरी शिक्षा है उसकी क्या हालत है ? आपके देश के अन्दर प्राईमरी शिक्षा पर कोई बल नहीं दिया जा रहा है । मान्यवर, वही पुराने लोगों की विचारधारा के साथ आप प्राईमरी शिक्षा को ले चल रहे हैं । आज आपने शिक्षा के क्षेत्र में नये-नये नवोदय विद्यालयों को खोलने की बात कही है, हो सकता है कि नवोदय विद्यालयों में आप पढ़े-लिखे अध्यापकों को पढ़ाने के लिये वहां भेज दें, लेकिन यह सत्य है कि जब तक आप प्राईमरी शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपका उत्तर प्रदेश विकासशील प्रदेश नहीं हो सकता है ।

मैं खास कर कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने अपने बजट में प्राइमरी शिक्षा की उपेक्षा की है और शिक्षा का बजट मैं देख रहा हूं कि निरन्तर कम होता चला जा रहा है । फर्स्ट फाईव ईयर प्लान में इसके अन्तर्गत धनराशि थी 7.22 प्रतिशत, इतनी धनराशि का बजट में इसके लिए प्राविधान किया गया था । दूसरी पंच वर्षीय योजना में यह 6.16 प्रतिशत हो गयी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह 7.47 प्रतिशत कर दी गयी, चौथी पंचवर्षीय योजना में यह घट कर 5.16 प्रतिशत रह गयी, पांचवीं पंच वर्षीय योजना में यह 4.83 प्रतिशत रह गयी, छठी पंच वर्षीय योजना में यह घटकर फिर 3.30 प्रतिशत हो गयी और सातवें प्लान में आपने मात्र दो प्रतिशत से भी कम व्यय भार शिक्षा का कर दिया ।

जो प्राइमरी शिक्षा पर आपने अपने बजट में व्यय भार कम किया है यह उदाहरण है आपकी शिक्षा के प्रगति का, क्योंकि वर्तमान समय में कृषि के विकास के लिये आप नयी-नयी योजना लायेंगे । कृषि के विकास के लिये उत्तरोत्तर टेक्नीकल अनुसंधान हो रहे हैं, उनको जब आप क्षेत्र तक लायेंगे और जब आपके पास पढ़े-लिखे लोग नहीं होंगे . . . तो जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा, साक्षर नहीं होता तो आपके जो नये-नये शोध कार्य हो रहे हैं, उन शोध कार्यों पर वह व्यक्ति नहीं चल पायेगा और जब वह व्यक्ति उन पर नहीं चल पायेगा तो इससे साफ जाहिर है कि उत्पादन कम होता और जब उत्पादन कम होगा तो प्रदेश तरक्की नहीं कर सकेगा । इसलिए मुझे यह कहना है कि आज यह प्रदेश हमारे ही अन्य प्रदेशों से भी इस क्षेत्र में काफी पिछड़ा है क्योंकि हमारे प्रदेश में शिक्षा पर बहुत कम जोर दिया जा रहा है, यही कारण है कि बजट भी हमारे प्रदेश में इस ओर अन्य प्रदेशों के मुकाबले में कम दिया जा रहा है और इस कमी की वजह से इसका अंजाम भी हमारे सामने है कि हमारा देश आजाद हुए लगभग 40 साल हो गए हैं और जिस समय यह आजाद हुआ था उस समय निरक्षर लोगों की तादाद 30 करोड़ ही थी और आज यह 40 साल बाद बढ़कर 43 फीसदी हो गयी है और हमारे यहां के शिक्षा शास्त्री और मंत्रीगण और स्वंय प्रधान मंत्री जी इस बात की दोहाई दे रहे हैं कि हम 21वीं सदी के आते-आते अपने देश व प्रदेश की निरक्षरता पर काफी काबू पा लेंगे और सब से कम निरक्षर लोग हमारे देश व प्रदेश में होंगे जबकि मान्यवर वास्तविक स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है खासकर अपने प्रदेश के अंदर जो इस ओर हालत

चल रही है, उस ओर बताना चाहता हूं अन्य प्रदेशों के मुकाबले में । आंध्रा में 27.94 परसेंट साक्षर लोग हैं, बिहार में 26.40, गुजरात में 43.70, हरयाणा में 36.14, कर्नाटक में 38.40, केरल में 70.42, मध्य प्रदेश में 27.87, महाराष्ट्र में 87.18, उड़ीसा में 34.27, पंजाब में 40.84 और यू0 पी0 में 27.15 हैं और वेस्टबंगाल में 40.94 परसेंट है । इस प्रकार मान्यवर देखने से यही प्रतीत होता है कि हमने केवल बिहार व कुछ एक अन्य प्रदेश ही पीछे हैं, बाकी ज्यादातर प्रदेश इस क्षेत्र में हमसे आगे हैं और हमारा शिक्षा का स्तर इन सबसे बहुत नीचा है तथा मान्यवर, यही नहीं दुनिया के और मुल्कों से भी हमारा देश व प्रदेश बहुत पीछे हैं, इसके आंकड़े भी हमारे पास मौजूद हैं ।

श्री अम्मार रिजवी–

यह आंकड़े तो यहां मौजूद हैं, इसे रहने दीजिए ।

श्री सत्यपाल सिंह–

तो मान्यवर मैं कह रहा था कि हमारा देश व प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी काफी पीछे है और इसका मात्र एक ही कारण है कि आप इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, खासकर मैं पिछले दो सालों से बराबर यह देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हाई-स्कूल व इण्टर कालेज खुले हुए हैं, उन्हें जो ग्रांट दी जा रही है, वह भी पर्याप्त नहीं है, ग्रांट इन एड की सूची भी जो प्राप्त करने के लिए बात कही गयी थी, वह भी प्राप्त नहीं हो सकी, इस बात को बार-बार सदन में भी उठाया गया, परन्तु सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है और बराबर उपेक्षा कर रही है और यही नहीं मान्यवर मैं कुछ आंकड़े देकर भी इस बात को साबित करना चाहता हूं कि शिक्षा की ओर आप किस प्रकार से उपेक्षा कर रहे हैं । पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अर्थात् 1976 से 77 तक 2,574 प्राइमरी स्कूल, 247 मिडिल स्कूल खोले गये, लेकिन मान्यवर यह उस समय खोले गये जब जनता सरकार में संसाधनों की बहुत कमी थी, इन कमियों के होते हुए भी 1977-78 में 3,162 प्राइमरी स्कूल, 662 मिडिल स्कूल खोले गये, इसी वर्ष में 52 नये राजकीय हाई स्कूल खोले गये । 22 राजकीय स्कूलों को इण्टर स्तर का बनाया गया । 2 राजकीय इन्टर कालेजों में 2 पाली चलाने की व्यवस्था लागू की गयी, मान्यवर, यह मैं जनता पार्टी सरकार के आंकड़े बता रहा हूं । बालक और बालिकाओं की कक्षाओं में अतिरिक्त अनुभाग खोले गये । यह सब मान्यवर जनता पार्टी की सरकार का ही है । मैं इसलिये बता रहा हूं कि मुख्य मंत्री जी बहुत कहते हैं कि हमारी सरकार ने यह किया है वह किया है । वह प्रदेश की जनता को भुलावा दे रहे हैं, इससे प्रदेश में कोई सुधार होने वाला नहीं है, सच्चाई को आप छिपा नहीं सकते हैं । सच्चाई सामने आयेगी ही ।

मैं बता रहा हूं कि शिक्षा के लिये कितना बजट दिया गया है, कितने विद्यालय खोले गये हैं ? मान्यवर, 1978-79 में हमारी जनता सरकार ने 2 हजार 170 प्राइमरी स्कूल और 1020 मिडिल स्कूल, 34 राजकीय हाई स्कूल

और 2 राजकीय डिग्री कालेज और 10 राजकीय इण्टर कालेजों में 2 पाली व्यवस्था लागू की गयी । मैं यह बात जनता पार्टी की सरकार की कर रहा हूं । लेकिन वर्तमान 1988-89 के बजट में शिक्षा के विकास के नारे तो बहुत लगाये गये लेकिन वर्ष 1987-88 में 207 प्राइमरी स्कूल और 1988-89 में केवल 188 प्राइमरी स्कूल ही खोले जाने का प्राविधान किया गया है । इसके अलावा कई हाई स्कूल इन्टर कालेज अथवा 2 पाली की व्यवस्था आदि भी नहीं की गयी है । मान्यवर, वर्ष 1979-80 में शिक्षा पर कुल 284 करोड़ 10 लाख रुपया खर्च किया गया था और जो यह धनराशि थी वह सारे राजस्व व्यय का 20.83 प्रतिशत थी, जो एक रिकार्ड है और जिसमें हजारों स्कूल खोले गये । कक्षा 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए डेढ़ किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर न जाना पड़े और 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिये 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर न जाना पड़े और शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास किया गया था और इसका सर्वेक्षण कराया गया था और उसी आधार पर कार्य किया गया । इस तृतीय सर्वे के आधार पर पाया गया कि 13 हजार 400 प्राइमरी और 6 हजार मिडिल स्कूलों की आवश्यकता है और उसी के आधार पर वर्ष 1978-79 में 7 हजार 906 प्राइमरी स्कूल खोले गये, 1897 मिडिल स्कूल खोले गये । इस प्रकार से जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की आजादी में एक रिकार्ड कायम किया है कि प्राइमरी शिक्षा पर इतना बल दिया गया है । जो बजट आपने पेश किया है, वह आपके विकास की दिशा को बता रहा है, लेकिन जब तक आप स्थिति को सही रूप से नहीं समझेंगे तब तक आप इस कमी को पूरा नहीं कर पायेंगे । और आप विकास भी नहीं कर पायेंगे । जो वर्तमान बजट पेश किया गया है, उसमें कोई विकास का काम नहीं किया गया है । वर्ष 1987-88 में 207 प्राइमरी स्कूल खोले गये और 1988-89 में केवल 188 प्राइमरी स्कूल खोलने की व्यवस्था की गयी है । इनमें से 103 स्कूल मैदानी क्षेत्र में और 85 पर्वतीय क्षेत्र में खोलने का प्राविधान किया गया है । 72 सीनियर बेसिक स्कूलों को खोलने की बात कही है और जिनमें से 30 मैदानी क्षेत्र में और 42 पर्वतीय क्षेत्र में खोलने की बात कही गयी है, इसके अलावा हाई स्कूल और इन्टर कालेजों को दो पाली में चलाने की आपने अनुमति नहीं दी है ।

आपने ग्रान्ट इन एड में भी वही किया है । आपने स्कूलों की संख्या इतनी कम खोली है कि हर जिले को भी एक स्कूल नहीं मिल पायेगा । क्या आपने यह विचार बनाया है कि दो जिलों को मिलाकर एक स्कूल खोला जायेगा ? आपने विश्वविद्यालय जरूर खोल दिये हैं, अवध विश्वविद्यालय खोल दिया है । मुझे कोई एतराज नहीं है कि आपने विश्वविद्यालय खोल दिये, खोलना चाहिये । लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिये कि सही लोगों द्वारा शिक्षा का प्रबन्ध हो सके । मेरा खास तौर से आपकी सरकार पर आरोप है कि आप प्राइमरी शिक्षा की पूरी तरह से उपेक्षा कर रहे हैं । अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश का विकास कर लें या खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा लें यह सम्भव नहीं हो सकता क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था आपके यहां विकास नहीं हो सकता बगैर प्राइमरी एजूकेशन के । मैं आपको कुछ विकास दरें बता रहा हूं । हमारे देश की विकास की दरें अन्य देशों की अपेक्षा कितनी कम है, यह इससे पता चल जाता है । भारत की विकास दर

5 प्रतिशत, अर्जेन्टाइना की 2.4 प्रतिशत, बर्मा की 1.2 प्रतिशत, श्री लंका की 1.3 प्रतिशत, चिली की 2.8 प्रतिशत, कोलम्बिया की 1.8तथा फिलिपाइन्स की 1.4 है पाकिस्तान 3.2 इस तरह से आपके यहां की विकास दर .5 प्रतिशत है । तब तक यह दर नहीं बढ़ेगी जब तक प्राथमिक शिक्षा पर बल नहीं दिया जायेगा ।

मान्यवर, चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि प्रदेश और देश की प्रगति तब होगी जब खेती पर बल दिया जायेगा । जब खेती में उत्पादन बढ़ेगा तब यह विकास दर भी बढ़ेगी और तभी हमारा देश प्रगति कर सकेगा । उन्होंने अमेरिका का उदाहरण देते हुये यह कहा था कि वहां पर 62 से 65 तक केवल 13 फीसदी लोग खेती करते थे और उसके बावजूद हमारे देश से कई गुना ज्यादा मालदार देश हो गया । बहुत से लोग नारों के आधार पर विकास की बात करते हैं । मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि आप चाहें जितना अच्छा और आकर्षण नारा लगाकर, देश की एकता और अखण्डता का नारा लगाकर, देश की गरीबी दूर करने की बात कह दें, उससे देश और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता । उसके बिना पर आप चुनाव जीत सकते हैं लेकिन प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है । चौधरी चरण सिंह ने खेती के संबंध में एक खास नीति बतायी थी जिसके द्वारा केवल लोकदल ने ही नहीं बल्कि सारे विपक्ष, अर्थशास्त्री और कांग्रेस के लोगों ने भी इस बात पर बल दिया था कि ऐसे कार्य होने चाहिए जिससे खेती की उपज बढ़े और काम करने वालों की संख्या घटे । जब तक काम करने वालों की संख्या घटती नहीं तब तक हमारे देश और प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है । हमारे देश के अंदर जितनी भी उपजाऊ जमीन है, खेती योग्य जमीन है वह केवल 15 प्रतिशत ही है और उसका उत्पादन केवल 10 फीसदी ही है । इसका मतलब यह है कि हमारा जो उत्पादन है वह खेती के मुकाबले कम है । इसलिये खेती को बढ़ावा देना अत्यन्त आवश्यक है । हमारे बहुत से राजनीतिज्ञों ने इस बात का नारा लगा दिया और सड़क वालों से और लड़कों से कहा, व्यापारियों से कहा कि खेती की तरफ बढ़िये । उसके तहत खेती करने वालों की संख्या बढ़ी लेकिन फिर भी हमारे प्रदेश के उत्पादन में कमी हुई । उसके लिए कम से कम 40 फीसदी खेती का उत्पादन और किया जाना चाहिए । यदि यह नहीं बढ़ता है तो हम अपने देश और प्रदेश का विकास नहीं कर सकते हैं ।

यह सही है कि इस बार सूखा पड़ा और खाद्यान्न की कमी हुई । 200 टन खाद्यान्न केवल एक सूखे के लिये काफी नहीं है । हमें मालूम हुआ है कि आप तेल, गेहूं और शक्कर भी इम्पोर्ट कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर 80 से लेकर 85 लाख टन चीनी पैदा होती है और उसके बाद भी यहां पर खर्च लगभग 87 लाख टन का है । आप अपनी चीनी का उत्पादन इतना नहीं बढ़ा पाये हैं जिसकी बिना पर आप कह सकें कि आपने अपने प्रदेश को निर्भर बना दिया है । इसका कारण यह है कि आप उत्पादन बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं ।

मैं एक बात और खास तौर से कहना चाहता हूं सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में मैंने पिछले साल भी बजट पर जो अपना भाषण रखा था तो उस समय भी कहा था कि अभी हमारे प्रदेश के अंदर बहुत से गांव हैं जहां पर आप सड़कें नहीं पहुंचा पाये हैं। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर पुल नहीं बन पाये हैं इस तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया। पुल पुलियों और सड़कों के बनाने में इन्होंने वर्षवार कमी की है। इस बात का प्रमाण इनके आंकड़े हैं। मैं वर्ष 1986-87, 87-88 और 88-89 के जो नये सड़कों के कार्य किये हैं पी0 डब्लू0 डी0 के माध्यम से प्रदेश की तरक्की के लिए वह मैं बताना चाहता हूं। नई सड़कों का निर्माण—खड़ंजा स्तर तक वर्ष 1986-87 में 4664 कि0 मी0 वर्ष 1987-88 में 3108 कि0 मी0 और वर्ष 88-89 तक वह 2408 कि0 मी0 होगा, खड़ंजा स्तर से ऊपर 86-87 में 1224 कि0 मी0 और 87-88 में 538 कि0 मी0 और वर्तमान में वह केवल 95 कि0 मी0 है। मिट्टी स्तर तक वर्ष 86-87 में 2548 कि0 मी0, वर्ष 1987-88 में 1495 कि0 मी0 और इस वर्ष केवल 940 कि0 मी0। पर्वतीय मार्गों का निर्माण इसमें थोड़ा विकास किया है—वर्ष 86-87 में 257 कि0 मी0 और 87-88 में 285 कि0 मी0 और इस वर्ष केवल 325 कि0 मी0। तो कुल मिलाकर यह पीछे की तरफ गये हैं। इसी तरह से पुल निर्माण वर्ष 86-87 में 1332 कि0 मी0 और 87-88 में 1515 कि0 मी0 नये पुलों के विषय में भी 86-87 में 170 कि0 मी0 और 87-88 में 139 कि0 मी0 और वर्तमान में शून्य यानी आगे कोई नये पुलों की योजनाओं का जिक्र नहीं किया है तो इसका अंजाम यह हो रहा है हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। जब तक आप किसानों और गांवों को ऊपर नहीं उठायेंगे तब तक प्रदेश उठा हुआ नहीं माना जायेगा। उसके लिए आप अपने 20 सूत्री कार्यक्रम को छोड़ कर हमारे 6 सूत्री फारमूले को स्वीकार कर लें तो प्रदेश का भला हो सकता है। हमारे इस 6 सूत्री कार्यक्रम से ग्रामीण अंचलों को उठायेंगे तो सारा प्रदेश ऊपर उठेगा उसके लिए मेरा कहना है कि सड़कें, शिक्षा, सिंचाई, सुरक्षा बिजली और दवाई कार्यक्रम को अपनाये तो सारे प्रदेश की तरक्की हो जायेगी। सड़कों का कोटा इनका प्रति वर्ष घटता जा रहा है। कोई वर्ष ऐसा नहीं है जिसमें आपने सड़कों को गम्भीरता से लिया हो।

इसी प्रकार शिक्षा के विषय में भी पूर्णतया उपेक्षा बर्ती है। सारे विश्व के मुकाबले में हमारा देश पीछे है और सारे देश के प्रदेशों के मुकाबले में हमारा प्रदेश पीछे है यह इस बात का प्रतीक है कि हम शिक्षा पर कम खर्च कर रहे हैं।

इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के विकास के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश को सबसे बड़ा जो घाटा हो रहा है वह हमारे यहां जो निगम हैं उनके माध्यम से हो रहा है। प्रदेश के अंदर 104 निगम हैं उनमें लगभग 64 अरब रु0 की पूंजी लगी हुई है उसमें अब तक 23 अरब रु0 का घाटा हो चुका है इस तरह से 1/3 हिस्सा पूंजी का समाप्त हो गया है। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है। इन निगमों की जो दुर्दशा हो रही है उसको दूर करने के लिए कोई सक्रिय कदम सरकार की तरफ से नहीं

उठाये गये हैं । चंद दो एक निगम हैं जो लाभ दे रहे हैं, बाकी सब हानि पर हैं । उसमें विद्युत परिषद् ऐसा है जो हमारी अर्थ व्यवस्था को चकनाचूर कर रहा है. . विद्युत निगम के अंदर देखा जाये तो जबसे यह बना है प्रतिवर्ष अरबों का नुकसान हो रहा है। इस वर्ष 358 करोड़ रुपये का नुकसान हमारे प्रदेश के अन्दर हुआ है और इस कमी को पूरा करने के लिए इनकी हालत को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। कुछ ऐसे निगम हैं जिनका लेखा जोखा तक नहीं है और कुछ ऐसे निगम हैं जिनका आडिट तक नहीं हुआ है, तो किस तरह से आप कह सकते हैं कि आप निगमों का विकास कर सकेंगे। मान्यवर, कैरोना कमीशन नियुक्त किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि तराई विकास निगमों को समाप्त किया जाये क्योंकि इनकी आवश्यकता नहीं है लेकिन उस कमीशन की रिपोर्ट पर कुछ विचार नहीं किया गया है।

मान्यवर, 1970 में केवल सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 11 थी, वर्ष 1975 में वह संख्या 39 हुई, 1985 में 57 और 1987 में 61 मुख्य सार्वजनिक उपक्रम हो गये और 53 इनकी अधीनस्थ इकाईयां हो गयीं, कुल मिलाकर 114 इकाईयां हुईं जिनमें बराबर घाटा हो रहा है। वर्ष 1975 में 127 करोड़ रुपये इनमें पूंजी लगी हुई थी जो आज 1986 तक बढ़कर 64 अरब रुपये पूंजी लग चुकी है। मान्यवर, वर्तमान बजट में मुख्य भाग लगभग 23 अरब जो घाटा में जा रहा है उसको सुधारने के लिए कोई बजट में व्यवस्था नहीं की गयी है। यदि निगमों की हालत उत्तर प्रदेश में सुधार लें तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। मान्यवर, विद्युत परिषद् जो निगम है इसमें 1981 में पूंजी लगी थी 19,68 अरब रुपये और इसमें संचित हानि 5.40 अरब रुपये की हुई। वर्ष 1981-82 में पूंजी लगी 25 अरब 28 करोड़ 75 लाख रुपये और संचित हानि 5 अरब 80 करोड़ 94 लाख रुपये की। वर्ष 1982-83 में पूंजी लगी 28 अरब 45 करोड़ 22 लाख और संचित हानि हुई 6 अरब 29 करोड़ 69 लाख रुपये की। वर्ष 1983-84 में पूंजी लगी 33 अरब 18 करोड़ 25 लाख और संचित हानि हुई 7 अरब 41 करोड़ 25 लाख रुपये की। वर्ष 1984-85 में पूंजी लगी 33 अरब 24 करोड़ 88 लाख रुपये की और संचित हानि हुई 8 अरब 55 करोड़ 85 लाख रुपये की। इसी प्रकार वर्ष 1985-86 में पूंजी लगी 37 अरब 29 करोड़ 38 लाख और संचित हानि हुई 8 अरब 82 करोड़ 54 लाख रुपये की और आज 88-89 में यह घाटा लगभग 20 अरब रुपये के पहुंच गया है जिसको दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

मान्यवर, अरबों रुपये बकाया पूंजीपतियों पर दिखाया गया है लेकिन उनसे वसूली नहीं की जा रही है। विद्युत परिषद् के अंदर सैकड़ों में इंजीनियर्स ने शुरुआत किया था और आज 4-5 हजार इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। कनौडिया केमिकल्स और बिरला को 3 और 11 पैसे में प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दे रहे हैं और जब मुख्य मंत्री से किसानों को इस हिसाब से देने के लिए कहा तो जवाब दिया गया कि 85 पैसे में उत्पादन हो रहा है और कहने पर 25 पैसे में दे रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कनौडिया केमिकल्स और बिरला को 3 और 11 पैसे प्रति

यूनिट से बिजली क्यों दे रहे हैं, इसका जवाब पिछले सत्र में बजट भाषण में नहीं दिया गया और न इस वर्ष के बजट भाषण में, इसलिए मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इसको स्पष्ट करें कि किसानों को वह बहुत दोहाई देते हैं तो बाहरी लोगों को सस्ती दरों पर बिजली क्यों दे रहे हैं किसानों को क्यों नहीं? मान्यवर, बड़े-बड़े लोगों पर बिजली के बकाये की वसूली क्यों नहीं कर रहे हैं, लाईन लास हो रहे हैं, लोड फैक्टर बढ़ा रहे हैं लेकिन क्षमता के मुताबिक बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है, कम हो रहा है और आपका स्टाफ ज्यादा है, जो बेकार पड़ा है। जो लगभग 1 अरब रुपये का है। यदि उस स्टाक के लिए भी कुछ करें, उसे बिकवा दें तो बिजली बोर्ड की हालत थोड़ी सुधर सकती है। लेकिन इस ओर सरकार का कोई दिल और दिमाग नहीं है।

इसी प्रकार राज्य विद्युत परिषद् सरीखे अन्य कई ऐसे सार्वजनिक निगम हैं, जहां बराबर घाटा हो रहा है, जिनमें बेतहाशा घाटा हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम है, जिसमें 3215 लाख का घाटा हो रहा है, सीमेण्ट कारपोरेशन में 1684 लाख रुपये का घाटा हो रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम में 971 लाख रुपये का घाटा उत्तर प्रदेश जल निगम में 880 लाख रुपये का घाटा है, आटो ट्रैक्टर्स लि0 में 3039 लाख रुपया की संचित हानि अब तक हो चुकी है, यू0पी0 एग्रो कारपोरेशनों में 1172.68 लाख रुपये की संचित हानि हो चुकी है। इसी तरह से यू0पी0 हार्टिको में 293.76 लाख रुपये की संचित हानि हो चुकी है। उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में 5467.20 लाख की संचित हानि है, नलकूप निगम में 163.71 लाख की संचित हानि है, यू0 पी0 डेस्को में 4.69 लाख की संचित हानि है, मंडलीय विकास निगम, गोरखपुर में 95.76 लाख की हानि है, जितने भी मंडलीय विकास निगम हैं सबमें हानि है और वह सब मिलाकर मंडलीय विकास निगमों में वर्ष 1986-87 के अंत तक संचित हानि 347.74 लाख रुपये की हो चुकी है। इसी तरह उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम में भी भारी आर्थिक दुर्दशा है। इसमें वर्ष 84-85 में 231.33 लाख का घाटा हुआ है, जो 85–86 में बढ़कर 322.33 लाख का हो गया है। इस पर भी यह घाटा रुका नहीं और आगे चलकर 86-87 में यह घाटा बढ़कर 396.25 लाख पर पहुंच गया है। इसी प्रकार पर्यटन विकास निगम है, जिसमें वर्ष 86-87 के अन्त तक 73.84 लाख रुपये की हानि रही है। इसी प्रकार ब्रासवेयर कारपोरेशन का भी बुरा हाल है। इसी तरह चर्म विकास निगम और पशुधन विकास निगम ऐसे निगम हैं, जिनमें बेतहाशा घाटा हो रहा है। लगभग 100 सार्वजनिक निगम ऐसे हैं, जिनमें आए दिन घाटा बढ़ता चला जा रहा है। सेतु निगम में भी धन का बहुत बड़ा दुरुपयोग किया जा रहा है। इनके जो मैनेजर हैं, प्रबन्धक हैं या अन्य जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वे अपने सुख और आराम के लिए विदेशों की यात्रा अनाप-शनाप ढंग से समय समय पर किया करते हैं, जिसमें धन का बुरी तरह से अपव्यय होता है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि हम अपने प्रदेश की अमूल्य निधि का इस तरह से नुकसान कर रहे हैं। आज अपने प्रदेश में करीब 20 हजार गाड़ियां हैं, जो सरकारी कार्यों और सरकारी अफसरों के प्रयोग के लिए हैं। इनमें से कम से कम 50 प्रतिशत गाड़ियां ऐसी हैं जो केवल सार्वजनिक उपक्रमों के पास हैं।

इनकी हालत को सुधारने का किसी ने सही तौर पर प्रयास नहीं किया है। उसका नतीजा यह है कि उत्तर प्रदेश निरन्तर पिछड़ता चला जा रहा है।

मैं खासकर एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बेरोजगारी की समस्या भी बहुत है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री का बजट भाषण इस आशा से पढ़ा कि शायद उसमें बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए गये हों, किन्तु हमें निराश ही होना पड़ा। किन्तु कम्प्यूटरीकरण के कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत कुछ किया गया है। परन्तु कामगारों की दृष्टि से कम्प्यूटरीकरण बहुत हानिकारक है। यह कार्यक्रम वहां पर सफल होता है जहां आदमी कम हों और सम्पत्ति ज्यादा हो। जैसे अमेरिका देश है, जहां पर जन-संख्या कम और सम्पत्ति बेतहाशा अधिक है। वहां पर कम्प्यूटरीकरण की शुरुआत करने के बाद 36 प्रतिशत आदमियों की छंटनी करनी पड़ी। इसी प्रकार ब्रिटेन में भी 56 प्रतिशत कर्मचारियों की इसके चलते कमी करनी पड़ी थी। भारतवर्ष जैसे देश में कम्प्यूटर का चलन बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं करेगा, बल्कि उसकी भया-नकता को यह और अधिक बढ़ायेगा। भारतीय रेलवेज में पहले 21 लाख लोग कार्यरत थे, किन्तु कम्पयूटर के आने के बाद वहां 14 लाख लोग रह गये हैं। इसी प्रकार इसके कारण से टेल्को में 10 हजार लोगों को निकाला गया था किन्तु बाद में 12 हजार लोगों को निकाल दिया गया। हमारे चौधरी साहब का स्पष्ट कहना था, उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि हमारे कुछ बैंक्स के लिए, कहीं-कहीं कम्प्यूटरीकरण का लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर से यह कहा जाए कि कम्प्यूटर से हम अपने प्रदेश की बेरोजगारी को दूर कर लेंगे तो यह छलावा होगा। बेरोजगारी को दूर करने के लिए इंजीनियरिंग कालेज खोले जा रहे हैं। पीलीभीत में पालिटेक्निक कालेज खोले जा रहे हैं। हमारे प्रदेश में मान्यवर 20 हजार से ज्यादा ट्रेन्ड इंजीनियरों को नौकरी नहीं दी जा सकी है। न जाने कितने पालिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर हैं जिनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। बी0 टी0 सी0 पास लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, फिर आप क्या बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए कोई भी शब्द नहीं लिखा गया है। कोई भी बात नहीं लिखी गई है।

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से चिकित्सा के संबंध में कहना चाहूंगा। इन्होंने लिखा है कि 2 हजार ईसवी में यह सबके लिए स्वास्थ्य का वचन दे रहे हैं। आप इस विभाग के लिए क्या कर रहे हैं किसी भी जिले के अस्पताल के अन्दर आप पहुंच जाए उस अस्पताल के अंदर एक प्राइवेट अस्पताल बना रखा है। पहले मान्यवर, गरीब लोगों को भोजन मिल जाता था लेकिन अब अस्पताल में आपने भोजन लेने वालों की भी संख्या तय कर दी है कोई भी अस्पताल से भोजन लेना पसंद नहीं करता है, कोई भी अस्पताल से भोजन खाना पसंद नहीं करता है, गरीब लोग ही अस्पताल से भोजन लेते हैं। आपने एक्सरे, यूरिन टैस्ट, स्टूल टैस्ट, ब्लाड टैस्ट, जो पहले फ्री में हो जाता था लेकिन अब उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया आपने सारा खर्च बाहरी लोगों पर

डाल दिया है । दवाइयों में भी खूब घपलेबाजी की जा रही है जिन लोगों को दवाईयां मिलनी चाहिए उनको दवाईयां नहीं मिल पा रही हैं और ऊपर से यह अपना टैक्स लगाते जा रहे हैं आपने सिर्फ 20 फीसदी लोगों को भोजन देने के लिए कहा है बाकी लोग जो गरीब हैं उनके लिए आपने कुछ नहीं किया है । ऐसे बहुत से राजा हुए हैं जिन्होंने कल्याणकारी राज्य के लिए फ्री दवाईयां दी हैं । आपने कहा कि चार हजार डाक्टरों की कमी थी उस कमी को पूरा करने के लिए आवेदन पत्र मांगे गये । आवेदन-पत्र मांगे जाने पर 27 सौ आवेदन पत्र आए और सबको आपने सलैक्ट कर लिया । 12 सौ लोग नियुक्ति पत्र लेने आए उसमें से सात आठ सौ लोगों ने ज्वाइन किया । क्योंकि आपने प्रतिबन्ध लगा दिया था कि यह पांच साल तक हमारे यहां सेवा करेंगे अगर यह ऐसा नहीं करते हैं, तो उस दशा में आपने 50 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगा दिया ।

मैं कहना चाहता हूं कि आप पॉलिटेक्निक कालेज खोल रहे हैं काहे के लिए, डिप्लोमा इंजीनियरों को आप बढ़ाना चाहते हैं इसके बजाए आप ऐसे मेडिकल कालेज खोलते और उसमें सीटें बढ़ाते तो प्रदेश के अंदर डाक्टरों की कुछ संख्या बढ़ती । अगर डाक्टर नौकरी नहीं करते हैं तो वह किसी कस्बे गांव या शहर में बैठकर डाक्टरी का काम करेंगे कोई दूसरा काम तो करेंगे नहीं । अस्पताल में रहेंगे भी तो उससे प्रदेश की स्थिति पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता । वर्तमान सरकार पी0 एच0 सी0 खोलने का काम तो कर रही है लेकिन वहां पर दवाओं के नाम पर जो राहत मिलनी चाहिये जो सही इलाज होना चाहिये वह नहीं हो पाता है । डाक्टरों की जो कमी वर्षों से चली आ रही है उसको पूरा करने की तरफ जो सरकार का प्रयास होना चाहिए उस संबंध में इस बजट में कुछ नहीं दिया गया है कि इस क्षेत्र में क्या करने जा रहे हैं ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश की प्रगति के लिये जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है वह अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत कम है । इसका अंजाम यह हो रहा है कि हमारे प्रदेश की आय भी कम है । आसाम में 251 रु0 प्रति व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट 85-86 में हुआ है । आंध्र प्रदेश में 187, उड़ीसा में 228, महाराष्ट्र में 334, मध्य प्रदेश में 265, कर्नाटक में 206, हरियाणा में 406, गुजरात में 279, तामिलनाडु में 238, पंजाब में 343, हिमाचल प्रदेश में 479, जम्मू काश्मीर में 526, मणिपुर में 612, मेघालय की 681, नागालैंड में 1006, सिक्किम में 1582, त्रिपुरा में 511 रुपये प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इन प्रदेशों के द्वारा अपने निवासियों की तरक्की के लिये लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल 183 रुपये पर कैपिटा आउटले है जो अन्य प्रदेशों के मुकाबले बहुत कम है और उसी का अंजाम यह हो रहा है कि हमारे प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय अन्य प्रदेशों के मुकाबले बहुत कम है । मान्यवर, इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं । 1984-85 में भारत की प्रतिवर्ष आय 2354 रु0 प्रति व्यक्ति थी । उत्तर प्रदेश के अंदर वर्ष 1980-81 में यह आय 1272 रु0 थी जो वर्ष 84-85 में 1764 रु0 हो गयी । इसी तरह से पंजाब में 2681 रु0 थी जो 85-86 में 3835 रु0 हो गयी । हरियाणा में 2325 थी जो 3296 हो गयी । महाराष्ट्र में 2232 रुपये 81-82 में थी और

इस समय बढ़कर 3232 रु0 हो गयी । बिहार की 929 रु0 थी जो बढ़कर 1369 रु0 हो गयी । उड़ीसा की 1101 रु0 थी जो अब 1539 रु0 हो गयी है । केवल बिहार और उड़ीसा जो छोटे मोटे प्रदेश हैं जहां पर प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, अन्यथा प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट हम लोगों से कहीं ज्यादा अन्य प्रदेशों के अंदर किया जा रहा है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । इस समय बजट पर माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे हैं बेहतर होता वित्त मंत्री जी यहां पर मौजूद होते हैं । हालांकि राज्य मंत्री जी बैठे हैं लेकिन सदन की गरिमा के अनुकूल होगा कि जब माननीय नेता विरोधी दल बजट पर अपनी राय दे रहे हों उस समय वित्त मंत्री जी यहां मौजूद रहें तो बेहतर होगा ।

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

जब बजट पेश किया जा रहा था तो माननीय नेता विरोधी दल भी नहीं थे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे हैं नेता सदन जो वित्त मंत्री हैं अगर मौजूद रहें तो ज्यादा अच्छा हो ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण पढ़ा था बोले नहीं थे । मैं समझता हूं उससे बाहर शायद एक शब्द नहीं बोले होंगे ।

अब मान्यवर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं । अभी मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी अपने प्रदेश की महंगाई के विषय में विशेषकर जिक्र किया गया था और उस महंगाई के विषय में खासतौर से हमारा कहना यह है कि सरकार किसी भी हालत में महंगाई पर कन्ट्रोल नहीं कर पा रही है, उस महंगाई को रोक नहीं पा रही है । हमने पिछले सत्र में काफी आंकड़े इस बात का दिया था कि महंगाई दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और उससे जनमानस दुःखी है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इस पर मैं ज्यादा आंकड़े न देकर दो-चार आंकड़े ही देना चाहता हूं, ताकि यह साबित हो सके कि यह सरकार महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मान्यवर, किसी भी देश में इतनी महंगाई नहीं है, जितनी कि इस देश में है। केवल वियतनाम ऐसा देश है, जिसमें ज्यादा महंगाई है और किसी भी देश में इतनी महंगाई नहीं है । हमारे प्रदेश की 40 फीसदी पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र में लगी हुई है और हमारे प्रदेश की आय इस प्रकार से उसमें फंसी हुई है और उसमें कहीं किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है । हमारे उत्पादन का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के अन्दर कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए हमारी निर्यात की स्थिति बहुत कमजोर चल रही है और हमारे प्रदेश की महंगाई जो है, उस पर भी हमारा कोई अंकुश नहीं हो पा रहा है। आये दिन महंगाई बढ़ती जा रही है ।

मैं समझता हूं कि रुपये का अवमूल्यन हो चुका है। 1960 के बाद आज यह 1987 समाप्त होकर अब यह जनवरी, फरवरी, 1988 आ गया है, तो इसकी कीमत 12.6 रह गयी है, जो क्रय-शक्ति है, वह कम हो गयी है और महंगाई पर यह वर्तमान सरकार रोक नहीं लगा पा रही है। यह सही है कि आप एक साल के अन्दर तीन-तीन बार कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा देते हैं, यह सही है कि आप विधायकों की तनख्वाह हमारे विरोध करने के बावजूद भी बढ़ा देते हैं। लेकिन यह किसी वर्ग का वेतन बढ़ा देने से कल्याण होने वाला नहीं है, जब तक कि आप इस सुरसा की तरह बढ़ती हुई महंगाई पर रोक नहीं लगाते हैं। जनवरी, 1985 के अन्दर सरसों के तेल का दाम 16 रु0 प्रति किलो था, जो इस समय 32 रु0 प्रति किलो हो गया है। रिफाइंड तेल 27 रु0 प्रति किलो था, 41.60 रु0 प्रति किलो हो गया है। वनस्पति 20.50 रु0 प्रति किलो था, 30 रु0 प्रति किलो हो गया है। लहसुन 16 रु0 प्रति किलो था, 40 रु0 प्रति किलो हो गया है। प्याज 2 रु0 प्रति किलो थी, 6 रु0 प्रति किलो हो गयी है। चीनी 5.25 रु0 प्रति किलो थी, 7 रु0 प्रति किलो हो गयी है। दाल (अरहर) 6.50 रु0 प्रति किलो थी, 11 रु0 प्रति किलो हो गयी है। कपड़े धोने का साबुन 8 रु0 प्रति किलो था, 14 रु0 प्रति किलो हो गया है। चावल 4 रु0 किलो था, 7 रु0 प्रति किलो हो गया है। देशी घी 31 रु0 प्रति किलो था, 70 रु0 प्रति किलो हो गया है। आलू 2 रु0 प्रति किलो था, 4 रु0 प्रति किलो हो गया है। टमाटर 6 रु0 प्रति किलो था, 16 रु0 प्रति किलो हो गया है। यह मान्यवर, महंगाई के आंकड़े हमने आपके सामने प्रस्तुत किया।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

जब माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे हैं, तो मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

बोलिये, क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, यह जो महंगाई की बात है, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं, इस समय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, बनारस में एक शादी समारोह हो रहा है और काशी में शादी समारोह हो रहा है...

श्री अधिष्ठाता–

यह क्या व्यवस्था का प्रश्न है जब आपको बजट पर बोलने का मौका मिलेगा तब बोलियेगा।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, जब नेता विरोधी दल बोल रहे हैं और नेता सदन नहीं हैं लोकपति जी भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, यह महंगाई को क्या रोकेंगे अरबों रुपया समारोह पर खर्चा हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें ।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, यह महंगाई पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। किसानों का जो उत्पादन है उसके उत्पादन का सही मूल्य वर्तमान सरकार नहीं दे पा रही है । इन्होंने आयोग गठित किया लेकिन किसानों के लिए जो उसकी लागत हो रही है जो खर्चा हो रहा है उसका सही मूल्य उसको नहीं मिल पा रहा है। जब यह कीमत तय करते हैं तो इनको कोई आधार पता नहीं है। किसान अनाज पैदा करता है गेहूं पैदा करता है धान पैदा करता है तो उसमें एक रुपया दो रुपया यह सरकार बड़ी मुश्किल से बढ़ाती है लेकिन जो किसान के उपयोग में आने वाली चीजें हैं उसमें बेतहाशा वृद्धि कर दी जाती है। यह कहना सही है कि उत्पादन बढ़ा है लेकिन जब उसकी कीमत नहीं मिल पा रही है तो उसका कोई अंजाम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैंने स्वर्ण जयन्ती समारोह पर कहा था––

"बहुत आगे बढ़े हैं काफिले यह हकीकत है,
लेकिन मंजिल की दूरी जो पहले थी, वह अब भी है।"

तो मान्यवर, जो मंजिल की दूरी पहले थी वही अब भी है। इनकी तकदीर को बदलना है गरीबों की किसानों की लेकिन आज ये किसानों की तकदीर को नहीं बदल पा रहे हैं। मान्यवर, सरकार का कहना है कि परकैपिटा इनकम बढ़ गयी है। यह धोखा देते हैं इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे प्रदेश के अन्दर जहां बड़े-बड़े पूंजीपति हैं जहां बड़े-बड़े अफसर हैं उनकी आमदनी बेतहाशा बढ़ रही है उस आमदनी को जो हमारे गरीब किसान की आमदनी है उस आमदनी में जोड़कर तब यह बता देते हैं और कुछ प्रतिशत बढ़ी हुई आमदनी दिखाते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि बढ़ी हुई महंगाई के कारण, किसान को सही मूल्य न मिल पाने के कारण जो हालत पहले थी वह आज भी चल रही है।

इस पूरे बजट भाषण में महंगाई के सम्बन्ध में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि किसानों को जो हमारे नागरिक हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं , उनको इस महंगाई से कैसे बचाया जाय कैसे किसानों को उत्पादन का सही दाम दिया जाय । इस सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही गयी है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की जो नौकरियां हैं उनमें हमारे प्रदेश का 88 प्रतिशत वर्ग ऐसा है जो ऐसे वर्ग हैं अनुसूचित जाति के हैं, अल्पसंख्यक, अकलियत के लोग हैं उनके लिये भी प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है । बल्कि देखा जाय कि जो पिछड़े वर्गों के लिए 15 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया था जनता पार्टी के

जमाने में उस आरक्षण को वर्तमान सरकार ने समाप्त कर दिया है । यह आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि यह 1978 के अन्दर जब छोटे लाल पाण्डे ने इस रिजर्वेशन के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था तो उच्च न्यायालय ने फैसला हमारे विरुद्ध किया इसके बाद अपील की गयी सुप्रीम कोर्ट के अन्दर । उसमें जो सरकारी वकील था उसने इस बात पर बल दिया कि एक दूसरा कमीशन बनाया जायेगा। उनका इशारा शायद मंडल कमीशन की तरफ था इसलिए जो 15 प्रतिशत का आरक्षण है उसको तय करने का काम मंडल कमीशन को दिया गया । इस सरकार ने जो 15 प्रतिशत का आरक्षण है उसको समाप्त किया है जिससे उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है। अगर वास्तव में सरकार की मंशा है कि इस वर्ग को राहत दी जाय तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करे । यदि कोई कठिनाई आती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार कैबिनेट के अन्दर यह निर्णय ले, अपने मंत्रिमण्डल के अन्दर निर्णय ले कि जो 15 फीसदी का आरक्षण है उसके लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर अथवा सर्वेक्षण करा लें लेकिन मान्यवर, सर्वेक्षण नहीं करा रहे हैं न मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर रहे हैं, बल्कि आरक्षण के बारे में चुप्पी साध ली है, अंजाम क्या होगा । उत्तर प्रदेश के लगभग 90 फीसदी पिछड़े वर्ग के लोग अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। आपने उनकी पदोन्नति का प्राविधान खत्म कर दिया । जनता पार्टी के जमाने में छात्रों को छात्रवृत्ति दी गयी थी, आपने उसको भी समाप्त कर दिया है ।

मेरा सरकार पर आरोप है कि यह पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार है। अगर यह सरकार पिछड़े वर्ग का ध्यान रखने वाली सरकार होती तो बजट में कहीं न कहीं कोई प्राविधान पिछड़े वर्गों के आरक्षण को पूरा कराने के लिये, आरक्षण देने के लिए प्राविधान करती । लेकिन सरकार ने कहीं भी आरक्षण पूरा नहीं किया ।

यह सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ है। इनके जमाने में, भारत की आजादी के 40 साल के बाद भी सरकारी नौकरियों में क्या हालत हो गयी है। कितने कम लोग हमारी सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के हैं । जब तक अनुसूचित जाति के 18 प्रतिशत लोग तरक्की नहीं करते हैं, जब तक सरकारी नौकरियों में इनका ध्यान नहीं रखा जाता है, वगैर पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अकलियत की तरक्की के हमारा प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता, तरक्की के रास्ते पर नहीं चल सकता । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फर्स्ट क्लास सर्विसेज में कुल कार्यरत कर्मचारी हैं 6147, इसमें अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं 455, यानी 7.40 प्रतिशत । केवल इतना ही रिप्रेजेन्टेशन है। क्लास-2 में 29,995 सेवारत कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति के केवल 2133 हैं अर्थात केवल 7.11 प्रतिशत हैं। क्लास-3 में 4.56,144 कार्यरत कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति के लिये केवल 62,301 कर्मचारी अर्थात 13.66 प्रतिशत हैं। यह साफ जाहिर करता है कि हमारे संविधान में जो आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए किया गया था, वह पूरा नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के अन्दर जो अनुसूचित जाति के लोग दर्शाए गये हैं, उसमें और भी चौंका देने वाली स्थिति है। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में क्लास-1 में कुल संख्या 2695

है जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए केवल 72 हैं अर्थात 2.67 परसेंट, क्लास-2 में कुल 587 में से अनुसूचित जाति के केवल 161 हैं यानी 2.73 परसेंट और क्लास-3 में 1,07,804 में अनुसूचित जाति के हैं 9,036 यानी 8.04 परसेंट।

सारे प्रदेश में कम से कम 18 प्रतिशत लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, जो उनको नहीं मिला। इसी प्रकार सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और राज्याधीन सेवाओं में सही प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। पिछड़े वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया गया।

जहां तक अकलियत का सवाल है, इसके बारे में मुझे कहना है कि अकलियत के ऊपर इस सरकार के द्वारा बहुत बड़ा जुल्म ढाया जा रहा है। वह अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। वह समझते हैं कि वे शायद इस देश के पहले दर्जे के नागरिक नहीं हैं। सरकारी नौकरियों में उनके लिए कोई आरक्षण नहीं है। साथ ही उनके ऊपर हमारे प्रदेश की निगाह सही नहीं है, उनको सौतेलेपन से देख रहे हैं। जिसके कारण आज सदन में भी चर्चा हो रही है। जिस समय मेरठ में दंगे हुए, उस समय पुलिस और पी0 ए0 सी0 पर भरोसा किया गया कि इंसाफ करेगी और चाहे अकलियत के लोग लड़ रहे हों या हिन्दू लोग लड़ रहे हों, इंसाफ होगा, लेकिन वर्तमान सरकार, मा0 राजीव गांधी के जमाने में, जब वह प्रधान मंत्री बने, एक तरफ हिन्दू सिख संघर्ष छिड़ गया और उनके बीच में एक खाई पैदा हो गयी और इसके बाद मा0 वीर बहादुर सिंह की सरकार ने हिन्दू और मुसलमान में इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी है कि शायद हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद इतनी बड़ी खाई नहीं बनी थी। हाशिमपुरा, मलियाना में जो हुआ, उसकी जितनी निन्दा की जाय कम है। हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी मारी गयी थीं, 3 साल उनकी हत्या को हो गये, आज तक उनके कातिलों को फांसी की सजा नहीं दी गयी। लेकिन हाशिमपुरा और मलियाना के 200 नौजवान युवकों को मौत के घाट उतार दिया और हिन्डन नदी में उन्हें फेंक दिया गया। क्या कसूर था उनका, यह तक नहीं देखा गया। पुलिस और पी0 ए0 सी0 ने वहां जो ज्यादतियां की हैं, इतिहास उसको नहीं भूलेगा। मान्यवर, वर्तमान सरकार के जो कार्यकलाप हैं, उससे ऐसा नहीं महसूस होता कि हिन्दू और मुसलमान के बीच में कोई भी प्रेम और सौहार्द का वातावरण पैदा हो सकेगा।

मान्यवर, गलत आंकड़े देकर और तथ्यों को छिपाकर सरकार जो विकास की बातें कह रही है, भले ही प्रदेश का विकास न हो, और यह सोच रही है कि आगे चुनाव जीतने में हम सक्षम हो सकेंगे, ऐसी बात नहीं है। मान्यवर, गृह विभाग के बारे में मैं क्या कहूं, इनकी सरकार आकड़े पेश करके यह बात साबित करने की कोशिश करती है कि डकैतियां कम हुई, राहजनी की घटनायें कम हुई, चोरियां कम हुई लेकिन जब कत्ल के विषय में बात उठती है तो यह कह दिया जाता है कि हमारे प्रदेश में कत्ल जो हैं, वह कोई खास कम नहीं हुए। मान्यवर, मेरा पहले भी आरोप था और आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी जुर्मों को कम दिखाया जा रहा है उसकी खास वजह यह है कि साफ तौर

से प्रदेश के अन्दर रपट नहीं लिखी जा रही है । अगर रपट लिखी जा रही होती तो शायद यह जुर्म बढ़े हैं कम नहीं हुए हैं । जनपद मिर्जापुर के अंतर्गत खिरौड़ी गांव के अंदर घटना घटित हुई, सदन के अंदर यह मामला आया कहा गया कि वहां पर रपट नहीं लिखी गयी जबकि एक आदमी मर गया, कई लोग घायल हुए, पूरा-पूरा गांव लूट लिया गया । माननीय गृह मंत्री ने सदन में आश्वासन दे दिया कि ठीक है रपट लिखवायेंगे और सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश दिये ।

माननीय यदुनाथ सिंह जी , मिर्जापुर के सदस्य, यहां बैठे हुए हैं उन्होंने यह मामला उठाया था । लेकिन मान्यवर स्थिति क्या है माननीय गृह मंत्री के सदन में आश्वासन देने के बावजूद भी रपट नहीं लिखी गयी । इसी तरह से माननीय मुख्य-मंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में होली के अवसर पर एक दरोगा ने बिना किसी गलती के एक आदमी को मार दिया और कईयों को घायल कर दिया । जब यह मांग की गयी कि विषय गंभीर है इसकी सी0 आई0 डी0 से जांच करायी जाय, न्यायिक जांच करायी जाय तो कहा गया कि इसकी आवश्यकता नहीं है । तो क्या पुलिस ही इंसाफ कर देगी ? जिला मुरादाबाद के अन्दर रज्जबपुरा में घटना घटी । माननीय गृह राज्य मंत्री जी उस दिन सदन में रज्जबपुरा के संबंध में कागज दिखा रहे थे कि इतनी घटनायें हैं । रज्जबपुरा के अंदर टेलीफोन के तार काटे गये, रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचाया गया, पटरियां तोड़ी गयीं, मान्यवर , जब जब यह घटनायें हुई तब इनके बहादुर पुलिसजनों ने मौके पर कार्यवाही क्यों नहीं की ? अगर तत्काल उसे देखा होता तो पुलिस आबाशी की पात्र होती, लेकिन वहां कुछ नहीं कर पाये । इन सारी चीजों का बदला, रज्जबपुरा गांव में थाने के पास में जब 100-200 लोग घेराव कर रहे थे, सड़क पर आवागमन अवरुद्ध कर रहे थे, बिना किसी चेतावनी के, बगैर लाठीचार्ज के, बगैर आसूगैस छोड़े, लोगों को गोलियों से भून दिया गया, लोग खेतों खलिहानों की तरफ जान बचाने के लिये गये घरों में घुस गये । मान्यवर, हमने उन घरों का आलम देखा । सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2 आदमी मरे लेकिन जो वहां लोगों ने स्थिति बतायी उसके हिसाब से कम से कम 30 आदमी वहां मौत के घाट उतार दिये गये ।

हम जब कोई तथ्य रखते हैं तो यह सरकार समझती है कि विरोध पक्ष के लोगों का काम ही विरोध करना है । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के जमाने में पुलिस की मनोवृत्ति इतनी खराब हो गई है कि वह सब पर जुल्म कर रहे हैं । उनके हौसले आज बहुत बढ़ गये हैं । आज केवल जनता ही नहीं, माननीय विधायकों का जीवन भी सुरक्षित नहीं रह गया है । आज राजनीतिज्ञों की इज्जत सुरक्षित नहीं है । पुलिस अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है और वर्तमान सरकार उनकी तरफदारी कर रही है ।

मैंने अभी कुछ दिन पहले अखबारों में पढ़ा कि माया त्यागी वाले कांड में गृह मंत्री का वक्तव्य था कि मैं पुलिस वालों की तरफ से मुकदमा कायम करूंगा । मान्यवर, इस कांड में पुलिस ने माया त्यागी के साथ कोई भी अमानवीय कृत्य बाकी नहीं रखा और उसके साथ बेइन्तहा जुल्म ढाया, लेकिन तब इस मामले पर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया और यही समझा गया कि विरोध

पक्ष के लोग बिल्कुल तथ्य से परे बात कर रहे हैं । बाद में सी0 आई0 डी0 जांच में इस बात की पुष्टि हुई और 4 लोगों को फांसी तथा 6 को आजीवन कारावास की सजा दी गयी लेकिन गृह मंत्री ने कहा कि हम पुलिस वालों की तरफ से अपील करेंगे । आज हमारे गृह मंत्री इस तरह की बात करते हैं । सरकार की तरफ से मुकदमा उन लोगों के खिलाफ चलाया गया । मैं कहना चाहता हूं कि जब सरकार की तरफ से इस तरह से पुलिस के लोगों को प्रश्रय दिया जायेगा और इस तरह की बात की जायगी, तो पुलिस के लोग जनता के साथ सद्व्यवहार करेंगे, यह सोचा भी नहीं जा सकता । मान्यवर, आज पुलिस के संरक्षक इस सरकार में बैठे हैं और पुलिस को पूरा संरक्षण दे रहे हैं ।

मान्यवर, इसी तरह करहना में कांड हुआ और इस काण्ड में 11 लोग मौत के घाट उतार दिये गये । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि बेकसूर लोगों को वहां पर मारा गया । लेकिन सरकार की ओर से यही कहा गया कि पुलिस बेकसूर है और पुलिस ने वहां पर कोई ज्यादती नहीं की । बाद में जब सी0 आई0 डी0 जांच स्थापित हुई उसमें यह पाया गया कि जो लोग मौत के घाट उतारे गये, वह निर्दोष थे तथा उनका कोई कसूर नहीं था । लेकिन इस सरकार के द्वारा उन कसूरवार लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी । आज पुलिस का यही प्रशासन चल रहा है और सरकार उन पर कोई अंकुश लगाने में समर्थ नहीं है । अगर आज की ही भांति रवैया चलता रहा और पुलिस लोगों पर ज्यादती करती रही, तो आप स्वयं समझ लीजिये कि इस रवैये के चलते किसी भी आदमी की, राजनीतिज्ञ की जान सुरक्षित नहीं रह जायगी । हम यह मानते हैं कि पुलिस हमारे समाज का एक आवश्यक अंग है, एक नैसेसरी इविल है लेकिन आज यह पुलिस विभाग नियंत्रण से परे हो गया है और ऐसी स्थिति में यह पुलिस किसी भी हद तक जुल्म ढा सकती है । इसलिये मैं बजट भाषण के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी जो बनाये जा रहे हैं और 267 पुलिस के सिपाहियों की नियुक्ति की जा रही है, आज तमाम डी0 आई0 जी0 बना दिये गये, आई0 जी0 बना दिये गये, महा निरीक्षक बना दिये गये हैं, इनकी आवश्यकता आज नहीं है। जरूरत है सिपाहियों की, और जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि 267 सिपाहियों की भरती की जा रही है । आज उत्तर प्रदेश के अन्दर हालत यह है कि पुलिस बल किसी के नियंत्रण में नहीं है, वह बिलकुल निरंकुश हो गया है, उस पर बहुत बड़े रोक की आवश्यकता है ।

मैं उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्यों से कहना चाहूंगा कि सरकार आपकी है, उत्तरदायित्व भी आपका है कि उत्तर प्रदेश की जनता की जान सुरक्षित हो । इनकी जो पुलिस है वह लोगों के रक्षक के रूप में हो । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जहां पर कुछ कर दिखाने की आवश्यकता होती है, वहां पर इनके पुलिस के लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं । अभी हाल ही में फैजाबाद के सफ्मनपुर क्षेत्र में डकैती पड़ी । मैं भी वहां मौके पर गया था । जब मैंने पूछा कि डकैती कैसे पड़ी तो उन लोगों ने बताया कि गांव में किसी के भी पास कोई असलहा नहीं था । शाम को वहां पर

2 सिपाही आये और उनके खाने पीने की, व्यवस्था वहां पर की गई, लेटने की व्यवस्था की गई और उसके बाद जब डकैती पड़ी तो जिस कमरे में और जिस खटिया में सिपाही लोगों को सुला रखा था, तो उस समय वह खाट के नीचे घुस गये थे । जब उनको वहां से निकाला गया और जनता ने उनको ठेला तो सिपाही लोग पीछे की तरफ भागने लगे । जब जनता ने उनसे कहा कि फायर करो तो सिपाही लोग कहने लगे कि हमारे पास कारतूस नहीं है । लेकिन जहां इस पुलिस को सुरक्षा करनी होती है, वहां यह जनता के साथ दुर्व्यवहार करती है और भक्षक का काम करती है । वर्तमान समय में पुलिस प्रशासन निरंकुश हो रहा है। यदि इस पर नियंत्रण नहीं रखा जाता है तो किसी की भी जिन्दगी सुरक्षित नहीं है । खासतौर से मुझे यह भी कहना है कि इस पुलिस विभाग के अन्दर एक कम्पयूटर सैक्शन खोला गया था और जिसके लिए काफी वर्षों से एक मकान जवाहर भवन में लिया गया है और उसके एअर कंडीशनिंग पर बजट में से लगभग 70–80 लाख रुपए खर्च किया गया । इसका मकसद यह था कि जो छोटे -छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं , उनसे आकड़े मंगाये जायें और आकड़ों के आधार पर जो जुर्म किया जा रहा है, उसको कन्ट्रोल किया जा सके, लेकिन जिले से किसी भी अधिकारी ने आंकड़े नहीं दिये और वह 80 लाख रुपए बेकार चला गया । जिस मकसद से इन्हें लगाया गया था, वह काम न लेकर अब जो सिपाही इनके रिटायर हो जाते हैं, उनके लेखे-जोखे तैयार करने में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है । इस प्रकार हमारे प्रदेश की बहुमूल्य निधि का खर्चा बेकार हो गया । मान्यवर, मैं प्रदेश में सिंचाई के संबंध में.....

श्री भगवती प्रसाद चौधरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, नेता विरोधी दल भाषण दे रहे हैं और विपक्ष के सभी लोगों ने उनके भाषण का बायकाट कर दिया है अब उनके इस उबाऊ भाषण का क्या औचित्य रह गया है ?

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, आज खेती के लिए जरूरत है सिंचाई की । उत्तर प्रदेश में इस साल भयंकर सूखा पड़ा और उस सूखे के तहत 1987-88 में सिंचाई का जो टारगेट रखा गया था 7.18 लाख हेक्टेयर का, उसमें से केवल 4.38 लाख हेक्टेयर पूरा हो सका है, इस प्रकार सिंचाई का केवल 61 फीसदी लक्ष्य पूरा हुआ है । इन्होंने कहा कि पिछले साल हमने सिंचाई के लक्ष्य को पूरा कर लिया है । मान्यवर, सिंचाई के टारगेट को प्राप्त करना तो दूर, इनकी जो सिंचन क्षमता है वह भी दिन प्रति दिन घटती जा रही है । हमारे यहां सृजन सिंचन क्षमता का उपयोग कितना हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं । 1974-75 में हमारे यहां 43.9 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता थी, जिसका उपयोग हुआ था 95 परसेंट । 75-76 में सिंचन क्षमता बढ़ी 47.36 लाख हेक्टेयर हो गयी, सिंचित हुआ 43.17 लाख हेक्टेयर, इस तरह 51.15 प्रतिशत सिंचन क्षमता रह गयी इसी तरह से 76-77 में 49.27 लाख हेक्टेयर रह गयी 86 प्रतिशत, 77-78 में 54.72 लाख हेक्टेयर तक क्षमता बढ़ी और 74 प्रतिशत रह गयी, 78-79 में 57.72 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता हुई, इसका प्रतिशत रह गया 71 प्रतिशत, 79-80 में 60.29 लाख हेक्टेयर

क्षमता थी, रह गयी 72·10 प्रतिशत, 80-81 में 62·82 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता थी, जो घटकर 68 प्रतिशत रह गयी, 81-82 में 65·60 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता हुई, जिसका उपयोग हो पाया 68 प्रतिशत, 82-83 में 67·23 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध केवल 70 प्रतिशत का उपयोग हुआ. 83-84 में 67·78 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध 66 प्रतिशत का उपयोग हुआ । इस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार सिंचन क्षमता को प्रतिवर्ष बढा रही है लेकिन उसका उपयोग प्रति वर्ष कम होता चला जा रहा है, जब कि हमारे प्रदेश के अन्दर सिंचाई की दरें अन्य प्रदेशों से कहीं ज्यादा हैं ।

मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि उत्तर प्रदेश के बजट में सिंचाई की जो दरें दी हैं, कृपया अन्य प्रदेश की दरों को भी देखें, अगर हमारे प्रदेश की दरें ज्यादा हैं, तो उन्हें कम करें । अन्य प्रदेशों की सिंचाई की दरें मैं दे रहा हूं । महाराष्ट्र में गेहूं की दर है 75·00 रु0 प्रति हेक्टेयर, चावल की है 50·00 रु0 प्रति हेक्टेयर, पंजाब में गेहूं की 28·87 रु0 प्रति हेक्टेयर और चावल की 48·19 रु0 प्रति हेक्टेयर, मध्य प्रदेश में गेहूं की 52·62 रु0 प्रति हेक्टेयर और चावल की 59·20 रु0 प्रति हेक्टेयर, कर्नाटका में गेहूं की 86·45 रु0 प्रति हेक्टेयर और चावल की भी 86·45 रु0 प्रति हेक्टेयर, बिहार में गेहूं की 44·46 रु0 प्रति हेक्टेयर और चावल की 77·00 रु0 प्रति हेक्टेयर, उड़ीसा में गेहूं की 33·30 रु0 प्रति हेक्टेयर और धान की 40·68 रु0 प्रति हेक्टेयर, जब कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की 143·20 रु0 प्रति हेक्टेयर की सिंचाई दर और धान की 147·30 रु0 प्रति हेक्टेयर है । इस प्रकार, हमारे प्रदेश की सिंचाई दरें अन्य प्रदेशों से कहीं ज्यादा हैं । इसलिये मैं चाहूंगा कि अन्य प्रदेशों की सिंचाई दरें भी देखें ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मा0 सम्राट जी सो रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था कर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य सदन में कृपया सोयें नहीं ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, कल वन विभाग का बजट है, लिट्रेचर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । कृपया माननीय मंत्री जी से कहें कि साहित्य उपलब्ध करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

हो जायगा, माननीय मंत्री जी व्यवस्था करा दें ।

श्री सत्यपाल सिंह–

तो मान्यवर, माननीय मैं सिंचाई की व्यवस्था में बोल रहा था कि सिंचाई की दरें हमारे प्रदेश में अन्य प्रदेशों के मुकाबले ज्यादा हैं । इस पर वर्तमान सरकार विचार करे और साथ-साथ यह भी कहना है कि सिंचाई के बारे में जो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने 61 प्रतिशत टारगेट पैदा कर लिया है । इसी तरीके

से जो सिंचाई का बजट एलाट किया गया है इसमें आयोजनागत और आयोजनेत्तर दो तरह की मदें हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आयोजनेत्तर मद में अधिक खर्चा हो रहा है । इस पर मंत्री जी थोड़ा विचार करें । मैं आपको बतला रहा हूं कि:— वर्ष 1984-85 में आयोजनागत में 3 अरब 72 करोड़ 17 लाख 59 हजार रु0 था जबकि आयोजनेत्तर मद में 2 अरब 35 करोड़ 91 लाख 86 हजार था । 1985-86 में आयोजनागत में 3 अरब 97 करोड़ 79 लाख 59 हजार, आयोजनेत्तर में 2 अरब 61 करोड़ 89 लाख 85 हजार । 1986-87 में आयोजनागत में 4 अरब 31 करोड़ 97 लाख और आयोजनेत्तर में 3 अरब, 33 करोड़ 20 लाख 66 हजार । 1987-88 में आयोजनागत में 4 अरब, 80 करोड़ 75 लाख, आयोजनेत्तर मद में 3 अरब 88 करोड़ 19 लाख 58 हजार । 1988-89 में आयोजनागत में 4 अरब 88 करोड़ 87 लाख, जबकि आयोजनेत्तर मद में 4 अरब 18 करोड़ 98 लाख 39 हजार ।

इसी तरीके से हमारे प्रदेश के अन्दर मान्यवर, वह सिंचाई में आयोजनेत्तर खर्चे ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिए जरूरी है कि जब आयोजनेत्तर खर्चे कम हों तभी वह प्रदेश तरक्की कर सकता है । इसी प्रकार से मैं कृषि के संबंध में पिछले पांच वर्षों के आयोजनागत और आयोजनेत्तर व्यय की मदों की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि वर्ष 1984-85 में आयोजनागत व्यय 26 करोड़ 88 लाख 65 हजार, आयोजनेत्तर व्यय में 76 करोड़ 74 लाख 94 हजार । 1985-86 में आयोजनागत व्यय 35 करोड़ 17 लाख 27 हजार, आयोजनेत्तर व्यय में 82 करोड़ 02 लाख 90 हजार । वर्ष 1986-87 में आयोजनागत व्यय 37 करोड़ 61 लाख 85 हजार, आयोजनेत्तर व्यय 1 अरब 10 करोड़ 24 लाख 67 हजार । वर्ष 1987-88 में आयोजनागत व्यय 62 करोड़ 95 लाख 21 हजार, आयोजनेत्तर व्यय में 1 अरब 23 करोड़ 23 लाख । वर्ष 1988-89 के लिये आयोजनागत व्यय 87 करोड़ 39 लाख 86 हजार, आयोजनेत्तर व्यय में 1 अरब 27 करोड़ 10 लाख 96 हजार । इस तरीके से प्रति वर्ष आयोजनेत्तर खर्चे हमारे प्रदेश में बढ़ते चले जा रहे हैं और उसका अंजाम यह हो रहा है कि सरकार का ध्यान किसी भी समस्या की ओर जब आकर्षित किया जाता है तो पहली बात तो यह है कि सरकार को उस समस्या के बारे में पता ही नहीं रहता है। जब उनका ध्यान इस ओर दिलाया जाता है तो ये जो अपने आंकड़ों की खेती करते हैं उसके माध्यम से ये यह साबित करना चाहते हैं कि हमारे आंकड़े तो यह बतला रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं ।

जब ज्यादा जोर देकर इनकी समस्या की ओर बार-बार ध्यान दिलाया जाता है तो यह पीछे जनता पार्टी के जमाने का उदाहरण देकर अपने बचाव का बहाना खोज लेते हैं कि उस साल उत्पादन कम हुआ था, हम ज्यादा कर रहे हैं आदि-आदि । पूरे राज्यपाल के अभिभाषण में यह दिखा दिया गया है कि तुम्हारे जमाने में कम काम हुआ और हम ज्यादा कर रहे हैं। तरह-तरह के आंकड़े पेश किये गये हैं। आंकड़ों के जरिये यह सही अंजाम पर नहीं पहुंच पाते हैं और ज्यादा से ज्यादा यह कर देते हैं कि हम एक समिति गठित किये दे रहे हैं लोगों को भुलावा देने

के लिए ये समिति को गठित कर देते हैं कि जब समिति का नतीजा आ जायेगा तब अंजाम देख लिया जायेगा ।

मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूं कि हमारे प्रदेश में इस वर्ष भंयकर सूखा पड़ा । सरकार ने केन्द्र से इसके लिये जितनी सहायता की आवश्यकता थी, उतनी नहीं ले पायी जबकि विभिन्न प्रदेशों ने कहीं ज्यादा सहायता प्राप्त कर ली है । हमारी वर्तमान सरकार ने केन्द्र से 1300 करोड़ की सहायता की मांग की थी और उसके खिलाफ इनको मान्यवर केवल 151 करोड़ रु0 ही मिले और इस वर्तमान सरकार ने इन रुपयों के जो बहुत कम मिलें थे, यह उम्मीद थी कि इन रु0 के माध्यम से प्रदेश में जो लोग सूखे से प्रभावित हुए हैं, और घर से बेघर हुए हैं, उन्हें कुछ सहारा मिलेगा, तो मान्यवर, बजाए उन बेसहारा लोगों को कुछ सहारा देने के 93 करोड़ रुपया सिंचाई संसाधनों में आवंटित कर दिया और इसी के साथ-साथ खेतिहर मजदूरों को भी सम्मिलित कर दिया । जबकि मान्यवर हमारे प्रदेश के अंदर सीमांत कृषक और लघु कृषक इतने नहीं हैं जितने की मान्यवर लगभग 58 लाख आदमी ऐसा है जो खेतिहर मजदूर कहलाता है और लगभग सवा करोड़ आदमी ऐसा है जो इस सूखे की स्थिति से प्रभावित हुआ है, लेकिन आपने केवल 5 हजार योजनाएं ही गांवों में इन खेतिहर मजदूरों के लिए चलाई हैं और इसके माध्यम से इस सूबे में आपने 6 माह के अंदर अर्थात् जुलाई से दिसम्बर तक केवल 27 लाख, 7 हजार और 779 मजदूरों को काम राहत के दे पाये हैं और साथ ही पेय जल की व्यवस्था के लिए आपने केवल 8 करोड़ रु0 का आवंटन किया और जब इस 8 करोड़ के बारे में माह दिसम्बर में आपसे पूछा गया तो आपने बताया कि हम अभी इस ओर एक करोड़ 2 लाख की व्यवस्था ही कर पाये हैं, इस कारण मान्यवर इस निकम्मी सरकार ने बांदा जिले में माह जून-जुलाई में 6 रु0 और सात रु0 में एक-एक बाल्टी पानी पीने का बिकवाया है और यही नहीं मान्यवर चित्रकूट के मेले में यात्रीगणों को एक-एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ा है, काफी समय तक पानी के लिए भक्तगण तड़पते रहे, तो यह व्यवस्था है आपकी पानी की और मान्यवर आज भी 19 हजार गांव ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है ।

मान्यवर, जब कि इनके पास सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का एक बहुत बड़ा अमला है, पूरी फौज की फौज है, लेकिन इस ओर इतने समय में भी कोई कारगर कदम नहीं उठा सके, यही नहीं मान्यवर इस स्थिति को देखते हुए दुखी जनता ने भी, इस पक्ष के और सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों ने भी एक होकर यह मांग की थी कि 12 लाख रु0 का जो राजस्व है, उसी को माफ कर दिया जाए, लेकिन इसे भी माफ नहीं किया गया, लेकिन ढ़ाई करोड़ रु0 जो बिजली के दरों में घाटा हुआ उसे यह सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रदेश के किसान के साथ इन्हें कोई हमदर्दी नहीं है । इसी प्रकार से और भी मदों में इनके सरकारी कर्मचारी व अधिकारी कुछ भी करते रहें कितना ही कमीशन लेते रहे हैं यह इन्हें मान्य है, लेकिन किसानों के साथ कोई सुविधा इन्हें मान्य नहीं है। इसी सूखे के माध्यम से इनकी सरकारी फौज ने अपनी-अपनी एक अच्छी हैसियत बना ली है,

इस बात के लिए बार-बार इस ओर से ध्यान दिलाया गया लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया गया इसी प्रकार से और भी मदों में जो अनुदान दिए गए, यह अनुदान जिन लोगों को मिलने चाहिए थे जो वास्तव में उसके पाने के अधिकारी थे, उन्हें न मिल कर दूसरों को मिला ।

इसी प्रकार से आज एक मामला प्रश्नोत्तर काल में आया था । मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी ने शायद सुना भी हो कि डा0 कैलाश नाथ दीक्षित जो कांग्रेस आई के सदस्य हैं, उन्होंने मेरे पास लिखकर भेजा कि जिला कानपुर में परिवार नियोजन विभाग का नसबंदी का जो लक्ष्य था 600 व्यक्तियों का और 60 व्यक्तियों के परिवार में डिप्टी सी0 एम0 ओ0 ने 2600 लोगों की नसबन्दी कराकर दिखा दी और इनाम प्राप्त कर लिया और संसदीय कार्य मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लिस्ट मैंने दी है, उसके नामों की वल्दियतों की जांच करा लें, तो आपको मालूम हो जायेगा कि उस नाम के व्यक्ति वहां पर रहते ही नहीं हैं। आप परिवार नियोजन के नाम पर कोशिश कर रहे हैं कि आबादी को कम किया जाये । तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सरकार को केवल बेवकूफ ही नहीं बनाया जा रहा है बल्कि पैसा का भी घपला किया जा रहा है । जो अधिकारी हैं, वह उस पैसे को हजम कर रहे हैं और मैंने इसलिये कहा कि जब मैं लिखकर देता हूं, तो आप उसकी जांच नहीं कराते हैं । फर्जी आंकड़ों पर इनाम ले लेते हैं, तो ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए । इसी प्रकार से दूसरा प्रार्थना पत्र है, जटा बरौली का है, यह बाराबंकी जिले का का है । इसमें फर्जी नसबन्दी के प्रमाण-पत्र भी हैं । आप जिस परिवार नियोजन की बधाई देते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी 20 सूत्रीय कार्यक्रम के नाम पर पारितोषित प्राप्त करते हैं और डन्का पीटते हैं कि देश में पहला स्थान प्राप्त किया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह सब फर्जी आंकड़ों के नाम पर किया गया है । किसी भी मद को आप ले लें, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो और चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, कोई मद आप ले लीजिये चारों ओर घोर भ्रष्टाचार फैला हुआ है ।

जगबीर सिंह ने अलीगढ़ में नसबन्दी में गड़बड़ी की बात कही और कहा कि वहां पर सरकारी धन का दरुपयोग किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ जो नसबन्दी के सुपात्र नहीं हैं, उनकी नसबन्दी की जा रही है और सरकार उसकी कोई जांच नही करती है । सरकार के सामने कोई भी उदाहरण पेश किया जाता है, सरकार उसकी जांच नहीं कराती है, जांच कराने के लिये आप तैयार नहीं हैं । जो आप को शिकायत दी जाती है, उसकी जांच आपको कराना चाहिये, आपको सच्चाई का पता लगाना चाहिये, लेकिन आप उसको नहीं करते हैं ।

(इस समय 5 बजकर 17 मिनेट पर श्री उपाध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए ।)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल जी, आप अभी और कितना समय लेंगे । यह आप बता दें ?

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैं 15–20 मिनट और लूंगा । तो मान्यवर मेरा कहना था कि वर्तमान सरकार ने जो बजट पेश किया है, उससे उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा किया था कि

उसको कुछ राहत मिलेगी, कोई नई दिशा मिलेगी, तरक्की के लिये कोई छूट मिलेगी, लेकिन मान्यवर, इनके बजट में कुछ भी जनता के लिये नहीं है । मान्यवर, केन्द्र सरकार का जब बजट आया तो कम से कम दियासलाई के दामों में तो गिरावट आयी तो इस प्रकार से वह केन्द्र का ही बजट कुछ न कुछ चर्चा का विषय बना क्योंकि उससे जनता को रियायत मिली है, लेकिन उत्तर प्रदेश का बजट बिलकुल करेन्टलेस बजट है और जब उत्तर प्रदेश की विधान सभा में यह बजट रखा गया, तो उस पर कोई कमेन्ट नहीं हुये । आपने जनता को कोई राहत ही नहीं प्रदान की और नो टैक्स की वाह वाही लूट ली । जब आपने जनता को कोई राहत ही नहीं प्रदान की, तो यह कहने के लिये कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया है, तो जो लेखा-जोखा बनिये का होता है, उसी तरह का प्रस्तुत कर दिया । जनता की जो तीन मूलभूत समस्यायें थीं, उस पर आपने विचार ही नहीं किया। उनमें से पहली समस्या मंहगाई की है, जिस पर काफी चर्चा की जो चुकी है, मंहगाई बेतहासा बढ़ रही है, बजट के माध्यम से उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया है । अगर आप इस मंहगाई को रोकने में सक्षम नहीं है तो आपको कम से कम प्रयास तो अवश्य ही करना चाहिये, लेकिन मान्यवर कोई प्रयास नहीं किया है ।

दूसरे मैं बढ़ती हुई बेरोजगारी के विषय में कहना चाहता हूं । आपको पता है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जिस समय आपका देश आजाद हुआ उस समय प्रदेश के अन्दर 3 लाख से लेकर 4 लाख तक बेरोजगार थे । आपने इतना प्रयास किया इस बेरोजगारी को दूर करने के लिये कि आज आपके प्रदेश के अन्दर लगभग 42 लाख लोग बेरोजगार हैं । इन बेरोजगारों की फौज बराबर बढ़ती चली जा रही है और इसका कारण सिर्फ यह है कि आप बड़े-बड़े उद्योगों को लगा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थिति के अनुसार मुनासिब नहीं है । बड़े-बड़े उद्योगों में बहुत बड़ी पूंजी इन्वेस्ट हो रही है । उस पूंजी के साथ जो उत्पादन हो रहा है उससे न तो आदमी की क्रय शक्ति बढ़ी है और न वह उत्पादक निर्यात के काबिल है, जिसका अंजाम यह हो रहा है जिस पर कि चौधरी चरण सिंह ने भी बल दिया था और यह कहा था कि हिन्दुस्तान की परिस्थिति के अनुसार यहां पर छोटे-छोटे रोजगार लगाये जांय इसे छोटे लोगों को बल मिलेगा। जिन योजनाओं के बारे में माननीय मुख्य मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है और बैंकों के माध्यम से पैसा देने की बात कही है, आज कोई भी ब्लाक और जिला नहीं है जहां पर बेरोजगार व्यक्ति अगर पैसा लेने के लिये बैंक जाता है तो 10 से लेकर 20 और 30 फीसदी तक बैंक के लोग कमीशन न लेते हों। यह कमीशनबाजी आज सारे हिन्दुस्तान में बढ़ती चली जा रही है । इसका अंजाम यह है कि पूछने पर कि क्यों आप रिश्वत ले रहे हैं तो आपके अधिकारी यह नहीं कहते कि हमारी गल्ती हो गई है बल्कि यह कहते हैं कि हमने 500 ले लिया तो गुनाह हो गया और प्रधान मंत्री 200 कमीशन लेता है तो उनको आप नहीं पकड़ पाते हैं । (व्यवधान) ।

मैं तो कह रहा हूं कि आज प्रदेश की यह हालत है । अधिकारियों में कमीशन बेइमानी और रिश्वत का वातावरण पैदा हो गया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बेरोजगारी को दूर करने के लिये आपने जो योजनायें चलाई हैं, कोई भी योजना जिसको चलाने की आपकी मंशा है जब तक आप ह्युमन फैक्टर और उसके करेक्टर का उद्धार नहीं करेंगे तब तक आपकी कोई योजना सफल नहीं हो सकती है । मान्यवर, चौधरी साहब ने जापान के बारे में कहा था कि वहां पर लोग यदि स्ट्राइक भी करते हैं तो काम

बन्द नहीं करते । वहां का आदमी कर्मठ है, क्षमता के अनुसार काम करना चाहता है । यहां पर जो करेक्टर है वह बेइमानी, कमीशनबाजी और काम न करने का है । इस ह्यूमन फैक्टर के लिये आपको विशेष बल देने की आवश्यकता है । जब तक आप प्रदेश के निर्माण के लिये और ह्यूमन फैक्टर के लिये आप निगाह नहीं उठाते हैं, प्रयास नहीं करते हैं तब तक इस प्रदेश की तरक्की और विकास नहीं हो सकता है । इसलिये मेरा कहना यह था कि आप प्रदेश के अन्दर मंहगाई नहीं रोक पाये बेरोजगारी दूर नहीं कर पाये ।

अब मैं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । वर्तमान शासन में अगर हम कोई शिकायत करते हैं, कुछ लिखकर देते हैं तो आप सुनने को तैयार नहीं हैं। यदि आप उस पर जांच करने के लिये आदेश भी कर देते हैं तो आपके अधिकारी जांच नहीं करते हैं । उसका अंजाम यह होता है कि हमारी शिकायतें निराधार हो जाती हैं । इसलिये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मुझे खास-तौर से कहना है कि इससे मंत्रीगण भी बचे हुये नहीं हैं । आपको पता है कि विधान सभा के अन्दर हमारे प्रदेश के मंत्रियों में पी0 डब्लू0 डी0 मिनिस्टर सीताराम जी निषाद के ऊपर आरोप लगाया गया और इसी सदन में लगाया गया। वह कितना सही था, कितना गलत था, यह आप बता दें ? उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के नाम पट्टा करवा दिया । माननीय साईदुल हसन के खिलाफ किरनपाल सिंह जी ने आरोप लगाया था और यह कहा था कि अगर मेरे ये तथ्य गलत पाये गये तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं । लेकिन माननीय मंत्री जी ने उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया ।

मैंने पिछली बार भी कहा था माननीय मुख्य मंत्री जी आप किसानों के हित की बात सोचिये तो उन्होंने कहा कि मैं तो खुद ही किसान हूं। हमने पूछा आप कितने बड़े किसान हैं तो उन्होंने कहा कि 35 बीघे का किसान हूं । पता नहीं वह कौन सा बीज बोते हैं, कौन सी खाद डालते हैं कौन सी मारकेट में सामान बेचते हैं जो साल दो साल में उनकी हैसियत करोड़ों की हो गयी है । इन तथ्यों को हमें देखना है वह कौन से कारण हैं वह कौन से बीज हैं, कौन फसल बोते हैं और कहां बेचते हैं जो पूरे गोरखपुर में गोल मारकेट बना ली है और फार्म खरीद लिया है . . .

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, आपका नाम तो सत्यपाल है लेकिन आप सत्य से परे बात कर रहे हैं ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मैंने कहा कि वह काश्तकार है जिसको उन्होंने ही माना है इसमें मैंने कोई असत्य बात नहीं कही ।

श्री खानगुफरान जाहिदी–

माननीय नेता विरोधी दल ने जब यह बात कही थी तो उसी वक्त उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया था । ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने आपका उत्तर न दिया हो ।

श्री सत्यपाल सिंह–

उन्होंने कहा था कि मेरे पास 35 बीघा जमीन है । तो उस 35 बीघे में कौन सा बीज वह बोते हैं, कौन सी मार्केट में बेचते हैं जिसके कारण वह करोड़ों-करोड़ों पति हो गये हैं । मैं कोई पर्टिकुलर बात नहीं कह रहा हूं कि यह काम किया है यह तो मैं उन्हीं की बात कह रहा हूं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार केवल मंत्रियों तक ही नहीं है बल्कि हमारे शासन के जो बहुत से अधिकारी हैं जो इस भ्रष्टाचार में फंसे हुये हैं और जब हम कहते हैं कि इन पर अंकुश लगाईये तो सरकार उसमें अपने को अक्षम बताती है । मैं जिला बदायूं की मिसाल देता हूं वहां पर जो हुआ उसके संबंध में मैंने और रामनरेश जी ने मामला उठाया था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के कक्ष में भी बात हुई थी । कि टाटा फर्टिलाइजर वालों ने सैकड़ों किसानों की जमीन कौड़ी के भाव अधिकारियों से मिल कर ले ली । किसानों ने एतराज किया कि मुआवजा बाजार भाव पर दिया जाय जो आपकी नीति है लेकिन उस नीति को नहीं माना । इसके लिए किसानों ने सैकड़ों बैनामे दिखाये और सबूत दिया कि इस भाव पर वहां जमीन बिकी है और उनको इससे कहीं कम दाम दिए जा रहे हैं । लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि काश्तकारों को लूट लिया गया । हमने कोशिश की कि इस पर विचार हो लेकिन कुछ नहीं हो पाया ।

इसी प्रकार तराई बीज निगम के प्रबन्ध निदेशक पर भ्रष्टाचार के मामले में कई हमारे विधायकों ने लिखकर दिया कि लाखों का घोटाला किया है । सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों को सरकारी अधिकारी चारागाह बनाए हुए हैं । उनसे बेतहासा पैसा वह लूट रहे हैं । इस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है । वहां पर अधिकारी अपनी जिन्दगी को खुशहाल बनाने में लगे हुए हैं । सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है । इसी प्रकार कायदे कानून को ताक में रखकर लखनऊ विकास प्राधिकरण में मि0 एस0 सी0 गुप्ता को चीफ इन्जीनियर नियुक्त किया गया है जो इसके पात्र नहीं हैं । इस बात की लिखित शिकायत की गयी उसके बावजूद शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया । उनका कहना है कि इसके लिए मैंने लाखों रुपया खर्च किया है तब हमने यह नियुक्ति पाई है और इसमें किसी का कोई अहसान नहीं है। इसी तरह से खण्ड गंगा नहर, मुजफ्फरनगर में करोड़ों रुपये के घोटाले के संबंध में वहां के एक इंजीनियर सुरेश चन्द्र गिरी हैं जिसके संबंध में शिकायत है, अखबारों में निकला और उसके खिलाफ धरना दिया गया जिसने लाखों रुपये पैदा किया है लेकिन उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं । मेरठ में कर्फ्यू के दौरान जब किसान चारों तरफ से फंसे थे मेरठ विकास प्राधिकरण ने लोगों को नोटिस जारी कर दिया कि तुम्हारी जमीन ले रहे हैं, सारे काश्तकार मजबूर होकर कौड़ियों के भाव जमीन देने पर मजबूर किए गए लेकिन जैसे ही किसानों ने जमीन बेच दिया वैसे ही नोटिस समाप्त हो गयी और जमीन को कालोनाइजर्स ने खरीद लिया, तो इस तरह के काण्ड और स्केन्डल आपके समय में हो रहे हैं । छोटे काश्तकारों को कहीं भी सरकार संरक्षण नहीं दे रही है और भ्रष्टाचार हर अधिकारी के दिल और दिमाग में समा गया है । जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनको कोई सहयोग नहीं दे रहा है ।

मान्यवर, लखनऊ में आवास विकास कालोनी बन रही है, जमीन अधिग्रहीत किया है उस पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है और जमीनें बड़े-बड़े कालोनाइजर्स और सरकार ले रही है और नाममात्र का किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है।

मान्यवर, कर्मचारियों के वेतन समिति की रिपोर्ट आने वाली है जिसमें केन्द्र के बराबर उनको वेतन देंगे, क्या उस समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे जिससे प्रदेश में व्यय भार बढ़ेगा लेकिन कर्मचारियों के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं आपने किया

हैं। इस सदन में और बराबर पहले भी हम लोग कहते रहे हैं कि इन कर्मचारियों के विषय में आप बजट में प्राविधान करें, आप वचन दे चुके हैं विधान सभा और इसके बाहर भी लेकिन सरकार ने बजट में प्राविधान नहीं किया है।

मान्यवर, बुनकरों की समस्या को हमने यहां उठाया लेकिन उसका कोई समाधान नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप आज लाखों बुनकर भुखमरी के कगार पर हैं। मैं कई जगह गया हूं जहां देखा है कि बुनकरों की कई समस्याएं हैं उन्होंने हड़ताल और धरने दिये हैं लेकिन सरकार ने उनके संबंध में कुछ नहीं सोचा है। सरकार ने पूरे भाषण में 20 सूत्री कार्यक्रम की दोहाई तो दिया है लेकिन बनारस से लेकर फैजाबाद तक जहां लाखों की तादाद में और मुख्य मंत्री के जिले गोरखपुर में भी ऐसे बहुत से बुनकर हैं जिनके संबंध में इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गन्ने का क्षेत्रफल 50 फीसदी है जो सारे क्षेत्रफल से अधिक है और सारे देश के गन्ने के उत्पादन का 40 फीसदी उत्पादन यहां होता है। चीनी हमारे प्रदेश की पूरे देश के अनुपात में 24.7 फीसदी है। इसका कारण गन्ने का क्षेत्रफल ज्यादा है। इसलिए चीनी ज्यादा होनी चाहिए लेकिन कम होने का कारण यह है कि यहां की जो चीनी है उसकी रिकवरी कम है। हर साल आप दावा करते हैं कि प्रदेश के अन्दर चीनी मिलों का जीर्णोद्धार, सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, उनको मजबूत बना रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि रिकवरी अन्य प्रदेशों से कम क्यों है। उदाहरण के लिए हमारे प्रदेश के अन्दर चीनी की रिकवरी 9.33 प्रतिशत है जबकि महाराष्ट्र में 11.13 प्रतिशत है। कर्नाटक में 10.19 परसेंट, आन्ध्र प्रदेश में 9.66 परसेंट, गुजरात के अन्दर 10.5, हरियाणा में 9.7 परसेंट, पंजाब में 10.47 परसेंट, बिहार में 9.13 परसेंट, एम0 पी0 यानी मध्य प्रदेश में 9.43 परसेंट और राजस्थान में 9.44 परसेंट है, लेकिन हमारे प्रदेश में चीनी की रिकवरी बहुत कम है। इसका क्या कारण है, इस पर भी मुख्य मंत्री जी आपको विचार करना चाहिए, जिससे जो कि गन्ने के सबसे ज्यादा क्षेत्र वाला प्रदेश है, उसमें चीनी की रिकवरी में अच्छा सुधार हो सके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान जो आन्दोलन कर रहा है और जो आप उससे कहते हैं कि गन्ने का दाम इसलिए हम नहीं बढ़ा सकते हैं कि गन्ने की रिकवरी बहुत कम है, उसमें आप मैकेनिकल सुधार करके अन्य प्रदेशों की तरह, रिकवरी बढ़ा सकते हैं और गन्ने की कीमत भी आप बढ़ा सकते हैं। जनता सरकार में, जो चीनी पहले 12 रुपये क्विंटल थी उसको घटाकर 3 रुपया के करीब किया गया था। डीजल और खाद के दाम भी जनता सरकार में बहुत कम किये गये थे।

आपने सूखा पीड़ित किसानों के लिए खाद के दाम के सम्बन्ध में जो कुछ उनकी राहत के नाम पर किया है, उसमें आपके खद्दरधारी लोग ही सारी खाद खरीद कर ले जाते हैं। गरीब किसान को उसका कोई लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। जैसा मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है, आप योजना चाहे जितनी

अच्छी बैठकर बना लीजिए, किन्तु जब तक आप उसके सही क्रियान्वयन की कोशिश नहीं करेंगे, वह योजना सफल नहीं होगी ।

अब गन्ने की उपज देख लीजिए । यू0 पी0 में गन्ने की उपज 455 क्विंटल प्रति हैक्टर, आन्ध्र प्रदेश में 740 क्विंटल प्रति हैक्टर है, और इसी प्रकार से यह उपज अन्य प्रदेशों में है। आप यह अपनी उपज बढ़वाइये । जब तक यह उपज बढ़ेगी नहीं और किसानों का भार खेती पर से कम नहीं होगा तब तक कोई सुधार नहीं होगा, प्रदेश की तरक्की नहीं होगी । कृषि का विकास, प्रदेश की उन्नति तभी होगी जब किसानों का उत्पादन बढ़ रहा हो और उस पर काम करने वालों की संख्या कम हो रही हो । इसके लिए आप चौधरी साहब की बात को अपना लीजिए । अच्छी बात किसी की भी हो आपको अपना लेनी चाहिए । तो मैं कह रहा था कि यू0 पी0 में गन्ने की उपज 455.82 क्विंटल प्रति हैक्टर, आन्ध्र प्रदेश में 740.82 क्विंटल प्रति हैक्टर, बिहार में 337.10 क्विंटल प्रति हैक्टर है (यह हमारे यहां से कम है) गुजरात में 704 क्विंटल प्रति हैक्टर है, कर्नाटक में 799, महाराष्ट्र में 961, पंजाब में 609 और तमिलनाडु में 983 क्विंटल प्रति हैक्टर गन्ने की उपज हो रही है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि आप इस गन्ने की उपज को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं । आपने यह भी कहा है कि 99 प्रतिशत गन्ने की कीमत का भुगतान काश्तकारों को कर दिया गया है। इस पर कृपया आप थोड़ा स्पष्टीकरण दे दें। मेरी अपनी जानकारी के अनुसार 1 अक्टूबर, 1987 तक गन्ने की कीमत का बकाया कर्नाटक में 790 लाख, यू0 पी0 में 624 लाख, बिहार में 419 लाख, महाराष्ट्र में 187 लाख और तमिलनाडु में 173 लाख रुपये से कुछ अधिक का था । तो इस तरह से आपके प्रदेश के अन्दर जो भी गन्ने के सम्बन्ध में नीति है आपसे जब कीमत बढ़ाने की बात कही गई तो आपकी तरफ से यह भी कहा गया कि हम पहले से चीनी मिलों को कुछ सब्सिडी दे रहे हैं और घाटा उठा रहे हैं और आपने यह भी कहा कि 3/4 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से घाटा उठा रहे हैं, और खासकर हमारे मुंशी जी ने कहा कि चीनी मिलें गन्ना खरीदना बन्द कर देंगी।

मैं समझता हूं कि आपके प्रदेश के अन्दर 104 चीनी मिलें हैं इसमें आधी से ज्यादा सरकार की हैं । इसमें सरकार 50 से 60 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में किसानों को दे रही है, लेकिन किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है, गन्ने का उचित मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है। एक तरफ आप यह कह रहे हैं कि सूखे की वजह से गन्ना कम हो गया अगर गन्ना कम हुआ है तो इसमें भी नुकसान किसान का हुआ और इस नुकसान की पूर्ति करने का उत्तरदायित्व भी आपके कन्धों पर है। आपने कहा कि रिकवरी कम हुई । आपने कहा है कि वन प्वाइन्ट रिकवरी कम हुई है मैं बताना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी चाहें तो नोट कर लें, कि उत्तर प्रदेश में 9.30 परसेंट रिकवरी हुई थी लेकिन इस वर्ष घटकर 7.92 परसेन्ट हो गयी है। मध्य प्रदेश में 9.27 से घटकर 8.57 हो गई है। यह अलग-अलग रिकवरी कम हुयी है । पूर्व में 8.99 रिकवरी हुई थी यह 8.92 हो गई है । पूर्वी प्रदेश में

घटोत्तरी हुई है जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम रिकवरी हुई है और पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बराबर रिकवरी हुई है तो आपने गन्ने की मूल्य में विषमता क्यों कर दी है यह सही नहीं है जब रिकवरी दोनों जगह की बराबर है तो कीमत गन्ने की भी बराबर होनी चाहिए थी, जिससे किसानों को कोई हानि न हो ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल अब अपना भाषण खत्म करें ।

श्री सत्यपाल सिंह–

तो मान्यवर, मैंने इस बजट को पढ़ा मैंने सोचा था शायद जनता के लिए कुछ साधन इन्होंने मुहैया कराये होंगे जिससे प्रदेश का विकास होगा लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में इस बात पर जोर दिया है कि हमने बीस सूत्रीय कार्यक्रम में पहला स्थान प्राप्त किया है । मान्यवर, हमारा आरोप है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात जो यह कहते हैं यह आंकड़ों के आधार पर है । यह जनता की मदद नहीं कर पाये हैं। आपने कहा कि 61 हजार फ्री बोरिंग का लक्ष्य था उसको बढ़ाकर हमने 65 हजार कर दिया है। आपके प्रदेश के अन्दर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है दिन पर दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है जो आपने फ्री बोरिंग करवाई है उसमें ठेकेदारों द्वारा जितना पैसा वसूल किया गया है उससे कहीं कम लागत में यह काम हो जाता । इसमें बिल्कुल घटिया माल का इस्तेमाल किया गया है और जनता को बेवकूफ बनाया गया है ।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे पत्रकार बन्धुओं की भी इज्जत आज सुरक्षित नहीं रह गई है अगर यह आपके काले कारनामों का पर्दाफाश करते हैं तो इनको परेशान किया जाता है । पत्रकारों को तो फ्री हैन्ड होना चाहिए । उनको सही बात जनता के सामने रखनी चाहिए । अगर वह आपकी कमियों को नहीं बताते हैं तो वह सही नहीं करते हैं। कई पत्रकारों की इस संबंध में शिकायत है कि उनको उत्पीड़ित किया जाता है।

आपकी सरकार इनका उत्पीड़न कर रही है और आप अपनी पुलिस पर कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और न उन पर कन्ट्रोल कर पा रहे हैं जो इनका उत्पीड़न कर रहे हैं ।

मैं अब ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कहना चाहता हूं कि यह वह घोड़ा है कि यदि इसके ऊपर का सवार मजबूत नहीं है तो यह घोड़ा सही रास्ते पर नहीं जा सकता है । अगर आप इसकी वकालत करेंगे तो यह घोड़ा और गलत रास्ते पर जायेगा । आज आप सत्ता पक्ष में हैं भले आप दबाव डालकर अपनी बात मनवा लें और हमारी जायज बातों को न मानें लेकिन जिस नौकरशाही से आपका पाला पड़ा है हो सकता है कि आप कुछ समय बाद इधर हों और हम उधर हों तो आप भी प्रताड़ित होंगे और आपकी जब जायज बातें नहीं मानी जायेंगी तो आपको कष्ट होगा और जनता का भी भला नहीं होगा ।

मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा । जो लोक आयुक्त हैं इनके बारे में मैं कहना चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि जो वर्तमान लोक आयुक्त हैं अब तक आपका कितना खर्च हुआ है ? जबसे आपने लोकायुक्त का निर्माण किया

है तबसे कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी हैं और किसी को कोई सजा दी गयी है या नहीं । अभी कुछ आई0 ए0 एस0 अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त के यहां एक मुकदमा दायर किया गया था, यहां के एक पत्रकार ने किया था, मैंने उसका जजमेंट पढ़ा तो मुझे ताज्जुब हुआ ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, मेरा विचार है कि लोकायुक्त के कंडक्ट और किरदार को यहां पर डिस्कस नहीं किया जा सकता ।

श्री उपाध्यक्ष–

हां ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, यह हो सकता है कि लोकायुक्त का जो निर्णय है उस पर हम बात न करें लेकिन जो उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है एक वर्ष के लिये उसके विषय में, जो नियमावली है उसमें साफतौर पर दिया गया है कि किसी लोकायुक्त की नियुक्ति लीडर आफ अपोजीशन और माननीय मुख्य मंत्री की राय से की जायगी ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, लोकायुक्त की जो पोजीशन है जो एक हाईकोर्ट के जज की होती है । दोनों एक्ट पार हैं, मैं कहना चाहता हूं इस पर बहस नहीं होनी चाहिये ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मेरा कहना है कि जो लोकायुक्त का कार्यकाल बढ़ाया गया है तो उन्होंने मुख्य मंत्री के पक्ष में और अधिकारियों के पक्ष में निर्णय लिये हैं और इस निर्णय लेने के बदले में उन्होंने पुरस्कार स्वरूप उनका एक साल का कार्यकाल बढ़ाया है जो निहायत निंदनीय है ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल से बराबर कहा जा रहा है कि इसको यहां पर डिस्कस नहीं किया जा सकता । मान्यवर, इस पर चर्चा हो गयी है नियमों में है कि जिस विषय पर एक बार चर्चा हो जाय, जिस पर आप अपनी पीठ से निर्णय दे चुके हैं उस पर दोबारा नहीं कहा जा सकता ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह किस नियम में है ?

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मैं नियमों को कोट कर दूंगा अगर आप कहेंगे ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मैं कह रहा था कि जो उन्होंने निर्णय दिया उसके पुरस्कार स्वरूप उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है । मैं खासतौर से कहना चाहता हूं कि वर्तमान बजट जो उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने हमारे सदन में प्रस्तुत किया है यह बजट पूर्णतः चेतना विहीन बजट है इसमें कोई दिशा नहीं है । इसके अन्दर हमारे

समाज और हमारे प्रदेश की तरक्की के लिए, किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, बेरोजगारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और इस बजट में विशेषकर आयोजनागत खर्च के बजाय आयोजनेतर खर्च को बढ़ाया गया है। इससे 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था कि 30 अरब रु0 विकास कार्यों के लिए प्राविधान करेंगे तो केवल 25 अरब का प्राविधान किया गया है जिससे 7वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को इस बजट के माध्यम से हमारी सरकार पूरा नहीं कर पायेगी इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

तृतीय सत्र 1987 के व्यवस्था एवं औचित्य के प्रश्नों के मामलों को सदन की नियम समिति को निर्दिष्ट करने की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष–

श्री जयदीप सिंह बरार तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा गोपनीयता अथवा जनहित के आधार पर शासन द्वारा प्रश्नों को निरस्त कराये जाने आदि के संबंध में तृतीय सत्र, 1987 में उठाये गये व्यवस्था/औचित्य के प्रश्नों का मामला श्री अधिष्ठाता द्वारा दिनांक 4 जनवरी, 1988 को विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति को प्रतिवेदन हेतु निर्दिष्ट किया गया था।

विचारोपरान्त माननीय अध्यक्ष ने उक्त मामले को प्रश्न एवं संदर्भ समिति के स्थान पर सदन की नियम समिति को निर्दिष्ट कर दिया है।

विभिन्न समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम का निर्धारण

श्री उपाध्यक्ष–

वर्ष 1988-89 को लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा विमुक्त जातियां संबंधी संयुक्त समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 31 स्थायी समितियों का निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है:-

1–नाम निर्देशन की अंतिम तिथि तथा समय	मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 1988 अपराह्न 4 बजे तक।
2–नाम निर्देशन की संवीक्षा की तिथि तथा समय	बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 1988 को अपराह्न 3 बजे (सचिव के कार्यालय-कक्ष में)
3–नामों की वापसी की तिथि तथा समय	शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 1988 को अपराह्न 4-00 बजे तक।

4–निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान:–	
(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियां, तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के लिए	बृहस्पतिवार, दिनांक 24 मार्च, 1988 को तथा
(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 31 स्थायी समितियों के लिए	शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च, 1988 को।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होगा। मतदान विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.30 बजे तक होगा। निर्वाचन संबंधी निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

श्री भगवानदीन कुशवाहा–

मान्यवर, 15 मार्च, 1988 को भारत बन्द है, उस दिन पूरा विपक्ष नहीं रहेगा। अतः इस पर पुनर्विचार करने के लिए माननीय अध्यक्ष को भेज दें।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, आप बैठें।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में संशोधन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अमार रिजवी)–

माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मेरा प्रस्ताव है कि दिनांक 9 मार्च, 1988 बुधवार तथा दिनांक 13 मार्च, 1988 रविवार को सदन की बैठकें न हों। वर्ष 1988-89 की आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा तथा मांगों पर चर्चा एवं मतदान के कार्यक्रम में निम्नलिखित परिवर्तन कर दिए जायं :-

दिनांक 10 मार्च, 1988, गुरुवार

1–आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

2–जनस्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान

दिनांक 11 मार्च, 1988, शुक्रवार

1–वन विभाग से संबंधित अनुदान की मांग पर चर्चा तथा मतदान

2–खाद्य तथा रसद विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

3–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (अनुदान सं0 15, 16 तथा 17) से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

दिनांक 16 मार्च, 1988, बुधवार

1–परिवहन विभाग से संबंधित अनुदान की मांग पर चर्चा तथा मतदान

2–गन्ना विकास विभाग एवं आबकारी विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

दिनांक 19 मार्च, 1988, शनिवार

1–उर्जा विभाग से संबंधित अनुदान की मांग पर चर्चा तथा मतदान

2–आवास एवं नगर विकास विभाग से संबंधित अनुदान की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

3–सूचना विभाग, खेल विभाग, विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर मतदान-विवाद नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है, इससे पूरा सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, 15 तारीख को न रखा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

15 तारीख का अध्यक्ष जी से अनुमोदित है, उनसे निवेदन करूंगा ।

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत 7 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें श्री मनोहर लाल, डा0 बंगाली सिंह और श्री शतरुद्र प्रकाश की सूचना जो उन्नाव जनपद में पुलिस की निष्क्रियता से होली के अवसर पर खूनी संघर्ष के संबंध में, है को नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयी और श्री राज किशोर सिंह जी की ग्राम बटनी कला थाना रोहनियां, वाराणसी में श्री विहारी लाल गुप्त की कुएं में दबकर मृत्यु विषयक सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है ।

मद संख्या 11 एवं 12 का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

जो मद संख्या 11 और 12 है उसको आज स्थगित करना ही उचित होगा ।

एक सदस्य–

मान्यवर, इसका प्रस्ताव लायें ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह प्रस्ताव नहीं आयेगा, इसकी जरूरत नहीं है । अब हम उठते हैं परसों 11 बजे तक के लिए ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 5 मिनट पर गुरुवार, दिनांक 10 मार्च, 1988 दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

8 मार्च, 1988

अध्यक्ष दर्शन सभा

नत्थी 'क'

(देखिए ता0प्र0सं0 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर)

पुलिस उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र की अध्यक्षता में गठित 11 पुलिस अधीक्षकों की समिति की संस्तुतियों पर कार्यवाही।

समिति की संस्तुति	कार्यवाही
1--जिला पुलिस के नियतन में वृद्धि . .	वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है।
2--जिला सशस्त्र पुलिस के नियतन में वृद्धि	पुनरीक्षित प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से अगस्त 87 में प्राप्त हुआ था। परीक्षण किया जा चुका है तथा प्रस्ताव को वित्त विभाग द्वारा 9वें वित्त आयोग के लिए सन्दर्भित कर दिया गया है।
3--पुलिस विभाग में शस्त्रों की कमी . .	रिवाल्वर की आवश्यक व्यवस्था करा दी गई है।
4--यातायात पुलिस की कमी . .	केवल 7 नगरों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तद्नुसार 30-7-87 को 50 उप निरीक्षक 243 हेड कां0 तथा 757 कां0 के पदों के सृजन के आदेश जारी किए जा चुके हैं
5--पुलिस लाइन का प्रभारी अधिकारी कम से कम पुलिस उपाधीक्षक स्तर का हो।	पुलिस महा निदेशक से प्रस्ताव प्रतीक्षित है। ।
6--थाना अभिलेखों की देख रेख एवं मालखानों की देख रेख के लिए अलग से उप निरीक्षक तथा हेड कांस्टेबिल, कांस्टेबिल के पदों का सृजन।	समिति की संस्तुति पर विचार हुआ। अलग से पद सृजित किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।
7--विशेष अनुसन्धान दलों की जिले में स्थापना	वर्तमान में 10 जिलों में ये दल हैं। अग्रिम आवश्यकता हेतु पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
8--शहरों में कन्ट्रोल रूम की स्थापना तथा कार्यरत कन्ट्रोल रूम का सुदृढ़ीकरण।	34 जनपदों में 40 कन्ट्रोल रूम स्थापित हैं। शेष फेशेज में स्थापित सुदृढ़ीकरण किए जा रहे हैं।
9--थानों पर जीप की व्यवस्था एवं गाड़ियों की मरम्मत हेतु जिला एव परिक्षेत्र स्तर पर कार्यशालाओं की स्थापना।	समस्त थानों (1261) के लिए जीपें स्वीकृत शासन द्वारा 2 परिक्षेत्रीय पुलिस मोटर कार्यशालाएं में वर्ष 1986-87 में लखनऊ तथा मुरादाबाद में स्थापित की जा चुकी है। आगरा तथा वाराणसी में दो परिक्षेत्रीय कार्यशालायें 1987-88 में स्थापित की जा रही हैं।

समिति की सस्तुति	कार्यवाही
10—कुल नियतन में कन्टीजेंसी रिजर्व में वृद्धि	इस समय कन्टीजेंसी रिजर्व 14 प्रतिशत है। प्रशिक्षण तथा अवकाश के आंकड़ों सहित सशस्त्र पुलिस में कन्टीजेन्ट रिजर्व का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है परीक्षणोंपरान्त प्रस्ताव वित्त विभाग में 9वें वित्त आयोग के लिए सन्दर्भित कर दिया गया है।
11—प्रत्येक जिले में डाग स्कवायड की मांग . .	साधनों को देखते हुए प्रथम चरण में परिक्षेत्र स्तर पर डाग स्क्वायड स्थापित प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
12—पुलिस लाइन तथा पी0ए0सी0 वाहिनियों के मुख्यालय पर बैन्ड की स्थापना।	पुलिस महानिदेशक स्तर से वी0सी0एफ0सी0 आर0पी0 पैटर्न पर प्रस्ताव प्रतीक्षित है।
13—वित्तीय अधिकारों/नियमों में संशोधन . .	(क) क्षुद्र निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय सीमा 20 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दी गयी है। (ख) 8 से 12 घंटे तक पुलिस अभिरक्षा में रखे गए विचाराधीन बन्दियों को एक भोजन दिए जाने के लिए रु0 3.25 पै0 का व्यय तथा 12 से 24 घंटे तक रखे गए बन्दियों के लिए दो भोजन दिए जाने के लिए रु0 6.50 पैसे तक का अधिकतम व्यय अनुमन्य है। (ग) न्यायालयों द्वारा बुलाए गए गवाहों की देय धनराशि रु0 5.00 व 8.00 से बढ़ाकर क्रमशः 10.00 रुपए व 15.00 रुपए कर दी गयी है। (घ) लावारिस लाशों के निस्तारण के सम्बन्ध में देय प्रथम श्रेणी के जिलों में अधिकतम रु0 50.00 से बढ़ाकर रु0 150.00 तथा अन्य जिलों में रु0 45.00 से बढ़ाकर रु0 100.00 प्रति शव भुगतान करने के आदेश हरिजन एव समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। (इ) थानों पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा 8 घटे से अधिक 18 किमी0 की सीमा के अन्दर ड्यूटी पर जाने पर दैनिक भत्ता दिए जाने हेतु विभाग की व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में पुलिस महानिरीक्षक से प्रस्ताव प्रतीक्षित है।
14—धारा 107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत शस्त्र लाइसेंसियों के जब्त किए जाने के विषय में।	चूंकि शस्त्र अधिनियम एक केन्द्रीय अधिनियम है अतः शासन स्तर पर निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं है।

अनुसंधान प्रदर्शन

समिति की संस्तुति	कार्यवाही
15—खाकी रंग की वर्दी कानून रिजर्व करने का सुझाव (पुलिस विभाग हेतु)।	इस विषय पर विचार करने हेतु एक उच्च स्तरीय वर्दी उप समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायगी।
16—पुलिस अधीक्षकों को पिकअप न देकर अम्बेस्डर कार दी जाय।	यह व्यवस्था स्वीकृत की जा चुकी है।
17—धार्मिक स्थलों के निर्माण तथा धार्मिक जलूसों के विषय में अधिनियम बनाना।	विचाराधीन है।
18—राष्ट्रीय पुलिस आयोग की जिला पुलिस तथा बड़े शहरों में पुलिस व्यवस्था के विषय में अनेक संस्तुतियां।	आयोग की कुछ सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा कर्यवाही की गयी है। कुछ संस्तुतियां राष्ट्रीय परिपेक्ष्य से जुड़ी हुई हैं। जिन पर भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0--101 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित श्री यदुनाथ सिंह द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या--101 के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक।

1---श्री सी0एम0एस0 बिष्ट, डिप्टी कलेक्टर।
2---श्री राम शरन, डिप्टी डायरेक्टर, पुरातत्व विभाग।
3---श्री एस0एस0 रावत, एरिया मैनेजर, यू0पी0 स्माल स्केल इंडस्ट्रीज।
4---श्री कल्याण सिंह, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, यू0पी0 कोआपरेटिव सोसायटी चिट एण्ड फण्ड।
5---श्री आशाराम, सहायक कोषाधिकारी।
6---श्री एम0आर0 खान, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0 रोडवेज।
7---श्री आर0पी0 शर्मा, सहायक अभियन्ता, पी0डब्लू0डी0।
8--श्री वी0पी0एस0 सेंगर, डिप्टी डायरेक्टर, आर्कलोजी।
9---श्री राजपाल सिंह, डिप्टी डायरेक्टर, चकबन्दी।
10---श्री आर0के0 यादव, मेडिकल आफिसर, सैया।
11---डा0 आर0एन0 चौधरी, जिला चिकित्सालय।
12---डायरेक्टर, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट।
13---श्री आर0एस0 कठेरिया, बिक्री-कर अधिकारी।
14---श्री दीपक विद्यार्थी, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0 रोडवेज।
15---श्री एस0सी0 जोसी, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0 रोडवेज।
16---श्री रमाकान्त तिवारी, अति0 कमिश्नर (आपूर्ति), आयुक्त कार्यालय।
17---श्री पी0एल0 श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, यांत्रिक खण्ड, पी0डब्लू0डी0।
18--डा0 एम0एल0 सोनवाल, क्षेत्रीय एकाउन्ट्स आफिसर, यू0पी0 रोडवेज।
19---श्री भुवन प्रताप सिंह, सहायक पुलिस अधीक्षक।
20---श्री ए0के0 सिंह, सहायक अभियन्ता यांत्रिक खण्ड, सा0नि0 विभाग।
21--श्री लाल जी शुक्ला, डिप्टी एस0पी0 (सी0 ओ0 वाह)।
22---डा0 वी0वी0 मेहरोत्रा, डिप्टी सी0एम0ओ0।
23---श्री ए0के0 बन्सल, डिप्टी डायरेक्टर (निर्माण), मण्डी परिषद्।
24--डा0 ए0के0 अग्रवाल, लेक्चरर, एनाटामी डिपार्टमेंट, एस0एन0 मेडिकल कालेज।
25---श्री अनिल बन्सल, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, सा0नि0विभाग।
26--डा0 आर0सी0 जैन, जिला चिकित्सालय।
27--श्री सीताराम भीणा, संयुक्त मजिस्ट्रेट।
28---श्री ए0ए0 खान, अधिशासी अभियन्ता, यांत्रिक खण्ड, सा0नि0विभाग।
29---श्रीमती प्रमिला चतुर्वेदी, पत्नी स्व0 श्री एम0के0 चतुर्वेदी, ए0डी0एम0।
30---श्री आर0के0 चतुर्वेदी, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी।
31---श्री ए0सी0 दास, डी0आई0ओ0 (जिला सूचनाधिकारी)।
32---श्री ए0के0 राघव, सी0ओ0 (फतेहाबाद) ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक।
33---श्रीमती राजश्वरी देवी, कनिष्ठ लिपिक 41वां वृत्त सा0नि0विभाग।
34---श्री टिकले, डिप्टी कलेक्टर।
35---श्रीमती रंजना चौधरी, लेडी डाक्टर, लेडीलायल हास्पिटल।

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0 156 का उत्तर पीछे पृष्ठ 93 पर)

श्री राम सागर, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-156 के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक ।

क्रमांक	अधिकारी का नाम (अनुसूचित जाति के अधिकारी)	आवंटन वर्ष	वर्तमान नियुक्ति स्थान/पद
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1	श्याम लाल	1956	पुलिस महानिरीक्षक, पी0ए0सी0, उ0प्र0, लखनऊ ।
2	प्यारे चन्द्र प्रसाद	1957	उप प्रधानाचार्य, पी0टी0सी0-1, मुरादाबाद ।
3	राम आसरे	1960	पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन ।
4	नत्थू लाल	1961	पुलिस महानिरीक्षक, पी0टी0सी0-1, मुरादाबाद ।
5	चमन लाल प्रद्योत	1962	अतिरिक्त आयुक्त खाद्य एवं रसद एवं पदेन पुलिस उप महानिरीक्षक लखनऊ ।
6	श्रीराम अरुण	1963	पुलिस महानिरीक्षक उप, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ ।
7	राम प्रकाश सरोज	1964	पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष जांच (हरिजन सेल), लखनऊ ।
8	एम0के0 राजू	1965	संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस, लखनऊ ।
9	राम राखा	1965	पुलिस अधीक्षक, वि0 अ0शा0 सहकारिता, लखनऊ ।
10	सुन्दर लाल	1966	पुलिस उप महानिरीक्षक (नियुक्ति की प्रतीक्षा में) ।
11	राम स्वरूप पुष्कर	1966	पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, लखनऊ
12	ब्रिजेन्द्र कुमार सिंह	1966	विशेष सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
13	चरन दास कैन्थ	1966	पुलिस उप महा निरीक्षक, कुमायूं परिक्षेत्र नैनीताल ।
14	राधे श्याम	1967	संयुक्त निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ ।
15	चरन दास प्रेमी	1968	पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवेज, लखनऊ

1	2	3	4
	सर्वश्री		
16	जंगी सिंह	1969	पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध शाखा, अपराध अनुसन्धान विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
17	हाकम सिंह	1969	डिप्टी कमान्डेंट जनरल, होम गार्ड्स, लखनऊ।
18	छोटे लाल	1970	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पी0ए0सी0 उ0प्र0, लखनऊ।
19	अशोक कुमार सिंह	1971	सेनानायक, 11वीं वाहिनी, पी0ए0सी0, सीतापुर।
20	सरवन राम दारापुरी	1972	पुलिस अधीक्षक, इं0 ओ0डब्लू0, वाराणसी
21	श्याम नाथ प्रसाद	1972	पुलिस अधीक्षक, विशेष जांच, (हरिजन सेल), लखनऊ।
22	होरी लाल	1972	पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ।
23	चमन लाल	1973	ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी।
24	राधे श्याम	1973	पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात।
25	जितेन्द्र कुमार	1974	पुलिस अधीक्षक, प्र0न0सं0, लखनऊ।
26	सुन्दर सिंह मेहरा	1974	ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़।
27	शिवनाथ चक	1974	पुलिस अधीक्षक, मथुरा।
28	श्रीमती सूरज कौर मेहरा	1974	संयुक्त निदेशक, (प्रशासन) अभियोजन निदेशालय, लखनऊ।
29	प्यारे लाल	1975	ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा।
30	एच0एस0 बलवरिया	1976	पुलिस अधीक्षक, बिजनौर।
31	हरभजन सिंह	1976	पुलिस अधीक्षक, बस्ती।
32	रती राम	1976	पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, गोरखपुर।
33	प्रकाश सिंह	1976	ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा।
34	राम लाल राम	1976	ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालौन।
35	बृज लाल	1977	पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत।
36	रामेश्वर दयाल	1977	पुलिस अधीक्षक, ई0ओ0डब्लू0, कानपुर।
37	मलकियत राम	1977	पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा।
38	जगदीश चन्द्रा	1977	पुलिस अधीक्षक, दस्यु उन्मूलन अभियान कानपुर (कार्यभार ग्रहण नहीं किया।)

1	2	3	4
39	बासदेव लाल	1977	पुलिस अधीक्षक, खाद्य प्रकोष्ट, लखनऊ।
40	बन्सी लाल	1977	पुलिस अधीक्षक, पौड़ी गढ़वाल।
41	कश्मीर सिंह	1978	पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
42	बिजेन्द्र सिंह	1978	पुलिस अधीक्षक, चमोली।
43	शिवनरायन सिंह	1979	पुलिस अधीक्षक, (नगर) लखनऊ।
44	विजय सिंह	1981	पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़।
45	राम देव	1982	अपर पुलिस अधीक्षक, वाराणसी।
46	गुरूबचन लाल	1983	अपर पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
47	गुरदर्शन सिंह	1984	सहायक पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़।
48	हरीश चन्द्र	1985	सहायक पुलिस अधीक्षक, नैनीताल।
49	सुजानवीर सिंह	1986	सहायक पुलिस अधीक्षक (परिबी0), फैजाबाद।

अनुसूचित जनजाति के आई0पी0एस0 अधिकारी

1	श्री जमना लाल वर्मा	1963	संयुक्त निदेशक, नागरिक सुरक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
2	श्री कबिराज नेगी	1976	सेनानायक 31वीं वाहिनी, पी0ए0सी0, रुद्रपुर, नैनीताल।
3	श्री कन्हैया लाल मीणा	1983	पुलिस अधीक्षक (नगर) गोरखपुर।

पी0एस0यू0पी0--एल0 72 वि0सभा (105)--1988--813।